Vol. 265
No. 9

Thursday,
1st August, 2024
10 Sravana, 1946 (Saka)

PARLIAMENTARY DEBATES

RAJYA SABHA

OFFICIAL REPORT (FLOOR VERSION)

(PART-II)

CONTENTS

Birthday Greetings (page 1)

Welcome to Parliamentary delegation from Japan (page 1)

Papers Laid on the Table (Pages 1 - 10)

Statements by Minister-

Status of implementation of recommendations contained in the 327th, 332nd, 339th, 344th, 351st and 357th Reports of Department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports (pages 11 - 12)

Announcements by the Chair (page 12 and pages 63 - 64)

Regarding the Ruling of the Chair (pages 12 - 14)

Matters raised with Permission -

Concern over non-functional status of Eklavya Model Residential Schools in Bihar (pages 14 -15)

©
RAJYA SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

Demand for construction of a tunnel on NH-75, at Shiradi Ghat, Karnataka (page 16)

Demand to ease the Credit Card closure process across the country (page 17)

Demand to expedite the notification process for new Land Custom Station between India and Bangladesh (pages 17 - 18)

Demand to accelerate the work related to the construction of tunnel between Bangna and Dhaneta in Himachal Pradesh (pages 18 - 19)

Demand for intervention of Central Government to resolve the problems faced by farmers of Madhya Pradesh in selling Moong crop (pages 19 - 20)

Demand for allocation of funds under the 'Khelo India Scheme' in proportion to the players' participation in International tournaments from respective States

(pages 21 - 22)

Depletion of water bodies and ponds in the country due to illegal encroachment and construction (pages 22 - 23)

Non-compliance of Right to Education Act by some private schools in Bihar

(page 23)

Concern over depriving the minorities from the benefits of the grant available for the marriage of daughters of poor people belonging to Other Backward Classes (pages 24 - 26)

Devastation caused by floods during rainy season in the district of Haridwar

(page 26)

Demand to include of Assam's Charaideo Moidams, the old mound-burial system of Ahom dynasty in UNESCO world heritage list (pages 27 -28)

Demand for restoration and conservation of water bodies in Mithila region of Bihar (page 28 - 29)

Demand to financially support and encourage indigenous sports, like Kabaddi, Wrestling, Badminton, etc. in the country (pages 29 - 30)

Website : http://rajyasabha.nic.in
https://sansad.in/rs
E-mail: rsedit-e@sansad.nic.in

Need to make AIIMS, Raebareli fully functional (pages 30 - 31)

Demand to construct foot over bridge at NH-19 in Chandauli district of Uttar Pradesh (pages 31 -32)

Need for reducing the age for contesting elections in India (pages 32 - 34)

Oral Answers to Questions (pages 34 - 63)

[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part -I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link https://sansad.in/rs/debates/officials]

Discussion on the Working of the Ministry of Housing and Urban Affairs - Concluded (pages 64 - 91)

Discussion on the Working of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare - *Not Concluded* (pages 91 - 166)

Content Page

RAJYA SABHA

Thursday, the 1st August, 2024/10 Sravana, 1946 (Saka)

The House met at eleven of the clock,
MR. CHAIRMAN *in the Chair.*

BIRTHDAY GREETINGS

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I am pleased to extend greetings to hon. Member of Parliament, Shri Ayodhya Rami Reddy Alla on his birthday today. A Member of this august House since June 2020, Shri Reddy holds a Masters degree in Civil engineering from Osmania University and has more than 24 years of experience in the engineering field. He received "Engineer of the year award" from Government of Andhra Pradesh and Institution of Engineers in 2005. His interests include Kabaddi, cricket and boxing. He is married to Shrimati Dakshayani Alla and the couple is blessed with Sons - A. Sharan Reddy and A. Ishaan Reddy.

Hon. Members, on behalf of this House, and on my own, I wish him a long, healthy and happy life and extend greetings to the family Members.

WELCOME TO THE PARLIAMENTARY DELEGATION FROM JAPAN

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, on behalf of this august House, I have great pleasure in welcoming H.E.Mr. Nukaga Fukushiro, hon. Speaker of the House of Representatives, Japan along with the Members of his Delegation who are on a visit to India as our honoured guest. The Delegation arrived in Delhi from Bengaluru on Wednesday, 31st July, 2024. They are now seated in the Special Box. They are scheduled to have various meetings in Delhi before their departure for Japan on 2nd August, 2024. We wish them a fruitful and pleasant stay in our country. Through them, we convey our greetings and best wishes to the Members of Parliament of Japan, the Government and the friendly people of Japan.

PAPERS LAID ON THE TABLE

MR. CHAIRMAN: Now, Papers to be laid on the Table.

Content Page

Report and Accounts (2021-22 and 2022-23) of various organizations and related papers

THE MINISTER OF CULTURE (SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT): Sir, I to lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:-

(i) (a) Annual Report and Accounts of the National School of Drama (NSD), New Delhi, for the year 2022-22, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above School.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L. T. 228/18/24]

(ii) (a) Annual Report and Accounts of the Sangeet Natak Akademi, New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Akademi.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L. T. 229/18/24]

(iii) (a) Annual Report and Accounts of the South Zone Cultural Centre (SZCC), Thanjavur, Tamil Nadu, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Centre.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L. T. 227/18/24]

(iv) (a) Annual Report and Accounts of theCentral Institute of Himalayan Culture Studies (CIHCS), Dahung, Arunachal Pradesh, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L. T. 231/18/24]

(v) (a) Annual Report and Accounts of the Centre for Buddhist Cultural Studies

(CBCS), Tawang Monastery, Tawang, Arunachal Pradesh, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Centre.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L. T. 235/18/24]

(vi) (a) Annual Report of the Nava Nalanda Mahavihara (NNM), Nalanda, Bihar, for the year 2021-22.

(b) Annual Accounts of the Nava Nalanda Mahavihara (NNM), Nalanda, Bihar, for the year 2021-22, and the Audit Report thereon.

(c) Review by Government on the working of the above Centre.

(d) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) and (b) above.

[Placed in Library. *See* No. L. T. 230/18/24]

(vii) (a) Annual Report and Accounts of the Gaden Rabgyeling Monastic School, Bomdila, Arunachal Pradesh, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above School.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L. T. 234/18/24]

(viii) (a) Annual Report and Accounts of the Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya (IGRMS), Bhopal, Madhya Pradesh, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Sangrahalaya.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L. T. 423/18/24]

(ix) (a) Annual Report and Accounts of the Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies (MAKAIAS), Kolkata, West Bengal, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at

(a) above.

[Placed in Library. *See* No. L. T. 426/18/24]

(x) (a) Forty-eighth Annual Report and Accounts of the Rampur Raza Library, Rampur, Uttar Pradesh, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Library.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L. T. 430/18/24]

(xi) (a) Annual Report and Accounts of the Allahabad Museum, Prayagraj, Uttar Pradesh for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Museum.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L. T. 424/18/24]

(xii) (a) Annual Report and Accounts of the Vrindavan Research Institute, Mathura, Uttar Pradesh, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L. T. 425/18/24]

I. Notification of the Ministry of Science and Technology

II. Notification of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions

III. Report (2022-23) of UPSC, New Delhi and related papers

IV. Report and Accounts (2022-23) of Grih Kalyan Kendra Board, New Delhi; and NRA, New Delhi and related papers

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (DR. JITENDRA SINGH): Sir, I lay on the Table:-

I. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Science and Technology

(Department of Science and Technology) Notification No. G.S.R. 353(E)., dated the 28th June, 2024, publishing the Anusandhan National Research Foundation Rules, 2024, under Section 25 of the Anusandhan National Research Foundation Act, 2023.

[Placed in Library. *See* No. L. T. 359/18/24]

II. (i) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training), under sub-section (2) of Section 3 of the All-India Services Act, 1951:-

(1) G.S.R. 251(E)., dated the 22nd April, 2024, publishing the Indian Police Service (Fixation of cadre Strength) Amendment Regulations, 2024.

(2) G.S.R. 252(E)., dated the 22nd April, 2024, publishing the Indian Police Service (Pay) Amendment Rules, 2024.

(3) G.S.R. 367(E)., dated the 4th July, 2024, publishing the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Amendment Regulations, 2024.

(4) G.S.R. 368(E)., dated the 4th July, 2024, publishing the Indian Administrative Service (Pay) Amendment Rules, 2024.

[Placed in Library. For (1) to (4) *See* No. L. T. 357/18/24]

(ii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) Notification No. G.S.R. 203(E)., dated the 15th March, 2024, publishing the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Amendment Regulations, 2024, framed under clause (5) of Article 320 of the Constitution of India.

[Placed in Library. *See* No. L. T. 527/18/24]

(iii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) Notification No. G.S.R. 342(E)., dated the 24th June, 2024, publishing the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Rules, 2024, under Section 17 of the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024.

[Placed in Library. *See* No. L. T. 360/18/24]

III. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under clause (1) of article 323 of the Constitution: -

(a) Seventy-third Annual Report of the Union Public Service Commission (UPSC), New Delhi, for the year 2022-23.

Content Page

(b) Memorandum explaining the reasons for non-acceptance of the advice tendered by the Union Public Service Commission in respect of five cases referred to in Chapter 9 of the above Report.

[Placed in Library. *See* No. L. T. 627/18/24]

IV. A copy each (in English and Hindi) of the following papers: -

(i) (a) Annual Report and Accounts of the Grih Kalyan Kendra Board, New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

(ii) A copy (in English and Hindi) of the Annual Report and Accounts of the National Recruitment Agency (NRA), New Delhi, for the year, 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

[Placed in Library. For (i) and (ii) *See* No. L. T. 355/18/24]

I. Notifications of the Ministry of Labour and Employment

II. Financial Estimates and Performance Budget (2024-25) of the ESIC, New Delhi and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SUSHRI SHOBHA KARANDLAJE): Sir, I lay on the Table:-

I. (i) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Labour and Employment Notification No. S.O. 3215(E)., dated the 2nd July, 2018, amending the Principal Notification No. S.O. 615(E), dated the 23rd March, 2011, issued under clause (b) of Section 45-I of the Employees' State Insurance Act, 1948, along with delay statement.

[Placed in Library. *See* No. L. T. 628/18/24]

(ii) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Labour and Employment, issued under clause (b) of Section 45-I of the Employees' State Insurance Act, 1948, along with delay statement: -

(1) S.O. 3216(E)., dated the 2nd July, 2018, authorising certain officers to exercise the powers of Recovery Officer under the said Act on and from the date of publication of this notification in the Official Gazette for the area, as mentioned therein, in relation to all factories and establishments covered under the provisions of the Act.

(2) S.O. 2059(E)., dated the 24th June, 2019, amending the Principal Notification No. S.O. 615(E), dated the 23rd March, 2011.

[Placed in Library. For (1) and (2) *See* No. L. T. 629/18/24]

(iii) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Labour and Employment, issued under sub-section (1) of Section 97 of the Employees' State Insurance Act, 1948, along with delay statement:-

(1) N-12/13/1/2016-P&D, dated the 15th February, 2019, notifying ATAL BIMIT VYAKTI KALYAN YOJNA.

(2) 12/13/1/2019-P&D., dated the 22nd July, 2019, notifying the rate of user charges and other details of the scheme referred to in Section 73D of the said Act.

(3) U-11/13/2/2019.-Medical I., dated the 13th January, 2021, notifying the rate of user charges and other details for providing medical services under Ayushman Bharat/Pradhan Mantri — Jan Arogya Yojna.

(4) (N-12011/01/2023-P&D) New Delhi, 2023., dated the 12th September, 2023, extending Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana for a period 01.07.2022 to 30.06.2024 with enhanced rate of relief and relaxed eligibility conditions.

[Placed in Library. For (1) to (4) *See* No. L. T. 630/18/24]

(iv) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Labour and Employment Notification No. N-12/13/1/2016-P&D., 2nd December, 2019, amending Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojana, which was notified on 26.03.2005 as per decision of ESI Corporation in its 169th meeting held on 06.09.2016., issued under Section 19 of the Employees' State Insurance Act, 1948, along with delay statement.

[Placed in Library. *See* No. L. T. 631/18/24]

(v) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Labour and Employment Notification No. N-12/13/01/2019-P&D., dated 16th November, 2021, notifying the resolution passed by the Employees' State Insurance Corporation at its meeting held on 10th September, 2021, along with delay statement.

[Placed in Library. *See* No. L. T. 632/18/24]

(vi) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Labour and Employment Notification No. Z-24/14/1/2020-DPC (E.I)., dated the 19th June, 2023, publishing the Employees' State Insurance Corporation (Staff and Conditions of Service) Regulations, 2023, under sub-section (4) of Section 97 of the Employees' State

Insurance Act, 1948, along with delay statement.

[Placed in Library. *See* No. L. T. 633/18/24]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:-

(a) Financial Estimates and Performance Budget of the Employees' State Insurance Corporation (ESIC), New Delhi, for the year 2024-25, under Section 36 of the Employees' State Insurance Act, 1948.

(b) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L. T. 257/18/24]

Notification of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (SHRI KIRTIVARDHAN SINGH): Sir, I lay on the Table, a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Notification No. G.S.R. 895(E)., dated the 15th December, 2023, publishing the Environment (Protection) Sixth Amendment Rules, 2023, under Section 26 of the Environment (Protection) Act, 1986, along with delay statement.

[Placed in Library. *See* No. L. T. 261/18/24]

Reports and Accounts of NSU, Imphal; and SAI, New Delhi for various years and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRIMATI RAKSHA NIKHIL KHADSE): Sir, I lay on the Table—

(A) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (3) of Section 28 and sub-section 4 of Section 29 of the National Sports University Act, 2018:-

(i) (a) Annual Report and Accounts of the National Sports University (NSU), Imphal, for the year 2017-18, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above University.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

(ii) (a) Annual Report and Accounts of the National Sports University (NSU),

Imphal, for the year 2018-19, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above University.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

(iii) (a) Annual Report and Accounts of the National Sports University (NSU), Imphal, for the year 2019-20, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above University.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

(iv) (a) Annual Report and Accounts of the National Sports University (NSU), Imphal, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above University.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

(v) (a) Annual Report and Accounts of the National Sports University (NSU), Imphal, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above University.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. For (i) to (v) *See* No. L. T. 262/18/24]

(B) A copy each (in English and Hindi) of the following papers:-

(a) Annual Report and Accounts of the Sports Authority of India (SAI), New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Authority.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L. T. 263/18/24]

Report and Accounts (2021-22) of NERAMAC, Guwahati, Assam and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH

EASTERN REGION (SHRI SUKANTA MAJUMDAR): Sir, I lay on the Table, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:-

(a) Annual Report and Accounts of the North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited (NERAMAC), Guwahati, Assam, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Corporation.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L. T. 378/18/24]

Notifications of the Ministry of Finance

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, मैं वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं तथा व्याख्यात्मक ज्ञापनों की एक-एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) Notification No. 19/2024-Central Excise dated 31.07.2024 seeking to amend Notification No. 18/2022-Central Excise, dated the 19th July, 2022 to reduce the Special Additional Excise Duty on production of Petroleum Crude from Rs. 7000/MT to Rs. 4600/MT, under sub-section (2) of Section 38 of the Central Excise Act, 1944.

[Placed in Library. *See* No. L. T. 395/18/24]

(2) Notification No. 41/2024-Customs dated 31.07.2022 seeking to amend Notification No. 50/2017-Customs dated the 30th June, 2017 to reduce the applicable BCD rate with effect from 1st August 2024, Laboratory chemicals (excluding undenatured) ethyl alcohol of any alcoholic strength), falling under HS 9802 00 00, for use in laboratory or for use in Research and Development purpose from 150% to 10%, subject to prescribed undertaking from concerned importer, under Section 159 of the Customs Act, 1962.

[Placed in Library. *See* No. L. T. 396/18/24]

STATEMENTS BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 327th, 332nd, 339th, 344th, 351st and 357th Reports of Department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRIMATI RAKSHA NIKHIL KHADSE): Sir, I lay the following Statements regarding:-

(a) Status of implementation of recommendations contained in the 327th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on Action Taken by the Government on the Recommendations contained in the 317th Report of the Committee on "Preparation for Olympic Games, 2021".

[Placed in Library. *See* No. L. T. 220/18/24]

(b) Status of implementation of recommendations contained in the 332nd Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the 325th Report of the Committee on Demands for Grants (2021-22) of the Ministry of Youth Affairs and Sports.

[Placed in Library. *See* No. L. T. 221/18/24]

(c) Status of implementation of recommendations contained in the 339th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on Demands for Grants (2022-23) of Ministry of Youth Affairs and Sports.

[Placed in Library. *See* No. L. T. 222/18/24]

(d) Status of implementation of recommendations contained in the 344th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on Action Taken by the Government on the Recommendations/Observations contained in the 339th Report of the Committee on Demands for Grants (2022-23) of the Ministry of Youth Affairs and Sports.

[Placed in Library. *See* No. L. T. 223/18/24]

(e) Status of implementation of recommendations contained in the 351st Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on Demands for Grants (2023-24) of the Ministry of Youth Affairs and Sports.

[Placed in Library. *See* No. L. T. 224/18/24]

(f) Status of implementation of recommendations contained in the 357th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on Action Taken by the Government on the Recommendations/Observations contained in the 351st Report of the Committee on Demands for Grants (2023-24) of the Ministry of Youth Affairs and Sports.

[Placed in Library. *See* No. L. T. 225/18/24]

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, on conclusion of discussion and Minister's reply on working of Ministry of Housing and Urban Affairs, the discussion on the working of Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare will commence. After all the speakers for the discussion on the Ministry have spoken today, the reply of the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare will be taken up tomorrow at 1 p.m. Now, Matters Raised with Permission.

REGARDING RULING OF THE CHAIR

SHRI DIGVIJAYA SINGH (MADHYA PRADESH): Sir, I have a very important point to raise before the House. Yesterday, you made certain observations, we are violating the Constitution of India...

MR. CHAIRMAN: You are raising it under which rule?

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, I am raising it under Rule 238; my right to raise a point of order.

MR. CHAIRMAN: Just a minute*...(Interruptions)...*

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, you have stated, you have given a ruling. Sir, I am agitating against your ruling.

MR. CHAIRMAN: I am giving you the floor, but, let me have Rule 238 before me. You also have Rule 238 before you. Yes, Digvijaya*ji.*

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, yesterday...

MR. CHAIRMAN: Which part, Digvijaya Singh*ji,* are you referring to?

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, my right to raise a point of order.

MR. CHAIRMAN: That is there, your right to raise a point of order is there. But, under which rule are you raising?

SHRI DIGVIJAYA SINGH: On the basis of your yesterday's ruling, Sir.

MR. CHAIRMAN: The ruling cannot be challenged. *...(Interruptions)...*

SHRI DIGVIJAYA SINGH: *

MR. CHAIRMAN: No, the ruling cannot be challenged. *...(Interruptions)...* No, nothing is going on record. *...(Interruptions)...* Nothing is going on record. *...(Interruptions)...*No. Sit down. *...(Interruptions)...* Take your seat, Digvijaya Singhji. *...(Interruptions)...* Digvijaya Singhji, nothing is going on record. *...(Interruptions)...* I am afraid, I cannot allow a Member to challenge the ruling of the Chair. *...(Interruptions)...* I am so sorry. *...(Interruptions)...* You may hold your views. *...(Interruptions)...* We cannot make it an *akhada*. *...(Interruptions)...* . Would you take your seat? *...(Interruptions)...* Digvijayaji, you are a very senior Member. *...(Interruptions)...*You are making a speech which has no consequence. *...(Interruptions)...* I have respect for you. If you have to raise a point of order, you can raise it. *...(Interruptions)...* You have to quote the rule. And, you say that your point of order is related to my ruling. *...(Interruptions)...* Take your seat, please.

---

* Not recorded

I have read it. ...*(Interruptions)*... You had raised it before also. All I am saying is that there can be no challenge to the ruling of the Chair.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

MR. CHAIRMAN: Now, Zero Hour. Prof. Manoj Kumar Jha. It is relating to Concern over non-functional status of Ekalavya Model Residential Schools of Bihar. ...*(Interruptions)*...Nothing is going on record. ...*(Interruptions)*... Do you wish to avail your Zero Hour submission, Shri Jha? ...*(Interruptions)*...

SHRI MANOJ KUMAR JHA: Sir, let the hon. Member sit. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I know the hon. Member will sit down. ...*(Interruptions)*... Digvijayaji, please bear with me. ...*(Interruptions)*... I have studied it. ...*(Interruptions)*... Digvijayaji, nothing is going on record. You know it. ...*(Interruptions)*... All you have spoken is going down the drain. ...*(Interruptions)*... Don't do it. You are a senior Member. ...*(Interruptions)*... I will not allow. ...*(Interruptions)*... Please. Take your seat. ...*(Interruptions)*... Please, I plead with you as a senior Member. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRAMOD TIWARI: Sir, the point is. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I have seen it. ...*(Interruptions)*...

श्री प्रमोद तिवारी: सर, मुझे पढ़ लेने दीजिए।...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Are you taking cue from him? ...*(Interruptions)*... Nothing is going on record. ...*(Interruptions)*...May I have Mr. Manoj Kumar Jha? ...*(Interruptions)*... Nothing is going on record. ...*(Interruptions)*... Mr. Saket Gokhale, take your seat. ...*(Interruptions)*... Prof. Manoj Kumar Jha. It is about Concern over non-functional status of Eklavya Model Residential Schools in Bihar. ...*(Interruptions)*...

Concern over non-functional status of Eklavya Model Residential Schools in Bihar

श्री मनोज कुमार झा (बिहार): माननीय सभापति महोदय, मेरा वक्त 20 सेकेंड ऐसे ही चला गया है।

MR. CHAIRMAN: I will adjust it. You go ahead.

श्री मनोज कुमार झाः सर, मैं आपके माध्यम से पहले तो धन्यवाद करूं कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के संदर्भ में, जो बिहार में है, उनके लिए आपने वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जब इसकी स्थापना हुई थी, conceptualisation हुआ था, तो उसमें इस बात की एक कोशिश थी कि गैर आदिवासी बच्चों के समकक्ष इनको भी वो तमाम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर दिए जाए, हर तरह की सामग्री उपलब्ध कराई जाए, ताकि गैर आदिवासी बच्चों और इनके बीच का जो गैप है, वह खत्म हो सके। सबलीकरण इसका एक दूसरा हिस्सा था। हमारे यहां झाझा, बेलाटांडी रामनगर, पश्चिमी चंपारण, अगौड़ा, खामखुर्द कैमूर में तीन स्कूल्स हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन तीनों स्कूल्स की हालत, तो मौलिक और आधारभूत संरचना नहीं है, शैक्षणिक और स्टाफ की कमी है, शैक्षणिक सामग्रियों की कमी है और उसके बगैर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव नहीं है। हाशिये के वर्गों के लिए अगर हम कोई पहल कर भी लेते हैं, तो उसमें हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। सर, एक छोटी टिप्पणी करूंगा। इस सदन में पहले भी कहा है एकलव्य जब नाम रखा गया, तो थोड़ा अप्रीतिकर लगा। एकलव्य की जिंदगी बहुत बुरी गुज़री थी, बहुत दंश झेलना पड़ा था और आज के दिन में मैं कहूं, तो आज के एकलव्य से अंगूठा नहीं मांगा जा रहा है, उसको एनएफएस (NFS) करार दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि हम सब एक सामूहिक चिंता के आधार पर हमारी कोशिश होना चाहिए कि अगर हमने कोई ऐसी व्यवस्था विकसित की है, तो उस व्यवस्था में हमारे सरोकार परिलक्षित हों। क्योंकि जब तक हाशिये के समूहों, वर्गों को लेकर हमारी चिंता जमीन पर नहीं उतरेगी, तब तक हवा-हवाई बातें होंगी। हमारा बजट, हमारी नीतियां बिल्कुल rhetorical अंदाज में लोगों के समक्ष जाएंगी। यह इस सदन की responsibility है कि एक संदेश दे कि चाहे आदिवासी हों, पिछड़े हों, दलित हों, उन सबके लिए कि आपकी शिक्षा, आपके अवसर पर कोई compromise नहीं होगा। इसके लिए आवश्यक हो, तो गणना भी कराई जाए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जय हिन्द!

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the issue raised by the hon. Member, Prof. Manoj Kumar Jha: Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra), Ms. Dola Sen (West Bengal), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand), Shri Sanjay Yadav (Bihar), Shri A.A. Rahim (Kerala), Shri Sant Balbir Singh (Punjab), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra) , Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Shri Javed Ali Khan (Uttar Pradesh), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala) and Dr. Sarfraz Ahmad (Jharkhand).

Now, Shri Narayana Koragappa — Demand for construction of a tunnel on National Highway — 75 at Shiradi Ghat, Karnataka.

Demand for construction of a tunnel on NH-75, at Shiradi Ghat, Karnataka

श्री नारायण कोरागप्पा (कर्नाटक): धन्यवाद सभापति महोदय, मेरा विषय कर्नाटक से संबंधित है, इसलिए मैं कन्नड़ में बात करता हूं। हमारे कर्नाटक में मंगलुरु से बेंगलुरु एनएच-75 का डिस्टेंस 350 किलोमीटर का है। *"The 350 km long stretch of the NH-75 at Shiradi Ghat area, connecting Mangaluru to Bengaluru, gets disrupted every year during the rainy season. For the last one month, the people of this region have been facing road connectivity issues.

Mangaluru, which is the second largest city in Karnataka, is famous as Tulu Nadu. The city of Mangaluru has various pilgrim centers and holy places along with an International Airport and a major sea-port and also well known industries like MRPL and MCF. The city is also a center for various educational institutions. Everyday thousands of buses enter the city of Mangaluru, including those carrying the pilgrims under the State Government's relevant scheme. But there is no guarantee that these buses would reach their destination safely.

Last week, i.e. on 26th July, one of the buses traveling from Mangaluru to Bengaluru, which had to go via Kerala, took a 1000 km long diversion and was delayed by 24 hours. There is a 237 km long 4-lane highway from Bengaluru to Mangaluru. On this highway, there should be a 23 km long tunnel just like the Pune-Mumbai tunnel. This would be a permanent solution to the problem. Only then the public there would travel safely between these two cities. Nowadays, there is no guarantee that one would reach Mangaluru safely after starting from Bengaluru and the duration of the journey is also unpredictable. 'Shiradi, Sampaje Charmady' are the three areas between Bengaluru, and Mangaluru that get disconnected every year due to landslides. Therefore, I would like to request the Government to provide the tunnel and road connectivity to this area. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the issue raised by the hon. Member, Shri Narayana Koragappa: Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu) and Dr. Sasmit Patra (Odisha),

Now, Shri Shambhu Sharan Patel — Demand to ease the credit card closure process across the country.

---

* English translation of the original speech delivered in Kannada.

Demand to ease the Credit Card closure process across the country

श्री शंभू शरण पटेल (बिहार): धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे बैंकिंग क्रेडिट कार्ड की सर्विस के संबंध में बोलने का मौका दिया है। महोदय, क्रेडिट कार्ड रखना आज एक स्टेटस सिंबल बन गया है, उसके जहां फायदे हैं, वहीं बहुत नुकसान भी हैं। क्रेडिट कार्ड मिल तो बहुत आसानी से जाता है, लेकिन अगर उसे बंद करना हो, तो बहुत लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है, इसलिए मैं सदन के माध्यम से आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि बैंक की सभी शाखाओं में क्रेडिट कार्ड संबंधी एक हेल्प डेस्क होनी चाहिए। वहां पर कस्टमर जाए और अगर उसको अपना क्रेडिट कार्ड बंद करवाना हो, तो सारे ड्यूज़ क्लियर करके वह उसको बंद करवा सके।

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

महोदय, ऐसा हो नहीं पा रहा है। लोगों को क्रेडिट कार्ड तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन जब बंद करवाना होता है, तो बोला जाता है कि आप ऑनलाइन सम्पर्क कीजिए। ऑनलाइन जाने पर कभी कहता है कि 1 दबाइए, 2 दबाइए, 5 दबाइए, वह दबाता रह जाता है, लेकिन उसका क्रेडिट कार्ड बंद नहीं होता है, जिसके कारण उसका सिबिल रेटिंग पर इफेक्ट पड़ता है और जब वह किसी दूसरे लोन के लिए एप्लाई करता है, तो उस समय क्रेडिट कार्ड का ड्यूज दिखाई देता है।

मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि बैंक की प्रत्येक शाखा में क्रेडिट कार्ड को बंद करने या क्रेडिट कार्ड को देने संबंधी एक हेल्प डेस्क हो, जहां पर कस्टमर जाकर आसानी से अपना क्रेडिट कार्ड बंद करवा सके या ले सके, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the issue raised by the hon. Member, Shri Shambhu Sharan Patel: Dr. Kalpana Saini (Uttarakhand), Shrimati Geeta alias Chandraprabha (Uttar Pradesh), Shri Neeraj Shekhar (Uttar Pradesh), Shri Baburam Nishad (Uttar Pradesh), Shri Brij Lal (Uttar Pradesh), Shri Babubhai Jesangbhai Desai (Gujarat), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Shri Naresh Bansal (Uttarakhand), Shri Ram Chander Jangra (Haryana), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shrimati Sulata Deo, (Odisha) and Shrimati Mahua Maji (Jharkhand).

Demand to expedite the notification process for new Land Custom Station between India and Bangladesh

DR. WANWEIROY KHARLUKHI (Meghalaya): Thank you, hon. Deputy Chairman,

Sir, for giving me this opportunity. In one of my Zero Hour mentions, I spoke on the Look South Policy for my State, Meghalaya. The Look East or Act East Policy for Meghalaya is too far a distance, approximately 500 kilometres. South of Meghalaya is Bangladesh, and we have a common boundary of 400 kilometres. To facilitate this Look South Policy, I would request the Government to open up New Land Custom Station between India and Bangladesh. I, strongly, believe that the establishment of New Land Custom Station will significantly benefit both our State and also our country. The introduction of New Land Custom Station will provide substantial employment and will also greatly enhance the economic growth of my people in Meghalaya. This will also facilitate trade and strengthen economic ties between India and Bangladesh. It will contribute positively to the overall economic growth of not only my State but also our country, India. Sir, inspections and reports have already been done by the State of Meghalaya and also by the Customs Department of the Government of India. Hence, through you, Sir, I would like to request the Government to expedite the notification process for the New Land Custom Station in my State. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you Dr. Wanweiroy Kharlukhi. The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Dr. Wanweiroy Kharlukhi: Shri Madan Rathore (Rajasthan) Shri Samik Bhattacharya (West Bengal), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Sasmit Patra (Odisha) and Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu).

Demand to accelerate the work related to the construction of tunnel between Bangna and Dhaneta in Himachal Pradesh

डा. सिकंदर कुमार (हिमाचल प्रदेश): उपसभापति महोदय, आपने मुझे हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाइवे के कार्य में तेजी लाने व बंगाणा से धनेटा के बीच टनल का निर्माण करने जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को सभा में रखने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, एक पहाड़ी राज्य होने के नाते हिमाचल प्रदेश में सड़क निर्माण करने का कार्य किसी चुनौती से कम नहीं है। केंद्र सरकार का केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जिस प्रकार से फोर लेन और हाइवे का निर्माण कर दूरियों को पाटने का काम कर रहा है, वह सराहनीय है। महोदय, हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत व पोषित दो फोर लेन परवाणु-शिमला व मटौर-शिमला का कार्य प्रगति पर है। इन फोर लेन्स के बनने से जहाँ हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा, वहीं लोगों के लिए भी प्रगति के द्वार खुलेंगे।

महोदय, मैं इस संबंध में हिमाचल प्रदेश में जनहित से जुड़ी दो बातों को आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। महोदय, नंबर वन बात तो यह है कि ऊना से हमीरपुर वाया बंगाणा, धनेटा, कांगू, हमीरपुर सड़क के मध्य बंगाणा से धनेटा के बीच टनल का निर्माण होने से ऊना से हमीरपुर के बीच की दूरी 15-20 किलोमीटर कम हो जाएगी। महोदय, इन स्थानों पर लोग दूर-दूर से बाबा बालकनाथ मंदिर, हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध शक्ति पीठ माता ज्वाला जी मंदिर व बाबा बालकरूपी के दर्शनों के लिए आते हैं। इस टनल के निर्माण से श्रद्धालु व आम जनमानस कम समय में बेहतर यात्रा सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

महोदय, दूसरी बात यह है कि वर्तमान समय में केंद्र द्वारा पोषित मटौर (धर्मशाला)-शिमला और परवाणु से शिमला से फोर लेन का कार्य प्रगति पर है। इन फोर लेन के बनने से धर्मशाला-शिमला व परवाणु-शिमला की दूरी तो कम होगी ही, इसके साथ ही पर्यटन कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा। मैं आपके माध्यम से केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय से आग्रह करना चाहता हूं कि इस फोर लेन्स के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए और इससे संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश दिए जाएं, ताकि इन फोर लेन्स का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण हो तथा बंगाणा से धनेटा के बीच टनल का निर्माण भी शीघ्रताशीघ्र किया जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Dr. Sikandar Kumar. The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Dr. Sikandar Kumar: Shri Brij Lal (Uttar Pradesh), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Ms. Kavita Patidar, (Madhya Pradesh), Shri Amar Pal Maurya (Uttar Pradesh), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Anil Sukhdeorao Bonde (Maharashtra), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Shri Ram Chander Jangra (Haryana), Shri Naresh Bansal (Uttarakhand), Ms. Indu Bala Goswami, (Himachal Pradesh), Dr. Bhagwat Karad, (Maharashtra), Shrimati Ramilaben Becharbhai Bara (Gujarat), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Dr. Laxmikant Bajpayee (Uttar Pradesh), Shri Sanjay Seth, (Uttar Pradesh), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra) and Shri Niranjan Bishi (Odisha).

Demand for intervention of Central Government to resolve the problems faced by farmers of Madhya Pradesh in selling Moong crop

श्री दिग्विजय सिंह (मध्य प्रदेश): महोदय, मध्य प्रदेश में मूँग का उत्पादन पिछले पाँच वर्ष में तेजी से बढ़ा है। सरकार किसानों द्वारा पैदा किए जाने वाले मूँग के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी ई-उपाजन पोर्टल पर पंजन के माध्यम से करती है। इस साल मध्य प्रदेश में मूँग की फसल खरीदने के लिए जो पंजन किसानों द्वारा किए गए थे, उनके लिए स्लॉट बुकिंग जून के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ करके, अंतिम तिथि 31 जुलाई तक रखी गई थी। विगत वर्ष, किसानों से प्रति हेक्टेयर दस क्विंटल की खरीदी सरकार द्वारा की गई थी, जिसे इस साल प्रति हेक्टेयर आठ क्विंटल कर दिया

गया है। किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन के बाद, इसे बढ़ाकर 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किया गया है। अधिकतर समय सर्वर डाउन है। तकनीकी खराबी या किसी अन्य वजह से पोर्टल बंद रहा तथा अधिकांश किसान अपनी मूँग की फसल को बेचने के लिए स्लॉट बुक नहीं कर पाए। इस बीच 22 जुलाई को किसानों के लिए ऑनलाइन स्लॉट की बुकिंग अचानक बंद कर दी गई, जिससे हजारों किसान स्लॉट बुकिंग से वंचित रह गए। इस बीच में, परसो के रोज, चूँकि बुदनी में चुनाव-उपचुनाव होने वाला है, तो चार घंटे के लिए स्लॉट खोला गया। जिन किसानों ने अपना स्लॉट बुक करा दिया था, उन्हें भी या तो बोरा समाप्त होने की बात कही जा रही है या उनकी फसल की तुलाई नहीं हो पा रही है। लोगों के हजारों ट्रेक्टर खड़े हुए हैं। पोर्टल पर रजिस्टर हो जाने के बाद भी तुलाई नहीं हो रही है। गोदाम के सामने हजारों ट्रेक्टरों की कतारें लगी हुई हैं। बारिश के कारण मूँग भीगने से अंकुरित हो रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, अभी तक कुल अनुमानित उत्पादन का केवल 18 प्रतिशत ही उपार्जित हो सका है। परिणामस्वरूप, या तो किसानों की फसल नष्ट हो रही है या फिर किसान अपनी मूँग की फसल को व्यापारियों को कम दाम पर बेचने को मजबूर हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में इसे लेकर किसान आंदोलित हैं। उनके द्वारा पोर्टल पर स्लॉट बुकिंग की तारीख बढ़ाने, जिनके स्लॉट्स बुक हो गए, उनकी फसल की तत्काल तुलाई कराने की माँग की जा रही है। राज्य सरकार पूरी तरह से इस मामले की अनदेखी कर रही है। मैं मध्य प्रदेश के किसानों के हित में केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने तथा किसानों की समस्या का समाधान करने का निवेदन करता हूँ। सहयोग से, हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री किसान मंत्री हैं और उन्हीं के क्षेत्र में यह सब-कुछ हो रहा है। जब मैंने यह जीरो ऑवर पुट अप किया, तो कल शाम को छः बजे उन्होंने यह आदेश निकाला है कि एक दिन के लिए, यानी एक अगस्त को पोर्टल खोला जाएगा, लेकिन जब हजारों किसान अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो उस पोर्टल पर हजारों किसान यह कैसे कर पाएंगे? यह पूरा-पूरा खेल है कि व्यापारियों को सस्ता बेचने के लिए किसानों को मजबूर करें और व्यापारियों से महंगा तुलवा कर खरीद लें। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing else is going on record.

The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Digvijaya Singh: Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana), Shri Ashok Singh (Madhya Pradesh), Shri Jawhar Sircar (West Bengal), Ms. Dola Sen (West Bengal), Ms. Sushmita Dev (West Bengal), Shri Samirul Islam (West Bengal), Shrimati Sagarika Ghose (West Bengal), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Shri M. Shanmugam (Tamil Nadu), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri A. A. Rahim (Kerala), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shri Haris Beeran (Kerala), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand) and Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh)

Content Page

Demand for allocation of funds under the 'Khelo India Scheme' in proportion to the players' participation in International tournaments from respective States

SHRI VIKRAMJIT SINGH SAHNEY (PUNJAB): Mr. Deputy Chairman, Sir, first of all, I would like to congratulate Sarabjot Singh and Manu Bhaker, two athletes from Punjab and Haryana, for bringing laurels to the country by winning two medals in shooting for India in the Paris Olympics, 2024.

Sir, I stand in this august House to bring to your kind attention a matter of significant concern, regarding judicious allocation under the *Khelo India* Scheme. As we celebrate the achievements and potential of our athletes on the global stage, it is crucial to address the disparities that could undermine our efforts in nurturing and promoting sports excellence. In the ongoing Paris Olympics, States like Punjab, for example, have demonstrated remarkable prowess and commitment. Out of the 117-strong national contingent that was sent to Paris, Punjab has contributed 19 athletes and Haryana has contributed 24, which represents about 20 per cent each of our Olympic participants. This achievement underscores these States' dedication to sports and its capacity to produce top-tier talent. However, you will be astonished to note that there is concerning imbalance when we examine the allocation of funds under *Khelo India* Scheme. Punjab has been allocated a meager sum of just Rs. 78 crore, which is 3.5 per cent of the allocation. कहाँ वे 117 में 20 और 24 एथलीट्स भेज रहे हैं। पंजाब, हरियाणा को 78 या 60 करोड़ मिला। कई स्टेट्स को 428 करोड़ मिले हैं। जिनको 428 करोड़ मिले हैं, साहब, उन्होंने दो एथलीट्स भेजे हैं। शायद खेल मंत्री जी हैं, जो हो गया सो हो गया, अब आप इस पर आज ही सुधार कीजिए। मेरिट भी कोई चीज़ है, डेमोक्रेसी है, किसी निज़ाम से चलिए। जो स्टेट ज्यादा कॉन्टिंजेंट भेजती है, जो स्टेट ज्यादा मेडल जीतती है, उनको *pro-rata* पर फंड्स एलोकेट होने चाहिए। Hon. Finance Minister is also here. She is musing it. I think fair and equitable distribution होना चाहिए। Adequate funding is essential for our athletes, क्योंकि हमारा जो यूथ है, demographic dividend है, we must engage our youth in pursuits like sports, to keep them fit and not to let them fall prey to any vices like drugs. तभी हम कह सकेंगे - चक दे इडिया। जय हिंद!

श्री उपसभापतिः धन्यवाद, माननीय विक्रमजीत सिंह जी।

The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Vikramjit Singh Sahney: Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh), Shri M. Shanmugam (Tamil Nadu), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand), Shri Niranjan Bishi

(Odisha), Ms. Dola Sen (West Bengal), Shri A.A. Rahim (Kerala), Shri Haris Beeran (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Jawhar Sircar (West Bengal), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shrimati Sulata Deo, (Odisha) and Shri Sant Balbir Singh (Punjab).

Depletion of water bodies and ponds in the country due to illegal encroachment and construction

श्रीमती संगीता यादव (उत्तर प्रदेश)**:** माननीय उपसभापति जी, आपने मुझे तालाब के संरक्षण के अवसर पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूं और आपके माध्यम से सदन को प्रणाम करती हूं। आज मैं इस सदन के माध्यम से आप सभी लोगों का ध्यान एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है? आज गांव और तहसील पर तालाबों को पाटकर घर बनाए जा रहे हैं। यह प्रक्रिया पूरे देश में जारी है। तालाबों पर लगातार कब्जा होने से न केवल मानव, बल्कि जीव-जंतु और हमारे पर्यावरण को भी बहुत ही हानि पहुंच रही है। वर्षा का जल तालाब में इकट्ठा होना था, लेकिन अब तालाबों के अभाव में जल भराव की समस्या जगह-जगह हो रही है। तालाबों पर कब्जा करने में भूमाफिया भी शामिल है, हालांकि केंद्र और राज्य सरकारों ने समय-समय पर इसमें कई कठोर नियम बनाए हैं। इसके बावजूद भी तालाबों पर अवैध कब्जा लगातार जारी है। जल शक्ति मंत्रालय के डेटा के मुताबिक देश में मौजूद वाटर बॉडीज़ में सबसे ज्यादा हमारे तालाब हैं, जिनका हिस्सा करीब 59.5 फीसदी है, यानी आधे से ज्यादा हैं। तालाब पहले भी पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत था और आज भी बना हुआ है, जिसकी अनदेखी हो रही है। मैं एक मीडिया की खबर भी यहां पर बताना चाहूंगी। नोएडा में 211 तालाब थे, जिनमें भूमाफियाओं ने कब्जा किया है। 24 अप्रैल, 2024 की एक मीडिया खबर में यह बताया गया है कि देश में लगभग 2.5 लाख तालाब गायब हो चुके हैं।

उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्रीय और राज्य दोनों सरकारों से निवेदन करना चाहती हूं कि हर तहसील में तालाबों की सूची बनाकर उनकी जांच कराई जाए और उस सूची को आम जन के लिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाए। जब मैं चौरी-चौरा में विधायक थी, तब मैंने इस पर काम भी किया था और यह काफी सफल भी रहा था। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करना चाहूंगी कि भूमाफियाओं पर सख्त नियम बनाकर उन पर कार्रवाई की जाए और जल संरक्षण कर, देश को पर्यावरणीय संकट से बचाया जाए।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद, माननीया संगीता यादव।

The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shrimati Sangeeta Yadav: Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Devendra

Pratap Singh (Chhattisgarh), Shri Sujeet Kumar (Odisha), Dr. Sasmit Patra (Odisha) and Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra).

Non-compliance of Right to Education Act by some private schools in Bihar

डा. भीम सिंह (बिहार)**:** माननीय उपसभापति महोदय, मैं एक सामाजिक समस्या की ओर आपका, सदन का और सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 6-14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो, इस संबंध में जो प्रावधान था, वह संविधान में नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत था। वहां से निकालकर अनुच्छेद 21 'ए' के रूप में मौलिक अधिकार में शामिल किया। इस अनुच्छेद के किर्यान्वयन के लिए 2009 में राइट टु एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम में प्रावधान है कि जो भी निजी विद्यालय हैं, वे विद्यालय भी अपनी सीट्स की 25 प्रतिशत सीट्स पर गरीब बच्चों का नामांकन कराएंगे, लेकिन बिहार में और खासकर कि जो मिशनरी स्कूल्स हैं, उनके द्वारा इसका धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा है। ये मिशनरी स्कूल एक तरह से शिक्षा माफिया के रूप में उभर गए हैं। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, देश की अन्य जगहों के बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन मैं बिहार की बात करूँ, तो वे विद्यालय, जो मिशनरी स्कूल्स हैं, वे नामांकन नहीं ले रहे हैं। हमने एक विद्यालय के प्राचार्य से इसके लिए बात की - संत माइकल स्कूल, दीघा, पटना। प्राचार्य ने साफ कह दिया कि हम अपने नियम से चलेंगे, सरकार के नियम से नहीं चलेंगे। हमने उन्हें समझाने के लिए, उनसे मिलने के लिए समय माँगा, उन्होंने समय देने से भी इनकार किया। मेरा सरकार से, आपसे और सदन से निवेदन है कि ये जो इस तरह के स्कूल्स हैं, जो निजी विद्यालय हैं, जो मिशनरी स्कूल्स हैं, जो सरकार से तरह-तरह के लाभ उठा रहे हैं, जमीन का आवंटन तक सरकार का है, ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please; not allowed. ...*(Interruptions)*...

डा. भीम सिंह: वे विद्यालय 25 परसेंट सीटों पर नामांकन नहीं कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... इसलिए ऐसे मिशनरी स्कूलों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और सदन द्वारा पारित 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' के तहत जो प्रावधान है कि 25 परसेंट गरीब बच्चों का नामांकन हो, इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by Dr. Bhim Singh: Shri Chunnilal Garasiya (Rajasthan), Shri Banshilal Gurjar (Madhya Pradesh), Shri Amar Pal Maurya (Uttar Pradesh), Shri Brij Lal (Uttar Pradesh), Dr. Anil Sukhdeorao Bonde (Maharashtra), Dr. Sasmit Patra and Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh).

Concern over depriving the minorities from the benefits of the grant available for the marriage of daughters of poor people belonging to Other Backward Classes

श्री जावेद अली खान (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, संविधान के अनुसार भारत एक कल्याणकारी राज्य है और संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कल्याणकारी राज्य से हमारा आशय यह है कि गरीब लोगों के लिए, खास तौर से दलितों और पिछड़ों के लिए राज्य उनके upliftment के लिए, उनके उत्थान के लिए कार्य करेगा और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से हमारा आशय यह है कि धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति या किसी समुदाय के साथ भारत के अंदर कोई भेदभाव या पक्षपात नहीं किया जाएगा। मेरे हाथ में एक बैठक की सूचना का परिपत्र है, जो जिलाधिकारी, संभल से मुझे प्राप्त हुआ था। सर, एक बैठक थी और वह बैठक थी - अन्य पिछड़े वर्गों के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान योजना की समीक्षा और स्वीकृति। उस बैठक के परिपत्र का जो मजमून है, उसकी पहली लाइन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ।

श्री उपसभापतिः आप यह document यहाँ रख दें।

श्री जावेद अली खानः उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग छोड़ कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी की अनुदान योजना के अंतर्गत फलाँ-फलाँ तारीख को बैठक है और आप इसमें आमंत्रित हैं।

श्री उपसभापतिः माननीय जावेद जी, आप यह document यहाँ दे दें।

श्री जावेद अली खानः सर, मैं दे दूँगा। मैंने इसे मंत्री जी को पहले ही दे रखा है। मंत्री जी बैठे हैं, उनके पास document है।

सर, प्रश्न यह है कि अन्य पिछड़े वर्गों की अपनी एक सूची मंडल आयोग ने और विभिन्न राज्य सरकारों ने तैयार की हुई है। अन्य पिछड़ा वर्ग एक ऐसा वर्ग है, जिसके अंदर धर्म के नाम पर selection नहीं होता। उसमें मुसलमान भी हैं, हिन्दू भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, लेकिन किसी योजना का कार्यान्वयन करते वक्त उससे मुसलमानों को या अल्पसंख्यकों को छोड़ कर परिपत्र जारी करना, मुझे लगता है कि यह पक्षपात है, यह द्वेष की भावना से किया जा रहा है। सर, मैंने इस बैठक का बहिष्कार किया और मैंने उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री को तुरंत फोन किया। वे राज्य सभा में रहे हैं - नरेंद्र कश्यप साहब। उन्होंने मुझे जो जवाब दिया, उनसे मेरे मित्रवत संबंध हैं, मैं उसे आपके चैंबर में आकर बता सकता हूँ, यहाँ नहीं बता सकता। उसके बाद मैं दिल्ली आया, तो मैंने माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, डा. वीरेंद्र कुमार जी से संपर्क किया और उनको यह परिपत्र दिया। उन्होंने कुछ किया। मेरे पास उनके सचिव का फोन आया कि क्या मसला है। मैंने पूरा मसला बताया कि इस प्रकार से यह स्थिति है।

सर, मैं चाहता हूँ कि इस तरीके की योजना में अल्पसंख्यकों को शामिल किया जाए। ...(**समय की घंटी**)...

†جناب جاوید علی خان (اترپردیش): اُپ سبھاپتی جی، سمودھان کے مطابق بھارت ایک کلیانکاری راجیہ ہے اور سمودھان کے مطابق بھارت ایک دھرم نِرپیکش راشٹر ہے۔ کلیان کاری راجیہ سے ہمارا آشیہ یہ ہے کہ غریب لوگوں کے لیے، خاص طور سے دلتوں اور پچھڑوں کے لیے راجیہ ان کے upliftment کے لیے، ان کے اُتتھان کے لیے کارئیے کریگا۔ اور دھرم نرپیکش راشٹر سے ہمارا آشیہ یہ ہے کہ دھرم کے نام پر کسی شخص یا کسی سمودائے کے ساتھ بھارت کے اندر کوئی بھید بھاؤ یا پکش پات نہیں کیا جائے گا۔ میرے ہاتھ میں ایک بیٹھک کی سوچنا کا پری پتر ہے، جو ضلع ادھیکاری، سنبھل سے مجھے حاصل ہوا تھا۔ سر، ایک بیٹھک تھی اور وہ بیٹھک تھی، دوسرے پچھڑے ورگوں کے نردھن ویکتیوں کی پُتریوں کی شادی کے لیے انودان یوجنا کی سمیکشا اور سویکرتی۔ اس بیٹھک کے پری پتر کا جو مضمون ہے، اس کی پہلی لائن میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔

شری اُپ سبھاپتی: آپ یہ ڈاکیومینٹ یہاں رکھ دیں۔

جناب جاوید علی خان: اترپردیش سرکار دُوارا سنچالِت دوسرے پچھڑے ورگ (اقلیتیں، پچھڑا ورگ چھوڑ کر) کے غریب لوگوں کی پُتریوں کی شادی کی انودان یوجنا کے انترگت فلاں فلاں تاریخ کو بیٹھک ہے اور آپ اس میں آمنترت ہیں۔

شری اُپ سبھاپتی: مانیئے جاوید جی، آپ یہ ڈاکیومینٹ یہاں دے دیں۔

جناب جاوید علی خان: سر، میں دے دونگا۔ میں نے اسے منتری جی کو پہلے ہی دے رکھا ہے۔ منتری جی بیٹھے ہیں، ان کے پاس ڈاکیومینٹ ہیں۔

سر، سوال یہ ہے کہ دوسرے پچھڑے ورگوں کی اپنی ایک سوچی منڈل آیوگ نے اور مختلف راجیہ سرکاروں نے تیار کی ہوئی ہے۔ دوسرے پچھڑے ورگ ایک ایسا ورگ ہے، جس کے اندر دھرم کے نام پر سلیکشن نہیں ہوتا۔ اس میں مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، لیکن کسی یوجنا کا کاریانوین کرتے وقت اس سے مسلمانوں کو یا اقلیتوں کو چھوڑ کر پریپتر جاری کرنا، مجھے لگتا ہے کہ یہ پکش پات ہے، یہ نفرت کی بھاؤنا سے کیا جارہا ہے۔ سر میں نے اس بیٹھ کا بہشکار کیا اور میں نے اترپردیش کے سماج کلیان منتری کو فوراً فون کیا۔ وہ راجیہ سبھا میں رہے ہیں، نریندر کشیپ صاحب۔ انہوں نے مجھے جواب دیا، ان سے میرے دوستانہ تعلقات ہیں، میں اسے آپ کے چیمبر میں آکر بتا سکتا ہوں، یہاں نہیں بتاسکتا۔ اس کے بعد میں دہلی آیا، تو میں نے مانیئے ساماجک نیائے اور ادھیکاریتا منتری، ڈاکٹر ویریندر کمار جی سے سمپرک کیا اور ان کو یہ پریپتر دیا۔ انہوں نے کچھ کیا۔ میرے پاس ان کے سکریٹری کا فون آیا کہ کیا مسئلہ ہے۔ میں نے پورا مسئلہ بتایا کہ اس طرح سے یہ استھتی ہے۔ سر، میں چاہتا ہوں کہ اس طریقے کے یوجنا میں اقلیتوں کو شامل کیا جائے۔

---(وقت کی گھنٹی)---

श्री उपसभापति: आप वह परिपत्र यहाँ रख दीजिए।

The following hon. Members associated themselves with the matter raised by Shri Javed Ali Khan: Prof. Ram Gopal Yadav (Uttar Pradesh), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh), Shri M. Shanmugam (Tamil Nadu), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Shrimati Mausam Noor (West Bengal), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Mohammed Nadimul Haque (West Bengal), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Muzibulla Khan (Odisha), Shri Prakash Chik Baraik (West Bengal), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri Sanjay Yadav (Bihar), Dr. Sarfraz Ahmad (Jharkhand), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Prof. Manoj Kumar Jha (Bihar), Ms. Dola Sen (West Bengal), Shri Jawhar Sircar (West Bengal), Shri Ramji Lal Suman (Uttar Pradesh), Shrimati Jaya

† Transliteration in Urdu script.

Amitabh Bachchan (Uttar Pradesh), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Shri Haris Beeran (Kerala), Shri A.A. Rahim (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala) and Shri Digvijaya Singh (Madhya Pradesh).

Devastation caused by floods during rainy season in the district of Haridwar

डा. कल्पना सैनी (उत्तराखंड): माननीय उपसभापति महोदय, जिला हरिद्वार में वर्षा ऋतु के दौरान बहने वाली नदियों में बाढ़ आना एक गम्भीर और पुनरावृत्तिमूलक समस्या है। यह बाढ़, वहाँ लोक सभा क्षेत्र के तीन विधान सभा क्षेत्रों को व्यापक रूप से प्रभावित करती है। इस बाढ़ के कारण हर साल हजारों लोग बेघर हो जाते हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं और आर्थिक नुकसान होता है। वहाँ सिंचाई विभाग द्वारा वर्तमान में जो तटबंध निर्मित है, वह केवल जिला हरिद्वार के ग्राम मथाना तक ही सीमित है। इस तटबंध की लंबाई केवल 8 किलोमीटर है। यदि इस तटबंध को जोगावाला-दल्लावाला होते हुए, उत्तर प्रदेश की सीमा तक 12 किलोमीटर और बढ़ा दिया जाए, तो बाढ़ से क्षेत्र की जनता की रक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। इस विस्तार से लोगों को सीधे लाभ होगा और उनकी सम्पत्तियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी।

आदरणीय उपसभापति जी, यहाँ पर हर वर्ष बाढ़ के कारण काफी आर्थिक नुकसान होता है, जिनमें फसलें, मकान और आधारभूत संरचनाएँ भी शामिल हैं। बाढ़ से प्रभावित अधिकांश गाँव अत्यंत पिछड़े हैं, जो कि कृषि और पशुपालन पर निर्भर हैं। ग्राम मथाना से जोगावाला-दल्लावाला होते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा तक तटबंध का निर्माण नहीं होने के कारण लक्सर ब्लॉक के अधिकांश गाँव बरसात के दौरान प्रत्येक वर्ष जलमग्न हो जाते हैं, जिससे ग्रामीणों की फसलों की हानि होने के साथ-साथ जनहानि, धनहानि तथा ग्रामीणों के पालतु पशुओं को भी हानि पहुँचती है और जिसके कारण क्षेत्र का जनमानस प्रभावित रहता है तथा क्षेत्रवासियों का सामाजिक और आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है।

अतः मैं केन्द्र सरकार के जल शक्ति विभाग से इस कार्य को प्राथमिकता से करवाने का विनम्र अनुरोध करती हूँ, ताकि मेरे क्षेत्र के लोग सुरक्षित रह सकें और उनके जीवन में स्थिरता आ सके, धन्यवाद।

श्री उपसभापति: धन्यवाद, डा. कल्पना सैनी।

The following hon. Members associated themselves with the matter raised by Dr. Kalpana Saini: Shri Brij Lal (Uttar Pradesh), Shri Naresh Bansal (Uttarakhand), Shri Ram Chander Jangra (Haryana), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. Sasmit Patra (Odisha), and Shri Niranjan Bishi (Odisha).

Content Page

Demand to include Assam's Charaideo Moidams, the old mound-burial system of Ahom dynasty in UNESCO world heritage list

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA (Assam): Sir, I am grateful to you for giving me this opportunity. It is the proud moment for every Assamese and every Indian that on 26th July, 2024, UNESCO declared 700-years old Charaideo Moidams site as the World Heritage Centre. Earlier, Manas National Park and Kaziranga National Park were also listed in the UNESCO list. But this is the first time that a historical site has been listed by the UNESCO. The Charaideo Moidams is the old mound-burial system of great Ahom dynasty. Charaideo was the capital of Ahom kingdom, which was built by Chaolung Sukaphaa 700 years ago. According to the Archaeological Survey of India, at the site Charaideo Moidams, a total of 386 burials with 90 royal burials have been explored. From 18th century, the Ahom Kingdom decided to adopt Hindu system in their burial system.

Sir, when NDA came to power in Assam in the year 2014, the then Minister, Mr. Keshab Mahanta, approached the Archaeological Survey of India in this regard. Then, the Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, in 2019-20, wrote a letter to the hon. Prime Minister regarding this issue. Hon. Prime Minister took the initiative and on the recommendation of hon. Prime Minister, the Archaeological Survey of India sent the dossiers to UNESCO, and, on 26th July, 2024, the UNESCO declared Charaideo Moidams as the UNESCO World Heritage site.

Sir, earlier, the burial system of Ahom kingdom was different. From 18th Century, the Ahom kingdom adopted the new Hindu system. It was the Ahom kingdom who defeated Mughals 17 times. It is the only kingdom in India who defeated Mughals 17 times.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Time is over. Thank you, Birendra Prasad Baishya ji. ...(*Interruptions*)...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing is going on record. You associate with him. ...(*Interruptions*)...

---

* Not recorded.

The following hon. Members associated themselves with the matter raised by Shri Birendra Prasad Baishya: Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shri N.R. Elango (Tamil Nadu), Shri Bhubaneswar Kalita (Assam), Shri M. Shanmugam (Tamil Nadu), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Dr. John Brittas (Kerala), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Dr. Sasmit Patra (Odisha) and Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu).

Demand for restoration and conservation of water bodies in Mithila region of Bihar

श्रीमती धर्मशीला गुप्ता (बिहार): माननीय उपसभापति महोदय, मुझे सदन मे बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बिहार के माता सीता की नगरी मिथिलांचल से आती हूँ। मिथिला की एक कहावत है :

'पग-पग पोखर, माछ, मखान,
सरस बोल मुस्की मुख पान,
इ थीक मिथिलाक पहचान'।

महोदय, मैथिली भाषा की यह कहावत इस क्षेत्र के संपन्न प्राकृतिक वातावरण और यहाँ के लोगों के जीवन में तालाब के महत्व को रेखांकित करती है। कहावत की पहली पंक्ति का आशय है कि बिहार के मिथिला क्षेत्र में कदम-कदम पर तालाब होने की परंपरा रही है। इन तालाबों में मखाना, मछली और पान का उत्पादन होता रहा है। इसके बावजूद भी ये तालाब संकट में आ गए हैं। इस तरह से रोजगार के कई साधन समाप्ति के कगार पर जा रहे हैं।

महोदय, स्थानीय जीवन में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद भी मिथिला के तालाबों को विकास की नजर लग गई है और ये विलुप्त होने लगे हैं। ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पिछली सरकारों में जंगल राज के चलते मध्यम और छोटे तालाब दो-तीन दशक पहले ही समाप्त हो गए थे। तालाबों के विलुप्त होने के कारण पेयजल की किल्लत शहरों में होने लगी है। स्थिति यह हो गई है कि हैंडपम्प सूखने लगे हैं। यहाँ के तालाब भूजल को रिचार्ज करते थे और कभी पेयजल कम नहीं पड़ता था। एक-एक कर तालाब खत्म होते गए और मिथिला में पेयजल की किल्लत हो गई है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारी सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ कि विलुप्त हुए तालाबों को अपनी पुरानी स्थिति में लौटाने हेतु हर संभव प्रयास किया जाए और बचे हुए तालाबों के जीर्णोद्धार पर काम किया जाए, जिससे बिहार सहित मिथिलांचल में भूजल स्तर में सुधार हो और पेयजल की समस्या का समाधान हो सके, बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shrimati Dharmshila Gupta: Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Shri S. Selvaganabathy

Content Page

(Puducherry), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Dr. Sasmit Patra (Odisha) and Shri Rambhai Harjibhai Mokariya (Gujarat).

धन्यवाद, धर्मशीला जी। माननीया श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल।

Demand to financially support and encourage indigenous sports, like Kabaddi, Wrestling, Badminton, *etc.* in the country

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल (महाराष्ट्र)ः महोदय, चूँकि मैं खेल के विषय पर बोल रही हूँ, इसलिए पहले मैं इस सदन में मनु भाकर, जो एक महिला है, उनका अभिनन्दन करना चाहती हूँ, जिन्होंने 100 साल में पहली बार दो बार ब्राउंज मेडल दिलाये हैं।

सर, खेल सभी लोगों के लिए एक आस्था का विषय है और इस देश में कुश्ती हो, कबड्डी हो, हू-तू-तू हो, सभी खेल वर्षों से खेले जा रहे हैं। कुश्ती में जो सर्वोच्च सम्मान है, वह 1958 में शुरू हुआ था, जिसका नाम 'हिन्द केसरी' था। महाराष्ट्र में 'हिन्द केसरी' मल्लों को 25 साल पहले 6 हजार रुपए मानदेय दिया जाता था। सरकार ने एक साल पहले उसको बढ़ा कर 15 रुपए करने की घोषणा कर दी, लेकिन 11 साल से हमारे पहलवान, हमारे मल्ल, जिनको 'हिन्द केसरी' प्राप्त हुआ है, वे बेचारे आज भी इंतजार कर रहे हैं। उनको न मानदेय मिला, न उसमें बढ़ावा मिला। इसके लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि आज जो मेडिकल की व्यवस्था है, वह बहुत महंगी हो गई है, इसलिए इसके लिए उन लोगों की थोड़ी देखभाल करने की जरूरत है।

सर, हाल ही हमने क्रिकेट का 'विश्व कप' जीता, जिसके लिए पैसों की बहुत बौछार हुई। उसमें 125 करोड़ रुपए सरकार ने दिए, हमारी महाराष्ट्र सरकार ने 11 करोड़ रुपए दिए। यह उनको मिला, इसके लिए हमें दुख नहीं है, लेकिन जो बाकी भारतीय खिलाड़ी हैं, जिनको दुर्लक्ष्य किया जाता है, उनको दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। इतना ही मुझे यहाँ पर कहना है। हाल ही में, हम सभी के चहेते, कपिल देव जी ने भी अपील की थी। श्री अंशुमन गायकवाड़, जो परदेस में कैंसर का इलाज करा रहे थे, दुर्भाग्य से वे बेचारे कल चल बसे, उनको इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, जिसके लिए कपिल देव जी ने भी रिक्वेस्ट की थी। मेरी मांग यही है कि खिलाड़ी चाहे कोई भी हो, उनके भविष्य और वर्तमान को सुरक्षित करना जरूरी है, तभी हमारे यहां जो "खेलो इंडिया" का नारा दिया जाता है, वह सही मायने में सच होगा। सभी खिलाड़ियों के लिए एक लांग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए और उनके इलाज के खर्च आदि सब बातों को ध्यान में रखकर सरकार को योजना बनानी चाहिए। खिलाड़ियों को नौकरी में जो कोटा दिया जाता है, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए।

सर, सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो महिला खिलाड़ी हैं या हमारे जो पुरुष खिलाड़ी हैं, उनकी सुरक्षा पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। हमने कुछ समय पहले देखा था कि जंतर-मंतर पर हमारी महिला पहलवानों को अपनी सुरक्षा के लिए रास्ते पर आना पड़ा और खुद के हक के लिए लड़ना पड़ा, जिसमें उनको घसीटकर ले जाया गया। अगर हम खिलाड़ियों का सम्मान और आह्वान इस तरह से करेंगे तो हमारा खेल आगे कैसे बढ़ेगा और "खेलो इंडिया" कहां-कहां होगा? इसलिए यहां पर स्पोर्ट्स के लिए एक स्पेशल रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, इतना ही मेरा कहना है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shrimati Rajani Ashokrao Patil: Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana), Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shri Sant Balbir Singh (Punjab), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand), Shri A.A. Rahim (Kerala), Shri Tiruchi Siva (Tamil Nadu), Shri Haris Beeran (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shri Sujeet Kumar (Odisha), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shri Prakash Chik Baraik (West Bengal), Ms. Dola Sen (West Bengal), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shrimati Sulata Deo, (Odisha) Shri Jawhar Sircar (West Bengal) and Shri Saket Gokhale (West Bengal).

Need to make AIIMS, Raebareli fully functional

श्री प्रमोद तिवारी (राजस्थान): महोदय, लगभग 10 वर्ष पूर्व एम्स, रायबरेली की स्थापना यूपीए-II की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी द्वारा की गई थी, परंतु 10 साल बीत जाने पर भी वह अभी तक अपनी पूर्ण क्षमता के साथ जनता की सेवा नहीं कर पा रहा है, जबकि इसके साथ जिन एम्स की आधारशिला रखी गई थी, वे अपनी पूर्ण क्षमता के साथ जनता को समर्पित हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के मध्यांचल के लगभग 40 जिलों के लिए एकमात्र एम्स रायबरेली है, जो बिहार, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों और उत्तर प्रदेश के मध्यांचल के लोगों को लाभान्वित करता है। एम्स रायबरेली में पर्याप्त सुविधा न होने के कारण वहां जन-सामान्य को काफी कठिनाई उठानी पड़ रही है।

अतः इस सदन के माध्यम से अनुरोध है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए करोड़ों की आबादी को लाभान्वित करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर सोनिया जी द्वारा प्रारंभ कराए गए एम्स रायबरेली को पूर्ण क्षमता के साथ उत्तर प्रदेश में संचालित किया जाए, क्योंकि इसके बाद के जितने एम्स थे, वे भी चल गए, इसके पहले के जितने एम्स थे, वे भी चल गए, पर इसका दोष शायद इतना है कि यह रायबरेली में है और आदरणीय सोनिया जी ने इसको प्रारंभ किया था। यह जनहित का मुद्दा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इससे लाखों-करोड़ों लोगों को फायदा होगा। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूँ कि राजनैतिक पूर्वाग्रह समाप्त करके एम्स रायबरेली, जहां अभी सिर्फ ओपीडी चल रही है, उसका पूर्ण भवन बनवाया जाए और उसमें मरीजों के रुकने की सुविधा दी जाए। अभी कुछ दिन पहले जब वहां राहुल गांधी जी गए थे, तो मरीजों ने बताया कि वहां रात में डॉक्टर्स रुकते ही नहीं, जबकि पूरी की पूरी चीनी मिल, शुगर मिल उस एम्स के लिए दे दी गई है। इस तरह, भूमि उपलब्ध है, जरूरत भी है और यह एक मानवीय मसला है। स्वास्थ्य का जो मसला होता है, उसमें कोई जरूरी नहीं कि कांग्रेस के लोग ही

बीमार पड़ते हैं, बल्कि रायबरेली में भाजपा वाले ज्यादा बीमार पड़ते हैं। इसलिए, मेरा कहना है कि इसको तुरंत प्रारंभ किया जाए।

मान्यवर, अब मैं एक ही बात कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। ...(**व्यवधान**)... सर, मैं कल देख रहा था कि चूंकि मकर द्वार पर पोर्टिको नहीं बना है, तो सारे सदस्य पानी में किस तरह से गए हैं, आप इनसे पूछ लीजिए, महिलाएं...(**व्यवधान**)... इसलिए वहां पर पोर्टिको बनना चाहिए।

श्री उपसभापति: थैंक यू, आपका सब्जैक्ट खत्म हो गया। ...(**व्यवधान**)... Please speak on the subject. Thank you.

श्री प्रमोद तिवारी: अब इस सरकार में ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Pramod Tiwari: Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana), Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand), Shri A.A. Rahim (Kerala), Shri Tiruchi Siva (Tamil Nadu), Shri Haris Beeran (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Dr. V. Sivadasan (Kerala) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

(MR. CHAIRMAN *in the Chair.*)

Demand to construct foot over bridge at NH-19 in Chandauli district of Uttar Pradesh

श्रीमती दर्शना सिंह (उत्तर प्रदेश): महोदय, आपने मुझे ज़ीरो ऑवर में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं आज अपने गृह जनपद चंदौली में फुट ओवर ब्रिज के निर्माण को लेकर अपना विषय रखना चाहती हूँ। महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहती हूं कि जनपद चंदौली में नेशनल हाईवे-19 होकर गुज़रता है, जो भारत के सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्गों में से एक है। सभापति महोदय, चंदौली में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज नौबतपुर और जिलाधिकारी कार्यालय में आने जाने के लिए पैदल यात्रियों को इस हाईवे के six lane सड़क को पार करने जाना पड़ता है, जिससे लोगों को बहुत असुविधा होती है, जिसके कारण सड़क को पार करते समय अकसर दुर्घटनाएं होती रहती है और हमेशा दुर्घटनाओं का डर बना रहता है।

अतः मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहती हूं कि जनपद चंदौली में दो प्रमुख जगहों, मेडिकल कॉलेज नौबतपुर के सामने और जिलाधिकारी कार्यालय के सामने नेशनल हाईवे-19 पर

फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे नेशनल हाईवे-19 पर हो रही दुर्घटनाएं कम होंगी और जनपदवासियों को राहत मिलेगी, धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The hon. Member, Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), associated himself with the Zero Hour matter raised by the hon. Member, Shrimati Darshana Singh.

Now, Shri Raghav Chadda.

Need for reducing the age for contesting elections in India

श्री राघव चड्ढा (पंजाब): सर, आज मैं जिस मुद्दे पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, वह मेरे दिल के बड़े करीब है। It pertains to participation of youth in Indian politics.

श्री सभापतिः क्या आप इससे भी पहले आना चाहते थे?

श्री राघव चड्ढाः सर, मैं बताता हूं कि मैं यह मुद्दा क्यों उठा रहा हूं। सर, भारत देश इस दुनिया के सबसे युवा देशों में आता है, We are one of the youngest countries in the world. हमारे देश की औसत उम्र मात्र 29 साल है, हमारे देश की 65 प्रतिशत आबादी 35 साल से कम आयु की है, हमारे देश की आधी आबादी, 50 प्रतिशत से ज्यादा आबादी 25 साल से कम आयु की है, लेकिन क्या हमारे नेतागण और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि भी इतने युवा हैं, यह सवाल मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं।

सर, आपको जानकर अचम्भा होगा कि जब देश आज़ाद हुआ, पहली बार लोक सभा का चुनाव हुआ, जब इस इस देश की पहली लोक सभी चुनी गई थी, तब उस लोक सभा में 26 प्रतिशत लोग 40 साल के कम आयु के थे और अभी 70वीं लोक सभा - जो दो-ढाई महीने पहले समाप्त हुई - उस लोक सभा में मात्र 12 प्रतिशत लोग 40 साल से कम आयु के थे। जैसे-जैसे देश जवान हो रहा है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि उस जवानी से काफी दूर होते जा रहे हैं। We are a young country with old politicians. We must aspire to become a young country with young politicians. सर, यह क्यों हो रहा है? यह इसलिए हो रहा है, क्योंकि politics is considered to be a bad profession. जब बच्चा बड़ा होता है, तो मां-बाप कहते हैं कि बेटा, बड़े होकर डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, स्पोर्ट्स पर्सन बनना, साइंटिस्ट बनना, चार्टर्ड अकाउन्टेंट बनना, कोई यह नहीं कहता कि बड़े होकर नेता बनना, राजनीति में जाना, तो मुझे लगता है कि आज हमें युवाओं को incentivise करने की ज़रूरत है, ताकि वे भारत की मुख्य धारा की राजनीति में आएं। इसके लिए मैं ये सुझाव लाया हूं और मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से यह निवेदन है कि इस देश में चुनाव लड़ने की उम्र 25 साल है, लोक सभा का चुनाव हो या विधान सभा का चुनाव हो, वह चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार उस उम्र को 25 से घटाकर 21

साल करे और 21 साल का युवा हमारी मुख्य धारा की राजनीति में अगर आना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे अनुमति मिलनी चाहिए।

MR. CHAIRMAN: You made your point.

श्री राघव चड्ढा: सर, जब देश का युवा 18 साल की उम्र में वोट डाल कर अपनी सरकार चुन सकता है, देश का भविष्य चुन सकता है, तो 21 साल की उम्र में चुनाव भी ज़रूर लड़ सकता है।

MR. CHAIRMAN: I want to take up one more matter.

श्री राघव चड्ढा: सर, मैं आखिरी बात यह कहना चाहता हूं कि ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Zero Hour matter raised by the hon. Member, Shri Raghav Chadha: Ms. Dola Sen (West Bengal), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shrimati Jaya Amitabh Bachchan (Uttar Pradesh), Dr. Ashok Kumar Mittal (Punjab) and Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana).

Now, Shri Tiruchi Siva; Demand to safeguard gig and platform workers from exploitative practices. ...*(Interruptions)*... I want to take up one more.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu) : Sir, mine is a very important issue. I will renew the notice. Please allow it for tomorrow. In one minute, I cannot do it. It is a very important issue.

MR. CHAIRMAN: You can read the subject.

SHRI TIRUCHI SIVA: No, Sir, kindly allow me tomorrow. I will renew the notice.

MR. CHAIRMAN: Okay. This will be taken up tomorrow as a first item.

SHRI KESRIDEVSINH JHALA: Sir, question...

MR. CHAIRMAN: Still 35 seconds are there. Someone may raise a point of order, it has to be known. ...*(Interruptions)*... I tried to expedite so that you could make your point. I can tell you that the contribution of the House is going up very decorously.

This is a good practice. We must maintain it. This will take us a long way. A good point was raised by Shri Pramod Tiwari in a very decorous manner.

12.00 Noon

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MR. CHAIRMAN: Now, Question Hour.

Measures for control of population of wild animals

*106. SHRI KESRIDEVSINH JHALA: Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the population of four species of wild animals, viz., elephants, monkeys, street dogs and nilgai is increasing rapidly in the country, if so, the details thereof;
(b) whether Government has initiated any project to take preventive contraceptive measures animal-wise, for population management of the afore-cited four species;
(c) if so, the details of such project, including cost and expenditure involved; and
(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER FOR ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (SHRI BHUPENDER YADAV: (a) to (d) A statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) Elephant, Nilgai and several species of Monkeys are protected under the Wild Life (Protection) Act, 1972. The conservation efforts taken over the years have led to an increase in the population of several species of wild animals. Periodic population estimation of flagship species like Asian Elephant, Tiger, Leopard and Asiatic Lion are being undertaken. The details of population assessment of Asian Elephant are as follows:

Year	2007	2012	2017
Asian Elephant (Population/ Population	27,669-	29,391-30,711	29,964

Range)	27,719		

The population assessment of Nilgai and Monkeys are not being undertaken at pan-India level.

The street dogs are not protected under the Wild Life (Protection) Act, 1972.The management of street dogs are under the purview of the Department of Animal husbandry and Dairying, Ministry of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries.

As per the Livestock Census, the population of street dogs are as follows:

Year	(2012)	(2019)
Stray dog population	1,71,38,349	1,53,09,355

(b) to (d) The Wildlife Institute of India has been assigned a study on "Population Management of Species involved in Human-Wildlife conflict" to develop a range of mitigation strategies including the applicability of immuno-contraceptive measures to manage populations of Elephants, Nilgais, Rhesus Macaque and Wild pigs.

The management of stray dog population are carried out by the respective local bodies/municipalities/Municipal Corporations and Panchayats. Accordingly, the Central Government under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying has notified the Animal Birth Control Rules, 2023 which enables the local authority to conduct the Animal Birth Control Program.

SHRI KESRIDEVSINH JHALA: Sir, I would like to ask the hon. Minister: "Is any kind of assistance, training and support being provided to State and local administration through the Ministry in cases of man-animal conflict involving elephants, blue bull and wild boars entering into farms and villages?"

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

श्री भूपेन्द्र यादव: सभापित महोदय, वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंतर्गत हम लोगों ने जो man-animal conflict है, उसके लिए समय-समय पर एडवाइजरी जारी की है। उस एडवाइजरी के साथ-साथ हम लोगों ने, जो conflict हुए हैं, जिन लोगों की दुर्घटना में मृत्यु होती है या किसी की फसल का नुकसान होता है, उसके लिए compensation राशि भी तय की गई है। तीसरा, एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट करने की दृष्टि से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और फॉरेस्ट ऑफिसर्स के साथ हमने ज्वाइंट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम और अवेयरनेस प्रोग्राम भी शुरू किए हैं। पांचवां, इस विषय में

टैक्नोलॉजी इंटरवेन्शन के साथ जो पहले अलर्ट हो जाएं, उन लोगों को जानकारी हो जाए, उसके लिए भी हमने कार्रवाई शुरू की है।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary, Shri Kesridevsinh Jhala.

SHRI KESRIDEVSINH JHALA: Sir, I would also like to know from the hon. Minister: "Have requests from different States been received regarding declaring any animal species as vermin? Also, does any State authority such as the Chief Wild Life Warden have the authority to do so?"

श्री भूपेन्द्र यादवः महोदय, जहां तक किसी जानवर के द्वारा किसी क्षेत्र में इस बात का खतरा होता है कि उससे किसी व्यक्ति के जीवन की हानि हो सकती है या वह खतरनाक हो गया है, तो यह पावर हमने वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंतर्गत State Chief Wild Life Warden को प्रदान की है और समय-समय पर वे इसका उपयोग करते हैं।

MR. CHAIRMAN: Third supplementary, Shri Shaktisinh Gohil.

श्री शक्तिसिंह गोहिलः महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके जरिए जानना चाहता हूं कि किसानों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है, जब ये human-animal conflict की बात आती है। सर, नील गाय, गाय वंश का नहीं है, वह हिरण वंश का है, पर वह जितना नुकसान करता है, आप गुजरात में आकर देखिए कि इतना इसका विकास हुआ है, नुकसान करने वालों का गुजरात में बहुत विकास हुआ है। इस नील गाय को रोकने और खत्म करने के लिए क्या concrete steps हैं, सेंट्रल गर्वमेंट इसका प्लान बनाकर करना चाहती है या नहीं?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

श्री भूपेन्द्र यादवः महोदय, निश्चित रूप से यह अधिकार राज्यों के Wild Life Warden के पास वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंतर्गत है और वे इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उनको यह संतुष्टि करनी पड़ेगी कि क्या वह क्षेत्र किसानों के जीवन और संपत्ति के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अधिकार उनके पास हैं और कई राज्य इसका उपयोग कर रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Fourth supplementary, Dr. Bhagwat Karad.

डा. भागवत कराड़ः सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि leopard जैसा प्राणी आजकल नगरीय बस्ती में, शहरों में आता है और शहरों के सीसीटीवी कैमरा में कैद होता है। राज्य सरकार के माध्यम से उसको पकड़ने की कोशिश हमारे शहर संभाजी नगर,

महाराष्ट्र में की है, तो भी नहीं मिला है। क्या केन्द्र सरकार की कोई टास्क फोर्स है, जो राज्य सरकार को मदद करे और leopard जैसे जानवर को कैद मिले?

श्री भूपेन्द्र यादवः सभापति महोदय, अगर इस प्रकार के कोई वन्य जीव शहरी क्षेत्र में आते हैं, तो वह स्थानीय स्तर पर जो हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, उनको सूचित करते हैं और स्थानीय स्तर पर हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स के द्वारा पूरी व्यवस्था की जाती है। इनको पकड़कर वापस जंगली क्षेत्र में छोड़ा जाता है।

MR. CHAIRMAN: Fifth supplementary, Shri Tiruchi Siva.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, in the Statement laid by the Ministry, the population of the Asian elephants has been updated only up to 2017 and the stray dogs up to 2019. The drastic increase in the stray dogs is in the recent days only. It has to be updated. My pointed question is: "Considering the long-term impact and the ethical concerns of using immuno-contraceptives on the social complex species, which has resulted in the human and wild animal conflict, along with the injunction issued by the Supreme Court about the usage of this immuno-contraceptive, what are the other alternatives the Ministry has to contain the population?

श्री भूपेन्द्र यादवः सर, यह बात सच है कि देश के कई भागों में जो वन्य जीव है, उनका जो conflict है, कई species के कारण हम लोगों ने WII को एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा है। WII ने अपनी रिपोर्ट में human contraceptive के साथ-साथ यह कहा है कि इसको फूड आइटम के अंतर्गत भी हम दे सकते हैं। उन्होंने अन्य और भी सुझाव दिए हैं, उनकी interim report हमारे मंत्रालय के पास है। हम उसका अध्ययन कर रहे हैं।

जहां तक आपने सड़क के आवारा कुत्तों के बारे में बात कही है, वे जंगली जीव के अंतर्गत नहीं आते हैं, वे न एनिमल के अंतर्गत आते हैं, न हमारे शैड्यूल के अंतर्गत आते हैं। स्थानीय नगरपालिकाओं के द्वारा उसका प्रबंधन किया जाता है। ...(**व्यवधान**)... जो लाइव डेटा है, उसे अन्य मंत्रालय देखता है, क्योंकि वह उसके अंतर्गत आता है।

श्री शक्तिसिंह गोहिलः दिल्ली के बंदरों के बारे में भी बताइए।

श्री प्रमोद तिवारीः मैं वही पूछ रहा हूं। सर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि...

MR. CHAIRMAN: Yes. ...*(Interruptions)*... You will have to define बंदर किसको कहते हैं? That may be a serious problem.

श्री प्रमोद तिवारीः सर, मैं आपके माध्यम से दिल्ली की एक समस्या है, उसके बारे में सवाल पूछना चाहता हूं। मैं इसमें नहीं जाता हूं कि वे वाइल्ड हैं या पालतू हैं। मैं इनके लिए दूसरा शब्द तो इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, लेकिन बंदरों की वजह से एक आतंक पैदा हो गया है, जिसके कारण रहना मुश्किल हो गया है। क्या सरकार इसके संबंध में कोई सुरक्षात्मक कदम उठाएगी?

श्री सभापतिः माननीय मंत्री जी।

श्री भूपेन्द्र यादवः माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य की चिंता जायज है। मैं उनके साथ सहानुभूति रखता हूं। जहां तक बंदरों के विषय में आपने कहा है कि दिल्ली के अंदर बंदर पाए जाते हैं और इनके संबंध में आपने प्रश्न पूछा है। वह वन्य जीव के शैड्यूल वन और टू के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि जयराम जी को ज्यादा पता है, क्योंकि जो बाकी 11 किस्म के बंदर हैं, जो Assamese Macaque, Arunachal Macaque, Bonnet Macaque, Lion-Tailed Macaque, Nicobar Long-tailed Macaque, Northern Pig-tailed Macaque, Sela Macaque and Hanuman Langur है, इनको हम लोगों ने वन्य जीव में रखा है। यह जयराम जी की कमेटी की रिकमंडेशन थी, इसलिए हमने इसको वन्य जीव से निकाला है, लेकिन उसके sterilization प्रोग्राम को लेकर दिल्ली के हाई कोर्ट का एक ऑर्डर भी है। हमने ओखला और आसपास दो-तीन क्षेत्र भी डेवलप किए हैं। वहां पर हमने विशेष कार्रवाई भी की है, इनको पकड़ने के लिए, इनको sterilization करने में भी समस्या आती है, तो इनके फूड में भी हम कुछ कर सकते हैं। उसके संबंध में रिपोर्ट हमारे पास आ गई है। हम सब इसको मिलकर करेंगे। मैं यहां पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, ...(**व्यवधान**)... लेकिन मेरा यह मानना है कि जॉन ब्रिटास और इनसे हम कहेंगे ...(**व्यवधान**)... सर, ये सुनें तो सही। ...(**व्यवधान**)... लगातार दिल्ली सरकार को ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Dr. John Brittas, it is Question Hour and you rise there. ...*(Interruptions)*... You are a very senior Member. ...*(Interruptions)*...

श्री भूपेन्द्र यादवः लगातार दिल्ली सरकार और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को हम कैपेसिटी बिल्डिंग से लेकर, उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करने के लिए कहते रहे हैं, लेकिन उनकी, दिल्ली सरकार की कोई मजबूरी होगी कि उनको इस पर जितना ध्यान देना था, नहीं दिया है, लेकिन उनको देना चाहिए।

श्री प्रमोद तिवारीः सर, ये उन पर रोक लगा दें, लोग केला खिलाकर उनको और आकर्षित कर रहे हैं। टमाटर तो आजकल कोई नहीं खिला रहा है। उसके बाद कुछ संगठन विरोध करते हैं।

श्री सभापतिः तिवारी जी, मुझे तो यह बताइए कि कौन सी पाचन व्यवस्था निर्देशित करूं कि हाउस ऑर्डर में चले!

Question No. 107.

Waste management in the country

*107. SHRI B. PARTHASARADHI REDDY: Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that out of 62 million tonnes (MT) of municipal solid waste generated per annum in the country, only 43 MT is collected, out of which, only 11.9 MT is treated and the rest is dumped in landfill sites;
(b) if so, the reasons for low waste treatment in the country;
(c) whether Government is planning to introduce any advanced technological solution to improve waste management in the country; and
(d) if so, the details thereof, if not, in what manner Government is planning to deal with the issue?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (SHRI BHUPENDER YADAV): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The Solid Waste Management Rules, 2016, provide the statutory framework for management of solid waste in the country. The local authorities are mandatedfor solid waste management under Solid Waste Management Rules, 2016. As per Swachh Bharat Mission Urban 2.0 dashboard, the solid waste generated is approximately 1.59 lakh TPD, of which 1.24 lakh TPD is processed.As per Solid Waste Management Rules, 2016, local bodies are mandated to allow only non-recyclable, non-biodegradable, non-combustible and non-reactive waste to go to sanitary landfills and every effort shall be made to achieve the desired objective of zero waste going to landfill.

Separately, Central Pollution Control Board has issued Guidelines for Disposal of Legacy Waste (Old Municipal Solid Waste). Directions under Section 5 of Environment (Protection) Act, 1986, to all State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees for enforcement of provisions of Solid Waste Management Rules, 2016, regarding bio-mining of legacy waste.

(c) and (d) As per Solid Waste Management Rules, 2016, local bodies shall facilitate construction, operation and maintenance of solid waste processing facilities and associated infrastructure using suitable technology adhering to the guidelines issued

by the Ministry of Housing and Urban Affairs from time to time and standards prescribed by the Central Pollution Control Board.

Central Public Health Engineering Organization under Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, has published Municipal Solid Waste Manual, which inter alia covers technical aspects segregation, collection, transportation, processing and treatment of municipal solid waste.

Further, CPCB has also constituted Standing Committee on Technology for Waste Management for assessment of indigenous technologies and innovative waste management practices. The Committee has prepared a Protocol for Evaluation of Technology for Waste Management, which is available on CPCB website (https://cpcb.nic.in/uploads/Technology_WM_1.pdf).

MR. CHAIRMAN: First Supplementary; Shri B. Parthasaradhi.

SHRI B. PARTHASARADHI: Sir, thank you very much for giving me the opportunity because this is my first question. After several attempts, I got the opportunity. I need all of your blessings. Thank you very much. In the reply to my question, the hon. Minister emphasised and highlighted only on amending rules, issuing protocols, making committees and further amending guidelines. Sir, through you, I want to know, after 2016 policy implementation, is there any authentic data of increasing or decreasing the quantity of solid waste material, which is not treated in the country and details of allocation of State-wise funds for solid waste management and targeted timelines to achieve zero solid waste landfill status.

श्री भूपेन्द्र यादव: सभापति महोदय, CPCB की जो Annual Report है, उस रिपोर्ट के अंतर्गत 2020-21 तक जो solid waste generate होता था, वह 1,60,038 TPD होता था और उसका landfill, जो treated है, वह CPCB की website पर उपलब्ध है।

महोदय, जहाँ तक इसके प्रबंधन का विषय है, यह local bodies के द्वारा किया जाता है। हमारे मंत्रालय के द्वारा समय-समय पर जो guidelines जारी की गई हैं, उसमें विशेष रूप से 2016 के Solid Waste Management Rules, Plastic Waste Management Rules, Biomedical Waste Management Rules, Construction and Demolition Waste Management Rules, Hazardous and Other Waste Management Rules, and E-Waste Management Rules इसके मुख्य regulatory norms हैं, जिनको local bodies के द्वारा control किया जाता है।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary; Shri B. Parthasaradhi Reddy.

Content Page

SHRI B. PARTHASARADHI REDDY: Sir, my second question is this. According to the recent studies, despite the complete plastic waste import ban in 2019, around five lakh tonnes of the plastic waste is smuggled into India which is highly hazardous and contaminating, mainly, the water resources. What steps are being taken by the Government to ensure that the solid waste generated in other countries is not being smuggled into our country?

श्री भूपेन्द्र यादव: महोदय, माननीय सदस्य ने बिल्कुल सही बात कही है कि single-use plastic की समस्या सबसे बड़ी चुनौती है। महोदय, हमने उसको बैन भी किया है, लेकिन उसका नीचे execution, State Government के द्वारा होता है। महोदय, single-use plastic के अतिरिक्त जो अन्य plastic package हैं, हमने उनके लिए एक EPR platform बनाया है और extended producer's liability इस platform के अंतर्गत आती है। हमने उसकी पूरी जानकारी portal के द्वारा देने का भी पूरा प्रबंध किया है। इसके साथ ही साथ हमें यह भी पता है कि Extended Producer's Responsibility में waste tyre का भी विषय आता है और plastic packaging का भी विषय आता है। महोदय, एक और जो बड़ी चुनौती है, वह waste battery की है और अभी जो एक सबसे बड़ा विषय हमारे सम्मुख है, वह e-waste का है। जो used oil है, वह भी काफी ज्यादा मात्रा में प्रदूषण को फैलाता है, हमने इसके लिए पूरी guidelines और रूल्स बनाए हैं, जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। हमने ये रूल्स 2022 और 2023 में जारी किए हैं।

MR. CHAIRMAN: Third supplementary; Shri Jairam Ramesh.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, for the last few years, the country has been trying to grapple with the issue of chemical contamination. There are a large number of contaminated sites across the country. And I am glad that the hon. Health Minister is also here because these contaminated sites are grave public health hazards. Two of the worst sites in the country are in New Delhi alone. One is in Ghazipur and the other one is in Bhalaswa. I would like to ask the hon. Minister as to what specific steps will be taken to deal with these contaminated sites which are posing severe public health hazards.

श्री भूपेन्द्र यादव: सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि इस पर लगातार कदम उठाए गए हैं। महोदय, जो विषय लंबे समय से pending पड़ा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का भोपाल का यूनियन कार्बाइड से संबंधित जजमेंट था, उस विषय को लेकर भी मंत्रालय की गाइडलाइन्स दी गई हैं और हम उसको हटाने के संबंध में पूरे प्रयास कर रहे हैं।

महोदय, जो बाकी specific sites हैं, जिन्हें जयराम जी ध्यान में लेकर आए हैं, उनके लिए हम सभी जगह advisory भी..(**व्यवधान**)..

श्री सभापतिः मंत्री जी, ये साइट्स सभी के ध्यान में हैं।

श्री भूपेन्द्र यादवः महोदय, सब जगह नहीं हैं, ये site-specific हैं, इसलिए site-specific के हिसाब से directions दिए जाते हैं। उन्होंने specific उदाहरण दिए हैं और मैंने specific उदाहरण के साथ काम किया है, क्योंकि जो site-specific होते हैं, उनका जो विषय आता है, उसके directions accordingly rules के अंतर्गत जारी किए जाते हैं।

MR. CHAIRMAN: Supplementary number four; Ms. Swati Maliwal.

MS. SWATI MALIWAL: Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak. आज दिल्ली वालों को गर्मियों की छुट्टियों में हिल स्टेशन जाने की जरूरत ही नहीं है। सर, एमसीडी के सौजन्य से हम सबको दिल्ली में ही कूड़े के तीन बड़े-बड़े पहाड़ मिले हुए हैं।

MR. CHAIRMAN: Please ask your supplementary.

MS. SWATI MALIWAL: I am coming to it. सर, एक माउंट भलस्वा है, एक माउंट गाजीपुर है और एक माउंट ओखला है। सर, उन लैंडफिल साइट्स पर जो लोग रह रहे हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। वहाँ पर हर दिन उन्हें बदबू, गंदगी और बीमारियों से जूझना पड़ता है। कभी आग लग जाती है, तो उससे प्रदूषण होता है।

MR. CHAIRMAN: What is your supplementary?

सुश्री स्वाति मालिवालः सर, मेरी माननीय मंत्री जी से यह रिक्वेस्ट है, मैं उनसे यह जानना चाहती हूँ कि क्या आपको एमसीडी के द्वारा कोई भी प्रपोजल दिया गया है कि इन कूड़े के पहाड़ों से कैसे निजात पाई जा सकती है? सर, अगर प्रपोजल दिया गया है, तो उस पर क्या काम हुआ है और क्या केंद्र सरकार एमसीडी की जिम्मेदारी इस मामले में तय कर सकती है?

श्री भूपेन्द्र यादवः सर, यह दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है और दिल्ली सरकार से कहेंगे, तो अच्छा होगा।

MR. CHAIRMAN: Supplementary number five, Shrimati Jaya Bachchan.

श्रीमती जया अमिताभ बच्चनः सर, सबसे पहले मुझे बड़ा दुख है कि भूपेन्द्र जी दूसरे हाउस चले गए हैं। यहाँ रहते थे, तो अच्छा लगता था। Anyway. सर, अभी दिल्ली सरकार की बागडोर आपके हाथ में है। आप अपनी responsibility शिफ्ट मत करिए।

दूसरी बात, is the Government going to do something to move this kind of waste into an area, which is not close to human habitat?

Content Page

MR. CHAIRMAN: And, Madam, he is a silent worker with global impact also. He will take care of your sentiment. He will do all he can. It does not matter whether he is in this House or that House.

श्रीमती जया अमिताभ बच्चन: आप उनको वेलिडेट मत करिए। जो उनका काम है, that is enough validation for all of us. We have been his colleagues for many years.

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

श्री भूपेन्द्र यादव: सर, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय जया जी को कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने प्रश्न के उत्तर के प्रारंभ में भी यह कहा था कि हमने 2016 में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे और उसके बाद जैसे-जैसे ई-वेस्ट लेकर बाकी चुनौतियाँ आई हैं, हमने रेगुलेशंस बनाए हैं, लेकिन जो इसकी execution एजेंसी है, वह स्टेट गवर्नमेंट है। हम एनकैप के अंतर्गत पैसा भी प्रदान करते हैं, जिसमें हम वायु प्रदूषण के साथ-साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वॉटर पॉल्यूशन के लिए ही पैसा देते हैं। चूँकि हमारे देश में संघीय प्रणाली है, केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को पैसा दिया जाता है, तो यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। जहाँ तक उन्होंने दूसरे विषय के बारे में कहा है कि यह मानवीय बस्तियों के पास में न हो, इसके लिए सिटी का मैनेजमेंट प्लान हमेशा होता है। केंद्र सरकार ने भी अपने बजट के माध्यम से वेस्ट टु वैल्थ के लिए जो बजट अनाउंसमेंट 2023 में भी की थी, उसमें भी 500 नए वेस्ट टु वेल्थ प्लांट बनाए थे, जो विशेष रूप से बायो-वेस्ट के डिस्पोज़ल के लिए किया था। मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि हम मानते हैं कि इस चिंताजनक स्थिति में देश में जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होती है, उसका 35 परसेंट केवल ड्राई वेस्ट है, 45 परसेंट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और जो 20 परसेंट है, वह कंस्ट्रक्शन और demolition के कारण आता है। स्थानीय स्तर पर जो इसका नियोजन है, इसके लिए हम एनकैप का मूमेंट चलाते हैं और जो जिले या जो नगर अच्छा काम करते हैं, उन्हें पुरुस्कृत भी करते हैं, क्योंकि हम इसमें हेल्दी कॉंपीटिशन चाहते हैं। हमारी सिविक सोसायटी के लिए स्वच्छ शहर होना, जो वेस्ट है, उसका सही डिस्पोज़ल होना, यह आवश्यक है। हम इसे मानते हैं और राज्यों के साथ सहयोग करके, इस पर काम करना है।

MR. CHAIRMAN: Now, Question No. 108.

Decline in forest cover

†*108. DR. SUMER SINGH SOLANKI: Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

---

† Original notice of the question was received in Hindi.

(a) the details of the measures being taken by Government to check the continuous decline in forest cover;

(b) whether any schemes have been formulated by Government for the same; and

(c) the details of the budget allocated for the purpose during the last three years, scheme- wise?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (SHRI BHUPENDER YADAV): (a) to (c) The statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) Forest Survey of India (FSI), Dehradun, an organization under the Ministry, carries out the assessment of forest cover of the country biennially since 1987 and the findings are published in the India State of Forest Report (ISFR). The forest cover assessment is a wall-to-wall mapping exercise based on remote sensing supported by intensive ground verification and field data from the National Forest Inventory. As per the latest ISFR 2021, the total forest cover of the country is 7,13,789 square kilometre which is 21.71% of the geographical area of the country. Theforest cover of the country continuously increased in past decade. An increase of 21,762 square kilometer in forest cover has been recorded in the assessment of ISFR 2021 compared to ISFR 2011.

(b) and (c) To further increase the forest cover in the country, the Government has provided funds under various schemes and programmessuch as National Mission for a Green India (GIM), Integrated Development of Wildlife Habitats, Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA), Nagar Van Yojana (NVY) and Eco-Task Force (ETF)etc. These funds support the efforts of the States and UTs for ecological restoration through afforestation in and outside forest areas, forest landscape restoration, habitat improvement, soil and water conservation measures, and protection etc. The funds released by the Ministry for this purpose during the last three years under the Green India Mission, CAMPA, Development of Wildlife Habitats, Nagar Van Yojanaand Eco-task Force are enclosed at Annexure.

Annexure

Details of funds released under various schemes for the last three years for increasing the forest cover

(Rs. In Crores)

Sl. No.	Name of Schemes	2021-22	2022-23	2023-24
1	National Mission for a Green India (GIM)	156.46	137.29	112.28
2	Compensatory Afforestation Fund Management and PlanningAuthority (CAMPA)	9161.15	8481.34	7293.23
3	Developmentof Wildlife Habitats(DWH)	87.56	56.49	95.89
4	Nagar Van Yojana (NVY)	112.41	93.25	93.90
5	Eco-Task Force (ETF)	110.00	80.00	64.34
Total		9627.58	8848.37	7659.64

डा. सुमेर सिंह सोलंकी: माननीय सभापति महोदय, नर्मदे हर! माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने विस्तार से जो जवाब दिया है, मैं उसे लेकर माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वनाच्छादित क्षेत्र 21,762 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ। मैं मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र से आता हूँ। मालवा और निमाड़ में नर्मदा जी के दोनों तरफ सतपुड़ा और विंध्याचल के पहाड़ हैं और इन क्षेत्रों में आदिवासी जिले हैं। बड़वानी, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगौन, खंडवा और बुरहानपुर, यहाँ पर सतपुड़ा के पहाड़ों में हरियाली से वनाच्छादित करने के लिए क्या सरकार कोई योजना पर काम कर रही है?

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न है कि नर्मदा जी के क्षेत्र का जो एरिया है, उस क्षेत्र में क्या वनों को बढ़ाए जाने के लिए कोई कार्य किया जा रहा है। निश्चित रूप से भारत में Green India Mission के अंतर्गत यह कार्य किया जाता है। नर्मदा जी और उसके आसपास की जो लगभग 30-32 से ज्यादा नदियां हैं, वे उन्हीं वन क्षेत्रों से निकलती हैं। वहां सघन वन बनाने के लिए काफी कार्य किया जाता है। दिग्विजय जी को ज्यादा अनुभव है और वे नर्मदा यात्री भी रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary, Dr. Sumer Singh Solanki. ...*(Interruptions)*... First, he has a right of putting two supplementary questions and then the other supplementary questions can be asked.

डा. सुमेर सिंह सोलंकी: माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को फिर से धन्यवाद दूंगा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब हमारे देश में थी, तो करोड़ों आदिवासी भाइयों और बहनों को वनाधिकार के पट्टों का वितरण किया गया। 2006 के अधिनियम के अंतर्गत, जो चिन्हित किसान या आदिवासी बंधु या जंगलों में रहने वाले गरीब बंधु बच गए हैं, क्या सरकार उनको चिन्हित करके फिर से वनाधिकार के पट्टे देने पर विचार कर रही है?

श्री भूपेन्द्र यादव: सभापति महोदय, वनाधिकार के पट्टों के लिए एक निश्चित प्रक्रिया है और वनाधिकार के पट्टों के निस्तारण का काम हम कर रहे हैं और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो इन्होंने भी बहुत उत्कृष्ट दृष्टि से इस पर कार्य किया।

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, through you, I want to ask the Minister that a CAMPA fund was constituted. Allegedly, it was to help the reforestation. But, the policies and the implementation of these funds, बड़े-बड़े पेड़ों का नाश करके इतना छोटा सा पौधा नर्सरी से लाकर वहां बो देते हैं। Same thing is happening while constructing the National Highways where they are chopping down massive trees and due to this, there is climate change which is impacting us. रोज कहीं बाढ़ और सूखा पड़ जाता है, तो क्या आप CAMPA funds की State-wise details पेश करेंगे और इसका audit करवा देंगे कि कितने पेड़ पौधे हैं, जो replacement में डाले हैं, वे जिंदा भी हैं? क्लाइमेट चेंज के नाते आप इस पर क्या...

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय सभापति महोदय, माननीय रेणुका जी ने आपके माध्यम से एक अच्छा प्रश्न पूछा है। संयोग से आज सुबह 9 बजे CAMPA की Annual General Meeting हुई थी। CAMPA के जो 45 प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं, उनकी भी समीक्षा की गई थी। पेड़ तो बड़ा कटता है और छोटा ही लगता है, लेकिन बाद में बड़ा होता है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Let him complete. ...*(Interruptions)*... Your point is well taken. ...*(Interruptions)*... Madam, you have put your supplementary, let the hon. Minister answer now.

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय सभापति महोदय, मैं माननीया रेणुका जी के प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दिया है। छोटे पेड़ का अर्थ है, मतलब आकार में तो छोटा लगता है, लेकिन जब हम पेड़

लगाते हैं और जिन पेड़ों को हम लगातार लगाने के लिए कहते हैं - हम निश्चित रूप से पीपल, बड़, ढाक, आंवला, बहेड़ा, नीम - ये जो बड़े पेड़ हैं, ये हमारी native species हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमने क्षेत्र के अनुसार जिले के हिसाब से इसका वर्गीकरण किया है। हम जो 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान चला रहे हैं, उस अभियान में भी मैंने अपने संसद के सभी साथियों को पत्र लिखा है और local species की जानकारी भी उनको उपलब्ध कराई है। मैं आपको भी आज पूरे सदन की तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि आपने भी दो दिन पहले 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के अंतर्गत एक पेड़ लगाया है। हम आपका भी अभिनंदन करना चाहते हैं।

MR. CHAIRMAN: Supplementary No. 4, Shri Saket Gokhale.

SHRI SAKET GOKHALE: Sir, this is following up from a conversation that happened in this House about two or three days ago with the hon. Minister dismissing something I had asked in a question. So, my question is very specific. Will the Minister answer whether it is true that the Supreme Court of India in February, 2024 passed an Interim order stating that the definition of 'Forest' will continue as per its 1996 judgement and not according to the Forest Conservation Amendment Act that was brought by this Government last year. If yes, what was the reason behind the Government choosing to change the definition and expand the definition of 'Forest' in the Forest Conservation Amendment Act which was brought in last year?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, firstly, is it so?

श्री भूपेन्द्र यादवः माननीय सभापति महोदय, साकेत गोखले जी ने आज जो प्रश्न किया, उस दिन इन्होंने एक different प्रश्न किया था। इन्होंने उस दिन जो प्रश्न किया था, उसका उत्तर भी मैंने इनको भेज दिया था और मुझे लगता है इनको रिपोर्ट भी मिल गई होगी, जिसमें इनका कहना था कि forest cover कम हुआ है। उस समय मैंने उत्तर में लिखा था कि जो FSI का assessment है, वह यह show करता है कि हमारा जो net increase है, वह 1,540 किलोमीटर है। इन्होंने जो दूसरा प्रश्न किया है, 1980 का जो Forest Conservation Act हमने amend किया है, उसकी petition सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई है। सुप्रीम कोर्ट में 12 दिसंबर, 1996 का एक जजमेंट पास हुआ, जिसमें उसने कहा कि 'Forest' means, dictionary meaning of forest. 1980 के Forest Conservation Act में dictionary meaning of forest में जो कई विकास की परियोजनाएँ रुक जाती थीं, तो 1980 के एक्ट में जो परिवर्तन किया गया है, उसमें क्या फॉरेस्ट नहीं है, वे clauses हमने डाले हैं। जब हमारे देश को आजादी मिली, तो 'Forest' राज्य का विषय था। बाद में कांग्रेस के समय में जो amendment हुआ, उससे 'Forest' को Concurrent List में डाला गया और 1980 में उसी के कारण Forest Conservation Act आया। मैं आपके सामने यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में अगर हम देखें, 1950 से पहले जब Forest Conservation Act नहीं आया था और

यह Concurrent List में नहीं आया था, तब देश में जो forest का नुकसान हुआ था, लगभग 20 प्रतिशत हुआ था। सरकार उस समय की sensitivity को जान कर इसको Forest Conservation Act के अंतर्गत लाई, लेकिन 12.12.1996 का जो dictionary meaning of forest का सुप्रीम कोर्ट का विषय था, उसके कारण कई तरह के अवरोध खड़े हुए और clarity नहीं थी। उस clarity के लिए हम Forest Conservation Act में forest क्या नहीं है, वह लेकर आए हैं। यह मामला अभी *sub judice* है। हम पूरा विषय सुप्रीम कोर्ट में भी रखने वाले हैं। Definition पर कोई question नहीं उठा है। Naturally, Act के ऊपर कोई चैलेंज होगा, तो उसका जवाब सरकार के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारे देश का जो total forest area है, वह 23.5 परसेंट है, 7.75 करोड़ हेक्टेयर। इसमें पिछले 10 वर्षों में जो विकास की गतिविधि हुई है, compensatory afforestation के अंतर्गत जो जमीन आई है, वह more than 10 लाख हेक्टेयर है, जो यह बताती है कि सरकार forest के conservation और preservation के लिए पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है।

MR. CHAIRMAN: Fifth supplementary. Shrimati Ranjeet Ranjan.

श्रीमती रंजीत रंजनः सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ कि कृपया एक तो State-wise ब्योरा दें कि किन-किन प्रदेशों में कितनी forest land को अन्य purpose के लिए divert किया गया है? साथ ही, आपने यहाँ उत्तर में दिया है कि 2011 की तुलना में 2021 के आकलन में जो वनाच्छादित क्षेत्र है, वह बढ़ा है। इसका क्या विवरण है, कहाँ पर बढ़ा है और उसकी क्या situation है? दिल्ली देश की राजधानी है और उसका यहाँ कोई अपना वन क्षेत्र नहीं है। यमुना के किनारे बहुत सारी जो जमीन है, उस पर unnecessary बहुत अवैध कब्जे लगातार हो रहे हैं। क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि यमुना के किनारे जो जमीन ऐसे ही पड़ी है, वहाँ पीपल जैसे वृक्ष लगा कर एक वन दिल्ली में भी बसाया जाए, क्योंकि हमारा जो सबसे polluted प्रदेश है, वह दिल्ली है?

श्री भूपेन्द्र यादवः माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने एक अच्छे विषय के ऊपर ध्यान दिलाया है कि यमुना के किनारे जमीन पर encroachment होता है। वहीं पर हमने पेड़ लगाने का काम शुरू किया है। माननीय सभापति महोदय जी भी वहीं पर पेड़ लगा कर आए हैं। मैं तो यह कहूँगा कि पिछले वर्ष भी उस जगह पर हम लोगों ने पेड़ लगाने का काम किया। विशेष रूप से जो यमुना का encroachment area है, उसको खाली कराते हुए हम लगातार पेड़ लगा रहे हैं। माननीय सदस्या भी लगाना चाहें, तो उनका भी स्वागत है। Forest Survey में किस क्षेत्र में forest बढ़ा है और किस में नहीं बढ़ा है, इसकी जो पूरी रिपोर्ट है, वह हमारी द्विवार्षिक रिपोर्ट आती है, जो 1987 से इस देश में प्रारंभ हुई है। उस रिपोर्ट के अंतर्गत यह सारा विषय दिया जाता है। उसमें यह भी विश्लेषण किया जाता है कि dense forest, medium forest and open forest की क्या स्थिति है। यह FSI की रिपोर्ट में उपलब्ध है, मैं माननीय सदस्या को भी उपलब्ध करा दूँगा, जिसमें पूरी डिटेल है।

MR. CHAIRMAN: Satisfied? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं खुद वहाँ गया था और 2 घंटे तक रहा। वहाँ काया-पलट जारी है। वहाँ बड़े व्यापक स्तर पर काम हो रहा है और ऐसे तरीके से हो रहा है कि वह बिल्कुल नैचुरल हो। It is turning out to be a great habitat for all species. The Lt. Governor of Delhi has devoted a lot of time for it and the transformation is amazing! I will request all the hon. Members to make a visit. And, if my office assistance is required for that purpose, I will be more than willing.

Now, Question No. 109.

Implications of low female LFPR

*109. SHRI MUKUL BALKRISHNA WASNIK: Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that according to the latest Periodic Labour Force Survey (PLFS)Report, India's female Labour Force Participation Rate (LFPR) is 28 percentage points lower than the male LFPR;

(b) if so, the details thereof and its implications in terms of employment and economy;

(c) whether any steps have been taken to boost the female LFPR as well as the overall LFPR;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (DR. MANSUKH MANDAVIYA): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (e) The data on Employment and Unemployment is collected through Periodic Labour Force Survey (PLFS) which is conducted by the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) since 2017-18. The survey period is July to June every year. As per the latest available Annual PLFS Reports, the estimated Labour Force Participation Rate (LFPR) on usual status for females of age 15 years and above during the years 2017-18 to 2022-23 is having an increasing trend, as per table below:

Content Page

Survey year	Labour Force Participation Rate (LFPR) (%)	
	Female	**All persons**
2017-18	23.3	49.8
2018-19	24.5	50.2
2019-20	30.0	53.5
2020-21	32.5	54.9
2021-22	32.8	55.2
2022-23	37.0	57.9

Source: PLFS, MoSPI

The data indicates that the female participation in labour force is regularly increasing during last six years.

Employment generation coupled with improving employability is the priority of the Government. The Government has taken various initiatives/measures to promote and increase the participation of women in workforce.

Government has incorporated a number of provisions in the labour laws for equal opportunity and congenial work environment for women workers like paid maternity leave, child care leave, creche facility, equal wages etc.

Government is implementing various schemes to boost the female LFPR as well as the overall LFPR like Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY), Stand-UP India Scheme, Startup India, Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), Women in Science and Engineering- KIRAN (WISE-KIRAN), SERB-POWER (Promoting Opportunities for Women in Exploratory Research), Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS), Pt. Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY), Rural Self Employment and Training Institutes (RSETIs), Deen Dayal Antodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM), Production Linked Incentive, etc. The details of various employment generation schemes/ programmes being implemented by the Government of India may be seen at https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes.

To enhance the employability of female workers, the Government is providing training to them through a network of Women Industrial Training institutes, National Vocational Training Institutes and Regional Vocational Training Institutes.

Further, Government announced in the Budget 2024-25, the Prime Minister's package of 5 schemes and initiatives to facilitate employment, skilling and other

opportunities for 4.1 crore youth over a 5-year period with a central outlay of Rs. 2 lakh crore.

MR. CHAIRMAN: First supplementary, Shri Mukul Balkrishna Wasnik.

SHRI MUKUL BALKRISHNA WASNIK: Sir, the hon. Minister has made an elaborate reply but I am afraid that the fundamental issue has not been addressed at all. I would like to state here that the UNDP's Human Development Report 2023-24 places India at the 108th position out of 193 countries on Gender Inequality Index. The National Crime Records Bureau in its latest report reveals that crime against women has increased by 13 per cent. In 2022, on an average, on every single day, 172 girls went missing, 170 girls were kidnapped and 90 women were raped. Kidnapping, abduction and rape are strong factors that adversely influence women's willingness and ability to step out and work. Women's right for safe working environment is a fundamental and social justice issue. May I, therefore, request the hon. Minister to kindly let us know what the Government is trying to do to provide a safe working environment for women in India because without safe working environment, women will not be coming forward?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

डा. मनसुख मांडविया: चेयरमैन सर, माननीय सदस्य ने महिलाओं का employment बढ़े, उनको सुरक्षित काम करने की opportunity मिले, उसके बारे में प्रश्न उठाया है।

माननीय चेयरमैन सर, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी सरकार महिलाओं का employment बढ़े, महिलाओं की सुरक्षा बढ़े, उसकी सुनिश्चितता के लिए हमेशा आगे बढ़ रही है। मैं आपको यह अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने जो efforts किए हैं, उनके मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में और व्यवसायिक क्षेत्रों में महिलाओं को सुरक्षा के साथ उनको employment की opportunity उपलब्ध हो, उसके बारे में मैं आपको data के द्वारा बताना चाहूँगा। 2017 के बाद भारत में LAPR data generate करने की एक व्यवस्था की गई है, जो यह क्लियर करता है कि employment कहाँ बढ़ा, कितना बढ़ा और उसमें महिलाओं की भी कितनी भागीदारी हुई। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को यह अवगत कराना चाहूँगा कि 2017-18 में रूरल क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी, उनका जो Labour Force Participation Rate है, वह 24 परसेंट था, जो बढ़कर 41 परसेंट हुआ है, यानी कि महिलाओं को रोजगार के अवसर ज्यादा उपलब्ध हुए हैं। दूसरा, जो Work Population Ratio है, उसमें कुल मिलाकर जितने कामगार हैं, उनमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है? अगर हम इस ratio पर जाते हैं, तो रूरल क्षेत्र में 2017-18 में महिलाओं का Work Population Ratio 27 परसेंट था, जो बढ़कर 40 परसेंट हुआ है। वैसे ही शहरी क्षेत्र में भी वह 43 परसेंट था, जो बढ़कर 47

परसेंट हुआ है। यह यही बताता है कि महिलाएँ सुरक्षा के साथ कामकाज में शामिल हो रही हैं और महिलाएँ अपनी आजीविका सुनिश्चित कर रही हैं।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary, Shri Mukul Balkrishna Wasnik.

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिकः सर, यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय मंत्री एक इस तरह का चित्र देश के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। अगर दुनिया के स्तर पर देखा जाए, तो हम इस मामले में कई मुल्कों से पीछे हैं और देश के भीतर भी काम के मामले में पुरुषों की तुलना में महिलाएँ करीब-करीब 44 फीसदी पीछे हैं। मैं बहस में नहीं पड़ना चाहता हूँ, लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारे समाज में परंपरागत पति और पत्नी को एक स्टीरियो टाइप रोल में देखा गया है। पति ब्रेड विनर है और पत्नी होम मेकर है। पहले के मुकाबले पिछले कुछ दशकों में स्थिति निश्चित तौर पर बेहतर हुई है, लेकिन और भी अधिक सुधार करने की आवश्यकता है। पुरुष और महिलाओं के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की तफावत को देखते हुए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार पुरुषों और महिलाओं को घर और काम पर बराबरी के अवसर योजनाबद्ध तरीके से देने पर विचार कर रही है? अगर कर रही है, तो कैसे और नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री सभापतिः माननीय मंत्री जी।

डा. मनसुख मांडवियाः चेयरमैन सर, हमको जो विरासत मिली थी, हम उस विरासत को बदलना चाहते हैं और इसलिए ही महिलाओं को सभी क्षेत्रों में employment के लिए...

श्री सभापतिः मंत्री जी, एक बार बैठिए।

माननीय सदस्यगण, जब मुकुल बालकृष्ण वासनिक जी बोल रहे थे, तब प्रतिपक्ष के नेता ने इनको क्रॉस नहीं किया और वे उस सीट पर ही बैठ गए। यह संसदीय परंपरा है। 1960 में अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब अध्यक्ष आए, तो वे जहाँ थे, वहीं खड़े रह गए। इस पर कुछ लोगों ने आपत्ति की कि जब अध्यक्ष आए, तो आप वहीं खड़े क्यों रह गए? तब तत्कालीन व्यवस्था दी गई कि जब अध्यक्ष आते हैं, तब आप जहाँ हैं, वहीं खड़े रहें। I greatly appreciate your gesture; and, I am sure, it will be followed by everyone that such a senior Member has re-stated it.

AN HON. MEMBER: Sir, sixty years of experience!

MR. CHAIRMAN: More than that, Sir.

डा. मनसुख मांडवियाः चेयरमैन सर, महिलाओं को पुरुष के बराबर अवसर मिले, इसके लिए अगर महिला किसी सेक्टर में पीछे है, तो उसको उस सेक्टर में आगे आने का ऑपर्चुनिटी मिले,

इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी सदन, यानी राज्य सभा में मैंने यह भी सुना है कि हम महिलाओं को पार्लियामेंट में भी ऑपर्चुनिटी देंगे, असैम्बली में भी ऑपर्चुनिटी देंगे। वर्षों तक यह चलता रहा, लेकिन 60 साल में नहीं हुआ। यह मोदी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट और असैम्बली में महिलाओं को 33 परसेंट ऑपर्चुनिटी देने का भी बिल पारित किया है। यह बताता है कि महिलाओं के प्रति, महिलाओं के विकास के प्रति, महिलाएँ सामाजिक क्षेत्र में अपना दायित्व लें, महिलाएँ पॉलिटिकल क्षेत्र में अपना दायित्व लें तथा महिलाओं की रोजगारी सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। अगर महिला कहीं बाहर जाकर कामकाज करना चाहती है, तो इसी बजट में उसके लिए हॉस्टल की व्यवस्था करना सुनिश्चित किया गया है। महिला सार्वजनिक क्षेत्र में आगे आए, खेल क्षेत्र में आगे आए, इसके लिए भी काम किया गया है। भूतकाल में कभी महिलाओं की स्पेशल लीग नहीं हुआ करती थी। मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हूँ, इसलिए मैं यह बता रहा हूँ कि आज महिलाओं के लिए भी मोदी गवर्नमेंट ने स्पेशल लीग करा कर उसको ऑपर्चुनिटी देने का काम किया है। महिलाओं को बराबरी का हक मिले, इसके लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है।

श्री सभापतिः मंत्री जी, मुकुल बालकृष्ण वासनिक जी ने कहा था कि महिला परिवार में गृह मंत्री है। क्या आप इसको स्वीकार करते हैं? मेरे यहाँ *Mahila* is all in all. ...*(Interruptions)*... No, no; in my family, Dr. Sudesh Dhankhar is in full command. ...*(Interruptions)*... मुकुल जी, सब कुछ बदल गया है। आपने जो कहा, वह पुरानी बातें हैं।

डा. मनसुख मांडविया: चेयरमैन सर, मैं कहूँगा कि महिला हमारे परिवार की सम्माननीय सदस्य होती है और हमारे परिवार की रखेवाल होती है।

MR. CHAIRMAN: Supplementary No. 3, Shri Milind Murli Deora.

श्री मिलिंद मुरली देवड़ा: सर, मैं सबसे पहले आपकी अनुमति से यह कहना चाहूँगा कि इस सदन के सभी पुरुष सांसदों का यह कर्त्तव्य बनता है कि भारत की सभी आकांक्षी आवाजहीन महिलाओं की जो समस्या है, हम उनका इस सदन में प्रतिनिधित्व करें।

The Minister, in his reply, has mentioned a very important statistic which I would like to highlight through you, Sir. That is the Female Labour Force Participation Rate, which is known as FLFPR. Firstly, I wish to congratulate this Government that in the last eight years, the number of women in the workforce has increased from 23 per cent to 37 per cent. That is something which, I think, everyone in this House can appreciate. A lot of progress has been made. My limited question, out of concern, is that the highest increase of women in the workforce has happened in rural areas where in the same period it has gone up from 25 per cent to 42 per cent. Although this does not pertain directly to only his Ministry but it also entails the role of many other ministries, like the Skills Ministry, my question to the hon. Minister, is this: What

is the Government planning to do to upskill women so that more women in urban areas enter the workforce?

डा. मनसुख मांडविया: चेयरमैन सर, एंप्लॉयमेंट के लिए समय-समय पर क्षेत्र बदलता रहता है। एक समय था जब एग्रीकल्चर सेक्टर एंप्लॉयमेंट का सबसे बड़ा सेक्टर था। उसमें पुरुष और महिला दोनों काम करते थे और वहां वे अपनी-अपनी जिम्मेवारी से उत्पादन करके अपना गुजारा चलाते थे। बाद में, services sector डेवलप हुआ, manufacturing sector डेवलप हुआ। Manufacturing sector में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होने लगी है और अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। आज देश में कुल मिलाकर 30 परसेंट सर्विस सेक्टर की ग्रोथ है। जब सर्विस सेक्टर 30 परसेंट की ग्रोथ से आगे बढ़ी है, तो उसमें महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के लगभग बराबर जैसी है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में कंप्यूटर वेब पर बैठकर काम करना होता है, ऑफिस में जाकर बैठ कर काम करना होता है। हम दिल्ली और पूरे देश में देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर और कंसल्टिंग सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी डे बाय डे बढ़ रही है। जहां वे कामकाज के लिए जाती हैं, वहां उनको सभी टाइप की सुरक्षा दी जाती है और भारत सरकार की ओर से भी महिलाओं को अपनी आजीविका और अपने कामकाज के लिए कई अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं।

MR. CHAIRMAN: Supplementary No.4, Ms. Dola Sen.

MS. DOLA SEN: Thank you, Chairman Sir. मंत्री जी, बुरा मत मानिएगा। आपने अभी मुकुल जी के सवाल के जवाब में कहा है कि मोदी जी की गवर्नमेंट में आपने 33 परसेंट आरक्षण के लिए Women Reservation Bill भी पास किया, लेकिन अभी आप देखिए, बीजेपी की तरफ से 13 परसेंट महिलाएं ही एमपीज़ हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 38 परसेंट हैं। बुरा मत मानिएगा। Through you, Sir, I want to know from the hon. Minister the details of the schemes initiated -- मनसुख जी, सिर्फ hypothetical statement से काम नहीं चलेगा -- to address India's Female Labour Force Participation Rate and the State-wise details of India's Female Labour Force Participation Rate. हम एक और सवाल जानना चाहते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कल जब हमने रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के MoS से पूछा, तो उन्होंने बताया कि इधर contractual workers को स्टेट minimum wage मिलती है, लेकिन the law of the land है कि अगर Central Government concerns, like rail, airport, coal, bank, BSNL, oil and gas, tower security, National Highway, toll plaza, SAIL हैं, तो इन सब जगहों पर Central minimum wage मिलनी चाहिए।

MR. CHAIRMAN: Put your supplementary.

सुश्री दोला सेन: अगर संसद में बैठकर male labour force के बारे में स्टेट मिनिमम वेज मिलने की बात कोई MoS बोलेंगे, जबकि फीमेल्स को तो अकसर कम ही मिलती है, तो हम चाहते हैं कि

लेबर मिनिस्टर की तरफ से यह एन्श्योर किया जाए कि Central Government concerns में मेल या फीमेल, दोनों labour force को Central minimum wage मिले।

MR. CHAIRMAN: Thank you. It is a suggestion.

डा. मनसुख मांडविया: चेयरमैन सर, मिनिमम वेज सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी अपनी आजीविका के लिए चाहे जिस काम में भी जाता हो, उसमें उसके परिवार और उसका अच्छी तरह से भरण-पोषण हो, जिसके लिए एक मेकैनिज्म है जो मिनिमम वेज तय करता है कि उसको कितना मिनिमम वेतन मिलना चाहिए। इसमें कई टाइप्स के पैरामीटर्स हैं। उसको कितना कपड़ा चाहिए, उसको कितनी कैलोरीज़ चाहिए, उसको अपने घर चलाने के लिए बिजली जलानी होती है तो उसमें कितनी बिजली लगती है, इन सारे पैरामीटर्स को तय करके समय-समय पर गवर्नमेंट मिनिमम वेज तय करती है और उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है।

SHRI A.A. RAHIM: Sir, there is a silent and indirect discrimination existing in India's private job sector, particularly in the IT sector and service sector. It has come to my attention that during job recruitment, the marital status of women is often used as a significant criterion. Women who are about to get married frequently lose their job prospects. Additionally, women who take maternity leave or other legally ensured leave after securing a job face the risk of losing their employment. This discrimination contributes to the disparity between the increasing number of educated women and their representation in the labour force. Whether the Government has taken notice of these discriminatory practices? If not, whether the Government is ready to appointment a special commission or committee to study this issue?

डा. मनसुख मांडविया: महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, उसमें दो विषय हैं। एक विषय है महिलाओं को वेतन मिले, और कितना वेतन मिले। महिलाओं और पुरुषों को वेतन मिलना, minimum wage is one thing, दूसरा उसकी स्किल के आधार पर होता है। हर व्यक्ति का वेतन एक समान हो, यह ज़रूरी नहीं है, वैसे ही हर महिला को एक समान वेतन मिले, यह भी संभव नहीं है ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप माइक के ऊपर से पेपर हटा लीजिए, आवाज़ साफ आएगी।

डा. मनसुख मांडविया: ठीक है, सर। महिलाओं को जब काम करना है, तो उनकी स्किल के आधार पर उनको वेतन मिले, यह एक बात है। दूसरा यह कि उसके पार एक round reply नहीं हो सकता, जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट हो, तो उसका काम करने का अधिकार है, लेकिन वह कौन से यूनिट में काम कर रही है, किसी इंडस्ट्रियल यूनिट में काम कर रही है, किसी सर्विस सेक्टर में काम कर रही है, या कोई अन्य काम कर रही है, उसके काम का स्पेसिफिकेशन बहुत आवश्यक

को उसकी pregnancy के दरमियान कोई नुकसान हो, यदि ऐसे किसी स्थान पर उसे काम करना हो, तो वह वहां काम नहीं कर सकती है। कोई सर्विस सेक्टर है, तो वहां उसे काम करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें अगर किसी जगह पर कोई issue create होता है, तो सरकार उसमें मध्यस्थता करती है और मदद भी करती है।

श्री सभापतिः क्वेश्चन नंबर 110. Shri Sandosh Kumar P; not present. Supplementaries, please.

**Q. No. 110. [The questioner was absent.]*

Vacancies of Judges in courts of Kerala

*110. SHRI SANDOSH KUMAR P: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) the number of vacancies of Judges in the High Court of Kerala, District Courts and Sub-ordinate Courts as of 31st March, 2024;
(b) whether Government has taken any steps to fill the vacant posts in the judiciary in Kerala;
(c) if so, the details thereof; and
(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The Status of vacancies of Judges in Kerala is as under:

S. No.	Name of Court	Vacancy as on 31.03.2024
1	High Court	06
2	District and Subordinate Courts	55*

*Excludes 3 non – judicial deputation posts in the cadre of District and Sessions Judge based on the new policy of High Court restricting deputation to such posts.

(b) to (d) The Judges of High Courts are appointed under Article 217 and 224 of the Constitution of India and according to the procedure laid down in the Memorandum of Procedure (MoP) prepared in 1998 pursuant to Supreme Court Judgement of October 6, 1993 (Second Judges case) read with their Advisory Opinion of October 28, 1998 (Third Judges case).

October 6, 1993 (Second Judges case) read with their Advisory Opinion of October 28, 1998 (Third Judges case).

As per the MoP, the responsibility for initiation of proposals for appointment of Judges in the High Court vests with the Chief Justice of the concerned High Court, in consultation with two senior-most puisne Judges of the High Court. For appointments of judge to the High Court, under the MoP, the views of concerned State Government is also obtained. The recommendations also have to be considered in the light of such other reports as may be available to the Government in respect of the names under consideration. The recommendations of the High Court Collegium, the State Government and the Government of India are then forwarded to the Supreme Court Collegium (SCC) for advice. Only those persons are appointed as Judge of High Courts whose names have been recommended by the SCC.

Appointment of Judges in Supreme Court and High Courts is a continuous, integrated and collaborative process between the Executive and the Judiciary. It requires consultation and approval from various constitutional authorities both at State and Central level. While every effort is made to fill up the existing vacancies expeditiously, vacancies of Judges in High Courts do keep on arising on account of retirement, resignation or elevation of Judges and also due to increase in the strength of Judges.

The filling up of vacant positions in the District Courts of the country is the responsibility of the High Courts and State Governments concerned. As per the Constitutional framework, in exercise of powers conferred under proviso to Article 309 read with Articles 233 and 234 of the Constitution, the respective State Government in consultation with the High Court frames the rules and regulations regarding the issues of appointment and recruitment of Judicial Officers in the respective State Judicial Service. In some States, the respective High Court undertakes the recruitment process, whereas in other States, the High Court does it in consultation with the State Public Service Commission. The Hon'ble Supreme Court vide judicial order passed in January 2007 in the Malik Mazhar Sultan case, has stipulated certain timelines which are to be followed by the States and the respective High Courts for initiating the recruitment process of judges in subordinate courts.

MR. CHAIRMAN: Supplementary No.3, Dr. John Brittas.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, my supplementary to the Ministry is that Kerala Assembly has passed unanimous resolution twice for a Bench of the High Court in Trivandrum.

Content Page

That is the capital city of Kerala. The neighbouring States like Tamil Nadu and Karnataka...

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, focus on the question.

DR. JOHN BRITTAS: So, my question is this. As there are multiple Benches, even in neighbouring States, the capital city is deprived of a High Court Bench.

MR. CHAIRMAN: You have made your point.

DR. JOHN BRITTAS: Will the Government take initiative in ensuring that?

श्री अर्जुन राम मेघवाल: सभापति महोदय, यह जो प्रश्न संख्या 110 है। यह केरल हाई कोर्ट में कितनी वैकेंसी है और केरल स्टेट में Subordinate Courts में कितनी वैकेंसीज़ हैं, उससे संबंधित है। फिर भी इन्होंने पूछा कि क्या केरल में प्रिंसिपल बेंच के अलावा कोई और बेंच स्थापित हो सकती है? इस मामले में सर आपको भी पता है कि संबंधित हाई कोर्ट जब इसमें exercise करता है, फिर राज्यपाल की राय, मुख्य मंत्री की राय और सबकी राय आती है, उसके बाद इसे सुप्रीम कोर्ट तय करता है।

MR. CHAIRMAN: Supplementary No.4; Shri Haris Beeran.

SHRI HARIS BEERAN: Sir, the question is about the appointment of Judges in the High Court and the Subordinate Court. As per the Supreme Court ruling in 1993 in the Second Judge's Case, it is a Collegium System which appoints the Judges. Now, when the recommendation of the High Court comes to the Supreme Court, the Supreme Court Collegium recommends it to the Central Government and the Central Government appoints the judges. Now, the Central Government can send the recommendation back to the Supreme Court collegium. But, the judgment specifically states that once it is sent back and the Supreme Court reiterates it back to the Central Government, then it is mandatory that you have to appoint. Sir, you have been a lawyer, and I am also a lawyer. I have seen you as a senior lawyer in the Supreme Court running from one court to another.

MR. CHAIRMAN: Please ask the supplementary.

SHRI HARIS BEERAN: Yes, Sir. There are six vacancies in the High Court as per the statement of the hon. Minister. There are two cases of recommendations, which were

made by the High Court, and the Supreme Court Collegium also had approved those particular recommendations and sent it to the Central Government. *

MR. CHAIRMAN: What is your supplementary?

SHRI HARIS BEERAN: These two recommendations have already been made to the Central Government. The Union Government is not appointing those judges. Not only that, those...

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please be brief. You have asked your question.

SHRI HARIS BEERAN: Just 30 seconds. * another Judge, another gentleman who has been reiterated, also has not been appointed. My question is: What is the reason for non-appointment of Judges despite the recommendation?

श्री अर्जुन राम मेघवाल: उपसभापति महोदय, यह केरल हाई कोर्ट से संबंधित प्रश्न था। माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, तो मैं बताना चाहता हूं कि हाई कोर्ट की टोटल sanctioned strength है, वह 1,114 है। उसमें से 754 वैकेन्सीज़ भरी हुई हैं। अब जो खाली वैकेन्सीज़ हैं, माननीय सदस्य हाई कोर्ट जजेज़ की बात कर रहे हैं, तो 360 है। 205 नाम अलग-अलग हाई कोर्ट्स collegium से हमारे पास आए हैं और वे विचाराधीन हैं और 155 वैकेन्सीज़ के लिए अभी तक हाई कोर्ट से नाम ही नहीं आए हैं। वैसे ही ये किसी जज का नाम नहीं ले सकते, फिर केरल में इन्होंने जो कहा है, जो वैकेन्सी है, उसके तहत हमारे पास जो प्रपोजल पेंडिंग है, proposal for appointment of four Judicial Officers as Judges of Kerala High Court received in Department of Justice on 4th June, 2024. And, the second proposal has two names, one advocate and one judicial officer, recommended by the Supreme Court Collegium on 10.10.2023 and 16.04.2024 respectively. वह अंडर कंसीडरेशन है। एक प्रपोजल, जो केरल हाई कोर्ट से संबंधित है, for appointment of Chief Justice of Kerala High Court, recommended by the Supreme Court Collegium of India on 11th July, 2024. ये सब अंडर कंसीडरेशन हैं, जल्दी इसमें निर्णय लिए जाएंगे।

श्री उपसभापति: माननीय सदस्य ने जो जज का नाम लिया है, वह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। Dr. Sasmit Patraji; fifth and last supplementary.

* Expunged as ordered by the Chair.

DR. SASMIT PATRA: Sir, my specific question to hon. Minister is that Supreme Court collegium and its workings, which he has referred to in his reply...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Question is on vacancy of Judges in High Courts in Kerala.

DR. SASMIT PATRA: Absolutely, Sir. So, I am referring to primarily appointment of Judges in High Courts specifically. It was felt that the Supreme Court and its appointments at the Supreme Court through the Collegium has been 100 per cent. There are no vacancies. But, when it comes to High Courts, the Collegium, though sits several times, it is seen that regarding appointment of Judges in the High Courts, the disposal rate is not so much as compared to that which is taken up. So, is this matter being taken up with the Collegium, through the hon. Chief Justice, at times, with the Government to see expeditious appointment of High Court Judges, where as compared to the Supreme Court, 100 per cent filling of vacancy has been done?

श्री अर्जुन राम मेघवाल: महोदय, यह क्वेश्चन से ज्यादा सुझाव है। जैसा मैंने पहले का कि 1,114 sacntioned strength है, जिसमें 754 वैकेन्सीज हमारी भरी हुई हैं। 360 हाई कोर्ट्स में जो वैकेन्सीज़ हैं, उसमें हमारे पास 205 नाम आए हैं और 155 के नाम नहीं आए हैं। इनका सुझाव यह है कि High Court collegium जब नाम भेजें, तो एक प्रक्रिया है कि वैकेन्सी होने के छह महीने पहले भेजें, तो वह विषय हम सुप्रीम कोर्ट के सामने कन्सल्टेशन के लिए ले जाएंगे। आपका सुझाव अच्छा है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Five supplementaries are over. Now, Q.No.111. Shri C.Ve. Shanmugam - not present. Any supplementaries?

**Q. No. 111. [The questioner was absent.]*

Allocation of budget for North East

*111. Shri C. Ve. Shanmugam: Will the Minister of DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 10 per cent of every Ministry's budget is allocated to this Ministry;

(b) if so, the details of such allocation for the current year; and

(c) the details of the funds spent on the development of North-Eastern Region during the last three years?

THE MINISTER OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION (SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA): (a) to (c) A Statement is placed on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) The expenditure of 10 per cent of Gross Budgetary Support of Central Sector and Centrally Sponsored Schemes for North Eastern Region is monitored by the Ministry of Development of North Eastern Region. The Budget Estimate for financial year 2024-25 for 55 non-exempted Ministries/ Departments is Rs. 100893.20 crore. The details of funds spent on the development of North-Eastern Region during last three years is at Annexure.

Annexure

Details of the funds spent on the development of North Eastern Region during the last three years is tabulated below:

(Rs. in Crore)

Sl.	Financial Year	Revised Estimate	Actual Expenditure
1	2021-22	68,440	70,874
2	2022-23	72,540	82,691
3	2023-24	91,802	1,02,749
	Total	232,782	256,314

MR. DEPUTY CHAIRMAN: First supplementary. Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba.

SHRI MAHARAJA SANAJAOBA LEISHEMBA: Sir, my supplementary question to the hon. Minister is: How many development works or projects have been taken up by the DoNER Ministry in the last three years in the North East region and details of works or projects thereof.

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Sir, I would like to thank the hon. Member for this question. Most importantly, Sir, the North-East Region was always seen as the last point of India. The Prime Minister, over the last decade, has turned this concept on its head and made the North-East Region the first point of India. The North East, and especially, Arunachal Pradesh, along with all the other states, occupies a very important part of India's historical, cultural, and now economic agenda going forward. And with that notion in mind, through you, I would like to place some facts before the House. Our cumulative expenditure in the North East over the last ten years has been 5.22 lakh crore of rupees against an allocation of 5.15 lakh crore of rupees. Never before in the history of independent India over the last 75 years has such a large allocation been made to the North East. Even in the tenure of this Government, the Revised Estimates, from 2014- 2015, from 27,539 crore of rupees, last year, this has been increased to 91,802 crore of rupees, which is an increase of almost 3.5 times over a ten year period. And so has the actual expenditure gone up to 3.5 times. The last three years have seen an exceptional expenditure rate in India. These figures are 103 per cent in 2021-22, 113 per cent in 2022-23, and 112 per cent in 2023-24. Sir, last year has been historical because over one lakh crore of rupees has been spent purely in the North-East by Government of India. That is the importance that the Government of India attaches to the development in the North-East. As far as DoNER is concerned, we have 271 projects that have been sanctioned in the North-East under our five schemes, with a total allocation of close to about 5,666 crore of rupees in the last year, and almost 20,500 crore of rupees over the last 10 years in the North-East Region.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Next supplementary. Shrimati S. Phangnon Konyak.

SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK: Hon. Deputy Chairman, Sir, through you, I would like to ask the hon. Minister as to when and why the North-East Special Infrastructure Development Scheme was started and the amount allocated to Nagaland under NESIDS, NEC and PM-DevINE for the current year.

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Sir, the hon. Member has touched upon an important topic. NESIDS has two parts. There is NESIDS-Roads, and there is NESIDS-Other Than Road Infrastructure. So, there is NESIDS-Roads and NESIDS-OTRI. Nagaland has had 19 projects under NESIDS- OTRI that have been sanctioned at a cost of 410 crore of rupees and 15 projects under NESIDS-Roads that have been sanctioned at a cost of 801.6 crore of rupees. It comes to a total of 34 projects

Content Page

totalling close to 1,211 crore of rupees under NESIDS. In addition to that, under PM-DevINE, an additional two projects worth Rs. 312 crores have been sanctioned. And a total allocation has been done to Nagaland of close to 201 projects totalling almost Rs. 2,200 crores over the last ten years.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Minister, the Question Hour is over. Hon. Members, the House will be adjourned for lunch today from 1.00 p.m. to 2.00 p.m.

[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part — I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link https://sansad.in/rs/debates/officials]

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at two of the clock,
MR. CHAIRMAN *in the Chair.*

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, on the basis of the views expressed by leaders of various parties in the Business Advisory Committee, one of the Ministries out of the remaining two to be selected for discussion would be the Ministry of New and Renewable Energy. Discussion will be initiated by All India Trinamool Congress. This discussion would commence on conclusion of discussion on the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir...

MR. CHAIRMAN: Yes. Mr. Derek.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, we have taken up two Ministries.

MR. CHAIRMAN: We will discuss that in the Chamber.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, just one point.

MR. CHAIRMAN: Okay.

SHRI DEREK O'BRIEN: It is about my party. I cannot speak for others. Home Ministry is something we must be discussing, Sir.

MR. CHAIRMAN: Got your point. We will discuss it.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I will make a request to you. We are Council of States.

MR. CHAIRMAN: Got your point.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, please allow a discussion on the Home Ministry to be taken up.

***DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS** - *Contd.*

MR. CHAIRMAN: Further discussion on the Working of the Ministry of Housing and Urban Affairs. I will now call upon the Members whose names have been received for participation in the discussion.

श्री जयराम रमेश(कर्नाटक): सर, कैबिनेट मंत्री कहाँ हैं?

श्री सभापति: आप यह नहीं कह रहे हैं कि वे absent हैं, बल्कि कह रहे हैं कि वे कहाँ हैं। I will find out.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, that is the convention.

MR. CHAIRMAN: Shri V. Vijayasai Reddy. He is not present. *...(Interruptions)...* Dr. Fauzia Khan. Not present.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I am present.

---

* Further discussion continued from 31.07.2024.

Content Page

MR. CHAIRMAN: I was also surprised because normally you are present. I am so sorry. Dr. Fauzia Khan, you have always adhered to the best of decorum. You have five minutes.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, the tradition is that a Cabinet Minister should be present.

MR. CHAIRMAN: I have noted your point. And it is a well-placed point.

DR. FAUZIA KHAN: Sir, Urban Development in the Budget Speech was kept in the fifth priority. However, given the crumbling nature of existing urban infrastructure, the need of the hour is a complete urban revamp. There has been significant increase in the large cities in India, with 53 cities now boasting of populations exceeding one million. Hype and projections of progress is one thing and realities on the ground is another. The Government hasn't been able to handle this dramatic increase as evidenced by the increasingly failing urban infrastructure threatening public safety. Despite an almost 58 per cent increase in the budget of the Ministry of Housing and Urban Affairs since 2019-20, urban areas, particularly tier 2 cities, continue to grapple with issues such as shortages in housing, encroachments increasing, slums expanding, environment degrading, garbage disposal missing, electricity hiccuping, sanitation sighing, healthcare weeping, water supply wailing, traffic sobbing, pollution choking, dust flying, stray animals prowling and substandard infrastructure collapsing ...(*Interruptions*)...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, Cabinet Minister!

MR. CHAIRMAN: I have taken serious note of it.

DR. FAUZIA KHAN: Sir, these are the issues that we are grappling with. Consequently, the common city citizen is in anguish and despair. Implementation of policy decisions by the local self-government bodies also is an issue. For instance, rainwater harvesting was made mandatory while giving permission for new construction, considering the rapidly depleting groundwater. Implementation is zero. Why don't we have a mechanism to audit this before certification of building completion? This is not done. Many have spoken about Smart Cities Mission, which is a failed mission. Reduction in allocation by 70 per cent is a clear reflection of its pathetic performance. There are eight cities from Maharashtra under the scheme. Till

February 23, seven of these eight cities had not been completed, with the lowest completions being in Pune, which is 26 per cent; in Nagpur, it is 15 per cent; in Kalyan-Dombivli, it is ten per cent. Rather than being transformed into models of modern urban living, these cities continue to grapple with basic issues, failing to live up to the smart city labels. The AMRUT scheme was aimed to provide critical infrastructure like drainage facilities. Nearly a decade later, our cities are far from regenerated. Instead, they are in a worse state than ever before.

Sir, the Pradhan Mantri Awas Yojana is also a failed scheme. Mass rail transit systems and metro projects constitute about 30 per cent of the Budget. According to the 18th Standing Committee report, the progress of metro projects in many cities is alarmingly slow, both physically and financially. The Committee has noted a troubling trend of announcing metro projects without proper feasibility studies, resulting in poor ridership and a wasteful expenditure of valuable resources. The Nagpur Metro is a prime example of these failings. A CAG report has highlighted several irregularities, including lack of transparency in tender evaluations. Contracts were awarded to bidders who did not submit essential documents, and rates were increased after contracts were awarded. Major works were handed out as additional tasks to contractors already involved in other projects, bypassing proper tendering processes. In a glaring instance of poor planning, the location of the new airport station was chosen despite sparse population and poor accessibility, resulting in an average daily ridership of only 47 passengers over 18 months against 5,474. Sir, these instances point out to a failure. Sir, as my time is running out, at the end, I will only say that the Ministry has to write the destinies of cities.

"लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर,
हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर,
पढ़ने के लिए तुझको अगर कुछ न मिले,
तो चेहरों पर लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर"।

†لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھاکر،
ہوجائی گی تیری مشکل آسان پڑھاکر،
پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے،
تو چہروں پر لکھے درد کے عنوان پڑھاکر۔

MR. CHAIRMAN: Shri Shambhu Sharan Patel; five minutes.

† Transliteration in Urdu script.

Content Page

श्री शंभू शरण पटेल (बिहार): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, देश अभी अमृतकाल से गुजर रहा है। इस अमृत काल के समय में आदरणीय प्रधान मंत्री, श्रद्धेय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वह दिन दूर नहीं जब कुछ ही वर्षों में भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

महोदय, वैसे तो इस बजट में माननीया वित्त मंत्री जी ने देश के सभी क्षेत्रों रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रक्षा एवं अन्य सभी विभागों के लिए उचित राशि की व्यवस्था की है, लेकिन उन्होंने शहरी विकास के लिए भी इस बजट में बहुत से प्रावधान किए हैं। महोदय, मैं बिहार जैसे पिछड़े राज्य से आता हूं। भारत की अधिकांश आबादी गांव में रहती है। महोदय, अभी के समय में लोग गांव में तो रहते हैं, लेकिन उनकी इच्छा होती है, आकांक्षा होती है कि उनका एक आवास शहरों में भी हो। इसके पीछे की वजह है, लोगों में जागरूकता लाना।

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

महोदय, आज के समय में सभी गरीब, किसान, मजदूर चाहते हैं कि वे अपने बच्चों की पढ़ाई शहरों में करें, जिससे कि डिस्ट्रिक्ट टाउन में आबादी बढ़ती जा रही है। इसलिए मैट्रो सिटी के साथ-साथ छोटे शहरों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने की जरूरत है और छोटे शहरों का विस्तारीकरण किया जाना भी अपेक्षित है। महोदय, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे केंद्र की नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने बड़े शहरों के साथ-साथ छोटे शहरों के इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी दुरुस्त करने की दिशा में व्यापक पहल की है।

महोदय, देश के विकास के लिए बिहार के सम्पूर्ण विकास हेतु केंद्र सरकार की ओर से बजट में बिहार को विभिन्न योजनाओं के तहत 58,900 करोड़ रुपये की बड़ी सौगात मिली है, इसके लिए मैं पूरे बिहार की जनता की ओर से माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। उनकी वजह से भागलपुर के पीरपैंती पावर प्रोजेक्ट के लिए बिहार के लिए 21 हजार करोड़ का आवंटन हुआ है। बिहार में सड़क प्रोजेक्ट्स के लिए 26 हजार करोड़ के पैकेज का ऐलान हुआ है। इसमें पटना-पूर्णिया के लिए एक्सप्रेसवे बनेगा, बक्सर-भागलपुर के लिए एक्सप्रेसवे बनेगा, बोध गया-वैशाली के लिए एक्सप्रेसवे बनेगा, बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का अतिरिक्त पुल बनेगा, जिससे हमारे बिहार की जो ग्रेड-2 और ग्रेड-3 सिटीज़ हैं, वहाँ का बहुत विकास होगा। महोदय, इतना ही नहीं, बिहार में नए मेडिकल कॉलेज, जिनमें मुख्य रूप से दो एम्स, एक पटना और एक दरभंगा में बन रहे हैं। कई एयरपोर्ट्स का भी विकास होगा, जैसे दरभंगा में नया एयरपोर्ट बन कर तैयार हो चुका है। महोदय, अब बिहार में नए स्टेडियमों की भी स्थापना होगी। इस बजट के माध्यम से हमारी सरकार बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और ओडिशा के सर्वांगीण विकास के लिए 'पूर्वोदय योजना' तैयार करेगी। अमृतसर-कोलकाता कॉरिडोर के लिए गया हेड ऑफिस होगा। बिहार में पर्यटन को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। काशी विश्वनाथ की तर्ज़ पर बिहार में महाबोधि कॉरिडोर, नालंदा का सप्तऋषि कॉरिडोर और उसके साथ ही राजगीर बड़े टूरिस्ट सेंटर्स बनेंगे। महोदय, नालंदा में पर्यटन का विकास होगा। नालंदा यूनिवर्सिटी के विकास के लिए भी बजट में प्रावधान है और दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, नालंदा का

Content Page

पूर्ण विकास करने से बिहार शरीफ और उसके आसपास के शहरों का विकास होने वाला है। सीतामढ़ी शहर, जो माँ जानकी की जन्मस्थली है, वहाँ भी डेवलपमेंट किया जाएगा।

महोदय, केंद्रीय वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया, जिसमें देश को ठोस विकास और व्यापक समृद्धि की ओर ले जाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है। इस बजट का प्रमुख केंद्र बिंदु शहरी विकास है, जिसमें आवास, किराए की सुविधा, जल आपूर्ति, सुरक्षा, रेहड़ी-पटरी वालों के लिए सहायता में सुधार के उद्देश्य से विभिन्न पहलों के माध्यम से ध्यान दिया गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 में ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों को शामिल करते हुए पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण के लिए फंड आवंटन की घोषणा की गई है। इसमें पीएम आवास (शहरी) योजना 2.0 भी शामिल है, जिसका उद्देश्य 10 लाख करोड़ के निवेश के साथ-साथ एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के आवास की जरूरतों को पूरा करना है। सरकार की इस पहल में मदद करने के लिए अगले 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त इस योजना में किफायती दरों पर ऋण सुविधा के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत बिहार में 64 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। ...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापतिः आप conclude करें।

श्री शंभू शरण पटेलः सर, बस 30 सेकंड में मैं conclude करता हूँ।

इसमें 8,481 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है, जिससे मुख्य रूप से बिहार के अमृत शहर औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, जहानाबाद, कटिहार, किशनगंज ... ...(**समय की घंटी**)... बस, 30 सेकंड दे दीजिए, सर। बड़ी मुश्किल से समय मिलता है।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद, शंभू जी। माननीय चेयरमैन ने इतना ही समय दिया है। Please conclude.

श्री शंभू शरण पटेलः सर, मैं 30 सेकंड में conclude कर रहा हूँ। आज मुझे समय नहीं मिल पाया, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस बजट में हमारे बिहार के शहरी विकास के लिए जो प्रावधान हमारी केंद्र सरकार ने किया है, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आज उसकी वजह से बिहार में स्मार्ट सिटीज़ डेवलप हो रही हैं और आने वाले समय में बिहार भी एक विकसित प्रांत बनेगा। जय हिन्द!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri V. Vijayasai Reddy, you have five minutes.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I would like to bring to the notice of the hon. Minister of Housing and Urban Affairs, through your good self, four

important issues. I would confine only to the subject. The first issue is, the Government of Andhra Pradesh headed by Y.S. Jagan Mohan Reddy *Garu* in the last five years has decided to construct a state-of-the-art 76.9 kilometres light metro rail facility in Visakhapatnam as per the provisions of the A.P. Re-organization Act, which has been drafted by Jairam Ramesh*ji*, who is busy in... Derek*ji*, please do not disturb him.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please address the Chair. He is listening.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, he has authored the A.P. Re-organization Act and he has stipulated in the Act that metro rail has to be constructed in Visakhapatnam. And, when he has drafted the Act, he has loosely drafted in such a manner that he has used the words, 'May', and 'If possible'. I have not seen an Act where the Act says, 'If possible' and 'May'. It has always been 'Shall' or 'Should'. But, unfortunately, he has drafted and then that is being taken advantage of.

SHRI DEREK O' BRIEN: Who drafted it?

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: He has drafted it. That is what he has claimed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has already taken the name. Derek*ji*, वे नाम ले चुके हैं।

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, Rs. 24,000 crores was allotted for metro rail projects by the Central Government in the recent Budget. Unfortunately, no allocation has been made and no approvals have been granted for Visakhapatnam Metro Rail Project. In fact, we are welcoming the metro rail project in Lucknow. At the same time, our request is to consider, as per the A.P. Reorganization Act, the construction of metro rail project. In fact, I request my friend not to commit this type of errors in drafting the Act.

The second issue which I would like to bring to your notice is that urban housing shortage across India was at 1.8 crore houses for the period 2012-2017, according to the Ministry data, 95 per cent of this shortage was felt in the lower income households. What is the impact of this? The impact of this is the growth of slum. In fact, it is very unfortunate for the Union Government because the last Census was in 2011 and it is long over-due. I request the hon. Minister, Yadav*ji*, to immediately take it up and then start by enumeration. As per the 2011 Census, there are one lakh-plus slums in the country, home to 1.3 crore households. Slum

households constitute 17 per cent of the urban population. I request the hon. Minister of Housing and Urban Affairs to immediately address these problems and strengthen the Slum Clearance Boards by giving adequate funds to the Clearance Boards and build multi-storied buildings in the slum areas so that the problem of slums can be addressed.

Then, Sir, waterlogging. Why is this waterlogging there? In fact, when you had adjourned the House at 7.30 p.m. yesterday, and when I went out, there was knee-deep water in the Parliament itself and...*(Interruptions)*... This is because de-silting has not taken place and the infrastructure that has been created about hundred years back, we are still using it and we have not made any improvements. I request the hon. Minister to immediately address the problem of drainage and infrastructure right now. In fact, centuries back, even during the period of Indus civilization, five thousand years back, there was a very good infrastructure, very good drainage infrastructure. When we had that type of infrastructure, I really don't understand as to why the infrastructure, particularly, in respect of drainage is much inferior than what we had. I appeal to the Government to improve the urban planning of major cities in India.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. (*Time-bell rings*.)

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, I will come to the last point. Now, the DAY-National Urban Livelihoods Mission provides shelter with essential services to the homeless in urban areas. The allocation has been reduced to Rs. 300 crores from Rs. 523 crores in the Revised Estimates. I request the hon. Minister to kindly look into the issues of housing, particularly, slum areas where poor and downtrodden are living and address it immediately. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Vijayasai Reddy*ji*. माननीय श्री रामजी। आपके 5 मिनट हैं।

श्री रामजी (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस important issue पर बोलने का अवसर दिया। साथ ही, मैं अपनी पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी का भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ।

मान्यवर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अपने आप में एक बहुत बड़ा प्राधिकरण है। 1992 से पहले इसके पास बहुत सारे संवैधानिक पॉवर्स थे। पूरे देश के अंदर स्वच्छता, हाउसिंग डेवलपमेंट, आदि सारे काम इन्हीं के पास था। जलापूर्ति भी इन्हीं के पास था, लेकिन 1992 में 74वें संविधान संशोधन के बाद कई सारी पावर्स इनके हाथ से निकल गईं और इनके हाथ में प्लानिंग

की पावर आई। स्वच्छता, जलापूर्ति, हाउसिंग, आदि की प्लानिंग की पावर आई। इन सबका निगरानी करने का काम तथा इनमें समन्वय स्थापित करने का काम इनके पास आया।

मान्यवर, अभी सरकार इसमें तमाम तरह की योजनाएँ लेकर आईं, जिनमें 'प्रधान मंत्री आवास योजना', 'अमृत 2.0', 'स्वच्छ भारत अभियान', आदि तमाम तरह की योजनाएँ हैं, लेकिन इन चीजों में एक खास बात देखने को मिली। मैं दिल्ली के संदर्भ में बताना चाहता हूँ। जब 74वाँ संविधान संशोधन हुआ, तब दिल्ली राजधानी परिक्षेत्र और यूनियन टेरिटरीज़ में यह पावर इसी विभाग के पास रही तथा अन्य राज्यों में यह अधिकार राज्य को दे दी गई कि नगर निगम, नगर निकाय और नगर पालिकाओं के पास ही सारी प्लानिंग की जाएगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अभी दिल्ली में जो ट्रेजडी हुई, वह भी आपके सामने है, कुछ छिपा नहीं है। कल भी रात में बारिश हुई है। कल की बारिश के बाद दिल्ली समुंदर की तरह बन गया और आज भी एक न्यूज़ में आया कि नाले में गिरने से एक माँ और बेटे की मौत हो गई। इस तरह से तमाम तरह की दिक्कतें हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सरकार जो प्लानिंग बनाती है, उसको इम्प्लिमेंट करना जरूरी है। जमीनी स्तर पर उसका इम्प्लिमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है - यह देखना भी जरूरी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार प्लानिंग बना कर भेजती है, लेकिन उस प्लानिंग को वहाँ पर अमली जामा पहनाया जा रहा है या नहीं - इस चीज की निगरानी भी करना है और उसके लिए ठोस कदम भी उठाने हैं। जो भी राज्य, नगर पालिका, नगर निगम, आदि उसका पालन न करे, उस पर कठोर-से-कठोर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

मान्यवर, मैं 'प्रधान मंत्री आवास योजना' को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें भी सुधार की जरूरत है। जब मैं भोपाल गया, तब वहाँ कई लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मेरे पास पक्का घर नहीं है, कच्चा मकान है। इस पर मैंने उससे पूछा कि आपको इसके लिए 'प्रधान मंत्री आवास योजना' के तहत पैसा मिलता होगा? उसने बताया कि मैंने पिछले दस सालों से इसके लिए अप्लाई कर रखा है और मैं इसके लिए कई बार गया, लेकिन मुझे यह नहीं मिला, हर बार टाल दिया जाता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसमें भी कहीं-न-कहीं transparency की जरूरत है। इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो needy लोग हैं, उन्हें नहीं मिल रहा है और जिनको नीड नहीं है, उनको मिल रहा है। इसके साथ ही मैं सरकार से यह भी कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर लगभग 675 झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियाँ हैं, जिनमें लगभग 3.5 लाख यूनिट्स हैं और उनमें लगभग 15.5 लाख लोग रहते हैं। कल के आँकड़े में यह भी आया कि करीब-करीब 13 लाख लोगों के पास आवास नहीं है, घर नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 2007 से 2012 के बीच में आदरणीय बहन जी ने 'मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी आवास योजना' बनाई और गरीबों को दो कमरे के लाखों फ्लैट्स फ्री में देने का काम किया। आप भी इस तरह की योजना लेकर आएँ और उसको लागू करने का भी काम करें।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम में लखीमपुर के बारे में कहना चाहता हूँ। मैं लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ। वहाँ पर जब भी बारिश होती है, तो सड़कों पर कमर तक पानी भर जाता है। लखीमपुर खीरी के आसपास जो तालाब थे, उन तालाबों पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। उन्होंने उन तालाबों को पाट कर वहाँ पर buildings और complexes बना कर खड़े कर दिए हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि वह इस पर भी ध्यान दे कि इस

तरह की चीजें पूरे देश के अंदर कहीं न होने पाएँ, क्योंकि हमें पानी के स्रोत को भी बचाने की जरूरत है। इसके साथ ही हाउसिंग प्लानिंग के लिए जो प्लॉट काटे जा रहे हैं, उसके लिए बड़ी-बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं। कई बार यह देखने को मिला कि कागजों पर rain water harvesting का जो सिस्टम बना कर दिया गया, वह कागजों में ही सीमित है। उसको इम्प्लिमेंट नहीं किया जा रहा है। गर्मी में पूरे देश के अंदर पानी की कमी रही, लेकिन इस कमी को दूर करने के लिए सरकार को अपनी योजनाओं को ठोस अमलीजामा पहनाना पड़ेगा। बिना उस सिस्टम के नहीं बनेगा। वहाँ पर ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए, ग्रीन पार्क होना चाहिए और rain water harvesting का जो सिस्टम बना कर दिया जा रहा है, उसको पूरी तरह से इम्प्लिमेंट किया जाए, तभी हम एक बड़ी उपलब्धि की तरफ आगे बढ़ सकते हैं।

मान्यवर, मैं 30 सेकंड में स्वच्छता के बारे में कहना चाहता हूँ। अभी मैं वसंत कुंज से आ रहा था, तो वहाँ पर देखा कि वहाँ आज नाले की सफाई हो रही है और लोग नाले में नीचे जाकर सफाई कर रहे हैं। उनके पास न तो कोई equipment है, न कोई मास्क है। वे बेचारे गरीब लोग हैं। वे 300 से 400 रुपए के लिए नाले के अंदर जाकर वहाँ की गंदगी साफ करते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जब हम इतना high-tech हो गए हैं, हम चन्द्रमा पर पहुँच गए हैं, मंगल पर अपना यान भेज दिए हैं, सब कुछ कर लिया, तो क्या हम उस नाले से मिट्टी एवं गंदगी निकालने के लिए कोई equipment नहीं बना सकते हैं?...(**समय की घंटी**)... मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार इस पर भी विशेष ध्यान दे, धन्यवाद।

श्री उपसभापति: धन्यवाद, माननीय रामजी। माननीय श्री सदानंद महालू सेट तानवड़े। कोंकणी।

SHRI SADANAND MHALU SHET TANAVADE (Goa): * Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise to support the demands on Ministry of Housing and Urban Affairs. Sir, today in this august House, I would like to speak in a language that is mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution and is also the Official Language of Goa, that is, Konkani. After coming to power in 2014, the Modi Government has taken several important steps in the Urban Development and Housing sector. The main aim of the Scheme is to improve quality of life, with people's participation. Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) was started in the year 2014. Everyone has a dream of having her/his own house; now, under PMAY, 1 crore 12 lakh houses have been constructed, and the lives of many people have been changed. It is a matter of immense pride that under PMAY 2.0, within the last 5 years, 10 lakh crore rupees have been spent to provide housing to 1 crore of the poor and middle class people.

With an allocation of Rs.12,192 crore, the Swachh Bharat Mission is the largest ever and also a revolutionary Mission of the Independent India. This Mission was strengthened by the construction of 12 crore household toilets and 2,33,000

* English translation of the original speech delivered in Konkani.

public toilets. This initiative has positively impacted the lives of my sisters living in villages and the cities. People of all age groups are now aware of the cleanliness around them.

Sir, I would like to talk about the Smart City Mission. With the aim of making our existing cities better and creating new world class cities, the Modi Government has started developing 100 smart cities, under the Smart City Mission. This initiative of the Government is crucial in realizing the dream of developed India by 2047.

Then, I would like to talk about the Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT). The objective of the AMRUT scheme is to improve the lifestyle of the people living in the cities, and address the issues related to urbanization. Under this Scheme, improvement is being brought about with regard to water availability, solid waste management and the transportation system in 500 cities of the country.

Now, I would like to talk about public transport and infrastructure. In order to strengthen public transport and infrastructure, the Modi Government has rolled out various schemes. This is visible in the world-class metro services in various cities like Delhi, Mumbai, Bengaluru and Ahmedabad. The public commute has become comfortable and at the same time, less polluting, with the introduction of trains like Namo-Bharat, Vande-Bharat and Metro.

Sir, I want to talk about the Real Estate Regulation and Development Act (RERA) now. This act has brought transparency in the real estate sector and has boosted the confidence of customers in the housing projects. There has been a decline in the number of buyer-seller litigation and housing projects are being completed before the stipulated time. I would like to thank the Central Government for making our Chief Minister Dr. Pramod Savant the convener of the Real Estate Committee established under the GST council.

I would also like to mention about the development of the urban poor. Sir, under the Modi Government, special importance is being given to urban poor for the development and welfare of the poor section of society. Various schemes are being rolled out for this purpose. For instance, under the PM SWANidhi Scheme, 76 lakh street vendors have received credit assistance and 62,36,000 urban street vendors have received collateral free loans worth Rs. 19,000 crore. Sir, the aim of this Scheme is to take urban India to new heights and improve the quality of life of the people. The achievements of the Modi Government have changed the image of the entire nation at the International level. मुझे मालूम है कि "प्रधानमंत्री आवास योजना" का किस तरह से फायदा हुआ है। मेरे पास एक कुक है, वह उत्तराखंड से आता है। उस कुक को मैंने पहले बताया कि 6 महीने के बाद तुम्हारी सैलरी बढ़ाऊंगा और आज 1 तारीख को उसके 6 महीने हो गए। आज सुबह

जब मैंने उसको पगार दी, तो थोड़ी ज्यादा पगार दी, क्योंकि उसे बढ़ाना था। ...(**समय की घंटी**)... आज जब मैं खाना खाने गया तो मैंने उसे जो ज्यादा पैसे दिए थे, उसको उसने मुझे वापस कर दिया।

Thank you, Sir. वह बोला कि आप मोदी जी की पार्टी के हैं, उसको पहले मालूम नहीं था कि मैं बीजेपी से हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः धन्यवाद। Please conclude.

श्री सदानंद महालू शेट तानवड़ेः इससे फायदा हुआ है। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री उपसभापतिः माननीय श्री ए.ए. रहीम।

SHRI A. A. RAHIM (Kerala): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. The actions of the Ministry of Housing and Urban Affairs are deeply regrettable. The Ministry continues the Union Government's general policy of neglecting Kerala in terms of projects and development. This attitude is treating the citizens of Kerala as second class. This is highly objectionable. LIFE mission, a pioneer project by the Kerala Government, is a visionary project of the Kerala Government providing place to rest for the poor who are struggling to make ends to meet. I am very proud to state that now we have completed 4,67,068 houses and above 1,063,000 houses are under progress. So, the number of beneficiaries who executed their agreement are more than 5,00,000. Sir, we are going to fulfil a dream and we will achieve that. But I would like to bring your attention to the Union Government's contribution to the LIFE scheme, LIFE mission, is merely 1,50,000. I would like to appeal to the Government to kindly enhance the share of the Union Government. And also, I would like to bring to your attention that the Union Government has introduced an unusual requirement. The Union Government suggested that the logo of the PMAY, the branding process, should be there. Sir, what is the requirement of such a logo instruction from the Union Government? They are insisting for a logo. This is unfortunate, and this is breach of Article 21 of the Indian Constitution which provides dignified life for all. You must avoid this branding, this is a suggestion. Sir, it is truly unfortunate to the common people. If guests or friends visit their homes, the beneficiaries have to live in a manner that undermines their dignity. So a dignified life is a fundamental right under Article 21 of the Constitution of India. The Government should immediately withdraw this decision, which adversely affects the dignity of the common people.

For the migrant workers in the country, the Union Government has launched a program called affordable rental housing complex. But, the result is regrettable. I

would like to question the Minister what they have done in Kerala regarding affordable rental housing complexes. That is one of my questions. Moreover, due to the privatization of the public sector, unemployment in the country is increasing. As a result, the number of youths fleeing from villages to cities is rising day by day. They have to work in the private sector for very low wages and do not even have access to affordable accommodation. Furthermore, many are denied residency on the grounds of caste and religion. Sir, I urge upon the Government to ensure lower rent for the migrant workers and ensure housing for all such migrant youths, irrespective of caste and religion.

Sir, the Government has started destructing the houses, bulldozing the houses. There is a term called 'Bulldozer Raj'. Sir, quietly, if there is an illegal construction, you have a legal way. But, in the name of illegal construction, the Government is trying to bulldoze the houses of the common people. This is not a good way. The housing should be our mantra, bulldozing should not be our mantra. The housing is the need of the hour, not bulldozing, Sir. So, I would like to urge the Government that the Government must end this 'Bulldozer Raj' and a white paper should be tabled on the house regarding the details of the brutal 'Bulldozer Raj'. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Rahimji. Now, Shri Haris Beeran. You have five minutes.

SHRI HARIS BEERAN (Kerala): Sir, in India, over 35 per cent of population lives in urban areas, which is increasing by 2.35 per cent every year. And, by 2030, over 50 per cent of India's population is expected to live in urban areas. Public utilities like housing, sanitation, transport, electricity, water, health, and education are under heavy pressure because of this urbanization. However, urbanization has been an instrument of social, economic and political progress. It has led to serious socio-economic problems like poverty, unemployment and under-employment among the rural immigrants, thefts, dacoities, burglaries, beggars and other social evils.

Now, the outlay for the Ministry of Housing and Urban Affairs was around 82,000 crores in the Budget. There is an increase when compared to last year. The affordability of the transparent rental housing market is an important step and a regulator needs to be appointed to monitor the scheme so as to ensure affordability for the industrial workers, migrant workers and also for students who come to Delhi and other centers for their education.

Sir, as far as the PM Awaz Yojana is concerned, this Flagship program of the Government has failed to meet the demand and the slogan of the Government 'Pukka Ghar to All by 2022' remained only as a slogan. There are no traces of implementation of the said project in my State of Kerala. Homelessness and inadequate housing has further burdened public services, impacting healthcare, infrastructure and escalating environmental degradation issues, such as urban heat islands, pollution, drainage problems and water crisis.

An important issue which needs to be addressed, Sir, is the urban flooding. By 2050, at least, 30 Indian cities will face a grave risk of water scarcity, according to the various studies conducted by the WWF. India's urban population growth in water scarce regions is expected to surpass that of the other countries, rising from 222 million to 550 million people by 2050. This will represent 26.7 per cent of the world's urban population facing water scarcity. Flooding in India's urban areas has become increasingly frequent. These urban floods result in significant loss of life and livelihoods. In July, a State Bank of India Report estimated that economic loss due to the 2023 North Indian floods and Cyclone Biparjoy in Gujarat amounted to Rs. 15,000 crores.

Sir, urban areas are the centers of economic activities with vital infrastructure which need to be protected 24X7. In most of the cities, damage to vital infrastructure has a bearing not only for the State and the country, but it could also have global implications. Major cities in India have witnessed loss of life and property, disruption in power and transport. Therefore, management of urban flooding has to be accorded a top priority.

There is a concern over the dearth of affordable rental housing options, particularly to student population in Indian cities. It is a matter of great concern. The dearth of hostel facilities in Central Universities and other national institutes located in metropolitan cities compels students to pay hefty rent due to no control or policies over rents charged by private individual landlords who monopolize the urban housing in Indian cities. I, therefore, urge the hon. Minister of Housing and Urban Affairs to build affordable rental housing facility, particularly in major cities like Delhi, Bombay, Bangalore, Hyderabad, Chennai for poor students, lower income groups and other needful categories.

Now, Sir, there is a need to revise the rent control laws which are completely outdated. You have to modernize the rent control legislation to protect both landlords and tenants, encouraging landlords to rent out vacant houses.

As far as reduction in allocation of funds for Smart City Projects and metropolitan transportation projects are concerned, the Government had initially

Content Page

planned for completion of the smart city project by 2020, but could not complete. And, now, it has been extended twice up to March 2025. Now, it is seeing 70 per cent decrease in allocation of funds. And as far as funding for metropolitan transportation projects is concerned, the allocation for urban transit system has been reduced by 46.9 per cent, from Rs. 2,051 crores to Rs. 1,090 crores. Therefore, I urge that whatever has been reduced in this particular budget may be reallocated to the Ministry. The particular concern which I have raised has to be particularly looked at. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Haris Beeran*ji*. Now, Shrimati Priyanka Chaturvedi.

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI (Maharashtra): Sir, Working of Housing and Urban Development की अगर चर्चा की शुरुआत करें, तो कल रात को जब बारिश हुई थी और जो पार्लियामेंट एक साल पहले inaugurate हुई है और जिस तरह से पानी का जल भराव हुआ था और लीकेज हो रही थी, उसी से वर्किंग समझ में आ गई है कि क्या चल रहा है। सर, मैं महाराष्ट्र से आती हूं, जहां पर सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन है और प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो-जो पैसा वहां पर आवंटित किया गया है, अगर उसकी प्रोग्रेस देखें, तो 20.72 प्रोग्रेस हुई है in situ slum redevelopment का। In projects under affordable housing in partnership, सिर्फ 8.65 परसेंट हुआ है। Beneficiary-led individual house constructions, 16.92 परसेंट।

सर, जैसा कि मैंने कहा है महाराष्ट्र में अर्बन सेंटर है, अर्बन पॉपुलेशन है, क्या किसी तरह की अकाउंटेबिलिटी अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री देखती है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है?

सर, ग्लोबल थिंक टैंक है, उसका नागपुर में हैडक्वार्टर है। ग्लोबल थिंक टैंक सैल्फलेस सर्विस कर रहा है और उम्मीद थी कि जब नागपुर को स्मार्ट सिटी घोषित किया जाएगा, तो स्मार्ट सिटी बनायी भी जाएगी, क्योंकि ग्लोबल थिंक टैंक का हैडक्वार्टर है। सर, मैं देख रही हूं कि वहां पर स्मार्ट सिटी के लिए जो फंड अलोकेट हुआ था, उसका इम्प्लिमेंटेशन जो हुआ है, वह सिर्फ 15 परसेंट हुआ है यानी स्टेट गवर्नमेंट ने 85 परसेंट फंड तो ले लिया है,काम सिर्फ 15 परसेंट हुआ है। क्या कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी लेगा, क्योंकि वहां पर ग्लोबल थिंक टैंक का हैड क्वार्टर है। ...(**व्यवधान**).. सर, मैं मुम्बई से आती हूं। मुम्बई एक कोस्टल सिटी है और अगर उसका किसी तरीके से विस्तार करना है, तो या तो हम सी रि-क्लेम कर सकते हैं। हम क्लाइमेंट चेंज तो देख ही रहे हैं, उसका प्रभाव क्या हो रहा है, यह हमने केरल में देखा है। हम सी रि-क्लेम नहीं कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 2022 में, धारावी रि-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को 2022 में एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया गया था। सर, वह 590 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें 300 एकड़ का रि-डेवलपमेंट होना है, जिसमें एक नेचर पार्क भी आता है, एक पावर प्लांट भी आता है और एक पम्पिंग स्टेशन भी आता है। वह पूरा 590 एकड़ टेंडर के अनुसार उनको दे दिया गया था कि उसमें आप transit camps बना लीजिए, आप उसमें रिहैबिलिटेशन कर लीजिए। वह टेंडर के

अनुसार उनको दे दिया गया। वह कांट्रेक्ट ले लेने के बाद, जिनको यह कांट्रेक्ट दिया गया है, वे आकर कहते हैं कि हमें और लैंड चाहिए। रिहैबिलिटेशन के लिए उन्होंने 540 एकड़ और मुम्बई की लैंड मांगी है, जिसे राज्य सरकार उन्हें फ्री में दे रही है। आप मुझे बताइए कि देश के इतिहास में जो भी रि-डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट टेंडर के अनुसार मिले हैं क्या उनको तीन गुना लैंड मिली है? इनको तीन गुना लैंड चाहिए और 300 एकड़ का रि-डेवलपमेंट है, परन्तु वे 1,100 एकड़ की मांग कर रहे हैं यानी मुम्बई में तो खुली * मची हुई है कि किस तरीके से लैंड को grab किया जाए। यह जो लैंड लिया जा रहा है, वह ऐसी जगहों पर लिया जा रहा है, जहां पर environmental hazards भी हो सकते हैं, चाहे Salt Pans Land लैंड की बात करें, Salt Pans Land उनको हैंड ओवर कर दिया।

सर, Mahim Nature Park है, उसको भी उठाकर उनके हैंड ओवर कर दिया गया है। सर, मुम्बई में ओपन स्पेस की बहुत कमी है। मुम्बई महालक्ष्मी रेस कोर्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक आईकोनिक जगह है, जिसको रिडेवलपमेंट, ब्यूटिफिकेशन के अंतर्गत उसको प्राइवेट कांट्रेक्टर के हैंड ओवर करने वाले हैं।

सर, दुख इस बात का होता है कि रिडेवलपमेंट, अर्बन हाउसिंग और अर्बन ब्यूटिफिकेशन के आधार पर अन-प्लान्ड डेवलपमेंट हो रहा है। उसका एक जीता-जागता उदाहरण हमारा पार्लियामेंट भी है। देखिए, हम वह पुराना पार्लियामेंट छोड़कर आए, यह कहकर कि पुराना हो गया है, हैंडल नहीं कर पा रहा है, देश ने कितनी प्रगति की है, परंतु उसमें एक बार भी लीकेज नहीं हुई। कल तो हमने यहां पर नेचुरल स्विमिंग पूल भी देखा, जहां अंदर ही लीकेज हो रही है। अगर हम अर्बन डेवलपमेंट की बात करें, हाउसिंग अफेयर्स की बात करें, ज्यादा से ज्यादा पापुलेशन अब अर्बन सेंटर्स में आ रही है, क्योंकि जॉब्स के प्रावधान वहां पर होते हैं। So, we will have to plan our structures in such a way कि वह सिर्फ 20 साल नहीं, दो साल के इनॉगरेशन के बाद नहीं, एयरपोर्ट के जो रूफ टूट रहे हैं, एक साल के अंदर-अंदर वे खराब हो जाते हैं, हमें तो 20 साल, 25 साल, 100 साल आगे की प्लानिंग करनी होगी। वह कहीं न कहीं लैकिंग है, इन्टेंट लैकिंग है। सर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगी।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद माननीय प्रियंका जी। माननीय डा. वी. शिवादासन।

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Respected Chair, thank you for the opportunity. As one goes through the Budget, one finds that this Budget is the Budget of contradictions. Here, the Government is talking about smart cities, but what is the reality? Urban development is not possible without the development of rural India. A comprehensive approach of development is very necessary for urban development. Day-by-day, a huge number of youths are shifting from the villages to the cities. What is the reason for this shifting? It should be addressed. The real reason of shifting is not addressed by this Government. This is because of rural distress. What is the

* Expunged as ordered by the Chair.

reason of rural distress? It is because of the policy of the Government. Sir, the employment opportunities in rural India are very less. Why? The policy of the Government is creating a lot of problems in front of youngsters, in front of the entire nation. In rural India, educational institutions are not sufficient, and also the infrastructure facility and the academic quality of the majority of the institutions are very pathetic. Till now, majority of Indians are depending on agricultural sector, but this main employer, that is, the agricultural sector, has been disconnected in this Budget. So, automatically, the reflection will come in urban areas also.

Sir, the Union Government has reduced the allocation of MGNREGA. That means, it will increase the rural distress. Automatically, the shifting of the youngsters from the villages to the urban areas will happen. The increasing rural distress and the shifting of the youngsters from villages to the cities should be addressed by the Government. In the cities, what is the status of the common people?

Sir, day-by-day, the expenditure of the construction of a residential building is increasing. The Government does not have a proper mechanism for providing residential areas for those working in the cities. So, a huge number of families are slum- dwellers. Millions of people are living in the cities without decent homes. But, in this Budget, the allocation for housing has been reduced. Take *P.M. Awas Yojana*. Look at the pathetic condition of *PM Awas Yojana*. How can the problem be solved? They are not discussing the real issue of the common people. The share of the amount which has been given by the *PM Awas Yojana* scheme is not sufficient to construct even a proper toilet in the city. The *PM Awas Yojana* share is not sufficient to create a toilet in the city. However, the Government is very conscious about the branding. They are conscious about the branding. They are asking the State, 'put the emblem, put the emblem', and they are saying, to put the photo also; you know the person who told us, his birth is not a biological one.

Sir, they are not ready to provide houses to the poorest of the poor in the cities, in urban areas. But they are saying that our cities are very smart. They are talking about smart cities. But in the cities, including the Capital city, the capital of the nation, Delhi, scarcity of water is here. Scarcity of the water is existing here. When will you provide proper drinking water to the common people of the nation? ...(*Time-bell rings.*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

DR. V. SIVADASAN: So, respected Chair, I also request the Government to please address the drainage system. Three people were killed in Delhi. So kindly address the drainage system, the housing system, the entire system.

Thank you, Sir, for the opportunity given to me.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Dr. V. Sivadasan. Shri Manoj Kumar Jha; five minutes.

माननीय श्री मनोज कुमार झा।

श्री मनोज कुमार झा (बिहार): उपसभापति महोदय, जब आप पाँच मिनट या तीन मिनट कहते हैं, तो लगता है कि जैसे फांसी देने से पहले अंतिम इच्छा पूछी जा रही हो।

श्री उपसभापति: यह समय आप ही लोग तय करते हैं। चेयर नहीं करती है।

श्री मनोज कुमार झा: सर, आपका दोष थोड़े ही है, लेकिन दुखड़ा भी कहाँ रोएं?

श्री उपसभापति: प्लीज़, आप बोलिए।

श्री मनोज कुमार झा: महोदय, मुझे बड़ी खुशी हुई कि माननीय मंत्री जी यहाँ हैं। अभी नवनियुक्त मंत्री जी हैं, हरियाणा का बड़ा अनुभव है, अच्छा विभाग भी मिला है और चुनौतियाँ भी बहुत हैं। फोटो-वोटो तो अपनी जगह है।

सर, मैं स्मार्ट सिटी से अपनी बात शुरू करूँगा। सर, यह स्मार्ट सिटी सरकार भी बहुत बोल नहीं रही है। इनकी एक बात मुझे अच्छी लगती है - अच्छा सा नाम रखो, उस नाम के पीछे काम न हो, तो उसके बाद धीरे-धीरे बोलना कम कर दो। अभी हाल में राष्ट्रपति भवन में गणतंत्र मंडप बना। साहब, गणतंत्र का मंडपीकरण नहीं होना चाहिए। यह उचित नहीं लगता है। उपसभापति महोदय, बहरहाल, वि. विजयसाई रेड्डी जी, प्रियंका जी, पार्लियामेंट की बिल्डिंग में कल जो हुआ या पिछले वर्ष जो हुआ, उसे लेकर इन लोगों ने बड़ी चिंता व्यक्त की। मैं कहता हूँ कि * लोग हैं। यह तो विशुद्ध भारतीयता का एहसास कराता है। जब बाल्टी से पानी टपक रहा हो...

श्री उपसभापति: * शब्द चेक कर लीजिएगा।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव): सर, पार्लियामेंट के किसी साथी को * कहना derogatory है।

---

* Withdrawn by Hon. Member.

श्री मनोज कुमार झाः अच्छा, मैं वापस लेता हूँ। भूपेन्द्र जी, इसलिए आपको यहाँ रहना चाहिए। मैं यह कहना चाह रहा था कि शायद मेरे साथियों ने इसके मर्म को नहीं समझा कि छत टपक रही है, बाल्टी लगी हुई है, पूरा हिन्दुस्तानी फिल्मों का सीन है। ...(**व्यवधान**)... मैं इसलिए उसके लिए शिकायत ही नहीं करूँगा।

साहब, मेरी दूसरी चिंता है कि हम स्वच्छ भारत अभियान में गाँधी जी के चश्मे को टांग देते हैं। स्वच्छता की ओर गाँधी जी का चश्मा, जबकि जरूरत थी चश्मा पहनने की, चश्मा वहाँ रख देने की नहीं। गाँधी का चश्मा नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि दो परस्पर विरोधाभासी चीज़ें हैं - एक गाँधी और दूसरा में नाम नहीं लूँगा। यह एक साथ नहीं चल सकती हैं, क्योंकि मुझ को नाम लेना भी बुरा लग रहा है।

सर, तीसरी बात मैं मंत्री जी को कहूँगा। स्ट्रीट वेंडर्स शहरों की रीढ़ होते हैं। उनके साथ न्याय कीजिए। उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। आपकी नीतियाँ कुछ बनती हैं, पुलिस प्रशासन किसी और तरीके से एक्ट करता है। उस मद में, जिसे हम पीएम स्वनिधि कहते हैं, आपका एलोकेशन भी 30 प्रतिशत कम हो गया है, तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि उसको देखिए। आईईसी स्वच्छता का महत्वपूर्ण पहलू है। आईईसी में एलोकेशन कम हो गया है। AMRUT में आधा काम भी नहीं हुआ है। प्रोपेगेंडा अपनी जगह पर है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को एक बात कहूँगा। सर, शहरीकरण की जरूरतों को गाँव को समझे बगैर नहीं किया जा सकता है। जब तक ग्रामीण पलायन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उन पर आपकी नजर नहीं होगी, आपकी पकड़ नहीं होगी, तब तक शहरों में लोग आएंगे, आप एकोमोडेट करने में फेल करेंगे। आपके बदले कल को हम हों, तब भी वे दिक्कतें होंगी। मैं इसमें एक और बात कहूँगा। संपत्ति का असंतुलन भी शहरों में बहुत दिखता है। सर, एक बात और कहूँगा। जब हमारे शहर बनते हैं, कोई बिल्डिंग बनती है, तो आपको श्रमिक लगातार चाहिए, मजदूर लगातार चाहिए।

(**सभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

वह मजदूर जब आपको बिल्डिंग बनाकर देता है, उसके बाद वह आपको भारी लगने लगता है। वे जहाँ रहते हैं, उसे आप स्लम कहते हैं और उस स्लम को अपनी नजरों से दूर करना चाहते हैं। स्लम हमारी नीतियाँ पैदा करता है। स्लम में रहने वाले हमारी-आपकी तरह के लोग हैं। उनके बारे में दृष्टिकोण साफ होना चाहिए। यह सेटेलाइट/मेट्रोपोलिस नहीं कि एक स्लम रिहेबिलिटेशन किया, दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर जाकर रख दिया। कैसे काम करेंगे, कैसे रोजगार चलेगा? सीवर ड्रेनेज के बारे में कई साथी बोल चुके हैं। मुझे तो अकसर याद आता है कि विद्यार्थी जीवन में हड़प्पा-मोहनजोदड़ो के ड्रेनेज सिस्टम की तारीफ सुनता था। सर, अगर टाइम मशीन हो, तो वापस चला जाए। वह ज्यादा बेहतर था। सर, मैं एक आखिरी बात कहूंगा। आजादी के बाद हमारे देश में multi-caste, multi-community housing society बननी शुरू हुई थी। ...(**समय की घंटी**)... सर, बस आखिरी 30 सेकंड। आज वे सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं। जातियों के नाम पर हाउसिंग सोसाइटी है, समुदायों के नाम पर हाउसिंग सोसाइटी है और कुछ समुदाय के लोग किसी भी सोसाइटी में नहीं रह सकते हैं। यह हमारी राजनीति और नीति ने तय कर दिया है। ...(**समय की घंटी**)... शुक्रिया सर, जय हिंद!

Content Page

MR. CHAIRMAN: Shrimati Jaya Amitabh Bachchan; not present. The next speaker is Shrimati Mahua Maji.

श्रीमती महुआ माजी (झारखंड): सभापति महोदय, प्रधान मंत्री आवास योजना जिसके आने पर गरीबों के चेहरे पर हंसी आई थी, लेकिन हमारे राज्य में 8 लाख प्रधान मंत्री आवास की कमी पड़ गई और बार-बार गुहार लगाने पर भी वह नहीं पहुंची। बाध्य होकर राज्य सरकार अबुआ आवास योजना लाई है और वह कह रही है कि हम उससे भी बड़ा और तीन कमरों वाला घर बनाएंगे, क्योंकि प्रधान मंत्री आवासों में जो पुराने आवास हैं, उनकी स्थिति इतनी जर्जर हो गई है कि वहां के लोग अब उसमें रहने में भी डर रहे हैं। कहीं उसके बरामदे टूट कर गिर रहे हैं, कहीं कमरे की छत टपक रही है। इस पर भी ध्यान दिया जाए कि एक बार आवास बना देने के बाद उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो। यहां से ही उसकी मॉनिटरिंग हो, न कि उसे स्टेट के जिम्मे छोड़ा जाए। मैंने अभी हाल के दिनों में जाकर देखा था, वहां के टॉयलेट्स की हालत भी बहुत खराब है। सीवर ड्रेनेज की हालत भी खराब है। वहां जो चैम्बर है, उसमें गंदगी उभर कर आ रही है, जहां चलने के रास्तों से लोग गुजर नहीं पा रहे हैं। पूजा करने जाते हैं, तो महिलाएं कहती हैं कि हम इसके ऊपर से चलकर कैसे पूजा करने जाएं। वहां पानी की बहुत कमी है। वे लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। इस तरह से सिर्फ आवास बना देने से नहीं होता है। मैं चाहूंगी कि इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो और समय-समय पर उनकी रिपेयरिंग का काम भी होता ही रहे।

हर घर जल योजना आने से लोगों को बहुत खुशी हुई थी, लेकिन अभी तक हमारे शहरी क्षेत्रों में हम कहीं भी उसे नहीं देखते हैं। रांची पठारी इलाका है, पहले जल की कमी नहीं होती थी, लेकिन अब कई इलाकों में 600-700 मीटर नीचे भी पानी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वहां पर अब हर घर जल योजना की बहुत आवश्यकता हो गई है, क्योंकि गर्मी नलकूप सूख जाते हैं, कुएं भी सूख जाते हैं।

मान्यवर, हमारे यहां स्मार्ट सिटी प्रोग्राम एचईसी की जमीन लेकर आरंभ हुआ था, लेकिन अभी तक वह अधूरा ही है। लोगों को बहुत उम्मीदें हैं कि रांची में भी इस तरह की कोई सिटी हो और बहुत लोग इस उम्मीद में हैं कि वह जल्द से जल्द पूरा हो सके। वहां पर आजकल यह हुआ कि जब सरकारी पैसे से भी सड़क बनती है, तो वे लोग नीचे का जो मलबा होता है, उसको वे ठीक से फेंकते नहीं हैं। ठेकेदार उसके ऊपर सड़क ढालते जाते हैं और कई वर्षों के बाद उसमें ऐसा देखा जाता है कि सड़क के दोनों तरफ जो मकान होते हैं, वे मकान नीचे हो जाते हैं और सड़क ऊपर हो जाती है। इससे नालियों का पानी, गंदा पानी और बारिश का पानी लोगों के घरों के अंदर घुस जाता है। ...(**व्यवधान**)... इसके लिए बहुत जरूरी है कि फिर से कोई बड़ी योजना लाकर इसे ठीक किया जाए, क्योंकि जो मकान नीचे हो गए हैं और सड़क ऊपर...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: No disburtance, please.

श्रीमती महुआ माजी: कई-कई जगहों पर तो सड़कें 5-6 फीट ऊंची हो गई हैं। उनको या तो घर छोड़कर जाना पड़ेगा या इसके लिए मैं कहूंगी कि सरकार को कोई योजना लानी चाहिए। पहले

लोग ध्यान नहीं देते थे और जहां-तहां घर बना लेते थे। अब जो नालियां भी गुजरती हैं, कहीं उसके ऊपर दुकानें बन गई हैं किसी ने ऊपर कुछ ढाल दिया है। कोई एक foolproof plan लाकर उसको अच्छे से किया जाए, क्योंकि रांची शहर राजधानी है, हम अपने शहर की भी बात करें, तो वह पठारी इलाका है, पहले पानी नीचे उतर जाता था, वहां पर अब मैदानी इलाकों की तरह बारिश में इतना पानी इकट्ठा हो जाता है कि लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसके लिए मुझे लगता है कि केंद्र को किसी आधुनिक तकनीक के माध्यम से नई योजना लानी चाहिए और इस तरह से जहां-जहां प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, उसे ठीक करना चाहिए, क्योंकि गंदे नाले का पानी भी घर में घुस जाता है और जनता परेशान हो जाती है।

मान्यवर, मैं पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में यह कहना चाहूंगी कि पुरानी बिल्डिंग में जो सेन्ट्रल हॉल था, उसमें हम सभी लोग लोक सभा, राज्य सभा के तमाम लोग साथ में बैठते थे।

MR. CHAIRMAN: Is it part of the debate? Focus on the subject and use the time gainfully for the public.

श्रीमती महुआ माजी: जी, सर। मेरी रिक्वेस्ट थी कि वह यहां पर होता। ठीक है, सर। थैंक यू।

3.00 P.M.

MR. CHAIRMAN: The hon. Minister of Housing and Urban Affairs, Shri Manohar Lal, may now reply to the Discussion.

आवासन और शहरी कार्य मंत्री; तथा विद्युत मंत्री (श्री मनोहर लाल): माननीय सभापति महोदय, लगभग 4 घंटे आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की कार्य पद्धति और बजट संबंधी बातों पर भी चर्चा हुई है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि इस विभाग की चर्चा के लिए आपने अच्छा समय दिया और संख्या तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन पर्याप्त माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिला। इसमें बहुत विषयों के ऊपर अपेक्षाएँ की गई हैं, इसमें बहुत आलोचनाएँ भी की गई हैं और पिछले 10 साल में इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रधान मंत्री जी का जो दृष्टिकोण, जो विज़न है, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। सबसे पहले तो मैं इस चर्चा को सार्थक इस नाते से मानता हूँ कि भले ही आलोचनाएँ हुई हों, भले ही अपेक्षाएँ की गई हों, मैं मानता हूँ कि अपेक्षाएँ तभी की जाती हैं, जब कोई काम करने की गति को बल प्रदान करता है और उसी से अपेक्षा की जाती है कि और काम किया जाए। जब काम न किया जाए, तो उसके बाद अपेक्षाएँ भी मर जाती हैं कि जो काम नहीं करते हैं, उनसे क्या अपेक्षा की जाए। 2014 से पहले की स्थिति पर शहरी विकास के नाते से कभी इतनी बड़ी मात्रा में ध्यान नहीं दिया गया, जितना नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आने के बाद, 2014 onwards इन 10 सालों में विचार किया गया। उनकी तीसरी टर्म का जो 11वाँ साल है, इसमें भी एक बड़ा बजट, 82 हजार करोड़ रुपए से ऊपर इस विभाग के लिए आवंटित किया गया, इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीया वित्त मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। पिछले 10 वर्षों में प्रधान मंत्री जी के ऊपर किए गए भरोसे को ध्यान में रखते हुए

और उनको इस विषय में जो चिंता है, उसके कारण पहले ही दिन मंत्रिमंडल के गठन के बाद कैबिनेट की जो पहली बैठक हुई, उस पहले एजेंडे में ही एक प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ मकानों की स्वीकृति दी गई, जिसमें 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र के और एक करोड़ शहरी क्षेत्र के आवास बनाने की बात की गई।

मान्यवर, आज चुनौती जरूर है, क्योंकि शहरीकरण लगातार बढ़ रहा है। 2011 के सेंसस के अनुसार कुल आबादी का लगभग 31.2 प्रतिशत शहरों में निवास करता था और अभी जो आगे अनुमान लगाए जा रहे हैं, 2030 तक शहरों में यह आबादी 40 प्रतिशत हो जाएगी। उसका भी इसके ऊपर निरंतर जो दबाव रहेगा, उसमें हमें अपने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना होगा और उसको मेंटेन भी रखना होगा, उसका रखरखाव भी करना होगा। कई बार निर्माण के काम पर पूरा ध्यान होता है, उसमें कैपिटल एक्सपेंसेज़ होते हैं, लेकिन उसका निर्माण एक पक्ष है, बाद में उसका जो रखरखाव है, वह प्रदेश सरकारों और urban local bodies के जिम्मे होता है। उसका भी निरंतर ध्यान रखना होता है। यदि वह ध्यान नहीं रखा जाता, तो उसके अंदर बाद में कई प्रकार की कठिनाइयाँ भी आती हैं। संविधान में इसके लिए संशोधन करके urban local bodies के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया। 1992 में संविधान में जो 14वाँ संशोधन हुआ, उसमें कहा गया कि शहरी विकास राज्य का विषय है और उसके अंतर्गत स्थानीय निकायों को 12वीं अनुसूची के अंतर्गत कई काम सौंपे गए हैं। जब निर्माण का काम पूरा हो जाता है, तो उसके बाद रखरखाव के नाते प्रदेश सरकारों और urban local bodies को जरूर ध्यान देना चाहिए। कल वक्ताओं ने जो सुझाव दिए, उनके अन्दर यह विषय आया कि राज्य सरकारों के जितने भी ULB Ministers हैं, उनके साथ मीटिंग की जाए। तो मैं सबसे पहला आश्वासन यही देता हूँ कि विभाग की ओर से निश्चित रूप से उन सब मंत्रियों को बुलाकर, उनसे बातचीत करके इस विषय को आगे बढ़ाया जाएगा।

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

आदरणीय उपसभापति महोदय, कल के साथ ही साथ आज तक की चर्चा में जिन प्रमुख लोगों ने हिस्सा लिया, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। विशेष तौर पर श्री श्री अजय माकन जी, श्री जवाहर सरकार जी, श्री आर. गिरिराजन जी, रेड्डी जी, विक्रमजीत सिंह साहनी जी, मुजीबुल्ला खान जी, तंबी दुरै जी - इन सब ने जो अपने विचार रखे हैं, इन सब ने जो विषय उठाए हैं, उनके ऊपर अपनी बात जरूर रखूँगा।

मान्यवर, सबसे पहले तो जिस बात पर सबसे ज्यादा चिंता की गई, वह है - शहरी आवास। प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत यह जो विषय रखा गया है, उसके ऊपर जरूर मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। अजय माकन जी ने विशेष तौर पर कुछ विषय उठाए थे। उन्हीं विषयों के अंदर आगे कई और सदस्यों ने भी अपने विचार रखे थे। प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत डीएमके पार्टी से श्री आर. गिरिराजन जी, ऑनरेबल मुजीबुल्ला खान जी, ऑनरेबल जवाहर सरकार जी, श्री मेदा रघुनाधा रेड्डी जी ने अपने विषय रखे हैं। उनके अन्दर एक विषय दिल्ली के बारे में आया कि दिल्ली में जो 29,000 घर हैं, ये योजना के अंदर स्वीकृत किए गए थे, लेकिन यह संख्या बहुत कम है। उसके आगे या तो सरकार ने मांगे नहीं या उन्हें घर कम दिए गए। मैं इसमें यह

विषय स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब PMAY-Urban योजना के लिए सभी राज्य सरकारों को लिखा गया और उसके अंदर एक Memorandum of Agreement दिल्ली सरकार के साथ हुआ। उसने प्रधान मंत्री आवास योजना को 2017 में लागू करने के ऊपर एग्रीमेंट किया था, लेकिन बैंकों के माध्यम से जितने भी beneficiaries ने applications दीं, उनमें से ऐसे 29,976 लोग थे, जिनको interest subsidy के नाते 692 करोड़ रुपये दिए गए, दिल्ली के beneficiaries को दिए गए। बाकि कोई भी जो योजना है, क्योंकि चार प्रकार के verticals हैं, उन चारों प्रकार के verticals के अंदर दिल्ली सरकार ने बाद में किसी प्रकार का कोई response नहीं दिया। अगर वह मांग करती, तो निश्चित रूप से उसको और allotment हो सकती थी। उसको इसके लिए आगे MHUA के साथ जो agreement करना चाहिए था, वह नहीं किया, बल्कि दिल्ली सरकार ने अपनी Delhi Slum and JJ Rehabilitation and Relocation Policy के अंतर्गत 2019 में अपनी एक योजना, 'मुख्य मंत्री आवास योजना चलाई। उसमें भी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी अथवा कोई डिमांड 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के लिए अप्लाई ही नहीं किया। इसलिए उनको किसी प्रकार की सहायता देना शायद उचित नहीं था।

जहां तक उन्होंने देश भर की बात की और उन्होंने राष्ट्रीय राजीव ऋण योजना से इस योजना की तुलना की है, तो उसमें मेरा निवेदन यही है कि पूरे देश में राजीव ऋण योजना के अंतर्गत 15,000 लोगों को ही सहायता दी गई, जबकि पिछले 10 सालों के अन्दर इस योजना को देश भर में लागू करने के बाद 29 लाख लोगों को, स्लम बस्तियों के लोगों को इसका लाभ मिला। तो एक तरफ ये 15,000 लोगों की बात कह रहे हैं, चाहे इसमें राशि कम दी हो, ज्यादा दी हो, लेकिन जो टोटल बजट है, इसके अंदर हमें उस बजट का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। योजना में 13 लाख लोगों को बजट का जो हिस्सा मिला, वह बहुत कम मिला, लेकिन हम लोगों ने उनसे 13 गुना ज्यादा बजट इस योजना में दिया है, 12,885 करोड़ रुपये दिये हैं, जिससे स्लम्स के लोगों को इस योजना का लाभ हुआ है। जहाँ तक बाकी लोगों की, यानी स्लम्स के ही लोगों की बात क्यों नहीं की गई, बाकी और अन्य यानी जो कैटिगरीज़ हैं, उनको लाभ क्यों दिया गया, तो मेरा कहना है कि इसमें कुल मिलाकर बजट का जो साइज है, उस समय, 2004 से 14 तक, कुल मिलाकर के सभी प्रोजेक्ट्स के अंदर 38,000 करोड़ रुपये का ही बजट खर्च किया गया। अगर उन 38,000 करोड़ रुपयों को स्लम्स में लगाया भी गया हो, तो हमारे 10 साल के अन्दर उससे ज्यादा, 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा उसी एक योजना में खर्च किये गये। टोटल हाउसिंग के इस प्रोजेक्ट के ऊपर, अगर योजना में बताया जाए, तो 8 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा 10 साल में लगाए गए हैं। तो कहां 38,000 करोड़ और कहां 8 लाख करोड़ रुपए! वे जिस एक वर्टिकल की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसमें पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। हम उसमें भी पैसा खर्च कर रहे हैं। उसके अंदर स्टेट्स अपनी योजनाओं के बारे में जितना डिमांड करती हैं, वे सारे उसमें दिए जाते हैं। बहुत ऐसे परिवार हैं, जो गांव में थे, बाद में शहरीकरण के नाते उन्हें शहरों के अंदर सम्मिलित कर लिया गया। उनके पास अपने पुराने घर, कच्चे घर या कुछ प्लॉट्स उपलब्ध थे। अब मान लीजिए कि किसी के पास प्लॉट है और उस पर मकान बनाने का पैसा उसके पास होता नहीं है, तो उसके लिए नई योजना बनाई गई है और उसका लाभ उसको दिया गया है। इसके तहत उसको भी डेढ़ लाख रुपए का लाभ दिया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं, जो बैंकों से ऋण ले सकते हैं, लेकिन ब्याज देने के कारण उन पर जो दबाव पड़ता है, उसको वे सहन नहीं कर पाते हैं,

इसलिए ब्याज के लिए जो स्कीम बनाई गई है, उसके तहत उस ब्याज को देने के लिए उनसे बैंकों के माध्यम से एप्लीकेशन मांगी जाती है और इस योजना के तहत उसका लाभ उनको दिया जाता है।

इसी प्रकार अफॉर्डेबल हाउसिंग स्कीम है। कीमत को कम रखने के लिए जो वर्टिकल प्रोजेक्ट्स हैं, उनके तहत कम पैसे में लोगों को मकान का लाभ मिल जाए, इसके लिए इस योजना के तहत उनको लाभ दिया जाता है। कुल मिलाकर इन सब योजनाओं का लाभ ऐसे लोगों को दिया जाता है, जिनके सिर पर छत नहीं है। मैं 'हाउसिंग फॉर ऑल' के संबंध मे कहना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री जी ने आह्वान किया कि हर किसी के सिर पर छत होनी चाहिए। गरीबों के सिर पर भी होनी चाहिए, मध्यम वर्गीय परिवार के सिर पर भी छत होनी चाहिए, तो इस नाते से इन चार योजनाओं को इस प्रकार से बनाया गया है। हमने इनमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया है। हमने घर बनाते समय यह भी ध्यान दिया कि केवल घर बना कर दे देने से बात नहीं बनती, बल्कि घर में रहने के लिए जो सुविधाएं चाहिए, वे भी साथ-साथ विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दी गईं। उस घर के अंदर गैस का चूल्हा भी हो, बिजली का बल्ब भी लगा हो, पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए, पानी का नल भी होना चाहिए। घर के परिवार के लोगों के लिए राशन की व्यवस्था भी प्रधान मंत्री जी ने की है। इस प्रकार से घर के साथ-साथ घर में रहने लायक बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विभिन्न सुविधाएं भी मुहैया कराने की व्यवस्था की गई है।

अजय माकन जी ने 2004 से 2014 का जो उल्लेख किया, उसके अनुसार अगर मैं नंबर आफ सिटीज की बात करूं, तो वे नंबर आफ सिटीज का भी अपना उल्लेख कर रहे थे कि नंबर ऑफ सिटीज़ बढ़ गए, यह ठीक है कि उसके बाद बढ़े भी हैं। उन्होंने अपने आप ही उसका जवाब दिया कि अब शहरों की संख्या 5,000 नहीं है, 7,000 से ऊपर है। कुछ शहर तो ऐसे भी हैं, जहाँ की आबादी 5-5 लाख हो गई है। उनको भी शहर का दर्जा नहीं दिया गया। जैसे उन्होंने जवाब दिया की लोकल रेजिडेंट्स को लगता है कि अगर हम शहर की श्रेणी में आएंगे, तो हमें हाउस टैक्स लग जाएगा, अन्य प्रकार के कुछ प्लानिंग में, ड्राफ्ट प्लानिंग में रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगे - ऐसी कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए वे लोग अपने आप को शहरीकरण से दूर रखते हैं। शहरीकरण करने के लिए जब तक उनकी सहमति न हो, तब तक यह नहीं किया जा सकता है। With the consent of residents, किसी को शहर में बदला जा सकता है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने यह जवाब तो अपने आप दिया है। उस समय के भी जो शहर थे, चाहे वे हाउसिंग की योजनाओं के बारे में बता रहे थे, वे कुल मिलाकर 115 शहरों में ही उन योजनाओं को लागू कर सके। उन्होंने झुग्गी-झोंपड़ी बस्ती, यानी गरीब बस्तियों और स्लम्स में सुधार करने की बात कही। आज हम लोगों ने इन योजनाओं को सब शहरों के लिए, यानी 4,900 शहरों के लिए खोला है। उन सब शहरों में जो-जो आवश्यकताएँ हैं, उनके लिए संबंधित प्रदेश सरकार हमें भेज रही है। कुल मिलाकर मैं यही कहूंगा कि प्रधान मंत्री जी ने जो योजनाएँ चलाई हैं, उनका सभी ओर स्वागत हो रहा है और प्रशंसा हो रही है। हाँ, आलोचना करने वाले जरूर आलोचना करेंगे। उनको लगता है कि इतना सब हो रहा है, तब हमारे हाथ से गाड़ी निकल गई है, इसलिए उनका यह दृष्टिकोण है कि कोई भी अच्छा काम हो, तो उसकी भी आलोचना करनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि अगर ये लोग समय पर संभल जाते और समय रहते संभालने की इनमें कला होती, तो न उनका कारवां लुटता, न उनकी यह दशा होती। इनको उस समय संभलना चाहिए था।

जवाहर सरकार जी ने जल के संबंध में विषय उठाया तथा हमारे कुछ साथियों ने पानी निकासी और पेयजल की भी बात की। श्री मेदा रघुनाधा रेड्डी जी ने भी प्रदूषण के विषय में कुछ बातें उठाईं। इसी तरह, जवाहर सरकार जी जैसे सब लोगों ने इस विषय को उठाया है। मैं संक्षेप में इतना ही कहूंगा कि नल से पानी देने का जो कनेक्शन है, 2014 में इसकी 44 प्रतिशत प्रोग्रेस थी, जो अब बढ़कर 70 परसेंट तक हो गई है। इस नाते से यह काम अमृत योजना के अंतर्गत लगातार आगे चल रहा है। जो अमृत टू की योजना है, उसके अंदर 1 करोड़, 80 लाख नए नल कनेक्शंस देने की योजनाओं को मंजूरी दी गई है। हमने इस जल के शोधन की व्यवस्था भी की है, जिसके लिए 70,000 किलोमीटर जलापूर्ति लाइनों की और मंजूरी दी गई है, जिसमें 63,471 किलोमीटर लाइनें पहले बिछाई जा चुकी हैं। इस तरह से इसका क्रियान्वयन हो रहा है।

जहां तक जल शोधन का विषय है, तो अमृत परियोजनाओं के माध्यम से 6,123 एमएलडी जल शोधन क्षमता विकसित की जा रही है, जिसमें 4,489 एमएलडी जल शोधन क्षमता सृजित की जा चुकी है। आमतौर पर अंतिम मील कनेक्टिविटी में जो प्रदूषण, खराब संचालन, रख-रखाव की बात है, वह स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान करने वाली जो अनुपयुक्त आपूर्ति है, उसके कारण से होता है। जैसा मैंने कहा कि जो रख-रखाव है, वह प्रदेश सरकारों और स्थानीय निकायों के ऊपर ही निर्भर करता है।

जहां तक अमृत शहरों की बात उठाई गई, तो उसमें जो नल कनेक्शन की सार्वभौमिक कवरेज और 500 अमृत शहरों में सार्वजनिक सीवरेज कवर प्रदान करना है, तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत छोटे शहरों को भी इसमें शामिल किया गया है। जैसा मैंने पहले बताया, अमृत के 4,900 शहरों को इन सबके लिए ओपन किया गया है। 3,300 शहरों की योजनाएं आ चुकी हैं और इन सबको अमृत टू के अंदर कवर किया जा रहा है।

एयर पॉल्यूशन की भी बात आई। हालांकि एयर पॉल्यूशन एनवायरमेंट के विषय में सम्मिलित है, फिर भी पानी प्रदूषण को लेकर जो विषय है, उसमें यह बताया गया कि इसके अंदर 7 परसेंट डेथ्स हुई हैं। जहां तक जल प्रदूषण का विषय है, अमृत मिशन के अंतर्गत 34,400 करोड़ रुपए की लागत वाली सीवरेज और सेप्टिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। 1.47 करोड़ सीवरेज सेप्टिक कनेक्शंस स्थापित किए गए हैं। जल निकायों में गैर शोधित अपशिष्ट जल के प्रवाह को कम करने के लिए अमृत परियोजनाओं के माध्यम से 6,232 एमएलडी एसटीपी क्षमता विकसित की जा रही है, जिसमें 4,174 एमएलडी सीवरेज क्षमता बनाई गई है। इस प्रकार, कुल मिलाकर अमृत टू के तहत भी 126 लाख सीवर कनेक्शंस प्रदान किए जा रहे हैं। इस अमृत योजना के अंदर जब पेयजल और पानी शोधन की व्यवस्था होगी तो निश्चित रूप से प्रदूषण में भी कमी आएगी।

अभी-अभी बाढ़ के जोखिम पर चर्चा हो रही थी। यह बात निश्चित रूप से ठीक है कि पहले ये व्यवस्थाएं एक निश्चित आबादी के लिए बनाई गई थीं, लेकिन लगातार आबादी बढ़ने के कारण ये व्यवस्थाएं कम पड़ती हैं। किसी भी शहर के अंदर जो व्यवस्था की जाती है, वह 6 इंच वर्षा, यानी आधा घंटा या एक घंटा वर्षा को ध्यान में रखकर की जाती है, लेकिन तीन-तीन, चार-चार घंटे लगातार भारी वर्षा होने के बाद वह व्यवस्था कम पड़ जाती है। दिल्ली के अंदर कल जो वर्षा हुई, वह कुछ इलाकों में 8 सेंटीमीटर, यानी 2 इंच से ऊपर नापी गई है। जब 2 इंच से ऊपर वर्षा का पानी एक साथ गिरता है, तो व्यवस्थाओं में इस प्रकार की कमी स्वाभाविक रूप से आती है। इसके ऊपर अध्ययन किया जा रहा है कि कौन से इलाके में वर्षा ज्यादा है, कौन से इलाके में

कम है। ...(**व्यवधान**)... इसमें सब लोगों का सहयोग जरूरी है। जैसा मैंने बताया कि यह व्यवस्था वास्तव में राज्य सरकारों की ज्यादा होती है और उसमें जहां-जहां जिसकी जिम्मेवारी है, हम जरूर उनके साथ कंसल्ट करके योजनाओं का प्रारूप बनाएंगे। उसमें यदि किसी प्रकार की आवश्यकता का विषय उनकी ओर से रखा जाएगा, तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ने वाले हैं।

आदरणीय उपसभापति महोदय, दिल्ली शहर के बारे में जैसा पहले भी मैंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा जल निकासी मास्टर प्लान लागू नहीं किया गया। अगर इसको ठीक से लागू करते, तो निश्चित रूप से दिल्ली सरकार और एमसीडी द्वारा नालों की सफाई और गाद निकालने का काम पूर्ण कर पाते। उन्होंने इस काम को पूरा नहीं किया। परसो भी मैंने इस विषय पर बात रखी थी कि दिल्ली की स्थिति को देखते हुए ज़रूर दिल्ली सरकार और एमसीडी को आगे बढ़ना चाहिए। महोदय, इसमें भवन निर्माण की जो अनुमति है, उसमें जो प्रावधान किए गए हैं, उसमें यदि कोई परिवर्तन करता है, तो उसके ऊपर जब तक सख्त कार्यवाही नहीं करेंगे, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा।

महोदय, वेंडिंग मार्केट का एक विषय आया। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वे बड़े शहरों में अधिक मात्रा में होते हैं। उनको स्थायी रूप से कोई ऐसा स्थान, जहां वे अपना करोबार कर सकें, वह किसी भी कारण से जब उनको नहीं मिलता है, तो ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स की, खासकर कोविड के समय में बहुत बुरी स्थिति हो गई। उनकी प्रतिदिन की आमदनी रुक गई। उनको सहायता देने के लिए 'स्वनिधि योजना' को लागू किया गया। 'स्वनिधि योजना' का जो मुख्य उद्देश्य है, वह यह है कि उनको उनकी रोज़ी-रोटी के लिए आवश्यक पूंजी मिले। पहले चरण में 10,000 रुपये, उसको वापस करने पर 20,000 रुपये, फिर उसको वापस करने पर 50,000 रुपये दे कर उनकी सहायता की जाती है। यह ठीक है कि उनका certificate of vending भी बनाया जाता है और certificate of vending के अलावा प्रदेश सरकारों को vending zone और vending market भी बनाने चाहिए। बड़े शहरों में बहुत स्थानों पर ऐसी वेंडिंग मार्केट नहीं बनाई गई, जिसके कारण वेंडर्स अपने काम को चलाने के लिए मुहल्लों में, बाजारों या जगह-जगह छोटी-मोटी रेहड़ी लगाकर काम करते हैं। वे प्रारम्भ में शायद स्वनिधि से वंचित रह जाते, लेकिन स्वनिधि की enability के लिए प्रावधान किया गया है कि उनके पास certificate of vending नहीं भी है, तो letter of recommendation के आधार पर उनको ऋण मिल जाए। यह भी एक प्रावधान किया गया है। ऐसे लोगों के पास certificate of vending न होने के कारण से उनको स्थान तो उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, लेकिन उन सबको ऋण देने की सुविधा की गई है। प्रदेश सरकारें बहुत सी ऐसी योजनाएं बनाती हैं कि ऐसे लोग, जिनको म्युनिसिपैलिटी में पट्टे पर ज़मीन दी है या उनको स्थायी रूप से वेंडिंग ज़ोन में बैठाया गया है, यानी उनको स्वामित्व दे कर भी कुछ सरकारें योजनाएं बना रही है, खास तौर से मैं हरियाणा का उल्लेख करता हूं। हरियाणा में एक ऐसी ही छोटी मार्केट थी, उनके टेंट्स या उनकी जो लकड़ी की दुकाने बनी हुई थीं, उनमें अचानक आग लग गई। हमने उनको हरियाणा विकास शहरी प्राधिकरण (एचएसवीपी) की ज़मीन allot की, allot करने के बाद थोड़ा पैसा उनसे लिया, कुछ पैसे सरकार की ओर से दिए गए। ऐसे बड़े शहरों में उनको तीन मार्केट्स दी गईं। कुछ ऐसे एरियाज़ थे, जहां 20-20 साल से लोग पट्टे पर भूमि लेकर बैठे हुए थे, अब उनका किराया बहुत कम था, म्युनिसिपैलिटी को भी बहुत लाभ नहीं होता था, उनको उठा भी नहीं सकते थे, इसलिए उनके लिए 'शहरी स्वामित्व योजना' बनाकर 20 साल से पुराने जितने भी

लोग हैं, जो अपने स्थान पर बैठे हैं, उनसे थोड़ा एक partial पैसा लेकर उनके नाम अलॉटमेंट कर दी गई। 'शहरी स्वामित्व योजना' के अंतर्गत 5,000 लोगों को अलॉटमेंट दे दी गई हैं, अभी वह स्कीम चालू है। इन सब बातों को स्टेट्स के मिनिस्टर्स के सामने भी इस विषय में उठाएंगे कि ऐसे लोगों को काम करने के लिए स्थायी मार्केट मिले। नए बजट में इन पांच वर्षों में 500 हाट बाज़ार बनाएंगे। उसके लिए प्रदेश सरकारों को सुविधा दी जाएगी। जो अपने यहां बाज़ार बनना चाहेंगे, उनको 500 बाजारों के लिए इस योजना के अंतर्गत पैसा दिया जाएगा। वर्ष 2014 से लेकर अब तक अन्य-अन्य स्थानों पर 1410 वेंडिंग मार्केट्स, बाजारों का निर्माण किया जा चुका है। इसमें आगे और प्रगति होगी। कुछ स्थानों पर ऐसा भी पाया गया कि इन लोगों को, जो unauthorized तरीके से दुकानें, आश्रय स्थल बने हुए थे, क्योंकि कोर्ट के भी ऑर्डर कई जगहों पर आ जाते हैं, कहीं उनका मालिकाना हक नहीं होता है। जब प्रदेश सरकार योजना नहीं बनाती है, तो ऐसे उनको हटाने के लिए भी किया गया है। इसमें खास कर आम आदमी पार्टी के हमारे माननीय सदस्य श्री विक्रमजीत सिंह साहनी जी 1984, Sikh riots victims, तिलक विहार के बारे में प्रश्न उठाया और उनको वहां से हटा दिया गया है, तो उसमें जो रिपोर्ट वहीं से आई है, "It is submitted that this Department has allotted 978 number of flats at Tilak Vihar to 1984 riots victims and no allotment has been made at Mangolpuri. The cost of flat is different as per the location. The cost of flat at Tilak Nagar at various blocks are 45,000 per unit, यहां यूनिट नहीं लिखा है, लेकिन square metre, square foot हो सकता है। Ground Floor - 83,900; First Floor/Second Floor - 72,600. The simple interest is being charged on outstanding pending dues. There is no policy for waiver of cost of flats and interest thereon. However, there is a policy for converting the said leasehold grants to freehold vide order of Ministry of Urban Affairs. This Department grants freehold rights on the basis of applications received which gets registered with the concerned sub-registarar office." कुछ लोगों ने जिन्होंने, पैसे जमा कराए, तो उनको allotment हुई है, लेकिन बहुत लोगों ने इसमें पैसे जमा नहीं कराए, इस कारण से वह illegal encroachment इस पर मानी जा रही है। महोदय, शहरी स्मार्ट मिशन के बजट के ऊपर एक विषय आया, जो हमारे माननीय सदस्य जवाहर सरकार जी ने उठाया। इस बार सिर्फ Rs. 2,400 crore, Smart City Mission को दिया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह 48 हजार करोड़ रुपये, जो स्मार्ट सिटी मिशन के लिए पहले आवंटित किया गया था, उसमें 2024 तक 100 शहरों के लिए 45 हजार 600 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए गए हैं। शेष बचा 2,400 करोड़ रुपये को 25 मार्च, 2025 तक खर्च करना है, जो बचे हुए प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि यह उसी स्कीम का हिस्सा है, जो पहले घोषणा की गई थी, यह उसी का हिस्सा है। इसमें अलग से कोई बड़ा बजट घोषित नहीं किया गया है। उस योजना के अंतर्गत 90 परसेंट परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जो शेष दस परसेंट बची हैं, उनके लिए ही इस बजट को रिलीज किया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन में फुल पैसा 1,64,223 crore रुपये की लागत से 8,016 परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर खर्च हुए हैं। महोदय, परिवहन के नाते से मैं एक उत्तर विशेष तौर पर चैन्नई मेट्रो रेल परियोजना के बारे में देना चाहता हूं। इसके बारे में हमारे माननीय सासंद श्री आर. गिरिराजन जी, I am answering your question. सर, इस बारे में वैसे तो एक पत्र के माध्यम से तमिलनाडु

सरकार को 22 जुलाई को सारे विषय के बारे में अवगत करा चुका हूं, फिर भी 2018 से यह विषय चल रहा है और 2018 में यह योजना बनी। यह पूरी योजना लगभग 60 हजार करोड़ रुपये से ऊपर की यह योजना थी, लेकिन हमें इसमें ताली बजाने की आवश्यकता नहीं है कि इस योजना को जब आगे भारत सरकार से MoHUA के साथ इन्होंने उठाया था, तो साथ में यह विषय था कि 20 परसेंट पैसा तमिलनाडु सरकार लगाएगी, 20 परसेंट केन्द्र सरकार का हिस्सा होगा और बाकी ऋण के माध्यम से यह लिया जाएगा और उसमें ऋण के नाते से JICA और ADB को ऋण देना था। प्रक्रिया यह है कि ये ऋण केन्द्र सरकार की गारंटी के ऊपर दिया जाता है। अभी केन्द्र सरकार की गारंटी के लिए इन्होंने लिखा है, तो वहां के उस समय के श्री टी.वी. सोमानाथन, सेक्रेटरी, तमिलनाडु में थे, Principal Secretary to Government (Planning & Development), Government of Tamil Nadu. उन्होंने जो लिखा, उसमें से जो रिलेवेंट है, उसको मैं पढ़कर सुना रहा हूं, "This is without prejudice to the further consideration of the project by the Government of India for its financial assistance after following due procedure of approvals at PIB and Cabinet levels. For further processing of the project for getting sanction from the JICA's Modified STEP loan, I am to request you to kindly recommend the Phase-II of the Chennai Metro Rail Project to the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance for facilitating earlier sanction of loans by JICA." अब इन्होंने अर्ली लोन के सैंक्शन के लिए कहा था, "The State Government is also sending the 'Debt Sustainability Certificate' to the DEA with a copy to the Ministry of Housing and Urban Affairs." जब इन्होंने यह वायदा किया कि हमको यह अनुमति दे दी जाये, तो हमने इनको इस प्रकार से "In view of the foregoing, the request to the Government of Japan, for the Modified STEP loan need not be construed as approval for Government of India's financial commitment which may come only after following Government of India's financial procedure. In view of the foregoing, it is requested that the Government of India may kindly send..." यह प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने रिक्वेस्ट के लिए कहा था, हमने उत्तर में formally लिखा, "With regard to your specific query of funding from JICA and ADB, it is further informed that the Central Government has already recommended that proposal of Government of Tamil Nadu for funding from Bilateral/Multilateral agencies like JICA, ADB, NDB and AIIB. Chennai Metro Rail Corporation, the implementing agency of the present project, is already receiving funding from above agencies. I am enclosing the details."

डिटेल्स में उनकी करेंसी के हिसाब से राशि लिखी है, यह लगभग 9 हजार करोड़ रुपये बैठती है और ये 9 हजार करोड़ रुपये ले चुके हैं और बाकी भी सैंक्शन हो चुका है, जिसे वहां से ले सकते हैं। इसलिए कहीं भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई विषय बाकी बचा नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You had already put the query, and he has answered it. *...(Interruptions)...* Please, no cross-talking. *..(Interruptions)...*

Content Page

श्री मनोहर लाल: आदरणीय उपसभापति महोदय, जो मोटी-मोटी क्वेरीज़ की गई थीं, बताई गई थीं, उनका मैंने जबाव दिया है। फिर भी हम प्रदेशों को लगातार इसमें सहायता कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह विषय तो प्रदेश सरकारों का ही होता है, शहरों के विकास के नाते, नये शहर बसाने के नाते। फिर भी, प्रधान मंत्री जी की सोच है कि हमारे शहर अच्छे तरीके से विकसित होने चाहिए और उन अच्छे विकसित शहरों के लिए केन्द्र सरकार की ओर से जितनी ज्यादा से ज्यादा सहायता की जा सके, वह सेंट्रल असिस्टेंस दी जाती है। इसमें आगे भी निरंतर मदद की जाएगी और यह लगातार चलने वाला कार्यक्रम है, यह रुकने वाला नहीं है। इस साल के बजट में हम पर्याप्त सहायता दे रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार से जारी रखेंगे, धन्यवाद।

श्री उपसभापति: धन्यवाद माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी के जबाव के साथ discussion on the working of the Ministry of Housing and Urban Affairs खत्म हुआ। Now, we will take up Discussion on the working of the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare. Shri Randeep Singh Surjewala to raise a discussion on the working of the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare.

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला (राजस्थान)**:** शुक्रिया उपसभापति जी। कृषि एवं किसान कल्याण शब्द तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण को शकुनि के चौपड़ का मोहरा बना रखा है। वक्त की मांग है कि 72 करोड़ देश के अन्नदाता किसानों और खेत मजदूरों को कौरवों के इस चक्रव्यूह से अब निजात दिलवाई जाए। किसान की आय दोगुनी करने, किसान को लागत पर 50 प्रतिशत मुनाफा देने, किसान का दर्द बांटने के 10 साल में अनेकों जुमले गढ़े गए, पर किसान को मिला क्या, केवल सरकार की दुत्कार, दिल्ली की सीमाओं पर नश्तरों और लाठियों की मार और आत्महत्या की हार। महोदय, ये दिखावे के लिए किसानों की आरती तो उतारते हैं, पर असलियत में ये वे लोग हैं, जो किसान की राह में कील, काँटे और नश्तर बिछवाते हैं। काश! इस देश के प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री ने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को पढ़ा होता। And I will quote only four lines.

'आरती लिये तू किसे ढूंढ़ता है मूरख,
मन्दिरों, राजप्रासादों में, तहखानों में?
देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे,
देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में। '

सर, किसानों की यह दुर्दशा क्यों हुई, किसानों की दशा कैसे सुधारी जा सकती है - हम इन दोनों पक्षों पर चर्चा करेंगे। महोदय, नंबर 1 बिंदु तो यह है कि किसान की आय दुगुनी करने का

वादा जुमला साबित हुआ। 28 फरवरी, 2016 को उत्तर प्रदेश के बरेली में प्रधान मंत्री जी ने यह वादा था किया कि 2022 तक किसान की आय दुगुनी हो जाएगी। ..(**व्यवधान**)..

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव): .... खिलाफ लिखी थी, आपातकाल को हटाने के लिए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: देखिए, वस्तुस्थिति यह है कि यह आपके ऊपर बिल्कुल ठीक लागू होती है।

श्री राजीव शुक्ला: आपातकाल वाली यह चीज़ नहीं थी।

श्री भूपेन्द्र यादव: यह थी आपातकाल वाली।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: महोदय, ये भाजपाई ऐसे सब्जबाग दिखाते हैं कि किसान 27 रुपये रोज कमाता है। केवल 27 रुपये! आप स्वयं किसान की एक ऐसी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, आप अंदाजा लगाइए, लेकिन प्रधान मंत्री जी और उनके कृषि मंत्री जी उसे दुगुनी आमदनी बताते हैं। महोदय, यह मैं सिर्फ कह ही नहीं रहा हूं, मैं NSSO की 2021 की रिपोर्ट लेकर आया हूं, यदि आप कहेंगे, तो उसे सदन के पटल पर रख दूंगा।

महोदय, इतना ही नहीं, 24 मार्च, 2022 को - ये कहते थे कि 2022 तक आय दुगुनी होगी, लेकिन इनकी 37th Standing Committee on Agriculture की जो रिपोर्ट है, उसने यह स्वीकार किया है कि किसान की आय दुगुनी होने की बजाय कम हो गई है। Sir, with your permission, I would like to read a line from that Report. Para 1.35 says, "But there is no denial that major task for doubling of income of farmers lies with the Department of Agriculture and Farmers' Welfare. It appears from the reply furnished by the Department that the Department is far from doubling the income of farmers; rather, in some States, it has come down." सर, मैं एक और पहलू आपके संज्ञान में लाऊंगा। कल खेती का लंबा-चौड़ा बजट पेश करने की शेखी बघारी गई, पर 5 सालों की वास्तविकता क्या है? इन्होंने 5 सालों में खेती के बजट से 1 लाख करोड़ रुपये सरेंडर कर दिए।

सर, मैं आपके संज्ञान में दो पहलू लाऊंगा। साल 2020-21 में देश में कृषि का बजट कुल केंद्रीय बजट का 4.47 प्रतिशत था, लेकिन आदरणीय मंत्री जी, साल 2024-25 में कृषि का बजट देश के कुल बजट का 2.74 परसेंट रह गया है, यानी आधा कम कर दिया गया है- यह * की बात है। महोदय, जब आपने मुझे बजट 2024-25 की चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, तब मैंने खुलासा किया था कि आपने 10 सालों में खेती की छह बड़ी स्कीमों के 3 लाख करोड़ रुपये काट दिए। महोदय, मैं आज एक और खुलासा लेकर आया हूं। पिछले वाले प्रश्न का न तो कृषि मंत्री ने

* Expunged as ordered by the Chair.

जवाब दिया और न ही वित्त मंत्री महोदया ने जवाब दिया है, मैं अब एक और नया खुलासा लेकर आया हूं, जो इनकी खेती विरोधी मानसिकता को दिखाता है।

महोदय, 5 सालों में मोदी सरकार ने - जिसके आंकड़े अब बजट में उपलब्ध हैं, मोदी सरकार ने खेती के विभाग का 1 लाख करोड़ रुपये का बजट सरेंडर कर दिया। महोदय, यह * की बात है। आपने 2018-19 में 21,043 करोड़ रुपये सरेंडर किए, 2019-20 में 34,518 करोड़ रुपये सरेंडर किए, 2020-21 में 23,825 करोड़ रुपये सरेंडर किए, 2021-22 में 429 करोड़ रुपये सरेंडर किए और 2022-23 में 19,762 करोड़ रुपये सरेंडर किए। महोदय, आप 1 लाख करोड़ रुपये सरेंडर करते हैं और किसान के कल्याण की बात भी करते हैं!

सर, मैं अगला एक और पहलू आपके समक्ष रखूंगा जो पीएम-कुसुम (प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) है। इसका बड़ा ढोल पीटा गया, पर कुसुम की जगह आपने किसान के रास्ते में कांटे बिछा दिए। सर, साल 2019 में बजट में इसी सरकार ने दस हजार मेगावॉट रिन्यूएबल एनर्जी लगाने के लिए पीएम कुसुम योजना की शुरुआत की। दो टारगेट्स और दिए। कहा गया कि साढ़े 17 लाख सोलर एग्रीकल्चर पंप लगाए जाएंगे। यह भी कहा गया कि दस लाख किसानों के बिजली ट्यूबवेल को भी सोलर ट्यूबवेल में बदल दिया जाएगा। आदरणीय मंत्री जी, कल मैंने आपकी वेबसाइट देखी और पीएम कुसुम के आंकड़े निकाले। आप भी चौंक जाएंगे। इनकी वेबसाइट पर कल शाम तक जो लिखा था, मैं उसकी कॉपी लेकर आया हूँ। आप कहेंगे तो ऑथेंटिकेट कर दूंगा। साल 2019 से 30 जून, 2024 तक, पाँच साल में सिर्फ 1,61,640 इंडिविजुअल सोलर पंप सैंक्शन किए। और लगाए कितने — 2,644 पंप। 2,644 पंप लगाकर कहते हैं कि देश के किसान की हालात बदल जाएगी, वो भी 72 करोड़ किसानों की!

दूसरा कहा था कि साढ़े 17 लाख सोलर एग्रीकल्चर पंप लगाएंगे, 13,54,315 सैंक्शन किए और लगाए कितने — 3,97,437, केवल 22 प्रतिशत! 72 करोड़ किसानों के लिए चार लाख सोलर पंप लगाकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं।

तीसरा, बोलते हैं कि दस हजार मेगावॉट सोलर कैपेसिटी लगाएंगे। सैंक्शन की 8,112 मेगावॉट और लगाई कितनी 256 मेगावॉट! यह अपने आप में किसान से क्रूर मजाक है। यह कुसुम की जगह कांटे बोना नहीं, तो क्या है? एक और पहलू - कल वित्त मंत्री जी ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लेकर बड़ी-बड़ी बातें कीं। उसके ढोल की पोल भी खुली हुई है। बजट 2020 में 15 मई, 2020 को पहली बार आपकी सरकार ने एक लाख करोड़ के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की, बड़ी-बड़ी प्रेस वार्ताएं कीं, अखबार में इश्तहार दिए, खबर छपी। वित्त मंत्री जी ने कल क्या कहा? खुद मान लिया कि पाँच साल में 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से सैंक्शन किए हैं, यानी 65,000 करोड़ तो पहले दिन ही छोड़ दिए। पाँच साल में केवल 35000 करोड़! क्योंकि उन्होंने वहां सैंक्शन शब्द इस्तेमाल किया था, इसलिए मैंने जाकर फिर चेक किया, तो पता चला कि वे यहाँ भी हमें असत्य बोलकर चली गईं। उन्होंने यह छिपा लिया कि उस 35,000 करोड़ के सैंक्शन प्रोजेक्ट में केवल 25,504 करोड़ ही जारी किए हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के नाम पर पाँच साल में 5,000 करोड़ जारी करते हैं और 72 करोड़ किसानों के कल्याण की बात करते हैं, इससे क्रूर मजाक क्या कोई हो सकता है?

---

* Expunged as ordered by the Chair.

एक और पहलू - कल पीएम फसल बीमा योजना के बारे में बड़े-बड़े कसीदे पढ़े गए। उपसभापति जी, पीएम फसल बीमा योजना इस देश की सबसे बड़ी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी मुनाफा योजना है, इसलिए मैं इनकी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का आंकड़ा ले आया हूँ। मंत्री जी, साल 2016-17 से 30 जून, 2024 तक पीएम फसल बीमा योजना का प्रीमियम कितना दिया – 2,29,789 करोड़ या 2,30,000 करोड़ मान लीजिए। बीमा कंपनियों को मुनाफा कितना हुआ – 63,648 करोड़, यानी किसान को क्लेम कम और बीमा कंपनी को मुनाफा ज्यादा। बीमा कंपनियां 63,648 करोड़ कमाती हैं और मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपा आती है, यह किस प्रकार की स्कीम है?

सर, एक और पहलू - मोदी सरकार खेती को बंधक बनाने के लिए पहले तीन खेती विरोधी काले कानून लाई और फिर एमएसपी पर खरीद ही नहीं करवाई। यहाँ एमएसपी की बड़ी चर्चा हुई। एक सवाल के जवाब में आपदा को अवसर में तब्दील करने के लिए यही सरकार तीन कृषि विरोधी काले कानून लाई। लाखों किसान दिल्ली के दरवाजे पर एक साल से ज्यादा पड़े रहे - धूप में, गर्मी में, बारिश में। आपने भी उनकी व्यथा महसूस की होगी, उनका दर्द जरूर महसूस किया होगा। 700 किसान शहीद हो गए। उनकी शहादत पर संसद के अंदर संवेदना प्रकट करने से इंकार कर दिया गया। किसान तड़प-तड़प कर केवल न्याय मांगने आया था, दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक देकर हक मांगने आया था, लाल किले पर कब्जा करने नहीं आया था। कानून तो वापिस लिए, लेकिन एमएसपी की गारंटी का जो वायदा किया था, वह आज तक पूरा नहीं हुआ। आज मैं आपसे यह कहूंगा कि किसान एमएसपी की गारंटी क्यों मांगता है, एमएसपी की गारंटी की क्या जरूरत है? कारण बड़ा साफ है, क्योंकि मोदी सरकार, भाजपा सरकार, एनडीए सरकार घोषित एमएसपी पर, जो एमएसपी आप निर्धारित करते हैं, उस पर फसल खरीदते ही नहीं हैं। यह इस देश का दुर्भाग्य है। एमएसपी का क्या फायदा है? यह मैं नहीं कहा रहा हूं, मैंने सदन के पटल पर सवाल पूछा और 6 दिन पहले राज्य सभा में उस सवाल का जवाब आया। उस जवाब ने इस ढोल की पोल खोल दी। सर, यह वह जवाब है, this is Unstarred Question No. 483 answered on 26th July, 2024 by the hon. Agriculture Minister. मैंने पूछा था कि 2023-24 में रबी की कितनी फसल पैदा हुई और उसमें से आपने कितनी फसल को एमएसपी पर खरीदा? सर, मैं यह पढ़कर बताना चाहता हूं। गेहूं, 2023-24 रबी में, 1,129 लाख मीट्रिक टन पैदा हुआ। आपने खरीदी, यह आपका जवाब है - 262 लाख टन, यानी 23 परसेंट, तो बाकी कहां जाएं? आप एमएसपी पर खरीदते ही नहीं हैं। ...(**व्यवधान**)... आप रखते होंगे, आप बहुत बड़े किसान हैं। जौ की फसल देखें - 16 लाख, 53 हज़ार टन पैदा हुई, यह मंत्री जी ने बताया। एमएसपी पर कितना खरीदा - ज़ीरो। एक दाना नहीं खरीदा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह आपका जवाब है। चना - जो आप भी उगाते हैं, मैं भी उगाता हूं, यहां और भी लोग कहीं न कहीं कृषि की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं - 115 लाख, 76 हज़ार टन पैदा हुआ। यह आपने बताया और खरीदा कितना - 43 हज़ार टन, 0.37 परसेंट एमएसपी पर खरीदा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह आपका ही 6 दिन पुराना जवाब है। मसूर - 17 लाख, 54 हज़ार टन पैदा हुई, यह रबी में आपने खरीदी कितनी - 2 लाख, 47 हज़ार टन, जो कि 14 परसेंट है। सरसों के संबंध में आपने बताया कि यह 131 लाख, 61 हज़ार टन पैदा हुई और खरीदी कितनी - 12 लाख, 9 हज़ार टन, जो कि 9.19 परसेंट है। सूरजमुखी - आपके मुताबिक 51 हज़ार टन पैदा हुई और ज़ीरो परसेंट एमएसपी पर खरीदी। यह आपका जवाब है, जो

6 दिन पहले इसी सदन में आपने मुझे दिया था। जब आप एमएसपी पर मेरी फसल खरीदेंगे ही नहीं, तो उस एमएसपी को खत्म करिए। उस एमएसपी को बुलडोजर के नीचे कुचलिए। सवाल बड़ा सीधा है कि उसका लाभ क्या है?

सर, इतना ही नहीं एक और घोर अन्याय किसान के साथ हुआ। कृषि मूल्य आयोग से बड़ी तो कोई रिपोर्ट नहीं है। मैं उनकी ताजी रिपोर्ट लेकर आया हूं। कृषि मूल्य आयोग ने खुद स्वीकारा कि एमएसपी का मूल्यांकन प्रांत की लागत के मुताबिक सही नहीं है। राज्यों में फसल के उत्पादन की लागत एमएसपी से अधिक है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह कृषि मूल्य आयोग की जो रिपोर्ट 2024-25 है, जो इन्होंने अपलोड की हुई है, वह मैं लेकर आया हूं। सर, इसी रिपोर्ट में सीएसीपी ने 2022-23 की लागत का 2024 की रिपोर्ट में वास्तविक मूल्यांकन किया - 'C2 plus 50 per cent' पर भी नहीं, 'A2 plus FL' पर। मंत्री जी, उसके आधार पर उन्होंने लिखा है, मैं उसे पढ़ देता हूं। रागी में पूरे देश में किसान को 1,167 रुपया प्रति हेक्टेयर का नुकसान हुआ। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह सीएसीपी कह रहा है। धान में - महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के मेरे साथी यहां बैठे हैं - किसान को 31.4 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। राजस्थान में, राजस्थान के साथी यहां बैठे हैं, बिल्कुल मेरे सामने आदरणीय मंत्री जी, ज्वार में 718 रुपया प्रति हेक्टेयर का नुकसान हुआ। उड़द में - गुजरात के मेरे साथी बैठे हैं - 475 रुपये हेक्टेयर का नुकसान हुआ। सोयाबीन में गुजरात में 4,749 रुपए का नुकसान हुआ। फिर ऐसे MSP का औचित्य क्या! यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह इनकी रिपोर्ट कह रही है।

सर, एक और Market Intervention Scheme and Price Support Scheme, यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि 23 फसलों पर MSP देते हैं, जिन पर नहीं देते, अगर कीमत गिर जाए, तो उन पर यह Market Intervention Scheme है, उस पर आपने ताला लगा दिया। यह स्कीम किसके लिए है? आलू के लिए, टमाटर के लिए, प्याज के लिए, सेब-संतरे के लिए, कीनू के लिए, नारियल, मिर्च और अदरक के लिए। मंत्री जी, 2022-23 में इसका बजट था 4,007 करोड़, 2023-24 में आपने बजट काट कर 40 करोड़ कर दिया और इस साल कितना किया, ज़ीरो! इस साल इसका बजट है ज़ीरो!

सर, इतना ही नहीं, खेती, खाद और डेयरी क्षेत्रों से जुड़ी जितनी स्कीम्स हैं, उनमें माननीय कृषि मंत्री जी ने भयंकर कटौती कर दी। पीएम फसल बीमा योजना 2023-24 में 15 हजार करोड़, 2024-25 में 14,600 करोड़; distribution of pulses to States for welfare schemes 2023-24 में 446 करोड़, 2024-25 में काट कर 300 करोड़; पीएम किसान मानधन योजना 2023-24 में 138 करोड़, 2024-25 में 100 करोड़; payment for indigenous Urea 2023-24 में 1 लाख 2 हजार करोड़, 2024-25 में एक लाख करोड़; payment for import of Urea 2023-24 में 30 हजार करोड़, 2024-25 में 22,634 करोड़; payment for indigenous P&K Fertilizer 2023-24 में 32,370 करोड़, अब 26,500 करोड़; payment for imported P&K Fertilizer 2023-24 में 27,930 करोड़, अब 18,500 करोड़; dairy development में 2023-24 में 371 करोड़, अब ज़ीरो; राष्ट्रीय गोकुल मिशन, कम से कम गाय का तो सोच लेते! उसमें 2023-24 में 869 करोड़, अब 700 करोड़; dairying through co-operatives, बड़ी-बड़ी बातें होती हैं, 2023-24 में 166 करोड़, अब ज़ीरो; पीएम किसान संपदा योजना 2023-24 में 745

करोड़, अब 729 करोड़। अकेले 25,711 करोड़ तो आप फर्टिलाइजर की सब्सिडी खा गए, आपने काट दी।

सर, मोदी सरकार में 9 साल में एक लाख किसानों ने आत्महत्या की है। NCRB यह बोलता है - 1,00,449. यह मैं नहीं कह रहा, मैं आपकी NCRB की रिपोर्ट लेकर आया हूँ। हर रोज इस देश के 31 अन्नदाता आत्महत्या का फंदा चूमने को मजबूर हैं। आपको नींद कैसे आती है? आपकी आत्मा आपको क्यों नहीं झकझोरती? आपकी आत्मा आपको कचोटती क्यों नहीं? सवाल यह है, एक देशवासी के तौर पर मैं यह पूछना चाहता हूँ। सर, एक तरफ फसल की कीमत नहीं और दूसरी तरफ यह हाल! इसीलिए राहुल जी ने, खरगे जी ने यह कहा है कि MSP की कानूनी गारंटी इसी सदन से दिलाएँगे, खेती पर गब्बर सिंह टैक्स से पीछा छुड़ाएँगे और किसान को कर्ज मुक्ति भी दिलाएँगे। हम यह करके दिखाएँगे।

सर, हालात क्या हैं? जब लोक सभा में विपक्ष के नेता, मेरे नेता, राहुल गाँधी दलितों, किसानों और मजदूरों के हितों की बात उठाते हैं, तो ये हमारी जाति पुछवाते हैं! ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः आप यहाँ की चर्चा कीजिए। ...(**व्यवधान**)... उस सदन की चर्चा नहीं कीजिए। ...(**व्यवधान**)... आप यहाँ की बात कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः सर, जाति जाननी है, तो सोनीपत के खेतों में चिलचिलाती गर्मी में राहुल गाँधी जी के साथ धान की पौध लगाते किसान से हमारी जाति पूछिए। जाति पूछनी है, तो आजादपुर मंडी में आँसू बहाते हुए सब्जी वाले रामेश्वर भाई से पूछिए, जिसकी कड़ी मेहनत की जिंदगी का एक हिस्सा बाँटने मेरे नेता वहाँ गए थे। जाति पूछनी है, तो सुल्तानपुर के जूती गाँठने वाले हमारे मेहनतकश रामचेत भाई से पूछिए, जिसके साथ बैठ कर उसकी मेहनत का पसीना बाँटा था मेरे नेता ने। जाति पूछनी है, तो अंबाला और चंडीगढ़ के ट्रक ड्राइवरों से पूछिए, जिनकी मुश्किल जिंदगी का सुख और दुख बाँटा था हमने। हमारी जाति पूछनी है, तो कीर्ति नगर के हमारे बढ़ई भाइयों से पूछिए, करोल बाग के मैकेनिक भाइयों से पूछिए, जिनकी मेहनत का आकलन महसूस करने और समझने गए थे हमारे नेता। सत्ता के अहंकार की ऊँची अट्टालिकाओं में बैठे हुए, आपको किसान, मजदूर, दलित, गरीब की आवाज़ सुनाई नहीं देती। मैं फिर इनको कहूँगा, तब मेरे बड़े भाई मंत्री जी फिर कहेंगे। ये दिनकर जी की ही बात सुन लेते। दोबारा याद दिलाता हूँ किः

"*मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का,*
धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का,
पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर
शोर मचा रहे हैं केवल कायर और क्रूर।"

उपसभापति महोदय, समय आ गया है कि अहंकार की रुई को अपने कानों से निकालिए, सत्ता के घमंड के परदों को आंखों से हटाइए, दिल पर पड़े पत्थरों को दूर करिए, थोड़ा सा किसान और मजदूर की टीस को समझने लग जाइए, ताकि आदरणीय मंत्री जी,

Content Page

किसान, गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़ों की व्यथा, उनकी चीत्कार आपको सुनाई देने लगे। वरना, हम भी संकल्प लेते हैं कि "चलो संघर्ष आठों याम तुमसे.." उपसभापति जी, याम प्रहर को कहते हैं। एक दिन में आठ प्रहर होते हैं।

"*चलो संघर्ष आठों याम तुमसे*
करेंगे अंत तक संग्राम तुमसे..। "

किसान के लिए हमारी जो कल्पना है, इस देश के मजदूर के लिए जो कल्पना है:

"*हमारी कल्पना साकार होगी,*
किसानों की फिर जय-जयकार होगी।"

जय जवान, जय किसान! बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापतिः माननीय सुरजेवाला जी, आपका धन्यवाद। आपने अपनी तकरीर में एक-दो अनपार्लियामेंट्री शब्द इस्तेमाल किये हैं, वे रिकॉर्ड से हट जाएँगे। माननीय श्री सुरेन्द्र सिंह नागर।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (उत्तर प्रदेश)**:** उपसभापति जी, आज कृषि जैसे महत्वपूर्ण बजट पर चर्चा में मुझे ...(**व्यवधान**)... अभी स्टार्ट हुआ है, माइक ऑन हो जाएगा। थोड़ा वेट कीजिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः बगल में आपका माइक ऑन है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः माननीय उपसभापति जी, देश की आजादी के बाद, इस देश में अगर कोई सामान्य व्यक्ति दो रोटी खाता था, तो एक रोटी का अनाज बाहर का होता था। वह आयात किया जाता था। मैं इस देश के किसानों का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से इस देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। यह उसी का परिणाम है कि आज हमारी मोदी सरकार के द्वारा देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देना संभव हो पाया। इसलिए मैं इस देश के किसानों का अभिनंदन करता हूँ।

माननीय उपसभापति जी, चूँकि यह बजट की चर्चा है और किसी भी बजट का जो एलोकेशन है, वह उस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। यह जो हमारा बजट है, अगर मैं उसमें देखूँ, तो चूँकि 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी और अगर मैं उससे पहले 2014 में जो यूपीए की सरकार थी, उसकी बात करूँ..

4.00 P.M.

जहां 2014 तक 21,933 करोड़ रुपए का बजट था ,वहीं 2023-24 में नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस बजट को बढ़ा कर लगभग 1,52,000 करोड़ रुपए करने का काम किया है ,

जो साढ़े पांच गुना से अधिक की वृद्धि है। यह मोदी सरकार की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

माननीय उपसभापति जी ,अब यह सरकर किसानों को लेकर कितनी गंभीर है ,इसके बारे में बताता हूँ। मुझे 2009 से 2014 के बीच इस देश के लोकसभा का सदस्य रहने का भी मौका मिला। उस दरम्यान मुझे तीन वर्ष एग्रीकल्चर कमेटी का भी सदस्य रहने का मौका मिला। उस एग्रीकल्चर कमेटी के चेयरमैन वासुदेव आचार्य जी थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी के थे। मैं उस कमेटी में सदस्य था और मेरा सौभाग्य है कि मुझे उस कमेटी में स्वामीनाथन जी के साथ काम करने का अवसर मिला। लगातार 3 वर्षों तक उस कमेटी ने यह रिकमेंड किया कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए। उस समय की तत्कालीन सरकार, जो यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली जो सरकार थी, उसने तीनों वर्ष एग्रीकल्चर कमेटी के उस रिकमेंडेशन को अस्वीकार्य कर दिया और उसको लागू नहीं किया।...(**व्यवधान**)...

SHRI RANDEEP SINGH SURJEWALA: Sir, point of order. ...(Interruptions)...

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: सर, मैं नहीं बोला हूँ।...(**व्यवधान**)... मैंने बीच में नहीं बोला।...(**व्यवधान**)...

SHRI RANDEEP SINGH SURJEWALA: Sir, point of order. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has point of order. ...*(Interruptions)*...

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: सर, ये डिस्टर्ब करने के लिए बात करेंगे।...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: माननीय सुरजेवाला जी, आपका प्वाइंट ऑफ ऑर्डर किस रूल के तहत है? ...(**व्यवधान**)...

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: सर, रूल 20 और 267 के तहत मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है, क्योंकि उन्होंने मिथ्या कहा है।...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No point of order in it. Please sit down. ...*(Interruptions)*... No counter argument, please. ...*(Interruptions)*... माननीय नागर जी, कृपया आप बोलें।...(**व्यवधान**)... आपकी ही बात रिकॉर्ड पर जाएगी।...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्य, जब आप बोल रहे थे, तो सबने ध्यान से सुना।...(**व्यवधान**)...

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: *

* Not recorded.

श्री उपसभापतिः जब आप बोल रहे थे, तब सबने ध्यान से सुना।...(**व्यवधान**)...

आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है।...(**व्यवधान**)... माननीय सुरजेवाला जी, जब आप बोल रहे थे, तब सबने ध्यान से सुना।...(**व्यवधान**)... Please accept other views also. Please. ...*(Interruptions)*...

श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः सर, यह बीमारी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं।...(**व्यवधान**)...

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please don't do it. ...*(Interruptions)*... No, I had not permitted you. Please. ...*(Interruptions)*... There was no point of order.

श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः माननीय उपसभापति जी, हम सौभाग्यशाली हैं, इस देश का किसान सौभाग्यशाली है कि इस देश को नरेन्द्र मोदी जी के रूप में एक प्रधान मंत्री मिला।...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No comment. माननीय जयराम जी, प्लीज़। No comments. Please.

श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः सर, सच सुनना तो थोड़ा मुश्किल होता है।

जब देश में नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री बने, तो नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने एक लंबे समय से इस देश के किसानों की जो माँग थी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की, उस लॉंग पेंडिंग डिमांड को अगर किसी सरकार ने लागू करने का काम किया, तो वह नरेन्द्र मोदी की सरकार ने करने का काम किया। उपसभापति जी, इतना ही नहीं किया, बल्कि इस देश में किसान नेताओं को सम्मान नहीं दिया गया, अगर किसी ने किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी और स्वामीनाथन जी को 'भारत रत्न' देने का काम किया, तो वह नरेन्द्र मोदी की सरकार ने किया।

माननीय उपसभापति जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। जहां देश में प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार किसानों के हित का काम कर रही है, वहीं हमारा यह सौभाग्य है कि हमें कृषि मंत्री के रूप में शिवराज जी मिले हैं। अगर हम कृषि क्षेत्र में विकास दर की दृष्टि से देखें तो इस देश के अग्रणी राज्यों में अगर कोई है तो वह मध्य प्रदेश है और आज ऐसे प्रदेश के हमारे कृषि मंत्री हैं, यह भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है।

माननीय उपसभापति जी, देश में इस क्षेत्र में हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो, इसके लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। इस देश में जो इंपोर्ट बिल है, अगर मैं उसकी बात करूं तो पाम ऑयल से हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा बढ़ता है, जिससे देश के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ता है। नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है, जिसने न केवल तिलहन के दाम

* Not recorded.

बढ़ाकर किसानों को प्रोत्साहित करने का काम किया, बल्कि देश तिलहन के मामले में, खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बने, इसके लिए "पाम आयल मिशन" की शुरुआत भी की।

माननीय उपसभापति जी, इस देश में आजादी के बाद देश का किसान कर्जे में जकड़ा रहा। आजादी के बाद इस देश का किसान गांवों में जो प्राइवेट लेंडर्स होते थे, उनके जाल में फंसा रहा, फिर सरकारी बैंक आए। उस समय की जो सरकारें थीं, उनकी नीयत भी यही थी कि किसान पर कर्ज बढ़ जाए। उस समय की सरकार की ऐसी नीतियां थीं कि उन नीतियों के कारण इस देश के किसान का कर्जा लगातार बढ़ता रहा और वह कर्जे में डूबता रहा। महोदय, जब बुआई का समय आता है तो किसान को खाद की भी जरूरत होती है। उस समय वह दबाव में आ जाता था, उसे ऋण लेना पड़ता था। इस देश के किसान की इस पीड़ा को अगर किसी ने समझने का काम किया, तो वह इस सरकार ने किया। एक तरफ जहां ऐसी सरकारें थीं, जिनकी खराब नीतियों के कारण किसानों पर कर्जा बढ़ता था। वे वोट लेने के लिए कर्जा माफी का नारा देते थे और उसे भी पूरा नहीं करते थे। दूसरी तरफ, नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार किसान का सम्मान बढ़ाने के लिए "किसान सम्मान निधि" लेकर आई। ये बड़ी-बड़ी बातें करते थे और यह कहते कि हमने 70,000 करोड़ रुपये का ऋण माफ कर दिया। इन्होंने कागज पर 51,000 करोड़ किया और कहा कि 70,000 करोड़ माफ करेंगे। वहीं, इस देश के प्रधान मंत्री ने "किसान सम्मान निधि" से इस देश के किसानों को 3 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा सीधे उनके खाते में देने का काम किया। इसमें कोई बिचौलिया भी नहीं है, सीधे किसान के खाते में जा रहा है। किसान का सम्मान अगर किसी ने बढ़ाने का काम किया, किसान को कर्जे से मुक्त करने का काम किया, तो इस देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने "किसान सम्मान निधि" के माध्यम से करने का काम किया है।

उपसभापति जी, मुझे राजस्थान जाने का मौका मिला। राजस्थान में जाने के बाद मैंने देखा कि एक पार्टी के नेता वहां गये और उन्होंने घोषणा की कि सरकार बनने के 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। मुझे जब वहां किसानों के बीच जाने का अवसर मिला तो पता चला कि किसानों के लिए वह केवल एक झुंझुना साबित हुआ, किसानों का कर्जा राजस्थान में माफ नहीं हुआ। उन्होंने 10 दिन नहीं, 5 साल इंतजार किया और फिर उस प्रदेश के किसानों ने मिलकर वहां से कांग्रेस की सरकार को भगाने का काम किया।

उपसभापति महोदय, यहां 'फसल बीमा योजना' की चर्चा हुई। यहां बीमा की विभिन्न योजनाएं हैं, लेकिन देश में लम्बे समय से एक मांग थी कि किसानों की फसल बीमा योजना भी आनी चाहिए। उस मांग को पूरा करने का काम - महोदय, इस योजना में एक परेशानी थी कि अगर किसान बैंक से लोन लेता था, तो वह बैंक automatic किसान की फसल का बीमा करा देता था, जिस कारण उसके खाते से automatic किस्त का पैसा कट जाता था, मजबूरी में उस किसान को फसल बीमा कराना पड़ता था, उसमें सुधार करते हुए हमारे प्रधान मंत्री जी ने नेतृत्व में जहां इस फसल बीमा योजना को लागू करने का काम किया गया, वहीं इस फसल बीमा व्यवस्था को वैकल्पिक करने का भी काम किया गया, अब किसान की मर्ज़ी है कि वह अगर लोन लेगा तो उसे बीमा कराना है तो कराए, यदि नहीं कराना है तो न कराए। यह वैकल्पिक व्यवस्था देने का काम इस देश के प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः प्लीज़, आपस में बात न करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः माननीय उपसभापति महोदय, इस योजना पर प्रश्न उठाए गए थे। अगर मैं 'फसल बीमा योजना' में आंकड़े की बात करूं, तो किसान ने अगर 100 रुपये किस्त दी, तो उसको क्लेम कितना मिला। अगर किसान ने 100 रुपये प्रीमियम दिया, तो इस देश के किसान को दावे के रूप में 498 रुपये क्लेम मिला है। यह 'फसल बीमा योजना' की सफलता है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः प्लीज़, बैठकर आपस में बात न करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः इसके अलावा अगर मैं ऋण की बात करूं, तो आप देखिए कि वर्ष 2014-15 से मोदी जी की सरकार ने ऋण की मद लगभग ढाई गुना बढ़ाई है। आज इस बजट में किसानों के लिए इसमें 20 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें भी एक व्यवस्था की गई है कि किसान अगर अपनी किस्त का भुगतान समय पर करेगा, तो उसका interest rate भी घटेगा, वह 7 परसेंट से घटकर 4 परसेंट हो जाएगा।

श्री उपसभापतिः माननीय श्री सुरेन्द्र सिंह नागर जी, पार्टी ने आपको 15 मिनट का समय दिया है।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः सर, मुझे दो मिनट और दे दीजिए।

श्री उपसभापतिः अब आप जो भी बोलेंगे, तो पार्टी का समय जाएगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः सर, मुझे 5 मिनट का समय और दे दीजिए।

श्री उपसभापतिः अब आप जो भी बोलेंगे, पार्टी का समय जाएगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः सर, पार्टी का समय ले लीजिएगा। माननीय उपसभापति महोदय, इस देश में किसान कि दुर्दशा की बहुत बात हुई, लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों, वह ऐसी स्थिति में पहुंचा कैसे? महोदय, वर्ष 1947 से भारत GATT का सदस्य है, जिससे भारत ने व्यापार के लिए एक ट्रीटी साइन की। इसके बाद इसको WTO में convert कर दिया गया, इसको रिप्लेस कर दिया गया। आजकल एक बड़ी मांग है कि जो WTO से समझौता हुआ है, उससे बाहर निकला जाए। एक बड़े नेता हैं, उनसे किसान मिले, उन्होंने अपनी बात भी कही, लेकिन इस WTO से हुए समझौते पर साइन करने वाला कौन था, WTO से हुए समझौते पर किसने साइन किए, यह समझौता किसने किया? यह किसी और ने नहीं, बल्कि उस समय के तत्कालनी प्रधान मंत्री, राजीव गांधी जी की सरकार ने करने का काम किया था। उपसभापति महोदय, यह समझौता ही नहीं किया, इस एग्रीमेंट में एक काम और हुआ कि जो इसका base year था - यह समझौता 1995 में हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से इस देश के किसान के साथ क्या धोखा हुआ, वह देखिए। जो सब्सिडी का base year माना गया - समझौता 1995 में हुआ और base year 1986-87 को माना गया। इस बात को बताएं कि आखिर जब समझौता 1995 में कर रहे हैं, तो बेस ईयर आप क्यों मान रहे हैं, जिससे

इस देश के किसानों को सब्सिडी न मिल पाए। महोदय, 2013 में WTO की बैठक हुई और श्री आनन्द शर्मा, उस समय के तत्कालीन वाणिज्य मंत्री, समझौता करके आए और temporary period तीन वर्ष का करके आए कि हम तीन वर्ष में कर लेंगे। तीन वर्ष में हम सब व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन मैं इस देश के प्रधान मंत्री, नेरन्द्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने, जो ये 2013 से 2016 के बीच का जो समझौता किया था, उसको अस्वीकार किया और इस देश के किसानों की सब्सिडी जो खत्म होनी थी, उस सब्सिडी को बचाने का काम अगर किसी ने किया, तो नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया। माननीय उपसभापति जी, समय नहीं है, लेकिन आत्महत्या की भी बात कही गई है। किसानों की ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः माननीय नागर जी, दूसरे वक्ताओं का पार्टी का समय ले रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः यहां किसानों की आत्महत्या की बात हुई। सुरजेवाला जी ने किसानों की आत्महत्या की बात कही। सुरजेवाला जी, शायद आप तो कर्नाटक के प्रभारी भी रहे हैं और अभी भी हैं। तो अच्छा होता कि कम से कम जो पिछले पंद्रह महीने में इस देश में लगभग 1,200 किसानों ने कर्नाटक में आत्महत्या की है, आप और आपके नेता कभी जाकर उनसे मिल तो लेते। ...(**व्यवधान**)... उनके आंसू तो पोंछ देते।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please listen. ...*(Interruptions)*... माननीय नागर जी। Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*... Please take your seat. ...*(Interruptions)*... It is not going on record. ...*(Interruptions)*...

श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः महोदय, इससे भी आगे की हद देखिए आप। ...(**व्यवधान**)... मैं यह बात करूंगा। ...(**व्यवधान**)... I will. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing is going on record. ...*(Interruptions)*...

श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः कर्नाटक के जो कृषि मंत्री हैं, यहां तो किसानों को बुला कर बात कर रहे हैं, जहां आत्महत्याएं हो रही हैं, वहां जाने के लिए फुर्सत नहीं है। ...(**व्यवधान**)... दूसरी तरफ कर्नाटक के कृषि मंत्री कह रहे हैं...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing is going on record. ...*(Interruptions)*... आप बिना permission बोल रहे हैं। Surjewalaji, please take your seat. Nothing is going on record. ...*(Interruptions)*...

श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः कावेरी जिले के प्रभारी मंत्री पाटिल ने कहा कि मौजूदा सरकार, जिसने दो लाख से बढ़ाकर पांच लाख मुआवजा किया है, क्योंकि सरकार ने जो दो लाख से पांच लाख मुआवजा किया है, किसान इस पांच लाख को पाने के लिए आत्महत्या कर रहे हैं।...(**व्यवधान**)... ये

कर्नाटक के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि कर्नाटक के एग्रीकल्चर मिनिस्टर यह बात कह रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... आज सुरजेवाला जी यूरिया के बारे में बात कर रहे थे। मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। यूरिया की बात हो रही थी। यह नरेन्द्र मोदी सरकार है, जिसने यूरिया की दिक्कत दूर करने का काम किया है। मैं मध्य प्रदेश की एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश के मुलतई में आदिवासी किसान आए। वे बेचारे आदिवासी थे और उनको यूरिया चाहिए था।...(**व्यवधान**)... उनको यूरिया तो नहीं मिला, लेकिन 24 से ज्यादा किसानों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ...(**व्यवधान**)... तब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। ये हमसे आत्महत्या की बात करते हैं। ...(**समय की घंटी**)... ये हमसे आत्महत्या के बारे में पूछते हैं।...(**व्यवधान**)... ...(**समय की घंटी**)... महोदय, कृषि मंत्री जी ने जो बजट रखा है, मोदी सरकार 3.0 का पहला कृषि बजट है, मैं इसका समर्थन करता हूं और इस विश्वास के साथ समर्थन करता हूं कि इस बजट के माध्यम से इस देश में खुशहाली आएगी, देश और आगे बढ़ेगा और देश का किसान निर्यात करेगा। वह आत्मनिर्भरता के साथ-साथ उत्पाद निर्यात करने में भी सक्षम होगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shrimati Mamata Thakur. Maiden speech. Hon. Member will speak in Bengali.

SHRIMATI MAMATA THAKUR (West Bengal): * "Respected Deputy Chairman, Sir, thank you for allowing me to speak on the Working of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. This is my maiden speech in the Rajya Sabha, though I have been a Member of the Lok Sabha once. I dedicate this speech to Sri Harichand Thakur and Sri Guruchand Thakur. I was not allowed to take their names during the swearing-in, so, I would like to mention their names today. I dedicate this speech to all my Matua brothers and sisters. And I dedicate this speech to our hon. Chief Minister, Ms. Mamata Banerjee, who has always fought for the rights of Matuas. She has always fought for women's rights. And Sir, no one fought for farmers' rights better than Madam Mamata Banerjee and our party Trinamool Congress which was founded 26 years ago on January 1, 1998. I am proud to be a member of such a party which stands by farmers at every step.

[**उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला)** *पीठासीन हुए।*]

Sir, we fought against the forcible acquisition of agricultural land in Singur in 2006. Madam Mamata Banerjee risked her life by going on a 26-day hunger strike in

---

* English translation of the original speech delivered in Bengali.

protest. When the Land Acquisition Bill came up in the Lok Sabha in 2013, it was supported by parties on both sides of the House. We alone opposed it. In 2020, when the farmers were protesting against the three farm Bills, at that time, our party MPs went to meet the farmers at Singhu border. Madam Mamata Banerjee personally spoke to them over phone. 700 farmers died while protesting that black law.

You talk about doubling farmers' income, but you have failed. Learn from Bengal. Under Ms. Mamata Banerjee, the income of farmers in Bengal not only doubled, but has tripled. It has gone up from Rs. 90,000 to 2.9 lakh rupees.

Sir, it was promised in BJP's manifesto in 2014 that they will increase farmers' profits by up to 50% over input costs within three years.' It has been 10 years now. Kindly accept the Swaminathan Committee's recommendation for this, which is C.2 + 50. Make it a legal guarantee. Nineteen farmers have died this year while raising this demand. Sir, why is it that farmers should pay 12% GST on water pumps and 18% GST for pesticides? This is when the total outstanding debt has increased from Rs 10 lakh crores in 2014 to Rs 23 lakh crores in 2022. Sir, in the last four years, the real income of an agricultural labourer has increased by only 3 rupees per annum. Retail food inflation rose by more than 9 per cent a year during this period.

You are talking about Pradhan Mantri Kishan Samman Nidhi. What is reality? Rs. 3,000 crores have been transferred to 42 lakh fraudulent beneficiaries under this scheme. The Government has managed to recover only one-tenth of this amount. The highest amount of Rs 550 crore will be collected from ineligible farmers in Assam, followed by Rs. 440 crore from Punjab, Rs. 360 crore from Maharashtra, Rs. 340 crore from Tamil Nadu and Rs. 260 crore from Uttar Pradesh. But then you target opposition-run states and cut off their funding. Sir, kindly stop this political vendetta, release Rs.15,000 crore to Bengal under MGNREGA and Awas Yojana.

Sir I have five or six questions, and I hope hon. Minister will respond to those. (i) Is adequate attention being given to agricultural research? Indian Agricultural Research Institute needs to be modernized. We need to modernize many more IARIs and Agricultural Research Institutes. (ii) What is the long-term plan for crops and land use? (iii) What are the plans for fertile land and specific crop performance in the face of climate change? (iv) How will farmers be motivated in agriculture? (v) What is being done to attract lateral entry in agriculture? (vi) What is being done to protect farmers from volatile weather every year?

Sir, our party always believes in giving constructive suggestions. Hon. Minister may consider these five suggestions to improve the agro industry and the quality of life of farmers. (i) Implementing financial literacy programs with a focus on digital tools for agricultural financing, crop insurance, and efficient market linkages. (ii)

Reducing wastage in use of water, fertilizers and other inputs. (iii) Creation of a single nodal agency at the national level to deal with climate change issues. (iv) Facilitating agriculture credit and increasing subsidies. (v) Complete farm loan waiver and introduction of pension scheme for the farmers.

Sir, I have two points for Bengal. West Bengal is the second largest potato producer of the country where more than 5 lakh hectares of land is under potato cultivation and annual output is 148 lakh metric tonnes. Potato farmers of Bengal prefer to use N.P.K 10:26:26 as fertilizer because it is cost effective and soil friendly. During the potato growing season between November and February, we have 5 lakh metric tonnes of NPK. 10:26:26 is required. Supply of this fertilizer to the cooperative sector in West Bengal has declined steadily from 4.5 lakh metric tonnes in 2021 to 2.3 lakh metric tonnes last year. This is putting a lot of pressure on the farmers. I request the Minister to look into this matter quickly.

Secondly Sir, Bengal produces high quality varieties of rice such as Govindobhog, Tulaipanji, Kaluniya, Kataribhog, Badshabhog etc. They are the fragrant rice of ethnic Bengal and have been cultivated for ages. Govindobhog, Tulaipanji got G.I status. A large number of farmers are involved in the cultivation of aromatic rice in Bengal. I request the Minister of Agriculture and Minister of Commerce to consider lifting the ban on export of basmati rice equivalent to ensure that farmers get fair price for Govindobhog, Tulaipanji and other varieties of rice.

I hope the Hon. Minister will give me assurance on these two issues.

Sir as we are in Bengal, I want to mention with utmost humility that you can learn from Bengal. (i) The budget for agriculture and allied households has increased tenfold, from Rs. 2300 crore in 2011 to Rs. 23000 crore in 2024. (ii) Under the Krishakbandhu Scheme, more than 1 crore small and marginal farmers are given annual financial assistance of Rs. 10,000 per year. (iii) 70 lakh farmers are benefiting from the crop under the Bengal Crop Insurance Scheme, the insurance coverage of which is borne entirely by the State Government. (iv) Under 'Joy Bangla', 76 thousand farmers are getting pension of Rs.1000 per month. (v) In case of death of a farmer aged 18-60 years, the family gets a grant of Rs 2 lakh.

Sir, please consider these examples, implement them nationally. Learn the best practice from not only Bengal but from all states. Through you, Sir, I humbly request the Government, please don't be arrogant. Talk to the farmers. Engage with them, don't just talk big. The sad reality is that 30 farmers commit suicide every day in India under the Modi Government. Thank you Sir. Jai Bangla."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): Thank you, Mamata ji. The next speaker is Shri V. Vijayasai Reddy. Not present. After him, Shri M. Shanmugam. Mr. Shanmugam, you have got nine minutes to speak.

SHRI M. SHANMUGAM (Tamil Nadu): Thank you, Vice-Chairman, Sir, for giving me an opportunity. Food, cloth and shelter are very necessary for all. I want to quote one Thirukkural. The English translation of it is: "They only live who live by the plough. The rest must stoop and trail behind." Food is based on agriculture and agriculture encompasses crop and livestock production, aqua culture, fisheries and forestry for food and non-food products. Agriculture was a key development in the rise of physical activities in human civilization whereby farming of domesticated species created food surplus that enabled people to live in cities. What are the needs of the farmers? No one in the corridors of power, particularly the NDA Government, is bothered to take care of their issues.

Water is a very important resource for farming. India is blessed with many number of rivers which are both perennial and seasonal. However, in some areas, there is scarcity of drinking water and, in some areas, there is drought. So, with the available resources, the farmers are developing their cultivation. Everyone knows about the Chola Emperor, Karikala Cholan, in Tamil Nadu who constructed Kallanai Dam on the Cauvery river 2,000 years ago. This is the fourth oldest dam in the world. The purpose of this dam was to divert the Cauvery water across the fertile Thanjavur Delta region for irrigation via canals. The scheme, first conceived by the Central Water Commission, was designed to link all the major rivers of India - the Ganges, the Brahmaputra, the Narmada, the Tapti, the Godavari, the Krishna, the Pennar and the Cauvery by means of a 3,000 km long canal. But so far no action has been taken. Water pollution is also spoiling the farming sector. Pesticides are one of the reasons for water pollution by which fishery is also affected. With all these struggles, the farmers are producing commodities. So, they request for the Minimum Support Price with legal guarantee which should be fixed. It was recommended by the Expert Committee headed by Dr. Swaminathan, Agricultural Scientist. After the sacrifice of thousands of farmers, still the Union Government is not conceding their demands.

The Plantation Associations want value-added benefits of tea and coffee by means of fixing MSP for tea and coffee which are essential for people all over the country. The cotton growers are demanding to fix MSP after consultation with the cotton growers.

Sugar is an essential item. The Government is increasing the sugarcane price every year. But that is not sufficient. Sugar price is under the control of the

Government. While fixing the sugar price, it is not compared with the sugarcane price and there is no scientific calculation. Very often this resulted in closure of sugar mills.

Sir, we have a lot of potential in oilseeds production. But we are importing palm oil for someone's benefit which is injurious to health.

Due to shortage of agriculture labourers, there is compulsion for the farmers to go for modernisation. But the machineries available now are too costly and the poor farmers cannot afford them. Hence, the Government should spend some money for R&D to innovate small machineries suitable for small and medium farmers. The crop insurance system should be such that there is adequate transparency and accountability. There are various schemes like PM Kisan Samman Nidhi, Crop Insurance Scheme, Rashtriya Krishi Vikas Yojana, etc., which are being implemented as Centrally Sponsored Schemes. On perusal of the Demands, it is noted that average spending or fund utilization by the Ministry of Agriculture is around 86 per cent as compared to the Budget Estimates. When there is so much demand from farmers and schemes have been formulated, why is there slackness in their implementation by the Government?

Under the MGNREGA, the number of working days should be increased to 150 days for rural labourers. In this, farm activities should also be included with the approval of Panchayat President and the cost can also be shared on 50:50 basis, so that the agricultural labourers would get more number of days of employment in the rural areas. Sir, our late leader, Dr. Kalaignar, evolved a scheme through the Social Security Board for the poor agricultural labour. Tamil Nadu provided comprehensive social security for ensuring well-being of landless agricultural labourers and farmers who engaged themselves in direct cultivation. The benefits of the scheme are accident relief and death injury, natural death, funeral expenses, education of children, marriage, delivery of miscarriage and termination of pregnancy, old-age pension, etc. The Government of Tamil Nadu is funding for all the social sector schemes by their own funds.

Sir, I request the Union Government to constitute a social security board for agricultural labourers like other labourers' welfare board with a corpus fund so that this board will take care of the requirements of healthcare compensation in case of injury, education of children, marriage expenses and for providing old-age pension. ESI benefits should also be extended to the agricultural labourers so that it will be registered in the board and token contribution can be taken from the board. In the employment of agriculture, while the share of cultivation is reduced, the share of agricultural labour has increased from 46 per cent in 2001 to 55 per cent in 2011. For agricultural labourers, we have been demanding that Kisan Credit Cards should be

Content Page

issued so that they can avail the benefits. Agricultural labourers are among the most vulnerable sections of the society with high incidence of poverty. They should be given training and skill development for improving their conditions and ensuring equitable opportunities.

Before I conclude, I request the hon. Minister to waive off all the farmers' loan, fix MSP with a legal guarantee and allocate more subsidy to fertilizers, and the Government should procure all the produce from the farmers. Thank you, Sir.

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, I have a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): What is your point of order? First, tell me the rule.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, Rule 29(3). It is on List of Business. I don't want to disturb. We are having a very meaningful discussion. Yesterday was on working of the Ministry of Housing and Urban Affairs which is completed today. Today, it is on working of the Ministry of Agriculture. My point of order is that 15 Opposition parties welcome this discussion; all of us want a discussion on the Ministry of Home Affairs. That is why it is my appeal to the Chair. On behalf of all of us, please let us not shy away from having a discussion whenever, tomorrow, day after or next week, on the Union Home Ministry, which is a top priority because this is the Council of States. So many of our States are having to deal with the Home Ministry. All Ministries are important, but 15 Opposition parties together have appealed to the Chairman to consider this. The first motion was moved by BJP. They are the largest party. They wanted Ministry of Urban Development. Second one was by the Congress, the largest opposition party. They moved for Urban Development. Third one is coming to Trinamool but this is not about Trinamool. Sixteen opposition parties have written to the Chairman requesting him to kindly accept our request to include the Union Home Ministry. We want to see the Home Minister here. We want to talk to him; we would listen to him. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): Mr. Derek, I got your point of view. But, normally, the practice is that Business is decided in the Business Advisory Committee. There, some Ministries have been decided. After that, it has been left to the Chairman. So let the Chairman take a call and we will let you know. I will forward your request to him and, after that, it will be told to you. Now, Mr. Vijayasai Reddy;

the practice is that if somebody misses the opportunity, then, he gets the last turn. Since you are a senior Member, you can now speak for five minutes.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, through you, I rise to highlight some important issues to the hon. Minister. The current population in India is estimated to be 145 crore. And it will rise up or is estimated to go up to 166 crore by 2050. Forty-three per cent of our children are undernourished. This is very alarming. The next is, India is ranked 111 out of 125 countries in 2023 Global Hunger Index. This is also very alarming. This Global Hunger Index is calculated based on undernourishment, child stunting, and child mortality. I request the hon. Minister to find out the causative forces. What exactly is the reason? Why is the population going up? How to control the population? If the population continues to go up in the same manner as it is going now, by 2050, what would be the food shortage? What would be the food scarcity? The way the urbanization is going on, the way the agricultural lands are being converted for non-agricultural use, if the same trend continues, what would be fate of the mankind in the world, particularly in India? Therefore, I appeal to the hon. Minister to take appropriate remedial measures to ensure that there would be adequate food for all the Indian citizens, even including the population which is expected to go up by 2050.

The second important issue, which I would like to bring to the notice of the hon. Minister, through you, is increasing post-harvest losses. In 2022, India has lost 15 per cent of its fruits, 12 per cent of the vegetables, and 6 per cent of the cereals post-harvest. What is the reason? The reason is lack of infrastructure, lack of godowns, lack of cold storage facilities, and lack of adequate marketing arrangements. In Andhra Pradesh, in last December, crop sown in 10 lakh acres across the State was damaged by cyclone Michaung. In our country, even when there is a bumper harvest, even the years when the bumper harvest comes, it causes loss to the farmers because we do not have adequate storage facilities, as I have already told you, and there are no adequate processing facilities, processing capacities to preserve the harvest. These are all forced to throw the harvest out. Last year, in September, farmers in Kurnool, Andhra Pradesh, were also forced to dump tomatoes on the road because it did not command adequate prices. It could not cover even the transportation costs. I would, therefore, appeal to the Government and the hon. Minister to optimize the supply chain. Hon. Minister, Sir, kindly listen. So I request the hon. Minister to kindly optimize the supply chain and ensure that losses are prevented and they are below the acceptable mark of 2 per cent.

The next issue, which I would like to bring to the notice of the Minister, through you, is ending the production and consumption of Genetically Modified Organisms, GMOs. I urge the Minister to reduce the dependence on GMO and increase the production of organically developed seeds which is better for the health of all. GMO legally approved imports into India include soya bean, canola and corn. Our own varieties of hybrid BT cotton, BT brinjal have been commercialized already and mustard is also on the way. So, I urge the Government and I urge the Minister to take cognizance of the side effects of consuming these GMOs, -- of course, I mean, the production will increase, food security will go up -- as some people believe that they result in cancer, allergies and other long ailments. So, I appreciate the initiative of the Government to focus on the development of agricultural research.

The last point which I would like to bring to the notice of the hon. Minister is that the Budget for the Department of Agricultural Research -- this is very, very important -- and education on agricultural research, has been raised very, very marginally to Rs.9,941 crores from Rs.9,877 crores. (*Time-bell rings.*) I request the hon. Minister to increase the budget allocation for the research and education on agricultural research. Thank you, Vice Chairman, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): Now, Dr. Ashok Kumar Mittal; after that, Shri H.D. Devegowda.

डा. अशोक कुमार मित्तल (पंजाब): महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय पर हो रही चर्चा में अपनी बात रखने का अवसर दिया है।

महोदय, आज इस सदन के लिए यह एक बहुत ही शुभ अवसर है कि हमारे माननीय सभापति एवं उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी एक किसान के बेटे हैं और इसके साथ-साथ हमारे माननीय कृषि मंत्री, श्री शिवराज चौहान जी भी एक किसान के बेटे हैं। वे अपने प्रदेश में मुख्य मंत्री के तौर पर 'मामा' के नाम से मशहूर थे और मैं आज उम्मीद करूंगा कि वे जो मध्य प्रदेश के 'मामाजी' थे, वह किसानों के 'मामाजी' बन कर किसानों का ध्यान रखेंगे और उनको आगे ले जाने में मदद करेंगे।

सर, एक पुरानी मशहूर कहावत रही है -

"*उत्तम खेती, मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी, भीख निदान।*"

सर, एक समय था, जब कृषि को सबसे उत्तम व्यवसाय माना जाता था, सबसे उत्तम कृत्य माना जाता था। आज हम जिस किसान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम जिस 'आत्मनिर्भर भारत' की चर्चा करते हैं, हम 'विकसित भारत' की चर्चा करते हैं, तो 'आत्मनिर्भर भारत',

आत्मनिर्भर किसान के साथ ही हो सकता है और 'विकसित भारत', विकसित किसान के साथ ही हो सकता है।

सर, बचपन में सुनते थे, किसी मूवी का एक गाना था -

"*मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे-मोती..*"

अगर आप पुरानी मूवीज़ देखेंगे, तो उनमें कितनी ही मूवीज़ ऐसी थीं, जिनमें किसान हीरो का रोल अदा करता था। हम लोग समाज के होते हुए अपने आप को उससे जोड़ते थे, परन्तु आज क्या हुआ है? आज बॉलीवुड तो किसान को भूल ही गया है। मुश्किल से उसको कोई एक्स्ट्रा का रोल मिलता है, लेकिन हमारी सरकारें भी किसानों को लगातार भूलती जा रही हैं। सर, मैं उसी किसान की पीड़ा..

SHRIMATI JAYA AMITABH BACHCHAN: There is no Bollywood. It is an Indian Film Industry. Please correct your grammar.

DR. ASHOK KUMAR MITTAL: Thank you very much, Jaya*ji*. सर, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री किसान को शायद सेकंड रोल पर ला रही है।

SHRIMATI JAYA AMITABH BACHCHAN: Thank you.

DR. ASHOK KUMAR MITTAL: My pleasure. सरकार भी शायद किसानों को भूलती जा रही है। यह इस बात से नजर में आता है कि भारत का हमारा जो पूरा बजट था..

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): जया जी, क्या Indian Film Industry किसानों को भूल गई है? क्या वह सचमुच भूल गई है?

डा. अशोक कुमार मित्तल: सर, मेरा टाइम बढ़ा दीजिएगा, इतना ही निवेदन है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): इनके हिसाब से Indian Film Industry किसानों को भूल गई है।

श्रीमती जया अमिताभ बच्चन: यह फिल्म इंडस्ट्री का काम नहीं है, किसानों को ...(**व्यवधान**)...

डा. अशोक कुमार मित्तल: सर, मेरे टाइम में 2 मिनट add कर दीजिएगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): दो सेकंड ही तो हुए हैं। ...(**व्यवधान**)... आप बोलिए।

डा. अशोक कुमार मित्तलः सर, भारत सरकार का इस बार कुल बजट तकरीबन 48 लाख करोड़ का है, जिसमें कृषि मंत्रालय के लिए सिर्फ 2.74 परसेंट राशि रखी गई है, जबकि 2022-23 में यह 3.36 परसेंट थी। मतलब यह राशि कम होती जा रही है। मैंने इसी वजह से मैंने बोला कि हमारी सरकार भी किसान को भूलती जा रही है।

सर, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, जो एक सबसे महत्वपूर्ण विषय किसानों के लिए रहता है, हमारे लिए रहता है, इस सदन के लिए रहता है, वह है - किसानों को एमएसपी देने का। कितने ही समय से इस पर बात हो रही है कि किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए। सैकड़ों किसान और विशेष तौर पर मैं पंजाब से आता हूं, मेरे पंजाब के किसानों ने शहादत दी है, लेकिन अभी तक उस विषय पर कोई कार्य नहीं हुआ। मैं मंत्री जी से, भारत सरकार से पुरज़ोर निवेदन करूंगा कि एमएसपी को कानूनी गारंटी देने के लिए कार्य करें और इसको जल्दी अनाउंस करें और किसानों को एक खुशी का मौका दें। जब एमएसपी की बात होती है, यह तकरीबन 60 वर्ष पुरानी परंपरा है। उस टाइम कुछ सालों के अंदर ही 23 क्रॉप्स को हमने एमएसपी में शामिल कर लिया था। पिछले कई वर्षों से 23 की 23 क्रॉप्स ही चली आ रही हैं। पीछे कॉफी को भी इसमें लाने की बात हो रही थी, हमारे किसी सदस्य ने इसमें चाय को लाने के लिए निवेदन किया। इनके अलावा भारत में और कितनी ही फसलें हैं, सैंकड़ों फसलें हैं, जबकि हम 23 फसलों पर ही रुके हुए हैं। क्या बाकी किसान नहीं हैं, क्या बाकी में उनको एमएसपी की जरूरत नहीं है? मैं चाहूंगा कि इस पर थोड़ा विचार किया जाए।

सर, सरकार कहती है कि हमने 18 लाख करोड़ रुपए एमएसपी पर दिया है। जिस तरीके से यह प्रोजेक्ट किया जाता है, उससे ऐसा लगता है कि इन्होंने उनको ग्रांट दी है। यह तो आपने उनका खरीद मूल्य दिया है। उन्होंने अपना सामान बेचा और आपने उसकी कीमत दी। इसलिए आप इसको उस तरीके से प्रोजेक्ट न करें कि हमने किसानों को 18 लाख करोड़ रुपए की ग्रांट दी है।

सर, मैं आगे कहना चाहूंगा कि एक तरफ हम यह कहते हैं कि 54 प्रतिशत लोग अभी भी एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं, लेकिन आज भी हमें दाल इंपोर्ट करनी पड़ रही है। इस बार दाल की जो इंपोर्ट हुई है, वह सात वर्षों में सबसे ज्यादा है। Pulses का import डबल हो गया है, जो 45 लाख टन है। Pulses inflation 17 प्रतिशत हो गया है। बात हम रिकॉर्ड क्रॉप की करते हैं, लेकिन हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। मुझे यह बात समझ में नहीं आती है। सर, pulses का growing area भी कम हो गया है, जो 307 लाख हैक्टेयर था, वह आज कम हो कर 257 लाख हैक्टेयर रह गया है। यह क्यों हो रहा है? क्यों किसान किसानी छोड़ते जा रहे हैं? यह बात भी मुझे समझ में नहीं आती है।

सर, अब मैं थोड़ा irrigation की तरफ बढ़ूँगा। हमारे देश में पानी की कमी है, जो बढ़ती जा रही है। इसके लिए मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि जो modern methods हैं, जैसे drip irrigation, step farming है, कृषि ड्रोन्स वगैरह से जो हम कर सकते हैं, उसके लिए खुले दिल से अनुदान या subsidy दें ताकि किसान उसका प्रयोग कर सके। सर, इसी में आगे बढ़ते हुए अब मैं water management के विषय में कहना चाहूंगा कि यदि हम बारिश के पानी की बात करें, तो 48 प्रतिशत बारिश का पानी हमारे यहां व्यर्थ चला जाता है। जिसे हम बेहतर तरीके से मैनेज करके,

cost effective way से कृषि के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से कृषि को बचा सकते हैं।

सर, मैं पंजाब से आता हूं। पंजाब की नदियों का पानी पाकिस्तान में जा रहा है और हम पानी के लिए आपस में लड़ते हैं। हम दूसरे देश में अपना पानी भेज रहे हैं। उसको कैसे रोका जाए? मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कहूँगा कि वह इसके बारे में भी विचार करे। सर, जब 2014 में बीजेपी की नई सरकार बनी थी, तब शायद नदियों को interconnect करने के लिए एक कमेटी बनी थी और माननीय सुरेश प्रभु जी उसके चेयरमैन थे। उसका क्या हुआ? क्या आज तक उसका कोई रिजल्ट आया? जब उसका रिजल्ट ही नहीं बताया जा रहा है, तो उस पर क्या काम होगा। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूँगा कि उस पर कार्य किया जाए और भारत में नदियों को एक-दूसरे से जोड़ें, ताकि उनका पानी अच्छे तरीके से नई नहरों के माध्यम से कृषि के लिए मिल सके।

सर, अगर पिछले वर्षों में देखें तो कितनी नहरें बनी हैं, 1950 में बनीं, 1960 में बनीं, 1970 में बनीं, लेकिन पिछले 10-20 वर्षों से कोई नहर ही नहीं बन रही है। हम कैसे वाटर मैनेजमेंट को बैटर करेंगे? हम अपने किसानों को सस्ते और नेचुरल तरीके से पानी कैसे पहुंचा पाएँगे?

सर, अब मैं storage facilities पर आता हूं। भारत में तकरीबन 40 प्रतिशत कृषि उत्पाद व्यर्थ चला जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे पास storage facilities नहीं हैं, cold storage नहीं है, food processing facilities नहीं हैं। हमारे देश में 74 मिलियन टन्स फूड बरबाद होता है, जो विश्व का 8 प्रतिशत है। नाबार्ड की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक हमारे यहां इन facilities के न होने के कारण 18.5 बिलियन डॉलर्स की फसल वेस्ट हो जाती है।

सर, हमने cooperative development शुरू किया था, उसके अच्छे नतीजे भी आए, लेकिन वह भी रुक गया। जो cooperative society बन गई, वह बन गई, लेकिन उसमें आगे उस तरीके से बढ़ावा नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी यह निवेदन करूँगा कि वे उसमें भी ध्यान दें और उसको आगे बढ़ाएँ।

सर, हम organic farming की बात करते हैं, पर organic products को यह certify करने के लिए हमारे पास लैब ही नहीं है कि यह genuinely organic है या नहीं। कस्टमर को इसका पता नहीं लगता है, इसलिए उसको उस पर विश्वास नहीं होता है। आप इस दिशा में भी कुछ कदम उठाएँ।

सर, हमारा agricultural export 8.8 परसेंट कम हो गया है। GDP growth में एग्रीकल्चर का हिस्सा सिर्फ 0.7 परसेंट है, जो कि 2023-24 में 4.7 परसेंट था। इस प्रकार से वह भी कम हो गया है।...(**समय की घंटी**)... सर, मेरे जो दो मिनट समय उस समय बरबाद हो गए थे, वे मुझे दे दिए जाएं।

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): दो मिनट नहीं हुए थे, दो सेकंड हुए थे।

डा. अशोक कुमार मित्तल: सर, ऐसा न करें।

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): ठीक है, आप जल्दी कीजिए, wrap up कीजिए।

डा. अशोक कुमार मित्तलः सर, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आप मुझे कहने नहीं देंगे, तो मैं एक कविता के माध्यम से अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। उससे पहले मैं एक और बात कहना चाहता हूँ।

सर, फर्टिलाइजर का बैग पहले 50 किलो का होता था, जब उसकी कीमत बढ़ गई तो सरकार ने उसको 45 किलो का कर दिया, ताकि किसानों को यह कन्फ्यूजन रहे कि वही कीमत है। इसलिए थोड़ा इस बात पर भी ध्यान दें। सर, मेरे हजारों किसान भाई...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): मंत्री जी, आप कुछ कह रहे थे?

डा. अशोक कुमार मित्तलः सर, प्लीज़। फिर मेरा टाइम कम हो जाएगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): एक मिनट। आपका समय कम नहीं होगा।

श्रम और रोजगार मंत्री; तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (डा. मनसुख मांडविया): सर, अगर फर्टिलाजर 5 किलो कम हुआ है, तो उसकी कीमत भी 5 किलो कम के हिसाब से ही है।

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): अशोक जी, आप बोलिए।

डा. अशोक कुमार मित्तलः सर, थैंक यू।

सर, हमारे हजारों-लाखों किसान भाई लोन के बोझ के तले हर साल आत्महत्याएं करते हैं। मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि वह उनका संज्ञान ले और उनको किसी भी अमाउंट तक एकमुश्त लोन की माफी दे, ताकि उन हजारों-लाखों जानों को हम बचा सकें।

सर, मैं आखिर में किसान की तरफ से ये चार पंक्तियां कहता हूँ:

"मैं हूँ भारत की शान, मॉनसून की बाट जोहता किसान,
कभी मुआवजे के इंतजार में गरीब किसान,
तो राजनीति में एक वोट बैंक का नाम,
जी, मैं हूँ किसान, मैं हूँ किसान।
मेरा रोना है, उम्मीद से उठना,
पर निराशा संग सोना है।
मानसून द्वारा मेरी मेहनत को धोना है,
सरकार के लिए मेरा जीवन एक खिलौना है।"

धन्यवाद, सर।

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): धन्यवाद, अशोक जी। आप एक कवि भी हैं, यह हमें पता नहीं था। Well, we have got three or four other names in the list. But, our senior Member, former Prime Minister, Devegowda*ji*, has requested to speak early. So, I will request him to take the floor.

SHRI H.D. DEVEGOWDA (Karnataka): Thank you very much, Sir. I have spoken on the General Budget about four days back. At the outset, I would like to congratulate the hon. Agricultural Minister, who has got better experience, which I have already said, when I was a member of the Standing Committee on Agriculture. I have seen the progress, what has been done in Madhya Pradesh. I once again congratulate you. The hon. Prime Minister has selected you as one of the best Agricultural Ministers. Sir, I don't desire to take extra benefit of time from you, and hence I am not going to quote facts and figures. I do not want to take much time on that issue. In Karnataka, some of our friends on this side criticized bitterly. They have got the right to criticize the Budget, as we are going to praise what we think. In Karnataka, tomato is a perishable item. Mangoes and Grapes are one of the most important products, horticultural product, exporting from Karnataka to various countries. And, the farmers are getting much benefit. Even the rice is going to be exported. I can quote so many other issues.

5.00 P.M.

The point is, why is the youth coming from villages to cities? Sir, please think over that in the last ten years, the hon. Prime Minister, Narendra Modi*ji* has introduced several programmes, so many programmes are there, I am not going to go on and list those things, but the point is, even today, why educated youths come from villages to towns. They have two acres, three acres or five acres of dry land, still they cannot get a livelihood. There are vagaries of monsoons. Sometimes, there will be excess monsoons, sometimes, there will be no monsoons at all and the farmers, those who depend only on monsoons, will suffer. This is a major issue where we have to apply our mind. Sir, there are five Departments- Agriculture, Horticulture, Sericulture, Animal Husbandry and Fisheries; I know there are five Ministers who are handling these Departments. These are the Departments which are going to help the poor who are suffering on account of the vagaries of monsoon. That is why these four or five Departments should work in coordination and see that the poor people, who are suffering on account of vagaries of monsoons, should not suffer because the Rain

God is not under our control. Sometimes, there will be excess, sometimes, there will be no rainfall. This is a major issue in this country where the farmers are suffering.

Why are the educated youth coming to cities? They can get a livelihood by working with some private people and get Rs. 20,000. Nowadays, Sir, contract labour is everywhere. Even in Government hospitals, all the supporting staff like nurses and midwifes are appointed through contract. Though they have passed nursing courses, still they get Rs. 20,000 or Rs. 15,000. This is the prevailing situation in the country. How should we avoid this? I do agree that hon. Prime Minister has taken several steps, but the problem is so enormous and, that is why, I have mentioned this.

Availability of labour is the biggest challenge in farming today. There is a continuous migration of youth from rural areas to urban areas. Skilled youth in various forms becomes essential to sustain farm productivity. Hence, we should give attention to train youth in various skill-based farm mechanised operations. It is essential to take up timely farm operations. Attracting and Retaining of Youth in Agriculture (ARYA), which is
implemented by ICAR, may be expanded to all the 731 KVKs across the country to train and to retain the skilled youth in farming. This is one of the most important factors which I would like to bring to the notice of the hon. Agriculture Minister.

The other point is this. The other day I mentioned about jackfruit. Sir, jackfruit can be grown on any dry land. And, once it is planted, the life of jackfruit, as you know, is hundreds of years. I will quote just one paragraph. It says that 'jackfruit has been grown for centuries and is well adopted. The greatest advantage of this wonderful tree is that once it is planted, it can take care of generations due to its hard nature which requires minimum care and considered to be truly organic fruit which can be grown as economically viable fruit crop when compared to other fruit crops. Considering the variety of benefits, in the recent years, the jackfruit is being taken up as pure-crop, mono-crop not only in India but also in Malaysia, Indonesia, Vietnam and Sri Lanka. Out of jackfruit-growing countries, it has become a money-spinning crop today in Vietnam, Malaysia, Philippines, China and Mexico.' Why not in India? Sir, I will give you a note. I have prepared a note on this issue. You are one of the persons committed to the farming sector. I don't want to read all this. I have prepared full notes. I will hand it over to your goodself. Kindly consider this. This does not require more water, give more benefits and got all types of Vitamins. This has been established by experts. With your kind permission, I will hand it over to you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): Sir, you can give it to the Table Office. They will hand it over to the hon. Minister.

SHIR H.D. DEVEGOWDA: Okay. Thank you very much. Sir, the other important issue is about loans. We have the National Co-operative Policy. Government said that 'Our Government will bring out a National Co-operative Policy for a systematic, orderly and all-round development of co-operative sector, fast-tracking growth of rural economy and generation of employment opportunities on a large-scale and this will be the policy of the Government.' I appreciate it, Sir. If you mention any State, immediately those States wanted to destroy the working system of the co-operative societies. The National Co-operative Policy was brought in during the hon. Prime Minister Vajpayee's period. At that time, if my memory is correct, Chowdhury Ajit Singhji was the co-operative Minister. Sir, my point is about the addition of more members. Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Backward Class are already there with the Government nominees. Three nominees are already there. They want to add another three members to demolish these institutions which are working without any amount of fraud. They want to take over the institutions which were not doing any type of fraud. They are working with absolutely no amount of fraud. To take over such institutions, they are adding more members by bringing in an amendment. Why, Sir? Sir, you have got a better experience. You have worked in various fields. I know you are a good friend of mine. I have got high regards for you. Why to add those institutions, dairy cooperatives, which are not doing any mistake, which are absolutely doing well? Tell me, Sir. In my own district, today,...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): Deve Gowda*ji*, now, the Ministry of Cooperatives has been taken away from the Ministry of Agriculture.

SHRI H. D. DEVE GOWDA: Today, they earn thousands of crores through milk cooperative societies in my own district. I do not want to take the name of Kurien. When I was the Prime Minister, I saw this. In the whole country, only Gujarat and Karnataka have Milk Federation. Today, Rs.5,000 crores is coming out of milk production. Our farmers are happy. Why do you want to disturb them? By adding another three or four members, you want to take them over. Why, Sir? You are the presiding officer, sitting at high exalted Chair. I have got highest regard for you. Such things are going to happen. You should not allow such things to happen. ...*(Interruptions)*..

SHRI RANDEEP SINGH SURJEWALA: Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*..

SHRI H. D. DEVEGOWDA: Please see that a suitable amendment is brought by your goodself, with your vast experience. ...*(Interruptions)*..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): What is your point of order? ...*(Interruptions)*..

SHRI H. D. DEVEGOWDA: Do not allow these cooperatives, which are functioning, by amending the Central Act. I am requesting your goodself. ...*(Interruptions)*..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): One minute, Gowda*ji*. ...*(Interruptions)*...

SHRI H. D. DEVEGOWDA: I know my friend......*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): The point of order is allowed. ...*(Interruptions)*..

SHRI RANDEEP SINGH SURJEWALA: It was because of the Congress Party, which was in Opposition then ...*(Interruptions)*... otherwise, Nandini would have gone, and the hon. former Prime Minister would appreciate that. It is because of the Congress that Nandini lives today as also all other cooperatives. ...*(Interruptions)*.. Do you want Nandini to be shut down? ..*(Interruptions)*..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): Devegowda*ji*, you have raised two points. One, the objection is about the State Government and secondly, Mr. Shivraj Singh is only the Agriculture Minister. He is not the Cooperatives Minister. So, whenever there is a discussion about the Ministry of Cooperatives in the House, then, you can raise these points.

SHRI H. D. DEVE GOWDA: I am reading only what is there in the Budget. I am reading that, Sir, nothing beyond that.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): Budget covers everything. But we are having a discussion on the Ministry of Agriculture.

SHRI H. D. DEVE GOWDA: It is within the ambit of the National Cooperative Policy.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): But that is a different Ministry; not under it.

SHRI H. D. DEVEGOWDA: I am requesting the hon. Agriculture Minister within the ambit of that policy. When Shri Vajpayee was there, there was the first amendment. I was there; I spoke on that. Today, again, I am reminding your goodself to do whatever is necessary not to allow such things to happen. That is all what I would like to say. I don't want to make any observation against anybody.

Sir, one is the jackfruit, and the other one is tamarind, which I have already mentioned. On that also, I have prepared a note. With your kind permission ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): Yes, you can give it to the Table Office, and they will hand it over to the Minister.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: Sir, tamarind seed is one of the best seeds available for various products, not only in India, not only in Karnataka, but outside Karnataka also. I would like to give this also because my friends should not feel that I am going to take more time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): Thank you, Sir.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: If you permit me, I will read it. Otherwise, I will give it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): No, you can give the note to the Table Office, and they will hand it over to the Minister. He can study it and do the needful.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: Okay, Sir. I don't want to consume more time.

Sir, tamarind is one of the issues which I have already brought to your kind notice. And I have a detailed note on that. Through the Table Office, it may come to your kind notice. The other one is, coconut water.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): Sir, time is 13 minutes extra.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: With Copra purchase in Karnataka, we are not satisfied. But when we approached the hon. Prime Minister, he ordered to purchase the Copra. But, unfortunately, the entire production of what Karnataka is producing, they were unable to procure. That's why I am appealing to the hon. Agriculture Minister for it. Even 60 per cent has not been procured. Though the Prime Minister has ordered, only middleman again is exploiting the situation. That is why, I appeal to your goodself to see that ... ...(*Time-bell rings.*)... I will stop, Sir. I don't disobey. As a senior leader of this House, as a senior Member ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): We have given the time.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: No, I am not a senior leader.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): Okay, now you finish.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: I will stop. I only appeal to see to it that the entire copra, which is now not taken by the Government agency, that should be taken. All should be purchased, and the farmers should be saved.

With these words, I conclude. I am grateful to you, Sir, for the opportunity. Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): Thank you. You have made very valuable suggestions. Thank you, Devegowdaji. Now, the next speaker, Shri Subhashish Khuntia.

SHRI SUBHASISH KHUNTIA (Odisha): Hon. Vice Chairman, Sir, thank you for giving me the opportunity to speak on the topic, 'Agriculture and Farmers Welfare.' I rise today to draw attention to several critical issues impacting our agriculture sector and our farmers.

Sir, I am shocked and disappointed to find that a sector which plays a dominant role in the economy of our country, its budgetary allocation stands at a mere three per cent of the total Budget, and I must say, this is inadequate for such a crucial sector. Despite the Finance Minister's emphasis on productivity and reliance in agriculture, the proposals lack substantial innovation. In this Budget, I find that initiatives such as introducing one-crore farmers to natural farming and developing digital public infrastructure for agriculture are repetitive, with no new commitments or strategies.

It is a really sorry state of affairs that though the 2018-19 Budget promised large-scale vegetable clusters under Operation Greens, its implementation remains stagnant. The strength of our nation is our federal system. In this system, both the Central and State Governments have specific areas of authority. They work together to address the nation's challenges. The coordination between States and the Centre will strengthen our progress. In this context, Sir, I would like to draw the attention of the hon. Agriculture Minister to the potato crisis in my State, Odisha. Odisha is a grappling with a persistent crisis, heavily reliant on West Bengal for supply. Our State needs over 13,000,000 metric tons of potatoes annually, but produces less than 3,000,000 metric tons. This significant supply gap affects both production and pricing, causing an artificial price hike. We need the Central Government's intervention and cooperation with West Bengal to resolve the supply chain disruption to support our potato farmers. We thank our Party leader, Naveen Patnaikji, for resolving the potato crisis by communicating with the Chief Minister of West Bengal.

Sir, here is another issue related to my State. Odisha's coastal districts, particularly, Puri and Jagatsinhpur, suffered massive losses due to the destruction of coconut trees during the 1999 cyclone. Thousands of trees were destroyed and the size and quality of coconuts have declined since. Despite this, the Coconut Board has not taken steps to restore the quality of coconut and the Union Budget has failed to address this long-standing issue of farmers.

Sir, at a time when the United Nations declared 2023 as the 'International Year of Millets', the role played by the State of Odisha cannot be undermined. There is need for establishing a 'Centre of Excellence' and Research Institute for Millets in Odisha. Odisha has made significant strides in millet production, expanding from 3,340 hectares in 2017-18 to 52,230 hectares in 2021-22. Despite cultivating six of the eleven millet varieties, the State lacks dedicated research facilities and a Centre of Excellence for millets. With the international year of millets and India's goal to lead in millet production, establishing a Center of Excellence and Research Institute, especially in Western Odisha, is crucial to advance research and to support our farmers.

Sir, my Party, BJD, has been the champion of furthering the cause of farmers, and we have been demanding an increase in the Minimum Support Price for paddy. Our demand for a higher MSP for paddy has been ignored. The recent increase of Rs. 117 per quintal to Rs. 2,300 for the year 2024-25 for *kharif* marketing season is insufficient. We need a legal framework to ensure stability, security and guaranteeing fair prices for our farmers' crops.

Sir, we need support for agriculture inputs and production costs. There is no provision to subsidize fertilizers, seeds, and pesticides leading to shortage and impacting crop yields. The lack of rationalized urea prices and inadequate support for agricultural implements and machinery further strains our farmers. Fertilizer price increase and GST imposition have added to the burden. The hon. Minister must ensure timely and adequate supply of fertilizers and provide subsidies to boost agricultural productivity.

Sir, greater investment in research is necessary for long-term agriculture advancement, enhancing productivity and developing climate-resilient varieties. It is, therefore, urged upon the Minister of Finance that she may think again to increase the agriculture research budget appropriately. The budget of agricultural research has only marginally increased to Rs. 9,941 crore from Rs. 9,877 crore the previous year.

To bring prosperity in the agriculture sector and in the life of farmers, we need to have a long-term agricultural vision. With India's population expected to peak at 1.7 billion, we need a long-term agriculture strategy. Historical investments during the Green Revolution were pivotal. We require a similar forward-thinking strategy today, which the current Budget lacks. I, once again, reiterate our demand for implementation of Swaminathan Committee's recommendations. The Swaminathan Committee's recommendation of MSP to be 50 per cent above the cost of production remains unimplemented. Reduced import duties on some crops may harm our farmers. The hon. Minister must implement the Swaminathan Committee's recommendation to enhance agricultural productivity and support our farmers. The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is grappling with many lacunae. The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana has faced delays in payments causing significant hardship for farmers in Odisha. These delays are due to Central Government's oversight and issues with the insurance companies. The scheme has been ineffective, benefiting insurance companies more than farmers. The hon. Minister must improve the implementation of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, ensuring timely claims, processing and direct payments to the farmer's bank account within 30 days of crop loss. For a State like Odisha, which is an agricultural-dependent State, when majority of people earn their livelihood from agriculture, it is a big disappointment. The Budget is silent on the actual problem faced by agriculturists for marketing their products, getting their fair price for all agriculture products, including floriculture and vegetables. Hon. Vice-Chairman, Sir, these issues are critical to the well-being of our farmers and the future of our agriculture. I urge the hon. Minister to take immediate and comprehensive action to address these concerns. Thank you. Jai Jawan, Jai Kisan. Bande Utkal Janani.

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला)ः प्रो. राम गोपाल यादव जी की रिक्वेस्ट है कि उनको फ्लाइट पकड़नी है। प्रो. राम गोपाल यादव जी, आपका टाइम 5 मिनट है, आप बोलिए।

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश)ः महोदय, आपको बहुत धन्यवाद। समय पांच मिनट का है और मंत्रालय बहुत बड़ा है। मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा है। ...(**व्यवधान**)... अलग से नहीं चाहिए, मैं शॉर्ट में ही कहूंगा। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला)ः गिरिराज जी आपको अपना टाइम दे रहे हैं।

प्रो. राम गोपाल यादवः मुझे 2004 से 2008 तक, एग्रीकल्चर कमेटी का चेयरमैन होने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कुछ दिनों के लिए माननीय मौजूदा मंत्री जी उस वक्त उस कमेटी के चेयरमैन भी थे और स्वामिनाथन साहब तो थे ही, वे बाद में आ गए थे। किसान का दुर्भाग्य यह है कि उसे कुदरत पर निर्भर रहना पड़ता है। कभी-कभी फसल पकने को होती है, गेहूं पकने को खड़ा होता है, ओले पड़ जाते हैं और फसल खत्म हो जाती है। कभी बाढ़ आ जाती है, तो धान और अन्य फसल भी चली जाती हैं। यह किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन इन आपदाओं से बचने के लिए जो प्रयास गवर्नमेंट को करने चाहिए, इसके लिए क्या किया जा सकता है, इस पर अवश्य विचार होना चाहिए। अब की बार इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी कि जब गेहूं का दाना पड़ रहा था, उस वक्त अत्यधिक गर्मी पड़ने की वजह से उसकी उपज 20 से 25 परसेंट कम हो गई। आलू के फल में जब ग्रोथ होने को थी, तो अधिक गर्मी की वजह से वह ज्यादा बढ़ ही नहीं पाया। अगर थोड़ा सा और बढ़ जाता, तो सवा गुना ज्यादा पैदावार होती। मैं उसका भुक्तभोगी हूं, मैं अपनी खेती को खुद देखता हूं, इसलिए जानता हूं। पिछले साल हमारी जितनी जमीन में 4,000 बैग आलू हुआ था, इस बार 3,200 हुआ, केवल अधिक गर्मी की वजह से। अब इसको न तो सरकार रोक सकती है, न और कोई रोक सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जो भाव मिलना चाहिए, वह भाव नहीं मिल पाता है। इस बार आलू की पैदावार कम हुई, तो भाव बढ़ गया है और घाटा नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त हमारे इलाके में मक्का बड़े पैमाने पर हुई है। हमारी मक्का रखी हुई है, कोई खरीदने वाला नहीं है। MSP की बात छोड़िए, आपने 2,200 रुपए के आसपास MSP कर दिया है, लेकिन उसको लेने वाला कोई नहीं है, हम किसको दें। वह घर पर रखी हुई है। डर यह लगा रहता है कि यह अधिक पानी बरसने पर भीग जाएगी, तो और खराब हो जाएगी, तब फिर आगे चल कर और कोई नहीं लेगा। इसलिए ये दिक्कतें हैं।

महोदय, मेरा एक सुझाव यह है कि आज भी आजादी के इतने दिनों बाद जो खेती है, उसमें जो जोतने योग्य या खेती करने योग्य जमीन है, लगभग उतनी ही जमीन ऐसी है, जो बंजर या ravines के रूप में पड़ी हुई है। उसको खेती योग्य जमीन में convert करने के लिए प्रयास किया जाए कि उसमें खेती हो सके, अगर उसमें खेती की जाए, तो बहुत बड़े पैमाने पर किसानों को लाभ हो सकता है। जो खेत जोती भी जाती है, बोई जाती है, उसमें जो irrigated है, वह जितनी बोई जाती है, उसका लगभग 55 परसेंट irrigated है। केवल 55 परसेंट। अगर वह पूरी

irrigated हो जाए, तब भी हमारी पैदावार और ज्यादा हो सकती है और किसान की आमदनी वास्तव में बढ़ सकती है। इसलिए इसके लिए प्रयास होने चाहिए।

दूसरा, जो देवेगौड़ा साहब ने कहा था, actually खेती, animal husbandry, fisheries, ये सब एक-दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। Agriculture की हमारी जो प्रमुख फसलें हैं - गेहूँ और धान, इससे जितना revenue receipt होता है, उससे ज्यादा दूध, माँस और मछली से पैदा होता है, लेकिन उसकी तरफ उतना ध्यान जाता नहीं। उससे भी ज्यादा खराब स्थिति food processing की है। अब तो मंत्रालय ही अलग हो गया, लेकिन उसको जितना महत्व दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जा रहा है। अभी भी दुनिया में सबसे ज्यादा food processing ब्राजील में होती है, 80 फीसदी के आसपास। कुछ साल पहले जब मैं इस कमिटी का चेयरमैन था, जब मैंने पता किया, तब हिंदुस्तान में यह केवल एक परसेंट थी। हमारे जो फल हैं या सब्जियाँ हैं, जो perishable vegetables हैं, हर साल लगभग 60 हजार करोड़ रुपए की नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि food processing का कोई भी proper इंतजाम नहीं है। केवल आलू के लिए कोल्ड स्टोरेज है, और किसी के लिए नहीं है। जब मैं संभल से लोक सभा का सदस्य था, तो उस इलाके में टमाटर बहुत होता था। एक दिन मैं एक क्षेत्र में जा रहा था, तो सड़क के किनारे ट्रैक्टरों से लोग टमाटर को फेंक रहे थे, निकाल रहे थे। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि साहब, कोई खरीदने वाला ही नहीं है और दो दिन बाद ये सड़ जाएँगे। अगर food processing का इंतजाम सही हो जाए, तब भी किसानों का बहुत भला हो सकता है। खाद के जरिए या इनके जरिए agriculture की एक limit है कि आप इससे ज्यादा पर हेक्टेयर पैदा कर ही नहीं सकते हैं। अगर ज्यादा खाद डाल देंगे, तो जमीन और बंजर हो जाएगी। लेकिन animal husbandry में कोई limit नहीं है। एक आदमी के पास 10 गायें हो सकती है, भैंसें हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं, इसमें तो कोई limit है ही नहीं। जहाँ पैदावार बढ़ सकती है, आमदनी बढ़ सकती है, उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। यूरिया वगैरह ये जो खादें हैं, इनका जो standard use है कि इतना प्रयोग किया जाना चाहिए, उससे बहुत ज्यादा प्रयोग होने लगा है। आगे चल कर खेती बंजर हो सकती है। और यही नहीं, एक बार पंजाब के किसानों का ब्लड सैंपल लिया गया, तो उसमें permissible limit से ज्यादा यूरिया का अंश था, क्योंकि बहुत ज्यादा manure, खाद का प्रयोग किया जा रहा था। इन सब का संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। सबसे बड़ा खतरा तो यह है कि जमीन के अन्दर पानी का स्तर इतना नीचे जा रहा है कि अगर इसको नीचे जाने से नहीं रोका गया, तो यहाँ कुछ भी पैदा नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। तब फसल के लिए पानी नहीं मिलेगा, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। दिल्ली में तो पीने के पानी के लिए टैंकर्स यूज़ करने पड़ रहे हैं। जितने तालाब थे, सब पर कब्जा हो गया। जो पोखरें थीं, उन पर मकान बन गए, कॉलोनीज़ बना ली गईं। जमीन के अंदर का जो वाटर है, वह रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। जहां पानी भरता था, जहाँ बड़े बड़े तालाब थे, लोगों ने उनसे नाले निकाल के नदियों में डाल दिये। इससे पानी जो बरसता है, वह सीधा नदियों से होता हुआ समुद्र में चला जाता है, वह कहीं रुकता ही नहीं है। माननीय कृषि मंत्री जी, आप इसका इंतजाम करिए। अगर अभी कृषि मंत्री यहाँ नहीं है, तो लेबर मिनिस्टर बैठे हुए हैं। आप जमीन के अन्दर पानी को रिचार्ज करने का इंतजाम कीजिए, वरना सारे ट्यूबवेल्स फेल हो जाएंगे। तब खेती की सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो सकेगी और पीने के पानी लिए ये जो हैंड पंप लगते हैं, इनमें से पानी निकलना बंद हो जाएगा, आदमी प्यास से मर

जाएगा, उसे पानी नहीं मिलेगा। ...(**समय की घंटी**)... मेरा आपसे अनुरोध है कि एमएसपी के बारे में इन्होंने जो कहा है, उससे मैं सहमत हूँ। उन्होंने बहुत तथ्यात्मक बातें कही हैं। आलोचना की दृष्टि से नहीं, लेकिन उन्होंने जो चर्चा प्रारंभ की थी, वह उसमें जितनी तथ्यात्मक बातें थीं, उनका कोई जवाब आप लोगों के पास नहीं है। आप चाहे उनकी कुछ भी आलोचना कीजिए, लेकिन वे तथ्य के साथ कह रहे हैं, तो उसका खंडन तो कीजिए। खंडन करने के बाद इधर-उधर से आलोचना करने से कोई फायदा नहीं होता है।

मैं तो ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ यही कहता हूं कि किसान को बचाने के लिए, जमीन के पानी को रिचार्ज करने की व्यवस्था को ठीक कीजिए। जो तालाब बह रहा है, उस पर कब्जा हो रहा है - मैंने जल शक्ति मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी। उस वक्त शेखावत जी उसके मंत्री थे। हमारे यहां बहुत बड़े-बड़े तालाब थे। जाने कहां-कहां से सर्दियों में चिड़ियाँ आती थीं, वहां बैठती थीं। सब पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। मैंने लिखा कि इसको रोकिए। डीएम, मैनपुरी को कहा। अब डिजिटल होने से, क्या आपको मालूम है कि अब क्या हो गया है? अब कोई भी लेखपाल कंप्यूटर से हमारी जमीन राजीव शुक्ला के नाम कर दे, राजीव शुक्ला की जमीन मांडविया साहब के नाम कर दे। अब ऐसा सिस्टम हो गया है कि वह कुछ भी कर सकता है। तालाबों के लिए उन्होंने यह लिख दिया कि ये किसान की पैतृक संपत्ति है। वह इतनी कीमती जमीन हो गई कि उन सब तालाबों पर कब्जे हो गए। उसको कोई रोकने वाला नहीं है। सिंह साहब, मैंने डीएम, मैनपुरी से बार-बार कहा, फिर मैंने शेखावत जी को लिखा, शेखावत जी ने स्टेट गवर्नमेंट को लिखा, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आया, बल्कि इन्हीं के पास मेरे पास जवाब गया कि यह उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग का काम है। तो मैं किस से प्रार्थना करूं? जब तालाब नहीं रहेंगे, तब पानी नहीं मिलेगा। राजस्थान वालों ने बहुत अच्छा काम किया है। पुराने सारे तालाबों को ठीक कर लिया है, इसलिए हमारे यहां तो पानी खत्म होता जा रहा है, लेकिन राजस्थान में उपलब्ध हो रहा है। ...(**समय की घंटी**)... वहाँ बारिश का पानी रुक जाता है, लेकिन हमारे यहां बारिश के पानी को रोकने का कोई इंतजाम नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि एक तो तालाबों को पुनर्जीवित करें, पानी को रोकने की कोशिश करें, अच्छे बीज सस्ते दामों पर मिलें। मैंने मक्का का बीज 580 रुपये प्रति किलो लिया। दुकानदार बोला कि यह कर्नाटक से आता है। उसका कोई बीज है, जिसका नाम है। वह बीज बहुत महंगा आता है। आलू रखने जाओ, तो बीज इतना महंगा आता है कि अगर आलू सस्ता हो जाए आलू, तो आलू के बीज की कीमत के बराबर भी आलू नहीं होता। अबकी बार तो आलू कम पैदा हुआ, तो आलू महँगा हो गया।

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): धन्यवाद।

प्रो. राम गोपाल यादव: इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य: सर, ये अच्छा बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): क्या आप इनको अपना टाइम देंगे? ...(**व्यवधान**)... क्या आप अपना टाइम देंगे? ...(**व्यवधान**)...

प्रो. राम गोपाल यादव: किसान जो केवल आकाश पर निर्भर रहता है, उसका कोई अल्टरनेटिव भी सोचिए, क्योंकि उसको बहुत दिक्कत होती है। कोई ऐसी नई फसल निकालिए, कोई ऐसे नए बीज निकालिए। मैंने तो उसे वक्त भी आईसीएआर से कहा था, जब आपके जमाने में ही, जब आप वहाँ थे, तब मंगला राय साहब उसके डायरेक्टर जनरल थे, कि जहाँ पानी कम है, तो गेहूं की ऐसी नस्ल निकालिए, जिससे कम पानी में भी गेहूं की पैदावार सही हो सके।

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): धन्यवाद।

प्रो. राम गोपाल यादव: बहुत सारी खोजें की गई हैं, late varieties भी निकाली हैं। माननीय मंत्री जी, आप अभी नहीं थे, हमने कहा कि हमारी मक्का रखी हुई है, कोई खरीद ही नहीं रहा है।

महोदय, आपने बहुत टाइम दिया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): वाइस चेयरमैन पैनल में फौजिया खान जी भी हैं और उनको चेयर पर आना है तथा उनको इस विषय पर बोलना भी है, इसलिए मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे अपना भाषण शुरू करें। डा. फौजिया खान जी।

डा. फौजिया खान (महाराष्ट्र): वाइस चेयरमैन सर, किसी ने कहा :

'लहरों के साथ तो लाशें बहा करती हैं।
अगर तू जिन्दा है, तो उठ, खड़ा हो और सवाल कर,
क्योंकि तेरे सवाल ही तुझे जिन्दा करते हैं।'

सर, आज मैं सरकार से यह सवाल करने के लिए खड़ी हूँ कि विकास तथा विकसित भारत और विश्व गुरु बनने के सपने की ओर बढ़ते-बढ़ते हमारा जो अन्नदाता देश के पोषण का जिम्मेवार है, वे क्यों दुर्लक्ष्य थे? महोदय, सरकार के लिए हमारे किसान भाइयों की पीड़ा क्यों अदृश्य हो गई है? यह विषय सरकार को चिंतित क्यों नहीं कर पा रहा है कि महाराष्ट्र के किसान भाइयों की आत्महत्या का प्रमाण इस देश में सबसे ज्यादा है? एनसीआरबी के आँकड़ों के अनुसार इस देश में 2022 में किसान भाइयों की जितनी आत्महत्या हुई है, उनमें से 37 प्रतिशत आत्महत्या महाराष्ट्र में हुई है; जिसका अर्थ यह है कि हर रोज 11 किसानों द्वारा आत्महत्या महाराष्ट्र में हो रही है। इसका कारण यह है कि किसान भाइयों के असल विषयों को एड्रेस करने में सरकार असफल रही है। ऐसा क्यों? किसान के उत्पादन की उसको योग्य कीमत नहीं मिलना, फसल के लिए लिया गया कर्ज अदा न कर पाना, नैसर्गिक आपदा आती है, तो फसल बीमा का नहीं मिलना, बरसात पर निर्भर रहना, कभी सूखे से, कभी तूफान से पीड़ित हो जाना, बिजली के प्रश्न से बेहाल हो जाना या जंगली जानवरों के प्रश्न से परेशान हो जाना - आपको किसानों की यह पीड़ा क्यों

नहीं दिख रही है? महाराष्ट्र में नवंबर, 2021 से मई, 2022 तक लगभग 2.71 लाख हेक्टेयर क्षेत्र unseasonal rains, hailstorms और windstorms से तबाह हो गये। सर, जब भी मैं महाराष्ट्र के किसी देहात में जाती हूँ, तो 'प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना' के सवाल को लेकर सब किसान घेर लेते हैं और अपनी समस्याएँ बयान करते हैं कि हमें अपना फसल बीमा नहीं मिल रहा है। अगर सरकार इन शिकायतों को अनदेखा और अनसुना करेगी, तो किसान भाइयों की आत्महत्या की संख्या बढ़ने का अंदेशा हमेशा रहेगा।

सर, महाराष्ट्र एक प्रमुख प्याज उत्पादक राज्य है। देश का 43 प्रतिशत ब्याज का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र का प्याज उत्पादक किसान आज निराश और हतबल हो गया है, क्योंकि चार महीने के निर्यात निर्बंध के पश्चात् अब 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क लिया जा रहा है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्याज कहीं दूर स्पर्धा में रह गया है। परिणामतः राष्ट्रीय बाजार में ओवर सप्लाई और कम कीमत के कारण किसान आज इतना मजबूर है कि उसका उत्पादन खर्च भी उसे नहीं मिल पा रहा है। सर, आज नुकसान ग्रस्त किसान भारी निराशा में डूबा हुआ है। सरकार किसानों की जरूरतों का हल निकालने में नाकाम हो गई है, इस कारण से न प्याज की कीमतों में स्थिरता आ पा रही है और न किसानों को उसका उचित भाव मिल रहा है। सरकार द्वारा प्याज उत्पादक किसानों की समस्याओं को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है और ये किसान पूरी तरह बेसहारा ही रह गए हैं। सर, इससे विपरीत इन निर्यात निर्बंधों से सप्लाई चेन पर विपरीत परिणाम हो रहा है, जिससे व्यापारी, एक्सपोर्टर्स भी प्रभावित हो रहे हैं। आज इन प्याज उत्पादक किसानों के लिए सरकार की ओर से तुरंत कोई पॉलिसी तय किए जाने की आवश्यकता है, ताकि इनको राहत मिल सके। इसी तरह, नागपुर के संतरा उत्पादक किसान और मराठवाड़ा के कपास एवं सोयाबीन उत्पादक किसानों की भी इसी तरह की समस्याएं हैं।

सर, मैं आपका ध्यान कुछ और विषयों की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। "नमो ड्रोन दीदी स्कीम" के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और कहा गया है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए यह योजना है। यह बहुत अच्छी बात है, परंतु इस विषय की एक बात को मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि एक ओर तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर रहे हैं, दूसरी ओर "नेशनल मिशन ऑन नैचुरल फार्मिंग" का उद्देश्य केमिकल का उपयोग कम करके सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज की वृद्धि करना है और इसके प्रावधान में 459 करोड़ रुपए से 465 करोड़ कम किए गए हैं। यानी, राशि यहां तक आ गई है, जिसमें पिछले वर्ष निधि का उपयोग केवल 21 प्रतिशत हुआ है। सर, हमारी प्राथमिकता क्या है, केमिकल फार्मिंग या नैचुरल फार्मिंग? मंत्री महोदय कृपा करके इसको स्पष्ट करें।

†**محترمہ فوزیہ خان**(مہاراشٹر):وائس چیئرمین سر کسی نے کہا ہے ـ

لہروں کے ساتھ تو لاشیں بہا کرتی ہیں،
اگر تو زندہ ہے ,تو اٹھ، کھڑاہو، سوال کر،
کیونکہ تیرے سوال ہی تجھے زندہ کرتے ہیں۔

سر، آج میں سرکار سے یہاں یہ سوال کرنے کے لیے کھڑی ہوں کہ وکاس اور وِکست بھارت اور وِشو گرو بننے کے سپنے کی طرف بڑھتے بڑھتے ہمارا جو انّ داتا دیش کے پوشن کا ذمہ دار ہے وہ کیوں درلکش تھے؟ مہودے سرکار کے لیے ہمارے کسان بھائیوں کی پیڑا کیوں ادشے ہو گئی ہے؟ یہ وِشے سرکار کو چنتت کیوں نہیں کر پارہا ہے۔ مہاراشٹر کے کسان بھائیوں کی خودکشی کا پرمان اس دیش میں سب سے زیادہ ہے .این

† Transliteration in Urdu script.

سی ار بی کے آنکڑوں کے مطابق اس دیش میں 2022 میں کسان بھائیوں کی جتنی خودکشیاں ہوئی ہیں ان میں سے 37فیصد خودکشی مہاراشٹر میں ہوئی ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر روز 11 کسانوں کی خودکشیاں مہاراشٹر میں ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کسان بھائیوں کے اصل وِشوں کو ایڈریس کرنے میں سرکار ناکام رہی ہے۔ ایسا کیوں؟ کسان کی پیداوار کی اس کے مطابق قیمت نہیں، ملنا فصل کے لیے لیا گیا قرض ادا نہ کرپانا نیسرگِک آپدہ آتی ہے تو فصل بیما کا نہیں ملنا برسات پر منحصر رہنا کبھی سوکھے سے کبھی طوفانوں سے پیڑت ہو جانا، بجلی کے سوال سے بے حال ہو جانا یا جنگلی جانور کے سوال سے پریشان ہو جانا آپ کو کسانوں کی یہ پیڑا کیوں نہیں دکھ رہی ہے؟ مہاراشٹر میں نومبر 2021 سے مئی 2022 تک لگ بھگ دو آشاریہ 71لاکھ ہیکٹر رقبے unseasonal rains, hailstorms اورwindstorms سے تباہ ہو گئے۔

سر جب بھی میں مہاراشٹر کے کسی دیہات میں جاتی ہوں تو پردھان منتری فصل بیما یوجنا کے سوال کو لے کر سب کسان گھیر لیتے ہیں اور اپنی سمسیائیں بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا فصل بیما نہیں مل رہا ہے اگر سرکار ان شکایتوں کو اندیکھا اور انسنا کرے گی تو کسان بھائیوں کی خودکشی کی تعداد بڑھنے کا اندیشہ ہمیشہ بنے رہے گا۔

سر، مہاراشٹر ایک پرمکھ پیاز پیدا کرنے والی ریاست ہے۔ دیش کی 45 فیصد پیاز کی پیداوار مہاراشٹر میں ہوتی ہے، مہاراشٹر کا پیاز کی پیداوار کرنے والا کسان آج نراش اور ہتبل ہو گیا ہے، کیونکہ چار مہینے کے نِریات بربندھ کے پشچات اب 40 فیصد نِریات شُلک لیا جا رہا ہے، اس سے بین الاقوامی بازار میں پیاز کہیں دور اسپردہ میں رہ گیا ہے پرینامت بین الاقوامی بازار میں اوور سپلائی اور کم قیمت کی وجہ سے کسان آج اتنا مجبور ہے کہ اس کی پیداوار کا خرچ بھی اسے نہیں مل پا رہا ہے۔

سر، آج نقصان زدہ کسان بھاری نراشہ میں ڈوبا ہوا ہے، سرکار کسانوں کی ضرورتوں کا حل نکالنے میں ناکام ہو گئی ہے اس وجہ سے نہ پیاس کی قیمتوں میں ٹھہراؤ رہا ہے اور نہ کسانوں کو اس کا واجب دام مل رہا ہے۔

سرکار کے ذریعے پیاز پیدا کرنے والے کسانوں کی پریشانیوں کو پوری طرح سے نظر انداز کیا گیا ہے اور یہ کسان پوری طرح بے سہارا ہو کر رہ گئے ہیں سر اس کے برعکس ان نِریات نِربندوں سے سپلائی چین پر اس کے برعکس نتائج برآمد ہورہے ہیں۔ جس سے ویاپاری ایکسپورٹرز بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ آج ان پیاز پیدا کرنے والے کسانوں کے لیے سرکار کی طرف سے فوری طور پر کوئی پالیسی طے کیے جانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو راحت مل سکے۔ اسی طرح ناگپور کے سنترہ پیدا کرنے والے کسان اور مراٹھواڑہ کے کپاس اور سویابین پیدا کرنے والے کسانوں کی بھی اسی طرح کی شکایات ہیں۔

سر میں آپ کی توجہ کچھ اور موضوعات کی طرف مبذول کرانا چاہتی ہوں۔ نمو ڈرون دیدی اسکیم کے لیے 500 کروڑ روپیے کا پراؤدھان کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ مہیلاؤں کو سشکت کرنے کے لیے یہ اسکیم ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے لیکن اس وِشے کی ایک بات کو میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں، کہ ایک طرف تو ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہم لوگ کیمیکل فرٹیلائزرزس اور پیسٹیسائیڈز کا استعمال کر رہے ہیں، دوسری طرف نیشنل مِشن آن نیچرل فارمنگ کا مقصد کیمیکل کا استعمال کم کر کے سسٹینیبل پریکٹسز کی وِردی کرنا ہے اور اس کے پراؤ دھان میں 459 کروڑ سے 465 کروڑ کم کیے گئے ہیں یعنی رقم یہاں تک آگئی ہے۔ جس میں پچھلے سال ندھی کا استعمال صرف 21 فیصد ہوا ہے۔ سر ہماری اولین ترجیح کیا ہے کیمیکل فارمنگ یا نیچرل فارمنگ؟ منتری مہو دے برائے مہربانی اس کو واضح کریں ۔

The procurement of nutri and coarse grains in Maharashtra was 135.94 thousand tonne in 2020-21 which later significantly decreased to 40.70 thousand tonne in 2021-22. In 2022-23, there was a major dip when it was just 2,000 tonne indicating a decrease of 38,000 tonne. The procurement of oilseeds, pulses and copra at MSP under PM-AASHA in Maharashtra was 57 per cent in 2019-20 which dipped to 51 per cent in 2021-22. सर, इस बजट में इनमें से किसी का जवाब मुझे नजर नहीं आया। सरकार को जागना होगा और कृषि क्षेत्र को अपनी प्राथमिकता बनानी होगी। ...(**समय की घंटी**)... केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि

زراعت کے سر اس بجٹ میں ان میں سے کسی کا جواب مجھے نظر نہیں آیا۔ سرکار کو جگانا ہوگا اور شعبے کو اپنی اولین ترجیح بنانی ہوگی۔ ---(وقت کی گھنٹی)--- صرف یہ کہنا پریاپت نہیں ہے کہ

productivity and resilience in agriculture are number one priority in the Budget. Thank you, Sir.

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): श्री बिकास रंजन भट्टाचार्य जी। आपने बड़ा पेशेंस रखा, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद।

SHRI BIKASH RANJAN BHATTACHARYYA (West Bengal): Sir, when I rise to speak on agriculture, I cannot forget that the country had witnessed, why the country, I would say, the entire world, had witnessed how the kisans fought back the pro-corporate three agricultural laws which were made by the hon. Prime Minister, Mr. Modi. And he was very much happy with that. The kisans fought for more than one year ignoring the vagaries of weather condition. Many had died. Before we discuss agriculture, we must pay respect to them. And what had happened after one year? The hon. Prime Minister beyond the House of Parliament said, "मेरी तपस्या में कोई कमी थी, इसीलिए मैं तीनों बिल वापस ले रहा हूँ।" It was violation of constitutional provision, violation of the honour of Parliament by the hon. Prime Minister. And what was the commitment made? The commitment made was that he will ensure Minimum Support Price. Minimum Support Price must have to be ensured by a statutory protection for which the kisans of the country have been fighting. They had fought a huge battle. We awarded Bharat Ratna to Dr. Swaminathan. It is welcome. But awarding Bharat Ratna and ignoring his recommendations is nothing but really showing disrespect to that particular person and his formula. Even today, the MSP in accordance with the formula of Bharat Ratna Dr. Swaminathan has not been followed.

[THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN) *in the Chair.*]

The kisans are again trying to organize their movement to demand MSP. What is the necessity of MSP having statutory protection? Now, undersell is going on in the country. Kisans are not getting back the remuneration. If kisans do not get back the remuneration and maintain their families, there will be absolute erosion in the working field of agricultural economy. Now, India is suffering from unemployment. Unemployment can be very well taken care of if we have labour-intensive productive field. Agriculture should be the best way of labour-intensive productive field which will have huge opportunities for unemployed people to get employed. As he was speaking, we have to think of having organic mechanism, organic fertilizers, etc. so that we can have better healthy production of foodgrains. If you have to have this organic cultivation, then there will be much more labour intensive programme which

will employ huge number of people and take care of unemployment situation. We are not doing that. If we do not secure the minimum support price, I am told by kisan leaders, who have been working in the field and living with kisans, that they will leave this field. That will be a danger for the country if kisans gradually go out of agricultural economy and try to be a part of service economy. In effect, we have seen that involvement of the working force in the agricultural economy is gradually coming down. We talk of Atmanirbhar Bharat but even in the field of fertilizers, we always depend on import of fertilizers. Instead of developing our own fertilizer corporation, which initially was there, we really depend on import and that import factor again affects the agricultural economy. That is why, there is lower growth rate in the crop sector. If we have to control the lower growth rate, then we have to be more attentive to the agricultural field. Invest money. Mere allocation of funds would not fetch benefits. You are allocating funds but these funds are not properly utilized. That is the report. The share of crop production in Gross Agriculture Value Added at current prices has decreased from 65 per cent 2011-12 to 55 per cent in 2022-23. Production of cereals, fruits and vegetables accounted for about 50 per cent of the total crop production in 2023. Cereals, such as paddy, wheat, maize and bajra, have the highest output. Now, the question comes: If we have better food production which is perishable in nature, what would be your next responsibility?

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): Sir, now, you have to wind up.

SHRI BIKASH RANJAN BHATTACHARYYA: Your responsibility would be to have food processing industries. You encourage them; you encourage cooperative societies to build up and go for food processing to secure country's economy. That is not being done. On the contrary, we find that total allotment for agricultural products has been reduced gradually.

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): Thank you, Sir.

SHRI BIKASH RANJAN BHATTACHARYYA: As far as international trade is concerned, again, you are depending on import, not on export. If we have a better production, we could have export-oriented food products and earn huge foreign exchange. We have seen that there are...(*Time-bell rings.*).

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): Sir, your time is over.

SHRI BIKASH RANJAN BHATTACHARYYA: I will just appeal to you. Having seen the functioning of the Government, one particular film comes to my mind. I believe Satyajit Ray is known to everybody in the world. He is one of the best filmmakers and internationally famed. I believe my friends on the other side also have heard his name. He produced a film called 'Hirak Rajar Desh'. In the kingdom of Hirark Raja, the diamond king used to please his associates by distributing diamond necklace, but the diamond workers were not getting their food. Madam, I would request you to please make an arrangement to exhibit that film to the Benches on the other side so that they can learn what the reality in life is and how they have to be ultimately treated. In that film, there was a magical singer. He invites the king to come down, go out of his room. Go to the field and listen to them. I would invite the hon. Ministers. Let us go out of this Chamber. Let us go to the fields.

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): Your time is up. *...(Interruptions)...*

SHRI BIKASH RANJAN BHATTACHARYYA: Let us hear these *kisans* who have been demonstrating throughout the year and then come to conclusion and make your budget. With this, I conclude. I am sure you will go and see Hirak Rajar Desh and then come back.

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Madam, there has been so much of discussion about increasing the income of the farmers. I would invite the attention of the hon. Agriculture Minister. He just came from Madhya Pradesh but he knows what the ground realities are. In 2016, the Prime Minister declared that the farm income will be doubled in 2022. That was his statement. Fair enough! यह बात सही है न, सही है। In 2018, the Inter-Ministerial Committee submitted a report to the Government of India - How the farm income can be doubled. भूल गए। Nobody knows where the report is. Now, the Economic Survey says that we have to undertake comprehensive reforms to revive the agriculture sector. मिनिस्टर साहब आपकी Inter-Ministerial Committee का क्या हुआ, आपकी कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ? What has happened? Have you forgotten about that? *...(Interruptions)...* Have you forgotten? Now, two names are being taken by the BJP Members every time - Dr. Swaminathan. They do not know that Dr. Swaminathan is a product of Kerala. ये मलयाली हैं, brought up in the neighboring State of Tamil Nadu. We contributed the talent called Dr. M.S. Swaminathan. Dr. M.S. Swaminathan must be turning in his grave hearing their * Is it not a fact that he

* Expunged as ordered by the Chair.

proposed a formula on how to save the farmers of this country? Now, every time, मेरे दोस्त अग्रवाल जी और नागर जी, they are blaming the Congress. Did you do it? Did you believe in the report of M.S. Swaminathan? That is the question. उनसे क्यों पूछना? आपको दस साल मिल गए हैं How long will you continue to blame the Congress? ...*(Interruptions)*... How long? ...*(Interruptions)*... कितने साल और आप लोग उसको ब्लेम करेंगे?...(**व्यवधान**)... I have a request. Please make sure that the Treasury Benches do not look at the Congress Members hereafter. Let them look at themselves, what they were doing for 10 years. कितने साल और आपको चाहिए, आप बताइए। हम आपको एक साल और देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे।

Madam, second thing is about *Bharat Ratna* to Charan Singh*ji*. एक तरफ किसानों को गोली मार रहे हैं, दूसरी तरफ चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया। ...*(Interruptions)*... That was the only intention. ...*(Interruptions)*... If they were genuine.....*(Interruptions)*...

मैडम, मेरा टाइम जा रहा है। ...(**व्यवधान**)... That was the only intention. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): Please be seated. ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: No, no. ...*(Interruptions)*... I will not yield. ...*(Interruptions)*... मैडम, मेरा टाइम जा रहा है।...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): Hon. Members, please sit down. ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: Madam, please. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): Please be seated. ...*(Interruptions)*... Hon. Members, please sit down. ...*(Interruptions)*... I request you, please sit down. ...*(Interruptions)*... Dr. John Brittas, please look here. Please look at me and speak. ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: Madam, please pause my time. ...*(Interruptions)*... They are taking my time. ...*(Interruptions)*...

Content Page

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): Please sit down. ...*(Interruptions)*... Please be seated. ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: Madam, the Economic Survey said that 78.5 lakh jobs have to be created because the agriculture sector is fading off. ...*(Interruptions)*...

6.00 P.M.

And, now, the Economic Survey says 'that we have to go to the roots.' These were the same people...

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): Dr. John Brittas, I just want to make an announcement please. Hon. Members, it is 6.00 p.m. now and hon. Chairman had already announced today morning that after all the speakers in the discussion on the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare have spoken today, the Minister will give the reply tomorrow at 1.00 p.m. As we are in the midst of the discussion, if the House agrees, we may sit late today to complete the list of speakers. Do I have the leave of the House to sit late today?

SOME HON. MEMBERS: Yes.

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): Thank you. ...*(Interruptions)*... Please sit down, everyone. ...*(Interruptions)*... Please make order in the House. ...*(Interruptions)*... Sit down, please. ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: Madam, now, all of a sudden, the Finance Minister has come up to the House saying, natural farming. अरे, कितने सालों से तो केरल में ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है। You know what is the hypocrisy! I will expose you. In the last year's Budget, they had allocated Rs. 459 crores for natural farming. How much did they spend? It is Rs. 100 crores. They spent Rs. 100 crores. That is the difference between their words and deeds. Now, Madam, only two demands are there. One is legalise the MSP. Don't blame the Congress. That is why, they have been punished and put here. You are in the ruling party. You legalize the MSP; second, widen the base of the MSP. From Delhi, we were asked to go for cash crops. Keralite farmers went for farming. They produce.... ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): Dr. John Brittas, kindly wind up. ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: No, Madam; I was disturbed. ...*(Interruptions)*... They went for rubber. Now they say, "No, no; MSP is limited to certain crops and only because of Delhi's intention and instigation and inspiration, we went for cash crops. What is happening within the cash crops in Kerala? They are importing. The prices of the cash crops are crashing in Kerala. We have been craving, we have been demanding and requesting to kindly increase the import duty of rubber and other things.

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): You will have to wind up. ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: Madam, please. They have... ...*(Interruptions)*... Without fertilizers, you can't do farming. They are all farmers. I will give you a statistics. There is a massive decline in the allocation of the fertilizer subsidy to the tune of 25 per cent. Whatever they say in the Budget propositions, whatever they say, the actual statistics are different. ...*(Interruptions)*... Now, again, there is a new revolution that has been brought to the floor of the House. What is the new revolution? (*Time-bell rings.*) It is co-operative initiative. What is a co-operative initiative? It is to usurp into the powers of the States. What is the business of the Central Government to get into the co-operative sector? They want to wean away the powers of the States. They want to finish it off, and even the allocation for the co-operative sector which they have done last time, they didn't utilize it. These are the same people who allocated amount but they will not utilize that amount. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): Your time is up. ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: I am winding up. Why people are shifting away from agriculture? ...*(Interruptions)*... Agriculture is not remunerative. They are not getting the wages. The Finance Minister conveniently forgets an aspect that -- मिनिस्टर साहब, आप सुनिए -- just before the Interim Budget, Madam came with a review report. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): You wind up now. ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: Madam, thirty seconds....*(Interruptions)*...She said that there is a tectonic shift that is happening. Women are going into the agriculture sector. Now, what is it? ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): Now, I will call out the next speaker. ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: Twelve per cent of the women who are working in the agriculture sector do not have a wage...

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): Now, Shri Madan Rathore*ji*. ...*(Interruptions)*...

श्री मदन राठौड़ (राजस्थान): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे जॉन ब्रिटास जी के बाद बोलने का मौका दिया है। मुझे तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि ये सभी विपक्ष के लोग एम.एस.स्वामीनाथन की बात कर रहे थे, लेकिन इनको यह नहीं पता है कि स्वामीनाथन आयोग का विरोध किसने किया था ? और आप उन्हीं के साथ बैठे हो। मैं आपको बताना चाहूंगा...(**व्यवधान**) ...2007 में श्री कांतिलाल भूरिया कांग्रेस के मंत्री थे। उन्होंने लोक सभा में सदन के अंदर जवाब दिया था कि स्वामीनाथन आयोग की बात नहीं मानी जा सकती। उन्होंने यह कहा था कि इससे बाज़ार विकृत हो सकता है। उन्होंने 28 जुलाई, 2007 में कांग्रेस के कैबिनेट नोट में भी यह बात कही थी कि लागत कम करने से वृद्धि निर्धारित करना बाजार को विकृत कर सकता है। यही नहीं 2008 में, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब उन्होंने भी यह कहा था कि औसत लागत से कम 50 प्रतिशत अधिक होना चाहिए। हालांकि, इस सिफारिश को सरकार ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि एमएसपी की सिफारिश सी.ए.सी.पी के द्वारा की जाती है, जो अन्य बातों से संबंधित है। महोदय, उन्होंने मना किया था। यही नहीं, माननीय राज्य मंत्री के.वी, थॉमस जी ने 2010 में कांग्रेस के राज में यह जवाब दिया था कि किसी भी कीमत पर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू नहीं की जा सकती है। ...(**व्यवधान**)...इसे अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के आधार पर प्रासंगिक कारकों की विविधता पर विचार करते हुए निरस्त किया गया। यही नहीं, कांग्रेस के राज्य मंत्री श्री तारिक अनवर ने 10 दिसम्बर, 2013 को जवाब दिया था और कहा था कि स्वामीनाथन की मांग को इसीलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता और 50 प्रतिशत वृद्धि से बाजार विकृत हो सकता है। उन्होंने इस प्रकार की बात कही थी। ...(**व्यवधान**)...मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, और सुनिए...(**व्यवधान**)...आप सुनिए कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश कब लागू हुई। महोदया, 2018 में स्वामीनाथन आयोग की एमएसपी नीति सिफारिश लागू की गई थी। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपको बताना

चाहूंगा कि ये कांग्रेस के नेता थ्रो एंड रन - बोलो और भाग जाओ करते हैं। ...(**व्यवधान**)...मतलब, यह क्या बात हो गई? आप सुनो तो सही। महोदया, आप देखिए कि बाजरा का मूल्य 2013 में 1,250 रुपये प्रति क्विंटल था, पर हमने 2024-25 में 2,625 प्रति क्विंटल किया, जौ का मूल्य 1,100 रुपये प्रति क्विंटल था, पर हमने 1,850 रुपये प्रति क्विंटल किया। महोदया, आप ज्वार और धान को भी देखिए। महोदया, धान का मूल्य 1,345 रुपये प्रति क्विंटल था, पर नरेन्द्रभाई मोदी जी ने इसको 2,320 रुपये प्रति क्विंटल किया। आप इस बात को मत भूलिए कि 2013-14 में गेहूँ का मूल्य 1,400 रुपये प्रति क्विंटल था, पर हमने 2,275 रुपये प्रति क्विंटल किया।

महोदया, मैं आपको अभी 2024-25 की बात बता रहा हूं। सुरजेवाला जी बहुत बोल रहे थे, पर मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मसूर का भाव, जो 2,950 रुपये प्रति क्विंटल था, वह अभी 6,425 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। कितना गुना किया है - आप इसका हिसाब तो कीजिए। आप केवल बातें करते हैं और उनके साथ में बैठते हैं। आप केवल घड़ियाली आँसू मत बहाइए, यदि वास्तव में ही किसान के हितैषी हैं और हिम्मत है, तो इधर आकर बैठिए, आप उधर किसान के हितैषी नहीं हैं।

महोदया, मैं आपको किस-किस की बात बताऊं? मैं आपके सामने कई बातें रख सकता हूं। वे अभी खरीद की बात कर रहे थे। महोदया, 2004 से 2014 तक दलहन की खरीद केवल 6.29 लाख मीट्रिक टन की थी, लेकिन हमने कितनी खरीद की? हमने 1.70 करोड़ मीट्रिक टन खरीद की। आप किसकी तुलना कर रहे हैं? ये आंकड़े कपोल कल्पित नहीं हैं। यदि माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया चाहेंगी, तो मैं इन्हें भी बता सकता हूं। महोदया, आप धान की खरीद देखिए। आपने धान की खरीद 45.90 करोड़ मीट्रिक टन की थी, हमने 69.18 करोड़ मीट्रिक टन खरीद की। यही नहीं, अगर मैं गेहूँ की बात कहूँ, तो आपने गेहूँ की 21.40 करोड़ मीट्रिक टन की खरीद की थी, पर हमने 33.39 करोड़ मीट्रिक टन खरीद की, आपने 2014 तक तिलहन की 50. 64 लाख मीट्रिक टन खरीद की, पर हमने 87 लाख मीट्रिक टन खरीद की थी। आप खरीद की बात करते हैं! आप ऐसी बातें मत बोलिए, आप सही बात बोलिए। आप जो फसल बीमा की बात करते हो, तो काँग्रेस के समय में तहसील को ही इकाई माना गया था। हमने क्या किया - हमने इंडीविजुअल किसान की फसल को बीमित करने का काम किया। उपसभाध्यक्ष महोदया, यही नहीं, किसान फसल बोता है, तब बीमा होता है। फसल खड़ी हो जाए और बेमौसम बरसात हो जाए, तब भी बीमित है। किसान की फसल तैयार हो जाए, तब भी बीमित है। मंडी तक ले जाए, बीच में कोई दुर्घटना हो जाए, तब भी किसान की फसल बीमित है। यह हमने किया, नरेन्द्र मोदी जी की हमारी सरकार ने किया। आपने यह बिल्कुल नहीं किया था। यही नहीं, हमने खेतों के पास में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी किया है। हमने 48,352 परियोजनाओं के लिए 35,262 करोड़ रुपया मंजूर किया। यही नहीं, 11,165 गोदाम बनाए। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पर किसान मानसून पर निर्भर करता है। मानसून की फसल एक साथ मार्केट में आती है और बाजार में भाव घट जाते हैं। यह नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट किसने दी है? किसान अपनी फसल गोदाम में रख सकता है, उसकी कीमत का 80 प्रतिशत उधार बैंक से ले सकता है और अपने साहुकारों का पैसा चुका सकता है। जहाँ कहीं भी मार्केट मिले, वहाँ पर मंडी में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में अपना माल कहीं भी बेच सकता है, इस प्रकार की व्यवस्था दी है। किसान की चिंता हमने की है। आपने

मृदा परीक्षण के बारे में कभी भी नहीं सोचा। अभी समाजवादी पार्टी के राम गोपाल जी बोल रहे थे...

उपसभाध्यक्ष (डा. फौजिया खान): आपको wind up करना पड़ेगा। आपका टाइम समाप्त हो रहा है।

श्री मदन राठौड़: मैं समाजवादी पार्टी के सांसद से एक निवेदन करता हूँ कि उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई गेहूं ईजाद करो, जो कम पानी में पैदा हो सके। यह चिंता किसने की? मृदा परीक्षण का काम नरेन्द्र भाई मोदी जी ने किया। यही नहीं, सिंचित क्षेत्र के लिए भी दिया। मैं आपको बताऊँ कि पहले 2013-14 में कृषि मंत्रालय में सहकारिता, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य और कृषि में केवल 30,232 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जबकि अब मंत्री जी ने केवल कृषि मंत्रालय में 1,25,035 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह कोई कम बात नहीं है। यही नहीं, आप एक बात को समझिए...

उपसभाध्यक्ष (डा. फौजिया खान): आप बैठ जाइए। अब आपका समय समाप्त हो गया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री मदन राठौड़: आपने उनको तो समय दिया। ...(**व्यवधान**)... आप ऐसा मत करिए। मुझे मेरी बात को रखने दीजिए। यही नहीं, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूँगा।

उपसभाध्यक्ष (डा. फौजिया खान): आपका समय समाप्त हो गया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री मदन राठौड़: किसान सम्मान निधि - क्या आपने कभी दिया, कर्जा माफ किया? हमने कितना किया - किसानों को 68,000 करोड़ रुपया दे दिया। यह बात आप कैसे कह सकते हैं। किसान की चिंता अब नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार कर रही है। आप में से कोई नहीं कर रहा है। केवल * बनाने के लिए... माफ कीजिएगा, * शब्द नहीं कहना चाहिए। केवल बरगलाने के लिए असत्य बोलकर... मैंने कह दिया, मैंने माफी माँग ली। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): It will be removed.

श्री मदन राठौड़: यही नहीं, आप देखिए कि नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की। ...(**व्यवधान**)... यही नहीं, आपके समय में यूरिया कारखानों में काम आता था और हमने नीम कोटेड यूरिया दिया, जो केवल किसान के काम में आता है। आप यह बात समझिए कि यह कोई कम बात नहीं है। आप टमाटर और प्याज की बात करते हैं, तो प्रसंस्करण करने का काम किसने

---

* Withdrawn by Hon. Member.

किया - हमारी सरकार ने किया। आपने कभी भी उसकी चिंता नहीं की। मैं एक निवेदन करके, अपनी बात को समाप्त करूँगा। ये काँग्रेस के लोग इतने मतलबी हैं कि जो बैलों की जोड़ी पहले इनका चुनाव निशान था, उसे इन्होंने हटा दिया। फिर लाए गाय बछड़ा, लेकिन गो-हत्यारे इनके साथ में जुड़ते गए और ये हाथ का पंजा लेकर आए। हमारी भावनाओं से खेलते हैं।

श्री कुँवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह (उत्तर प्रदेश)ः उपसभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक किसान को आज आपने कृषि पर बोलने का एक मौका दिया। मुझे बड़ा गर्व है कि आज भी मैं किसानी करता हूँ और खुद खेती करता हूँ। बाकी लोगों के खेत भले ही हो सकते हैं, लेकिन वे खेत पर नहीं जाते हैं। मैं जब भी पडरौना में रहता हूँ, तो अपने खेत पर जरूर जाता हूँ और मेरे परिवार का कोई व्यक्ति रोजाना खेती करवाता है। आज आपने पूर्वांचल के एक व्यक्ति को एग्रीकल्चर पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। हमने विपक्ष के बारे में बहुत बातें सुनीं। मैं सिर्फ कुछ चंद बातें कहना चाहता हूं, क्योंकि आंकड़े जो मदन राठौड़ जी ने दिए हैं, वे मुंह बंद करने के लिए बहुत हैं, तो आंकड़ों के बारे में मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं। मैं समझना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि तीसरी बार हारने के बाद अब हम तीन चार चीज़ों की बात ही विपक्ष से सुनते हैं। जैसे ही तीसरी बार नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनी है, तो अब इनको अन्नदाता भी याद आता है, क्योंकि अन्नदाताओं ने ही इनको तीन बार विपक्ष में रखा है। आज पिछड़ों की बात इनको याद आती है। इनको एमएसपी की बात याद आती है। तीसरी बार हारने के बाद आज अन्नदाता हो, पिछड़ा वर्ग हो, एमएसपी हो, ये सभी बातें इनको आज ही याद आ रही हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों ने, अन्नदाताओं ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, ट्राइबल्स ने इनको तीसरी बार विपक्ष में बैठाया है। मैं सिर्फ एक आंकड़ा देना चाहता हूं। विपक्ष ने बड़े-बड़े फिगर्स बताए कि इतना कम हो गया, उतना ज्यादा बढ़ गया और ऐसा हो गया। 2013 और 2014 में खेती के लिए बजट एलोकेशन कितना था, इस पर कोई चर्चा नहीं थी ...(**व्यवधान**)... इसीलिए तो मैं यहां हूं। खेती, ओबीसी और बाकी लोगों की जो आप लोगों पर कार्रवाई है, इसकी वजह से मैं यहां उपस्थित हूं, समझे! ...(**व्यवधान**)... आप सुनिए, सुनते जाइए ...(**व्यवधान**)... मैडम, 2013-14 में एलोकेशन कितना था - 21,934 करोड़, चलिए 22,000 करोड़ मान लेते हैं - इन्होंने 22,000 करोड़ खेती के लिए आवंटन किया था और इस बार कितना किया गया है - 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा, जो कि पांच गुना है। आपको सुनाई दिया कि कितना है! जयराम रमेश जी, कितना है?...(**व्यवधान**)... पांच गुना। वे लोग किसानी पर बात कर रहे हैं, जिनको तोरा और तोरी में फर्क पता नहीं चलता है। ...(**व्यवधान**)... किसानी पर वे बात कर रहे हैं कि तोरा और तोरी का रंग क्या होता है, वे बातचीत नहीं कर पाएंगे। हरियाणा के एक नेता कह रहे थे कि एमएसपी का क्या हुआ हमारी सरकार ने सिर्फ 23 परसेंट गेहूं खरीदा। अगर ये गेहूं की खेती करते, तो जो सबसे गरीब किसान भी होता है, जो गेहूं बोता है, तो साल भर के लिए अपना गेहूं घैले में रख लेता है। अब इन्होंने गेहूं कभी बोए हों, तब तो जानें! ...(**व्यवधान**)... तो सारा एमएसपी कैसे दे देंगे! छोटा किसान हो, बड़ा किसान हो - चौधरी साहब, जो किसान हैं, खेती करते हैं, तो गेहूं के कुछ दाने घर पर भी रखे जाते हैं, न कि सारा एमएसपी पर बांट दिए जाते हैं। ...(**व्यवधान**)... कमाल की बात है कि कैसे एमएसपी में 23

परसेंट उठाया या उतना नहीं उठाया! मैं तो पूर्वांचल से आता हूं। ...(**व्यवधान**)... मैं खुद गन्ना किसान हूं।

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): Please ...*(Interruptions)*...

श्री कुँवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह: आज जब से केंद्र और प्रदेश में ...(**व्यवधान**)... हां जी, मेरे पिताजी राजा थे, अब कोई राजा नहीं है। आप अपने आपको राजा बनाते रहो। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): Hon. Members ...*(Interruptions)*...

श्री कुँवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह: मैं आपको साफ तौर से बताना चाहता हूं कि ये भ्रम की राजनीति करना चाहते हैं। इनको भारतीय जनता पार्टी से नफरत हो सकती है, तो हो, बहुत अच्छी चीज़ है कि इनको नफरत है। अब तो ये कमल को भी गाली देने लग गए हैं। इनको मालूम नहीं है कि कमल किसका सिंहासन है - मां सरस्वती का है। मां सरस्वती क्या देती - सद्बुद्धि और ज्ञान। अगर उसकी कमी रहेगी, तो इसकी वजह से आज ये बात नहीं कर पाते हैं। ये सद्बुद्धि वाली बात नहीं करेंगे। ...(**व्यवधान**)... अगर आज गन्ना किसान कुशीनगर में वक्त पर गन्ना गिराता है, सही मूल्य मिलता है और 15 दिन के अंदर पेमेंट गन्ना किसान को मिलती है। उसके बारे में ये चर्चा नहीं करेंगे। मैडम, तमाम और मुद्दे थे, पर तमाम लोगों ने, हमारे नागर साहब ने भी बहुत विस्तृत जानकारी दी। फसल बीमा योजना की बात हुई, ये उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ये कहेंगे कि कमियाँ हैं, फिर आपने ही फसल बीमा योजना शुरू कर दी होती! आपने फसल बीमा योजना क्यों नहीं शुरू की? आपने किसान क्रेडिट कार्ड में कितने पैसे दिए? आपने Soil Health Cards कितने दिए? अच्छा, आपके टाइम में Soil Health Card तो होता ही नहीं था, क्योंकि खेती से क्या मतलब है, भाषण देते रहना है। आज 30 लाख से ज्यादा लोगों के पास Soil Health Cards हैं। किसान सम्मान निधि के बारे में तो इन्होंने चर्चा ही नहीं की। यह अच्छा कार्यक्रम है या खराब कार्यक्रम है, विपक्ष ने इस पर कोई चर्चा नहीं की। 11 करोड़ किसानों को 3.20 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे मिले हैं। यह अच्छा कार्यक्रम है या खराब, यह कौन सा कार्यक्रम है, इस पर कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि इनको किसानों से मतलब नहीं है। अगर इनको सिर्फ मतलब है, ...(**समय की घंटी**)... मैडम, मेरा समय खत्म हो गया है। अंत में, मैं माननीय कृषि मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि हमें पूरा भरोसा है, जिस तरह से आप मध्य प्रदेश की खेती को बदल कर पंजाब से आगे ले गए थे, इसी आने वाले समय में नरेन्द्र मोदी जी के 10 सालों में उनके नेतृत्व में ...

उपसभाध्यक्ष (डा. फौजिया खान): धन्यवाद, माननीय सदस्य।

श्री कुँवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह: पूरे देश की खेती को आप आगे ले जाने का काम करेंगे। माननीय मंत्री जी, मुझे पूर्ण विश्वास है।

मैडम, मैं एक माँग करना चाहता हूँ। मैं पूर्वांचल से आता हूँ, हमें एक जमाने में चीनी की कटोरी कहा जाता था। गन्ने की सारी फैक्टरियाँ हमारे यहाँ थीं और गन्ना हमारे यहाँ होता था।

अगर इस बजट में या आगे चल कर आने वाले बजट में इसके लिए कोई स्कीम लाई जाए, तो बहुत अच्छा होगा। ...(**समय की घंटी**)... अगर ज्यादा से ज्यादा गन्ने की फैक्टरियाँ पडरौना में लगें, कुशीनगर में लगें, महाराजगंज में लगें, देवरिया में लगें, गोरखपुर में लगें।

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): Thank you very much, hon. Member, your allotted time is over.

श्री कुँवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह: अगर इन इलाकों में और फैक्टरियाँ लगेंगी, तो गन्ना किसान और खुशहाल होगा।

मैडम, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): Hon. Member, Ms. Dola Sen has to go somewhere. So, if I have permission of the House, I will permit her to speak. Thank you.

MS. DOLA SEN (West Bengal): Thank you, Madam. On behalf of my Party, All India Trinamool Congress, I demand that 18 per cent GST on life and health insurance premium imposed by the hon. Finance Minister should be withdrawn immediately; I support hon. Minister, Shri Nitin Gadkari's appeal to the hon. Finance Minister. Either withdraw it or resign.

* "Madam, I take the floor to speak on behalf of All India Trinamool Congress on the Working of the Ministry of Agriculture in Bengali, which is my mother tongue. I am grateful that my leader, Smt. Mamata Bandyopadhyay, had been on hunger strike for 26 days to protest against the colonial Land Acquisition Act and for the rights of the farmers.

Madam, first of all, we have to spare a thought for the poorest of the poor farmers. The Union Government does not do that. In the last eight years, in the agriculture sector, the wages of farm labourers have increased by Rs. 3.00 only per annum whereas the food inflation is touching 9 per cent now. How will these people survive? They are our 'Annadatas'.

Madam, the funds of MGNREGA, which is due to Bengal is not being paid since last 3 years, that is, since 2021. Leaving aside political vendetta, return the hard earned money of the common people.

Madam, Shri Nadda Ji yesterday talked about many schemes like PM Kisan Samman Nidhi Yojana. I would just like to give some references from Bengal. Under

* English translation of the original speech delivered in Bangla.

Krishak Bandhu Scheme, for agriculture, our Chief Minister, Ms. Mamata Bandyopadhyay, provides an assistance of Rs. 10,000 in two instalments of Rs. 5000 each, twice a year. This huge amount is not paid under the PM KIsan Samman Nidhi Yojana. Under Krishak Bandhu Scheme, the loans of all farmers including sharecroppers have been waived off by Ms. Mamata Bandyopadhyay. This is not the case with PM KIsan Samman Nidhi Yojana. Those who get crop insurance coverage, on their behalf, the entire premium amount is borne by the Mamata Bandyopadhyay-led State Government. This doesn't happen in PM Kisan Samman Nidhi Yojana. Under Krishak Bandhu Scheme, farmers who attain 60 years of age are paid monthly pension, which is not the case with the central scheme PM Kisan Samman Nidhi Yojana. If any farmer aged 18-60 dies, State Government pays a compensation of Rs. 2 lakhs to the family. This also is not the case with PM KIsan Samman Nidhi Yojana.

If the Union Government follows the schemes of Bengal, farmers of the entire country will be benefitted. Tell them to do so, madam.

Much have been talked about potato production and supply to Odisha in Rajya Sabha but from 2021 till date we have observed that since the supply of the fertilizer NPK 10:26:26 has come down from 4.5 lakh metric tonnes to 2.3 lakh metric tonnes, there is immense pressure on the farming community. If excess quantity of potato is produced in Bengal, we would be happy to share it with our neighbouring states. But excess production is not there because of much less supply of fertilizer. The Union Government should look into this and Odisha should also talk to Union Government about this.

And while taking back the farm laws, Prime Minister had made certain promises. It was assured that the Minimum Support Price would be enhanced by 50 per cent.. Kindly do that. Stand by the 'Annadatas', the farmers.

Madam, farmers, workers, poor people, daily wagers travel by trains daily. So railways are our lifeline. Please save the railways. Every day, accidents are taking place. So look into that. Save the railways, save the farmers. Thank you, Madam.

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): Thank you, Madam. The next speaker is Dr. M. Thambidurai.

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Madam, on behalf of my Party and my Leader, Edapaddi Palaniswami, I rise to participate in the discussion on the functioning of the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare. We know very well that our Agriculture Minister is very famous in Madhya Pradesh. He has done a lot of work and promoted agricultural activities, especially, by constructing more irrigation projects. Now, I want

to bring to his kind notice the problem which our Tamil Nadu farmers are facing. As you know, Madam, Thanjavur in Tamil Nadu produces maximum rice and it is rightly called as the Rice Bowl of Tamil Nadu because of its agricultural activities in the delta region of the Cauvery river. The delta farmers suffer for want of sufficient water for agricultural activities. They depend on water from the Cauvery river. Since the Karnataka Government refused to release water, the dispute went to the Tribunal, which gave an award. But the Karnataka Government continues to refuse to release water into Cauvery, as mandated by the Tribunal on the dates mentioned by the Tribunal. Whenever there are floods in Karnataka and it cannot store water, then, only it releases water into Cauvery. I request the Centre and the Union Agriculture Minister to prevail upon the Government of Karnataka to adhere and abide by the award of the Tribunal.

Secondly, Madam, there is a proposal by the Karnataka Government to construct Mekedatu dam over Cauvery river. As regards drinking water, 18 TMC water was awarded. We are not against the drinking water award but they can take drinking water from Krishna Rajasagara Dam. It is not necessary to construct a new dam. If a new dam is constructed, it will affect the Tamil Nadu farmers.

My next point is this. We have been urging the Central Government to implement the Inter-linking of Rivers of Godavari-Krishna-Cauvery-Palar, which would solve the total water problem of Tamil Nadu. Our Edapaddi Palaniswami when he was the Chief Minister went on insisting to implement this programme. The Central Minister also came and our present Transport Minister, Mr. Gadkari, promised that he is going to implement this programme. I would request the hon. Minister to consider this.

Another important issue is this. It is related to my area. There is one South Pennaru River which comes from Karnataka to Tamil Nadu. The water is coming. Sometimes, because of the already silted dams, one new dam is required to be constructed. Anekal, podur is one place in Krishnagiri district near Hosur. Venniyode is another place where two hills are there. Water is coming from the Pennaru river there. If, over Pennar, you construct a new dam, then, water can be saved for agricultural activities. In Krishnagiri district, one part is very fertile and another part is not that fertile. Therefore, when you are implementing these kinds of programmes, this new dam, if constructed in Venniyode in Krishnagiri district, it will irrigate most of the areas like Vepanappalli, Mekalachinnampalli, then Vardanapalli, Bargur, Mattoor, in Krishnagiri district.

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): Please take your seat.

Content Page

DR. M. THAMBIDURAI: Therefore, after getting water, it would not only irrigate this area, but this water can also be taken to the Vellore district. In Vellore district, they are demanding this. This water can be taken there. Therefore, Madam, this project is very important and we have gone on insisting about this. I have raised it many times in Parliament also because this is an inter-linked river. Pennaru starts with Karnataka. It comes to Tamil Nadu, then, it reaches Pondicherry also. Therefore, this inter-linking of rivers is important. That is why I am insisting here that the Central Government should come forward to implement this plan by constructing a new dam. When they construct the dam, as I said, the whole Krishnagiri district and Vellore district will be irrigated and the farmers will benefit from that. This is what I am requesting.

Another thing is, ...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. FAUZIA KHAN): Please wind up.

DR. M. THAMBIDURAI: We are producing a lot of rice in Tamil Nadu, but procurement is very less. However, in Punjab, Haryana, etc., you are procuring and giving it to ration shops. What about our area? In Thanjavur area alone, they are procuring, but in other parts they are not procuring. ...(*Time-bell rings.*)...

Therefore, to save the farmers, we have to procure uniformly. In Uttar Pradesh, once they procured rice from all the areas, but, in Tamil Nadu, they are procuring from just one region. Therefore, to save the farmers, I request the hon. Minister to give instructions that all the rice that they are producing must be procured and given to the other regions. Only then the farmers can be safeguarded.

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): Thank you.

DR. M. THAMBIDURAI: I have raised three issues, Madam. One, we have to get the water from the Cauvery to the delta area. Secondly, Mekedatu is not necessary. They can give drinking water taking water from the Krishnaraj Sagar dam. We have no objection at all. We are not objecting to the Tribunal awarding drinking water to Bangalore.

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): Thank you, your time is up, Sir.

Content Page

DR. M. THAMBIDURAI: Therefore, that can be done, and a new dam, which as I requested in South Pennar, can be constructed. That will solve our Tamil Nadu's farmers' problem. Thank you very much.

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): Thank you. Shrimati Maya Narolia. Seven minutes.

श्रीमती माया नारोलिया (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने मुझे कृषि बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम नगर से आती हूँ, जहाँ पावन पवित्र माँ नर्मदा मैया कल-कल बहती है। पुराणों में किवदंती है कि गंगा मैया के स्नान और नर्मदा मैया के दर्शन का महत्व है।

महोदया, भारत के लोगों ने प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है और उनके नेतृत्व वाली इस सरकार को ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए पुनः चुना है। हम प्रधान मंत्री जी का अभिनंदन करते हैं और उनके प्रति बहुत-बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।

महोदया, आपने आज मुझे कृषि बजट के ऊपर बोलने का अवसर प्रदान किया है। मैं सबसे पहले अपने विपक्षी सदस्यों से यह कहना चाहूँगी कि जब आप लोग बोल रहे थे, तब हम लोग सुन रहे थे, इसलिए आप भी जरूर सुनिए। सबसे पहले मैं एक विकासशील, जनकल्याणकारी और समावेशी बजट पेश करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री श्रीमान नरेन्द्र मोदी एवं माननीय वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण जी का अभिनंदन करती हूँ। जिन्होंने इस अमृत काल में एक लोक कल्याणकारी और 'सबका साथ, सबका विकास' पर खड़ा उतरने वाला बजट पेश किया है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में मातृ शक्ति का गौरव हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा सातवीं बार बजट प्रस्तुत करने के लिए उनका अभिनंदन इसलिए करती हूँ कि उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी, जवाबदेही एवं तथ्यात्मक आँकड़ों के साथ हमारे विपक्षी सदस्यों का भी जवाब दिया। मोदी सरकार के पिछले दशक के कार्यकाल में यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। किसान राष्ट्र के विकास के केन्द्र बिन्दु बने रहे - इस प्रतिबद्धता का प्रमाण सरकार का यह वादा है कि सभी प्रमुख फसलों के लिए एमएसपी बढ़ा कर इनपुट लागत पर 1.5 गुना रिटर्न दिया जाए। बजट में कृषि अनुसंधान के लिए वित्त पोषण का प्रावधान किया गया है, जो जलवायु सहनशील फसल किस्मों की पहचान के लिए निजी क्षेत्र तक भी विस्तारित है।

माननीय महोदया, इसके अलावा बजट में प्राकृतिक खेती में लगभग 1 करोड़ किसानों के लिए वैज्ञानिक संस्थानों से प्रमाणन कार्यक्रमों के माध्यम से संस्थागत समर्थन पर भी जोर दिया गया है। आत्मनिर्भरता की भावना को आगे बढ़ाते हुए "आत्मनिर्भर तिलहन अभियान" का उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत करने और तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है। कृषि क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मक भावना को बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता के प्रति सच्चे रहते हुए बजट में उत्पादन, समर्थन और क्रेडिट प्रोत्साहनों के माध्यम से सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं और झींगा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पहल की रूपरेखा तैयार की गई है।

"डिजिटल इंडिया" पहल के तहत बजट में डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने और किसान एवं भूमि रजिस्ट्री के तहत 6 करोड़ किसानों की भूमि के एकीकरण के संदर्भ में डिजिटल, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के कार्यान्वयन की शुरुआत की गई है। सहकारी क्षेत्र के व्यवस्थित और नियमित विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी नीति की भी घोषणा की गई है। हम मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री और कृषि मंत्री, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने खेती को लाभ का धंधा बनाया ही नहीं है, बल्कि उसको कार्यरूप में परिणत करने का काम भी किया है और मध्य प्रदेश के किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया है। हम अपने ऐसे कृषि मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

सिंचाई सुविधा बढ़ने से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। खेतों में लहलहाती फसल किसानों की आशाओं का मूल होती है। हमारी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने, उत्पादकता की लागत कम करने, योग्य भाव दिलाने, कृषि आधारित जोखिमों को कम करने तथा नुकसान की भरपाई करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। किसान परिवार अपने परिश्रम से देश की जनता को खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं। उनके समर्पण के प्रति हमारी सरकार पूरी संवेदना व सम्मान रखती है।

" कल के नए सवेरे हम हैं, धरती की संतान हैं,
स्वयं से हम तकदीर बदलते, मानवता के अभिमान हैं।"

हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि," कृषकों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिले, इसके लिए समर्थन मूल्य पर खरीदी, "प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना," "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना," "ब्याज सहायता योजना," एग्रीकल्चर फंड, परंपरागत कृषि ऋण, नए 10,000 एफपीओज़ का गठन एवं संवर्धन जैसी अनेक किसान हितकारी योजनाओं से कृषक लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे गृह प्रदेश, मध्य प्रदेश की सरकार एवं मुख्य मंत्री डा. मोहन यादव जी की सरकार "किसान सम्मान निधि" में बराबरी की हिस्सेदारी केंद्र की मोदी सरकार के साथ कर रही है और किसानों का मान-सम्मान बढ़ाने का काम कर रही है। हमारे गृह संसदीय क्षेत्र, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, रायसेन में किसान गेहूं, धान, मूंग और गन्ना का उत्पादन बहुतायत में करते हैं। उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने में भी केंद्र सरकार में मध्य प्रदेश की सरकार का अतुल्य योगदान है। महोदया, मैं आपके एवं सदन के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि आप प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा तो दे रहे हैं, लेकिन इसे और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। यह मैं सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह करती हूँ।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने अन्नदाताओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देते हुए इस बार अन्नदाता के लिए एक महीने पहले ही सभी मुख्य फसलों के लिए उच्चतर न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करके लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मार्जिन देने का वायदा पूरा किया है। ...(**समय की घंटी**)...

Content Page

उपसभाध्यक्ष (डा. फौजिया खान): मैडम, अब आप कन्क्लूड कीजिए।

श्रीमती माया नारोलिया: "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना" को 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा। कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता पर प्राथमिकता से जोर दिया गया है। हमारी सरकार उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु के अनुकूल किस्मों के विकास पर जोर देने के लिए कृषि अनुसंधान व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करेगी। किसानो की खेती-बाड़ी के लिए 32 कृषि और बागबानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी।

उपसभाध्यक्ष (डा. फौजिया खान): धन्यवाद, मैडम।

श्रीमती माया नारोलिया: अगले दो वर्षों में पूरे देश में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी, जिसमें प्रमाण-पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था भी शामिल होगी।...(**समय की घंटी**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. फौजिया खान): मैडम, आपका समय समाप्त हो गया है।

श्रीमती माया नारोलिया: माननीया, मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला है, इसलिए मैं आपकी अनुमति चाहूंगी कि आप मुझे थोड़ा और समय दे दें।

उपसभाध्यक्ष (डा. फौजिया खान): ऑनरेबल मेंबर, समय की मर्यादा है। अब मैं अगले सदस्य का नाम लूंगी।

श्रीमती माया नारोलिया: इसका क्रियान्वयन वैज्ञानिक संस्थाओं और इच्छुक ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. फौजिया खान): श्री प्रदीप कुमार वर्मा जी।

श्रीमती माया नारोलिया: माननीय, मैं ये सब केवल जानती ही नहीं हूँ, बल्कि यथार्थ रूप से मानती भी हूँ, क्योंकि मैं स्वयं एक किसान हूँ एवं जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का काम करती हूँ। ...(**व्यवधान**)... आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रदीप कुमार वर्मा (झारखंड)**:** आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदया, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के कार्य पर आयोजित इस चर्चा के सत्र में आपने मुझे भाग लेने का अवसर दिया है, मैं आपके प्रति आभारी हूं। आज की चर्चा का शुभारंभ करते हुए कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने कुछ तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किये। उन आंकड़ों में उन्होंने एनडीए सरकार के आंकड़ों की तुलना एनडीए सरकार के आंकड़ों से की। शायद उन्हें याद नहीं था कि आज से कुछ समय पहले,

Content Page

करीब 10 साल पहले उनकी सरकार थी और 10 साल तक उन्होंने शासन किया। अगर वे उस समय के आंकड़ों से एनडीए सरकार के आंकड़ों की तुलना करते, तो यह बेहतर होता, उन लोगों ने उसके पहले भी 50-60 साल तक देश में शासन किया, उस समय के भी आंकड़े थे, तो एनडीए सरकार के आंकड़े से एनडीए सरकार के आंकड़े की तुलना करके उन्होंने चर्चा की शुरुआत की और चर्चा एक गलत दिशा में आगे बढ़ा दी।

उपसभाध्यक्ष महोदया, कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर आज़ादी के बाद सर्वाधिक समय तक शासन किया है और हमें किसानों की ढेर सारी समस्याएं विरासत में मिली हैं। कृषि का कार्य बिना पानी के हो नहीं सकता, भारत में कृषि मानसून और जलवायु पर निर्भर है। अगर विगत 50-60 वर्षों में कांग्रेस सिंचाई के साधन विकसित कर पाती, तो किसानों की बहुत सारी समस्याओं का समाधान शायद बहुत पहले हो चुका होता। हमारे देश में किसानों की मुख्य समस्याएं - ज़मीन के क्षेत्रफल की तुलना में उत्पादन का कम होना, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी, मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है, उसकी जांच की व्यवस्था नहीं होना, कृषि उत्पादों का विपणन, भंडारण, ट्रांसपोर्टेशन, कृषि कार्यों में आधुनिक तकनीकी के प्रयोग का अभाव, ये सारी चीज़ें पिछले 50-60 वर्षों में कांग्रेस ने दी हैं और ये समस्याएं हमें विरासत में मिली हैं, जिसके समाधान का कार्य विगत 10 वर्षों से आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने करने का प्रयास किया है। वर्ष 2024-25 का जो बजट प्रस्तुत हुआ है, उसमें भी इन समस्याओं को एड्रेस किया गया है। किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिले, उनके उत्पाद की कास्ट का कम से कम 50 प्रतिशत अधिक मूल्य मिले, इसके लिए प्रयास किया गया है। महोदया, अभी जून में खरीफ की फसल की जो एमएसपी घोषित हुई है, उसमें कई फसलों के उत्पादन का जो मूल्य है, कास्ट है, जो खर्च है, उससे 80 से 100 परसेंट तक अधिक मूल्य पर एमएसपी में घोषित की गई है। सरकार ने बजट में जिन 9 प्राथमिकताओं की बात कही है, उनमें कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता की बात प्रथम स्थान पर की गई है। उसी के अनुकूल प्रावधान भी किए गए हैं। पूरी दुनिया की जलवायु बदल रही है, उस जलवायु में उपज को बढ़ा सकें, ऐसे उन्नत बीज चाहिए, उसके लिए बजट में कहा गया है कि 32 कृषि और 109 बागवानी फसलों की - आज की जलवायु में जो उपयुक्त हो, आज की जलवायु के हिसाब से जो उत्पादन दे सके - ऐसी उच्च पैदावार वाली नई किस्मों के अनुसंधान के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। अगले दो वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि अपने के लिए सहायता दी जाएगी, इसका प्रावधान किया गया है। प्राकृतिक कृषि के जो उत्पाद होंगे, उनके प्रमाण पत्र उन्हें दिए जाएंगे, ताकि जो खरीदार है, वह पूरे विश्वास के साथ उन उत्पादों को खरीद सके। दलहन और तिलहन के जो उत्पाद हैं... इसमें देश आत्मनिर्भर बन सके, इस दिशा में भी बजट में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी आदि के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य भी इस बजट में लिया गया है। सब्जी उत्पादन की एक प्रमुख समस्या यह है कि उसका भंडारण, विपणन और उसका ट्रांसपोर्टेशन ठीक से न हो पाने के कारण किसान को अक्सर घाटा सहना पड़ता है। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि किसानों को टमाटर को फेंकना पड़ता है। यह इसलिए होता है कि भंडारण की उचित व्यवस्था हम इतने वर्षों में नहीं कर पाए। उनका विपणन ठीक से नहीं हुआ, इस दिशा में भी हमारी सरकार ने विगत दस वर्षों में काफी काम किया है। e-NAM portal के माध्यम से आज किसान का एक्सेस सीधे कृषि बाजारों के साथ हुआ है। जहां मांग है,

Content Page

वहां वह अपने सामान को सीधे भेज सकता है और इससे बिचौलियों से उसे मुक्ति मिली है। बिचौलिये अक्सर किसानों को मिलने वाले लाभ का बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड होकर आज देश का किसान, देश के किसी भी हिस्से में अपने उत्पाद को भेज सकता है।...(**समय की घंटी**)... कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय समाप्त हो रहा है। सुरजेवाला जी, दिनकर जी की कविता पढ़ रहे थे। रामधारी सिंह दिनकर जी को आजकल कांग्रेस के लोग पढ़ने लगे हैं, यह देखकर बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने एक कविता पढ़ी थी। शायद कांग्रेस के लोगों पर इमरान प्रतापगढ़ी जी का असर है, तभी वे आजकल कविता पढ़ने लगे हैं।...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. फौजिया खान): आप समाप्त कीजिए।

श्री प्रदीप कुमार वर्मा:

"देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे,
देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में।"

उन्होंने उसके आगे की पंक्तियां नहीं पढ़ी।

"फावड़े और हल राजदण्ड बनने को हैं"

प्रधान मंत्री जी ने वह राजदण्ड लोक सभा में स्थापित किया है।

"फावड़े और हल राजदण्ड बनने को हैं,
धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है
दो राह, समय के रथ का घर्घर नाद सुनो
सिहांसन खाली करो कि जनता आती है।"

यह रामधारी जी ने लिखी थी।...(**समय की घंटी**)...सुरजेवाला जी के जो नेता हैं, उनकी दादी जी, उस समय की प्रधान मंत्री ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. फौजिया खान): कृपया समाप्त करें। आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री प्रदीप कुमार वर्मा: इंदिरा गांधी जी को गद्दी खाली करनी पड़ी थी, यह भी याद रखना चाहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री इमरान प्रतापगढ़ी: उपसभाध्यक्ष जी, इन्होंने मेरा नाम लिया है।

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): Now, Shri Beedha Masthan Rao Yadav. ...*(Interruptions)*...

SHRI BEEDHA MASTHAN RAO YADAV (Andhra Pradesh): Thank you, Madam Deputy Chairman, for giving me an opportunity to speak on this important Ministry. Shri Shivraj Singh Chouhan has been very suitably made the Minister of Agriculture because the kind of work he has done in Madhya Pradesh in the agriculture sector needs to be replicated all across the country. We are proud of him. As a son of the soil and a farmer, I am proud of him. It shall be important to mention that over 60 per cent of India's workforce is still engaged in agriculture and, therefore, for India to become a developed nation, agriculture should be made a profitable profession, in which a farmer wants his son to be a farmer. The YSR Congress Party's vision of agriculture is that it should be modernized. Second, it should be made profitable for the farmer and fulfilling for the people engaged in it.

Talking about the positive side of this Budget, it has provided support for PM-Kisan Scheme. The allocation for Pradhan Mantri-Kisan Samman Nidhi remains consistent at Rs.60,000 crores ensuring continued financial support to farmers. This scheme has been running for five years now and the amount that is being credited is still Rs.6,000. This amount needs to be revised to, at least, Rs.9,000 keeping in mind the inflation. A new scheme, namely, Namo Drone Didi, has been introduced with an allocation of Rs.500 crores. It aims to provide drones to women self-help groups for agriculture purposes, promoting technological adoption in farming. This is an important scheme for bringing in the right kind of modernization to agriculture. Next is, Focus on Natural Farming. The National Mission on Natural Farming receives 365.64 crore of rupees promoting sustainable and climate-resilient agriculture practices. The problem is that the farmers have two issues - whether their crop will grow or not and whether they will be able to sell their crop or not. This hesitation of farmer shall persist. Therefore would the hon. Minister brief as to what steps are being taken to make sure that the farmers overcome this fear of theirs when they adopt natural farming? The House is well aware how in Sri Lanka, the rapid move to natural farming caused the farmers dearly and crop production dropped. Therefore, how does the Minister plan on instilling this confidence in our farmers? Next is, Support for Agriculture Marketing. With allocations towards agriculture schemes, the Budget aims to develop agriculture and allied sectors comprehensively. I am sure that this allocation will help in increasing the income of farmers by enhancing production and productivity and better returns on produce.

Now, negatives. Inconsistent Support for Market Intervention Scheme. The Market Intervention Scheme and Price Support Scheme (MISPSS) see fluctuating allocation from Rs. 4,007 crores in 2022-23 to mere Rs. 40 crores in Revised Estimates of 2023-24, which indicates inadequate and inconsistent support. Consistent and adequate funding is crucial to ensure that the scheme can operative effectively and provide timely support to farmers in need. This year, there has been no allocation for Market Intervention Scheme and Price Support Scheme (MISPSS), which is crucial.

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): Kindly wind up now.

SHRI BEEDHA MASTHAN RAO YADAV: One minute, Madam. *...(Interruptions)...* In between, someone was talking, Madam. So, Minimum Support Price is not declared by the Government. The primary object of this intervention is to protect the growers of these commodities in the event of bumper crop during the peak arrival period when prices tend to fall below economic levels or the cost of production. (*Time-bell rings.*)

Inadequate support for Coconut Development Board. The allocation for the Coconut Development Board remains constant at only 35 crores of rupees, which may not be sufficient for the integrated development of coconut cultivation and industry. South Indian States such as Kerala, Tamil Nadu, Karnataka and Andhra Pradesh have a significant share in the country's coconut production.

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): Thank you, hon. Member. Next speaker is Shri Birendra Prasad Baishya.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA (Assam): Madam, the economic growth of the country is dependent upon three sectors, namely, agriculture sector, manufacturing sector and services sector. Under the leadership of hon. Prime Minister who succeeded to become the Prime Minister continuously for the third term, this Government has given equal importance to agriculture sector, manufacturing sector and services sector. So, continuously, India is able to maintain economic growth at 7 percent, and, within the Indian economy, agriculture factor has given fantastic contribution. During last ten years under the leadership of Narendra Modi, agriculture sector has seen transformation and revolution in agriculture sector.

Madam, in this Budget, in the agriculture sector, very, very, very humble focus has been there on comprehensive plan to boost the research, promote the national farming and sustainable farming and enhance the oilseeds and pulse production.

Content Page

India is always short of these things and in this Budget, the Government has proposed 100 new varieties of crops, which can face any climate change. These climate-resilient varieties are going to increase production in our country, and, it will definitely boost our economy. Madam, the hon. Finance Minister, in her Budget announcement said that the farmers of our country will soon have access to 109 new high-yielding climate-resistant varieties across 34 fields and horticulture crops of our country. It will boost self-sufficiency in the crucial crops, including the *dal* production of our country. In the Budget, the hon. Finance Minister has proposed allocation of Rs. 1.52 lakh crore in agriculture farmers' welfare and its allied services, which is five times more when we compare it with the UPA Government's allocation. I think giving sufficient money for the development and welfare of the farmers will definitely boost our economy because the farmer is the backbone of our economy. Farmers are doing their job. They feed us. So, it is the responsibility of the Government to look after the farmers.

Madam, I would like to draw your attention towards two important things. I am coming from the North-eastern region. Due to recent flood in Assam, out of 35 districts, 34 have been badly damaged. More than 7,279 villages have been badly damaged and more than 20,814 hectares of crops have been totally damaged, including paddy. Not only this, our animals were also very badly affected during the recent floods. Animals were affected in all the 35 districts due to the flood. A total number of 155 villages were the critically-affected and more than 800 big animals were washed away in the flood water. Madam, through you, I would like to draw the attention of the hon. Minister to the fact that four veterinary hospitals in Cachar and Hozhai Districts in Assam have been very badly affected. I request the hon. Agriculture Minister to look into this and give adequate help to the flood affected districts. Assam is the only State where we operated mobile hospitals not only for humans but also for the animals during the flood time.

One more thing where I would like to draw the attention of the hon. Minister, through you, is fish cultivation. India is at number eight position in the world. India is self-sufficient in the production of fish. So, I believe with this boost given by the Government, our economy will grow up. I would again like to thank the hon. Minister for this.

I would like to draw the attention of the Government towards one more thing. You know that Assam is a tea-producing State. Now, due to certain reasons, Assam's tea industry is facing serious problems. They have a very serious problem with tea production coming from Kenya, Sri Lanka, etc. There are a lot of problems which they are facing. (*Time-bell rings.*) So, I would like to request the hon.

Minister to look after the tea industry and help it grow. It will boost our economy. With your permission, Madam, I would like to say that unemployment is a big issue in our country. Assam is also facing the same problem. Small tea growers in Assam play a very important role in somehow resolving the unemployment issue. They are self-employed, but these small tea growers are facing very, very serious problems because they do not have any testing unit and, without that, they cannot sell their product...

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): Thank you, hon. Member.

7.00 P.M.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: I would request hon. Agriculture Minister to look into these issues very seriously and help us in rescuing Assam tea industry. The Assam Government is doing all the needful. But we need the assistance of the Central Government. With the assistance of the Central Government, I hope tea industry of Assam will repeat its glorious past performance. Thank you, Madam.

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): The next speaker is Shri Subhash Barala. You have seven minutes.

श्री सुभाष बराला (हरियाणा): उपसभाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस कृषि के विषय के ऊपर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

इस सभा के अंदर जब चर्चा शुरू हुई, तब काँग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, जो हमारे ही प्रदेश से आते हैं, आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने इस प्रकार की बातें उठाईं, जैसे आजादी के बाद से लेकर अब तक ज्यादा समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो और उन लोगों ने हमेशा से विपक्ष में बैठकर राजनीति की हो। शायद वे बात करते वक्त, इस बात को भूल गए कि आजादी के बाद से लेकर और 2014 में जब आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आई, तब तक ज्यादा समय उन्होंने देश के ऊपर राज किया। जब देश के ऊपर आप लोगों ने राज किया, तो आप लोगों की जिम्मेवारी बनती थी। हम तो छोटे-छोटे अपने खेतों में जाते थे और जब थोड़े से बड़े हुए, छात्र राजनीति से आगे कदम रखा, तो देखा। चूँकि हरियाणा संघर्ष की धरती रही है, हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार किसानों के संघर्ष होते थे, हरियाणा प्रदेश के किसान दिल्ली में आकर भी संघर्ष करते थे कि वह दिन कब आएगा, जब किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य मिलेगा। देश के करोड़ों किसानों का दुर्भाग्य है कि इस देश के ऊपर राज करने वाली पार्टी, सबसे ज्यादा राज करने वाली पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी और नरेन्द्र मोदी जी, इनके ऊपर उंगली उठाती है कि किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है, किसान की फसल के लिए डा. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं होती है। मैं उनसे पूछना

चाहूँगा, रणदीप सिंह सुरजेवाला पहले नरवाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते थे, पड़ोस में मेरा विधानसभा क्षेत्र टोहाना में इनकी सरकार के अंदर किसानों के ऊपर गोलियाँ चली थीं, लाठियाँ चली थीं, तब ये लोग कहाँ थे? हरियाणा के अंदर टोहाना कांड हुआ, हरियाणा के अंदर मंदियाली कांड हुआ, फरीदाबाद में पिरथला कांड हुआ, करनाल के निसिंग में, दादरी के बादडा में, महेन्द्रगढ़ के सतनाली में, कितने ही कांड हुए, तब आप लोग हरियाणा के अंदर सत्ता में रहे, तो तब आप लोग कहाँ थे? आपकी विधानसभा क्षेत्र के बिल्कुल बराबर में जो टोहाना कांड हुआ था, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूँ। हमने घायल किसानों को उठा-उठाकर हॉस्पिटल ले जाने का काम किया था। महोदया, उन किसानों का केवल इतना कसूर था कि अपनी धान की फसल की उचित बिक्री की माँग कर रहे थे, उचित मूल्य की माँग कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि किसान के नाम पर आज ये घड़ियाली आंसू बहाने वालों को किसानों के ऊपर लाठी और गोली चलाते हुए जरा भी दया नहीं आई थी। इतना ही नहीं, इनकी सरकारों में कितने ही ऐसे उदाहरण उठाकर देख लीजिए, इसी प्रकार से किसान के साथ व्यवहार होता था, लेकिन सौभाग्य से, जब देश के अंदर श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, उस समय से किसान की चिंता करनी शुरू हुई थी। एक तरफ किसान को लाभकारी मूल्य मिले, दूसरी तरफ किसान की लागत मूल्य कम करने के लिए, चाहे उसे किसान क्रेडिट कार्ड देकर सस्ते ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाने की बात हो, चाहे समय के ऊपर, कम रेट के ऊपर डीएपी और यूरिया उपलब्ध कराने की बात हो, यह अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय से शुरू हुआ था। अब यह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के समय में इसके ऊपर काम आगे बढ़ रहा है।

उपसभाध्यक्ष महोदया, अगर हम इस सरकार की बात करें, मुझे याद है कि हम भी किसान मोर्चे का कार्यकर्ता होने के नाते गांव-गांव में जाते थे, किसानों के बीच कार्यशाला करते थे और किसान को प्रशिक्षित करते थे कि सरकारों से मांग करो, लागत के आधार पर 50 प्रतिशत मूल्य उसमें लाभ के रूप में जोड़कर किसान को मिलना चाहिए। अगर उस सपने को साकार करने का काम किया गया, तो देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया।

2014 के बाद से अब तक हमारी सरकार ने डेढ़ गुना से लेकर ढाई गुना तक अलग-अलग फसलों के रेट बढ़ाकर देने का काम किया। मुझसे पहले बहुत से वक्ताओं ने बताया कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की सरकार जब इस देश के अंदर थी, कैबिनेट के नोट भी रद्दी की टोकरी में डाल दिए जाते थे और यह कह दिया जाता था कि अगर किसान को 50 प्रतिशत लाभकारी मूल्य लागत के अंदर जोड़कर दे दिया गया, तो बाजार विचलित हो जाएगा। इन लोगों को उस बाजार की चिंता थी और किसान की चिंता नहीं थी, जिस किसान की चिंता करने का काम आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने किया है।

मुझसे पहले के वक्ता बहुत सारी बातें ऑन रिकॉर्ड लेकर आए कि किस-किस फसल का रेट कितना बढ़ाकर दिया, मैं उसकी डीटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इसके साथ-साथ दूसरी बात कहना चाहूंगा। ...(**समय की घंटी**)... हमारी सरकार ने एक तरफ जहां किसान की फसल का उसको लाभकारी मूल्य मिले, तो दूसरी तरफ उसकी लागत किस प्रकार से कम हो, इसके ऊपर काम करने का काम किया। किस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खाद के दाम बढ़ने के बावजूद भी देश के अंदर सब्सिडी बढ़ाकर किसान की फसल के लागत मूल्य को कंट्रोल करने का काम किया।

उपसभाध्यक्ष (डा. फौजिया खान): ऑनरेबल मेम्बर, समाप्त करें।

श्री सुभाष बराला: हमारे किसान को नैनो यूरिया उपलब्ध करवाकर और हमारी ड्रोन दीदी, हमारी बहनों को प्रशिक्षित करके 8 लाख रुपये से लेकर 10.5 लाख रुपये तक का ड्रोन, उनको ट्रेनिंग करवाकर, फ्री में देने का काम हमारी सरकार कर रही है। ...(**समय की घंटी**)... उपसभाध्यक्ष महोदया, मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला है, कृपया मुझे दो मिनट का समय दे दीजिए, मैं कन्क्लूड करता हूं।

उपसभाध्यक्ष (डा. फौजिया खान): नहीं, आपको समाप्त करना होगा। Please stop now.

श्री सुभाष बराला: इसी प्रकार से नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने हमारे किसान को 6,000 रुपये सम्मान निधि देने का काम किया और आज देश के किसान को 3 लाख, 20 हज़ार करोड़ रुपये सम्मान निधि के रूप में दिए गए।

उपसभाध्यक्ष (डा. फौजिया खान): ऑनरेबल मेम्बर, अब आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री सुभाष बराला: सोलर ऊर्जा का ट्यूबवैल देकर 35 परसेंट सब्सिडी हमारी केंद्र की सरकार ने देने का काम किया है।

उपसभाध्यक्ष (डा. फौजिया खान): अगली स्पीकर हैं, ऑनरेबल श्रीमती एस. फान्गनॉन कोन्याक।

श्री सुभाष बराला: उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं हरियाणा सरकार का उल्लेख करना चाहूंगा, क्योंकि यहां सोलर ऊर्जा की बड़ी चर्चा और चिंता हुई थी।

उपसभाध्यक्ष (डा. फौजिया खान): धन्यवाद।

श्री सुभाष बराला: मैं केवल एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा।

उपसभाध्यक्ष (डा. फौजिया खान): नहीं, अब आपका समय समाप्त हो गया है। मैडम, आप अपनी स्पीच शुरू कीजिए।

श्री सुभाष बराला: हमारी हरियाणा की सरकार ने 35 से 40 परसेंट सब्सिडी देकर...

उपसभाध्यक्ष (डा. फौजिया खान): ऑनरेबल मेम्बर, आप शुरू कीजिए। Please begin. आपका समय जा रहा है।

SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK (Nagaland): Thank you, Madam, for giving me the opportunity to participate in the discussion on the Working of the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare in hon. Prime Minister Narendra Modi's historic third term. Key priorities of the Ministry have been the focus on facing challenges to the agricultural sector, challenges of climate change, increasing income for farmers and sustainability. The Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare plays a crucial role in India's agriculture sector, impacting economic stability, food security, research and rural development. Its efforts are essential for fostering a productive, sustainable and equitable agriculture system, particularly as it addresses the sector's various challenges. Given that 51 per cent of our country's cultivated area relies on rainfall, agriculture is highly vulnerable to climatic variations. Frequent extreme weather events have led to significant losses in crop yield and farmer income. The Ministry has identified and addressed these challenges by focusing on climate change impacts on crop diseases and the durability of agricultural products. The initiative of the Ministry to create pest-resistant water efficient crops significantly benefits all the States including Nagaland, where over 70 per cent of the population depends on agriculture. The release of 109 high yielding and climatic resilient varieties of 32 field and horticulture crops will greatly benefit Nagaland farmers who have faced crop failure due to water scarcity. The Ministry has also been promoting organic farming by implementing two dedicated schemes: Paramparagat Krishi Vikas Yojana and Mission Organic Value Chain for North Eastern Region since 2015. As per information available, about 13,000 hectares in 241 villages covering 13,500 farmers are involved in organic farming in Nagaland. Nagaland has abundant organic resources and organic certification has already been taken up by the Department and more areas will be covered for organic farming. The plan to set up 10,000 need-based bio-resource input centers will ensure that the technological and scientific intervention will be available for the farmers whenever they need it within a short span of time. This also implies an increase of research associates being employed in the agriculture research sector. The Ministry also provides farmers with insurance to safeguard their yields from non-preventable risks through schemes like the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and the restructured weather-based crop insurance scheme. These schemes offer affordable crop insurance covering risks from the pre-sowing to the post-harvest stage. Cultivation requires several inputs, including seeds, fertilizers, pesticides, and reliable irrigation. Overuse and imbalance use of fertilizers have led to significant soil health degradation. To address these issues, the Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited (IFFCO) has developed 'Nano Urea' fertilizer using nanotechnology. This is a first in the world. This innovation aims to mitigate the

problems associated with excessive and imbalanced use of conventional urea. The Ministry has incorporated 'Nano Urea' into the monthly supply plan issued by the Department of Fertilizers, and it is being made available through PM Kisan Samriddhi Kendras, which are designed to provide farmers with access to this advanced and more efficient fertilizer. As of 2019-20, about 53 per cent of the total crop area depended on irrigation with agriculture being the largest consumer of groundwater, accounting for 87 per cent of annual extraction. To enhance irrigation coverage, the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana was launched in 2015. The Ministry also provides financial assistance for micro irrigation systems covering 55 per cent of installation costs for some and 45 per cent for others. Despite these efforts, water-intensive crops like paddy and sugarcane are grown in water-scarce districts. I commend the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare for addressing this through the Crop Diversification Programme under the Rashtriya Krishi Vikas Yojana, promoting alternative crops such as pulses, oil seeds, corn cereals, nutri cereals and cotton.

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): Madam, you will have to wind up now. *...(Interruptions)...*

SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK: I still have two minutes.

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): No, please. Every Member will get five minutes now onwards. *...(Interruptions)...*

SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK: I have two minutes.

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): We have too many Members.

SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK: Agriculture is vital to the development of our country, and as half of our workforce is engaged in it, its significance is clearly evident from the emphasis given to productivity and resilience to agriculture as priority number one in the Union Budget of 2024-25. (*Time-bell rings.*) The Ministry's strategic focus on climate resilience, sustainability and innovation is commendable and crucial for ensuring the future stability and prosperity of our agricultural landscape. From introducing climate resilient crop varieties to enhance irrigation, infrastructure and advancing bio and food technologies, these initiatives underscore a

Content Page

strong commitment to improving farmers' livelihood and strengthening food security. As we move forward, it is imperative that we continue to support...

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): Next speaker is Shri Ramji. ...*(Interruptions)*... You have five minutes.

श्री रामजी (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदया, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कार्यकरण के ऊपर चर्चा पर बोलने का अवसर प्रदान किया। साथ ही मैं अपनी पार्टी की मुखिया, आदरणीया बहन कुमारी मायावती जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ।

महोदया, देश में 65 परसेंट लोग directly or indirectly कृषि पर निर्भर करते हैं, जिनमें किसान भी हैं और कृषि मजदूर भी हैं। कृषि हमारे लिए सिर्फ profit-making company की तरह नहीं होना चाहिए। कृषि इस देश में लोगों का पेट भरने का काम करती है। इसीलिए मैं एक आँकड़ा पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि किसान और किसान कल्याण के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। महोदया, 2022 का NCRB का रिकॉर्ड है कि 11,290 लोगों ने कृषि से जुड़े लोगों ने, आत्महत्या की। इनमें 5,207 किसान और 6,083 खेतिहर मजदूर थे। मैं उसके दुखों के बारे में कहना चाहता हूं। हम उनको लोन तो देते हैं, लेकिन लोन निकालने के लिए हम उनके साथ कोई रियायत नहीं करते हैं। किसान ने फसल बोया और वह फसल सूखे की वजह से, heavy rain की वजह से, बाढ़ की वजह से या ओले की वजह से destroy हो गयी, उसे इनकम नहीं हुई, लेकिन बैंक उसका लोन वापस लेती है। अगर वह लोन वापस नहीं दे पाता, तब बैंक उस पर दबाव बनाती है और, ultimately, suicide करनी पड़ती है। उसे बीमा का पैसा वगैरह नहीं मिलता। यह कहने वाली बात है, फाइली बात है कि बीमा हो गया है, उनको पैसा मिलता है। अगर बीमा का पैसा उसको मिल रहा होता, तो किसान आत्महत्या नहीं करता। यह सोचने वाली बात है।

इसके साथ ही मैं किसानों के लिए कहना चाहता हूं कि बीज के दाम आसमान पर हैं। अगर 500 रुपये प्रति किलो मक्के के बीज का दाम है, 150-200 रुपये प्रति किलो धान के बीज का दाम है, तो इसको रोकना पड़ेगा। इसमें प्राइवेट सेक्टर की जो monopoly है, उसे खत्म करना पड़ेगा और इसमें हमें पब्लिक सेक्टर को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ताकि वह बीज को लेकर के आए, क्योंकि हम 65 परसेंट लोग कृषि पर ही डिपेंड करते हैं। साथ ही जीएसटी पर भी सोचना पड़ेगा। कृषि से रिलेटेड जितना भी जीएसटी है, उसको खत्म करना पड़ेगा। चाहे पेस्टिसाइड्स हों, हर्बिसाइड्स हों या खाद हो, ट्रैक्टर हो, ट्रॉली हो या कोई अन्य इक्विपमेंट हो - कृषि से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, उन पर जीएसटी को खत्म करना पड़ेगा। पेस्टिसाइड्स के दाम आसमान की तरफ हैं। 5,000 रुपये, 10,000 रुपये की दवाइयां एक एकड़ में पड़ रही हैं। इसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनानी पड़ेगी कि आखिर इनका दाम जो आसमान छू रहे हैं, उनको कैसे बढ़ने से रोका जाए। उसको लेकर भी हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमने कई देशों को बैन कर दिया। पेस्टिसाइड में जो साल्ट आता है, वह बाहर से आना बंद हो गया है। उसकी वजह से जो इंडियन एमएनसीज़ थीं, उन्होंने दाम बढ़ा दिए। ultimately, फर्क तो किसानों पर ही पड़ने वाला है, तो इसको भी देखते हुए हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही, पेस्टिसाइड्स पर डिपेंडेंसी खत्म

हो, इसके लिए हमें biological predators पर बढ़ावा देना पड़ेगा, हमें क्रॉप रोटेशन को प्रमोट करना पड़ेगा। इसको लेकर भी मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा।

माननीय कृषि मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में ये 'मामा जी' के नाम से बहुत फेमस थे। मैं चाहता हूं कि वे किसानों के लिए भी 'मामा जी' बनकर रहें। किसानों के साथ ही, मैं कृषि मजदूरों के लिए भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको भी सम्मान निधि देने का भी काम करें। साथ ही, आम जनता की ओर से एक क्वेश्चन है कि आजकल केला, अंगूर, आम तथा अन्य तमाम जो फल हैं, उनको पकाने के लिए पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एवं फंगीसाड्स का यूज़ किया जा रहा है। अंगूर को फंगीसाइड में डुबोकर बाहर निकाला जाता है ताकि अंगूर लॉन्ग टाइम तक अच्छा बना रहे। इसको पूरी तरह से बैन करना पड़ेगा, क्योंकि, ultimately, यह हमें ही हार्म करने वाला है।

इसके साथ ही, पानी को लेकर हमारे कई सदस्यों ने बात कही कि हर साल गर्मी में पानी का लेवल नीचे की तरफ जा रहा है। एक बड़ा रीजन यह भी है कि हम पानी वाली फसलों को ज्यादा use करते हैं, मतलब मार्च, अप्रैल, मई और जून - इन 4 महीनों में हम धान की खेती कर रहे हैं। कई प्रदेशों में, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में - मैं लखीमपुर का रहने वाला हूं। ...(**समय की घंटी**)... महोदया, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं लखीमपुर रहने वाला हूं। वहाँ पर धान की खेती की जाती है, जिसमें बहुत पानी खर्च होता है। तो उसकी जगह पर दूसरी फसलों को वहां पर प्रमोट करना चाहिए और धान की फसल को वहां पर रोकने का काम करना चाहिए।

महोदया, अब मैं लास्ट पॉइंट कह कर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। हमारे उत्तर प्रदेश में किसान गन्ने की खेती करता है, बहुत बड़े स्तर पर खेती करता है। लेकिन गन्ने की फसल का जो पैसा है, वह मिल-मालिक उनको टाइम पर नहीं दे रहे हैं। माननीय मंत्री जी इस बात को संज्ञान में लें और किसानों के गन्ने का जो रेट होता है, उसका पैसा है, वह कम से कम एक हफ्ते के अंदर दिलाने का काम करें। मैं आपसे यही आग्रह करता हूं, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): Now, Shri S. Selvaganabathy; five minutes.

SHRI S. SELVAGANABATHY (Puducherry): Vice-Chairman, Madam, our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi*ji*, has entered into the record book of creating history by forming the Government for the third consecutive time. He is very confident and said that 'Confidence of farmers is the key strength of the country' which is referred to as '*Annadatas*', referring to the overall empowerment and prosperity of the country. The Government's effort to uplift the agricultural segment of society warrants commendation and recognition by the people. In a strong growing economy like India, role of the agricultural sector holds equal importance with the transformation of industries and digital infrastructure. In the present scenario, the farmers in India are sensing economic security and assurance. The Budget focuses on farmers' interest, protecting natural resources and increasing productivity. It includes the creation of

109 high-yielding and climate resilient crop varieties moving our farming community towards resilience and productivity, thereby, increasing farmers' income. Focusing on agri-research and development is crucial as the marginal returns on investment in agri-regional and research development are over ten times. The Government will undertake a comprehensive review of the agriculture research set-up to focus on raising productivity and developing climate resilient varieties. This is essential to ensure food security and control food inflation. The Government aims to transform agriculture into an engine of growth through farming practices that benefit both farmers and the planet. Over the next two years, one crore farmers will be initiated into natural farming supported by certification and branding. The Budget also aims at value in agriculture, boost farmers' income and create opportunities for food processing and exports. Increasing the minimum support prices a month ago for all major crops, ensuring at least 50 percent margin over cost, is a welcome step to increase farmers' income. The Government's efforts in achieving nutritional security apart from food security are also laudable. The Budget aims for self-sufficiency in pulses and oilseeds centering their production, storage and marketing. A strategy is being put in place to achieve self-sufficiency for oil seeds such as mustard, groundnut, soya bean and sunflower. To walk the talk, the Government has increased the MSP for oilseeds on pulses, which is the highest increase in absolute terms. Digital Public Infrastructure (DPI) for agriculture will enable inclusive farmer-centric solution. It will provide relevant information for crop planning and help improve access to farm inputs, credit and insurance, assist in crop estimation and offer market intelligence. DPI will give farmers easy access to Government schemes and services like MSP-based procurement, crop insurance and crop loans. It will also provide customized advisory services based on crops, land, soil and agro-climatic conditions. Madam, the first *Krishi Vigyan Kendra* (KVK) in the country was established in Puducherry and that KVK is going to celebrate the Golden Jubilee year. I would like to bring to the attention of the hon. Minister that Puducherry has an agriculture college and a veterinary college. In South India, we do not have any Central Agricultural University. The Agriculture College in Puducherry has got all the sufficient infrastructure to develop a Central Agricultural University. So I would request our hon. Minister to grant permission to start Central Agriculture University in Puducherry. Thank you.

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): The next speaker is Shri Banshilal Gurjar. You have five minutes.

श्री बंशीलाल गुर्जर (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदया, ऐसे तो यह मेरी maiden speech है। अगर आप अनुमति देंगे, तो मैं बोलूँगा। मेरा माइक ऑन नहीं हुआ है।

उपसभाध्यक्ष (डा. फौजिया खान): आप इधर से बोलिए।

श्री बंशीलाल गुर्जर: महोदया, भारत की जनता ने हमारे देश के प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी को फिर से तीसरी बार इस देश का नेतृत्व करने का मौका दिया है, इसके लिए मैं देश की जनता को धन्यवाद देता हूँ। माननीया निर्मला जी ने सातवां बजट पेश किया है, इसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूँ।

महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब हम कृषि पर बात कर रहे हैं, तो आज से 20-25 साल पहले हम मांग करते थे कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। कृषि को उद्योग का दर्जा क्यों दिया जाए, तो तीन बातें मुख्य रूप से ध्यान में आती थीं कि उद्योग में पूंजी का प्रवाह बहुत अच्छे तरीके से होता है, रिस्क मैनेजमेंट अच्छे तरीके से होता है और बाजार की व्यवस्था उसमें अच्छे तरीके से होती है। इसीलिए किसानों का अट्रैक्शन था कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने जब से इस देश की बागडोर संभाली, उन्होंने कृषि को उद्योग के दर्जे को समझने की कोशिश की और उसी आधार पर उन्होंने काम किया। कृषि में सबसे पहले जो आवश्यकता होती है, वह पानी की आवश्यकता होती है, तो पानी को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना प्रारंभ की। जब मैं आज बात कर रहा हूँ, तो मुझे यह कहते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना ने सूक्ष्म इरिगेशन में देश में 90 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। इस वर्ष के बजट में इस योजना में 9 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, इसके लिए भी मैं माननीया वित्त मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कृषि में पूंजी का प्रवाह तेज नहीं था। आज से 20-25 साल पहले किसान साहूकारों के कर्ज में डूबा हुआ होता था और साहूकार मनमाने तरीके से उनसे ब्याज की दरें वसूल करते थे। लेकिन जब से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसान क्रेडिट योजना प्रारंभ की और माननीय नरेन्द्र मोदी जी जब देश के प्रधान मंत्री बने, तो उन्होंने इस समस्या का समाधान करने के लिए लगातार बजट प्रावधान करते हुए बैंकों के दरवाजे किसानों के लिए खोलने का काम किया है। उपसभाध्यक्ष महोदया, पहले तो किसान बैंक में जाते हुए भी डरते थे। उनको यह लगता था कि जो बैंक है, यह बड़े लोगों के लिए बनाया गया है, पैसे वाले लोगों के लिए बनाया गया है, पैसा रखने के लिए बनाया गया है, लेकिन जब से प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने व्यवस्था की और किसानों को बैंकों से कर्ज देना प्रारंभ किया, तो किसानों को समझ में आया कि बैंक किसानों के लिए भी होता है। मुझे इस बात को कहते हुए खुशी हो रही है कि आज इस बजट में हमारे कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान माननीया निर्मला जी ने किया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ।

उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर उत्पादन को बेचने की व्यवस्था करनी पड़े, तो बेचने के लिए किसान को मंडियों में जाना पड़ता है। जब किसान मंडियों में जाता है, तो मंडियों में जाने पर किसानों की उपज की पूरी कीमतें उसको मिलनी चाहिए। मैं

माननीय प्रधान मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल स्थापित करके, ताकि पूरे विश्व के भाव किसानों को मिल जाएँ, उसकी व्यवस्था की है, देश की सभी मंडियों के भाव किसानों को मिल जाए, उसकी व्यवस्था की है और एक हजार से ज्यादा मंडियों को इससे जोड़ा गया है। ...(**समय की घंटी**)... एक हजार से ज्यादा जो मंडियां जोड़ी गई हैं, उनमें हमारे मध्य प्रदेश की 139 मंडियाँ जोड़ी गई है। मध्य प्रदेश की मंडियों में बिना किसी कटौती के, बिना किसी कमीशन के किसानों को भुगतान किया जाता है। यह हमारी बड़ी उपलब्धि है। माननीय कृषि मंत्री जी हमारे बीच में बैठे हैं। किसानों को शोषण से मुक्ति दिलाने का काम अगर सबसे अच्छा कहीं हुआ है, तो मध्य प्रदेश में हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि किसानों को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए जो e-NAM पोर्टल है, वह किसानों का मार्गदर्शन कर रहा है, उनको विश्व बाजारों की व्यवस्था बता रहा है और विश्व के बाजार की व्यवस्था बताने के साथ ही उचित भाव और उचित व्यापारी उसको मिले, उसकी व्यवस्था बनाए जाने का काम किया जा रहा है।

अभी मेरा समय समाप्त होने जा रहा है, पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने फसल बीमा योजना में भी किसानों को सिक्योरिटी देने का काम किया है।

उपसभाध्यक्ष (डा. फौजिया खान): माननीय सदस्य, आप समाप्त करें।

श्री बंशीलाल गुर्जर: मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को और माननीय कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने किसानों को बेहतर सुविधाएँ और बेहतर व्यवस्थाएँ देने का काम किया है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा. कल्पना सैनी (उत्तराखंड): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, आज मैं संसद में 2024-2025 के लिए केंद्रीय बजट पर कृषि पर चर्चा करते हुए गर्व महसूस कर रही हूँ, क्योंकि यह मेरे गौरव का विषय है कि स्वतंत्र युग के मेरे स्वाभिमानी देश में संकल्प से सिद्धि का संकल्प लिए मुझे एक सक्षम नेतृत्व द्वारा, जिनका आधार वसुधैव कुटुम्बकम है एवम् जिनका विश्वास 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः' पर हो, ऐसे लोकप्रिय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में हमारी महिला सशक्तीकरण की प्रचारक देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत बजट, कृषि मंत्रालय पर अपने विचार को इस सदन में रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

यह बजट हमारी सरकार के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के मंत्र को मज़बूत करने के लिए तैयार किया गया है। इस बजट का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

महोदया, जैसे कि हम भारतीय मानते हैं कि - "*मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती,*" उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके माध्यम से अपनी बात सदन में रखना चाहूंगी।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) के अनुसार, 2019-20 में भारत में लगभग 42.6 परसेंट कार्यबल कृषि और संबंधित गतिविधियों में संलग्न था। भारत एक कृषि प्रधान देश है,

Content Page

और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृषि और संबंधित गतिविधियाँ (जैसे पशुपालन, मछली पालन) भारत की GDP का लगभग 15-17 प्रतिशत हिस्सा है। उसी को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने कृषि में अगले दो वर्षों में देश भर में 1 करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग के माध्यम से प्राकृतिक खेती की शुरुआत करने की घोषणा प्रस्तुत बजट में की है। कार्यान्वयन वैज्ञानिक संस्थानों और इच्छुक ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा। दस हज़ार आवश्यकता आधारित जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता से उत्साहित होकर, हमारी सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में, 3 वर्षों में किसानों और उनकी भूमि को कवर करने के लिए कृषि में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगी। इस वर्ष के दौरान, DPI का उपयोग करके खरीफ फसल के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण 400 जिलों में किया जाएगा। 6 करोड़ किसानों और उनकी भूमि का विवरण किसान और भूमि रजिस्ट्री में लाया जाएगा। इसके अलावा, 5 राज्यों में जनसमर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर किसानों को सक्षम किया जाएगा। दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए प्रस्तुत बजट में उनके उत्पादन, भंडारण और विपणन को मज़बूत करने की बात अंकित है। अंतरिम बजट में की गई घोषणा के अनुसार सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए हमारे प्रधान मंत्री जी के मूल मंत्र आत्मनिर्भर भारत को 'आत्मनिर्भरता' हासिल करने की रणनीति बनाई जा रही है। कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन बजट में अंकित है, जिसका मैं दिल से स्वागत करती हूँ।

उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से विपक्ष से यह सवाल भी करना चाहती हूं कि बजट में सभी कृषि के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान है, फिर भ्रम फैलाने के लिए असत्य वचन क्यों? क्यों नहीं राष्ट्रहित धारक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करते। महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में एक सुझाव भी प्रस्तुत करना चाहती हूं। अंतरिक्ष विज्ञान, नैनो टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस, इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अन्य क्षेत्रों से जुड़े वैज्ञानिकों को यदि एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, तो कृषि क्षेत्र के लिये बेहतरीन शोध हो सकते हैं, जिससे कृषि के तकनीकीकरण, बाजारीकरण, डिजिटलीकरण और औद्योगिकरण को बल मिलेगा और युवा कृषि से जुड़ाव महसूस करेगा।

उपसभाध्यक्ष महोदया, जिस तरह से कृषि को उन्नत, सक्षम और समृद्ध बनाने के उद्देश्य से दृढ़ प्रतिबद्धता दर्शाते हुए अनेक योजनाएं, जो 2014 से पूर्व में कभी हमारी सोच व कार्य शैली का हिस्सा नहीं बनीं, आज धरातल पर हैं, वे कृषि व किसान को मज़बूती प्रदान कर रही हैं, जैसे 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि', किसान को पेंशन, अब 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक नागरिक को पांच लाख वाली आयुष्मान योजना, मृदा परीक्षण, 'नमो ड्रोन दीदी', 'फसल बीमा योजना', तिलहन व दलहन पर भी एम.एस.पी और 'राष्ट्रीय कृषि बाजार' (e-NAM) आदि अन्य अनेक योजनाओं के माध्यम से हम इस दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

उपसभाध्यक्ष (**डा. फौजिया खान**)**:** धन्यवाद मैडम।

डा. कल्पना सैनी: और पूर्ण विश्वास है कि हमारे प्रयासों से एक सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है।...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. फौजिया खान)ः अगली स्पीकर श्रीमती साधना सिंह जी।

डा. कल्पना सैनीः मैडम, मुझे एक मिनट का समय दीजिए।...(**व्यवधान**)... आप मुझे दो लाइन बोलने दीजिए।

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): I am sorry, Madam. साधना जी, आप बोलिए। साधना जी, आप शुरू करें, आपका समय जा रहा है।

श्रीमती साधना सिंह (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, आज मैं सदन में बजट 2024-25 पर अपनी बात रखने का अवसर देने के लिए आपका आभार व्यक्त करती हूं। महोदया, देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय ...(**व्यवधान**)...

डा. कल्पना सैनीः मैडम, मुझे एक मिनट का समय दीजिए।...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): Madam, nothing is going on record.

श्रीमती साधना सिंहः महोदया, देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार गठित सरकार का बजट सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के संकल्प को दर्शाता है। माननीय मोदी जी को ढेर सारी बधाई देते हैं, वित्त मंत्री जी को बधाई देते हैं और कृषि मंत्री जी को बधाई देते हैं। निश्चय ही यह बजट देश के अमृतकाल का है और गरीबों के कल्याण का बजट है। जो प्रधान मंत्री जी का दूरदर्शिता और विकसित भारत के संकल्प को समर्पित है। सही मायने में यह बजट विकास के कृतसंकल्पित प्रधान मंत्री जी के द्वारा किसानों, युवाओं, महिलाओं, गरीबों, वंचितों के विकास का रास्ता तय करता है। प्रधान मंत्री जी के इसी संकल्प का परिणाम है कि जनता ने तीसरी बार प्रधान मंत्री जी पर भरोसा कर समर्थन में ऐतिहासिक जनादेश दिया है। कृषि एवं विकास के साथ ही इस बजट में ग्रामीण विकास के लिए बड़े निर्णय हैं। कृषि के क्षेत्र में किसानों के लाभ वृद्धि हेतु कल्याणकारी निर्णय लिए गए हैं, जिनमें उत्पादन की वृद्धि, विपणन व्यवस्था, सुरक्षित भंडारण और अनेकों व्यावसायिक द्वार खुले हैं। बहनों के जीवन में बदलाव लाने के लिए तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित करना और उनके जीवन क्रांतिकारी परिवर्तन होगा और ग्रामीण महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनेंगी। इस बजट में 2047 में विकसित भारत का जो रोडमैप है, मैं कहना चाहती हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है। कोरोना जैसी महामारी का दंश झेलने के बाद भी भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और आने वाले दिनों में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। महोदय, देश की अन्नदाता किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में उत्पादनकर्ता और आय की वृद्धि के लिए उन्नत और वातावरण में अनुकूल कृषि बागवानी के 32 फसलों की 109 प्रकार की किस्में लाने के लिए फैसले का स्वागत करती हूं।

इसके अतिरिक्त किसानों के लिए क्लस्टर बनाकर भंडारण की आपूर्ति, ढुलाई और आसान बाजार का अवसर देने के लिए मैं प्रधान मंत्री जी और केन्द्रीय वित्त मंत्री जी की सराहना करती हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदया, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी किसान की है, इसलिए मैं स्वयं और देश के किसानों की तरफ से यशस्वी प्रधान मंत्री जी, केन्द्रीय वित्त मंत्री जी और कृषि मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं। मैं, उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली की निवासी हूं, जिसकी सीमा, देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी, वाराणसी, जहां से वे लड़ते हैं, उससे जुड़ा हुआ चंदौली है और बिहार का बॉर्डर भी है और नक्सल क्षेत्र जनपद भी है। अब तो नक्सल दस साल से खत्म हो गया है। चंदौली को धान के कटोरे के नाम से भी जाना जाता है। यह सार्वभौमिक है और धान के कटोरे के नाम से चर्चित है। चंदौली बड़ी संख्या में किसानों की आय और जीवन स्तर को संचालित करती है। प्रधान मंत्री जी के कृषि के क्षेत्र में पूर्व में किए गए प्रयासों और उदारीकरण का प्रमाण है कि मेरे...(**समय की घंटी**)... क्या मैडम, मेरे बोलने का समय समाप्त हो गया है?

उपसभाध्यक्ष (डा. फौजिया खान): आपका समय समाप्त हो रहा है। आपके पास पांच मिनट का समय है।

श्रीमती साधना सिंह: और युवाओं के द्वारा फूलों और सब्जियों की खेती में बढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। महोदया, मैं आपको बता देना चाहती हूं कि 2019-2020 में चंदौली की मात्र 25 किसानों द्वारा काले चावल की खेती, जिसको ब्लैक राइस कहते हैं, प्रारंभ हुई, जिसका लक्ष्य सिर्फ कृषि कार्य के लिए बीज की मात्रा बढ़ाना था। इसका परिणाम हुआ कि 2020-21 में 1,400 क्विंटल और 2021-22 में 2,800 क्विंटल की पैदावार हुई। इस काले चावल का निर्यात कतर, आस्ट्रेलिया, इग्लैंड सहित कई देशों में हुआ।

उपसभाध्यक्ष (डा. फौजिया खान): मैडम, आप समाप्त कीजिए।

श्रीमती साधना सिंह: इसे माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा एक्सीलेंस पुरस्कार दिया गया। इस चावल को जब लैब में टेस्ट करवाया गया, तो पता चला कि यह चावल उत्तम पोषक तत्वों से भरपूर है। ...(**समय की घंटी**)... वर्तमान में यह डिजिटल...

उपसभाध्यक्ष (डा. फौजिया खान): आपके बोलने का समय समाप्त हो गया है।

श्रीमती साधना सिंह: महोदया, आपने सभी को एक-दो मिनट का समय दिया है, मुझे भी एक मिनट का समय दे दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (डा. फौजिया खान): अगले स्पीकर हैं माननीय श्री के. आर. सुरेश रेड्डी जी। प्लीज, आप बैठ जाइए। Shri K.R. Suresh Reddy; five minutes. ...*(Interruptions)*...

श्री के. आर. सुरेश रेड्डी (तेलंगाना): धन्यवाद मैडम। मैं पहले तो शिवराज जी को बधाई देता हूं because he has taken up the responsibility of a very challenging Agriculture Ministry. हाउस में प्रधान मंत्री जी को तो काफी बधाइयां मिली हैं, मगर मैं समझता हूं कि शिवराज जी को भी बधाई मिलनी चाहिए और सारे हाउस की भी, he needs the encouragement. Why I said, a right man for the challenging job, यह मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि he is a proven horse. वे पहले जब मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री थे - हम दूर रहते थे, मगर करीब से उनका वर्क कल्चर देखा है - जिस तरह से तेलंगाना और मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट हुआ, मैं समझता हूं कि सारे देश के लिए एक glaring example है। 2014 में तेलंगाना बना, वहां पर सिर्फ 60 lakh tonnes of production of paddy होती थी और 10 साल में 30-40 हजार से बढ़कर एकदम साढ़े तीन करोड़ का प्रोडक्शन हुआ है। उसी तरह से सोया और दूसरी तरह की, जो क्रॉप्स होती हैं, we take a good example of Shivraj Ji from Madhya Pradesh. मैं challenging इसलिए कहता हूं, क्योंकि challenge आज शिवराज जी के लिए यह होगा कि जितना पैसा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को दिया गया है, वह खर्च करना है। रिकॉर्ड यह बताता है कि पिछले दो-तीन साल में, जो एलॉटमेंट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के लिए हुआ है, वह खर्च हुआ ही नहीं है। इसलिए पहला challenge तो जो अलोकेशन है, उसे खर्च करने का है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी लीडरशिप में, definitely, the Agriculture and the farmers of the country will prosper.

Second suggestion, यह बहुत इम्पॉर्टेंट सजेशन है, क्योंकि आपको बुनियादी अनुभव है, ground level का अनुभव है, तो क्यों न मनरेगा और एग्रीकल्चर को लिंक कर दिया जाए। कल ही फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच के माध्यम से industry में employment-linked incentives का अनाउन्समेंट किया है। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट्स कोई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, तो जिस तरीके से वह incentive वहां दिया गया, उसी तरीके से आप सोचिए कि यह मनरेगा में भी रखा जाए। जब हम मनरेगा का अलोकेशन देखते हैं, तो गवर्नमेंट बहुत tight-fisted है। दो साल से 60 हजार करोड़ रुपये ही अनाउन्स करती आ रही है, मगर खर्च होता है करीबन 90 हजार करोड़। इसलिए आप कितने भी tight-fisted हो, the pressure of work रूरल एरिया में, जो प्रेशर बढ़ रहा है, उससे आपको ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। So, this way, if you link up both, there will be a saving for the Government, there will be a saving for the farmer, क्योंकि किसान को मजदूर भी मिलता है। मनरेगा में आप सिर्फ जो लेबर कम्पोनेंट है, उसको आप एग्रीकल्चर से लिंक कीजिए। So, that way, the farmer tends to benefit and then also the Government tends to save some money. This is a suggestion.

Second यह होता है कि आप एग्रीकल्चर में दो मुद्दे अच्छी तरह से जानते हैं, एक तो input cost, जो फार्मर की हो रही है, उसमें आप लोग और स्टेट गवर्नमेंट काफी काम कर रही है, डैम्स बना रहे हैं, सब्सिडीज़ दे रहे हैं, उसके बावजूद भी there is still a dearth. उसमें काफी कमी है। आप उसको कट करने के बारे में सोचिए। एग्रीकल्चर के लिए, जो mechanical products किसान खरीदता है, जैसे ट्रैक्टर हो या और कुछ हो, उस पर अभी भी जीएसटी लगती है। Try to see if you can give a 10-year GST holiday for the *kisan*. मैडम, अब रही बात आउटपुट की, तो आउटपुट में कहा जाता है कि इंडिया नम्बर वन इसमें, इसमें, इसमें है, मगर

प्रोडक्टिविटी में नहीं है। अगर चाइना में एक एकड़ में 50 बैग्स चावल निकलता है, तो इंडिया में सिर्फ 30 बैग ही निकलते हैं। At least 30-50 per cent productivity loss हो रहा है। महोदया, मैं एक छोटा example देता हूं। ...(**समय की घंटी**)..मैडम, दो मिनट दे दीजिए। मैं बीआरएस पार्टी का हूँ, फ्लोर लीडर हूं, चार लोग हैं, सिर्फ दो मिनट से कुछ नहीं होता है, क्योंकि सभी कुछ इम्पॉर्टेंट है। For example, मैंने इनपुट कॉस्ट की बात कही है। मैडम, जब प्रॉडक्टिविटी की बात करते हैं, तो मैं आपको पल्सस के बारे में एक example देता हूं। मैडम, छोटी-मोटी कुछ फिगर्स इधर-उधर हो सकती हैं, For example, the entire world में 100 lakh hectares में पल्सेस क्रॉप ग्रो की जाती है और उसका आउटपुट करीबन 100 lakh tons आ रहा है। इस प्रकार से उसकी एवरेज करीबन 1,000 के.जी. पर हेक्टेयर होती है। महोदया, यह वर्ल्ड की एवरेज है, लेकिन जब इसी को इंडिया से कंपेयर करते हैं, तो पल्सेस में कहा जाता है कि इंडिया नंबर वन है एकरेज में, इंडिया का नंबर वन है प्रोडक्शन में, मगर प्रोडक्टिविटी में अगर दुनिया की एवरेज 1015 है, तो हिंदुस्तान की सिर्फ 700 है। So, a lot needs to be done.

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): You have to wind up, Sir.

SHRI K.R. SURESH REDDY: Madam, let me conclude with one suggestion. The suggestion is, अगर आप एग्रिकल्चर को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, एग्रिकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाह रहे हैं, तो thrust should be on irrigation and link-up. जैसे एग्रिकल्चर मिनिस्ट्री है, आपकी अलग-अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनमें there is lack of coordination. हमारे जिले निजामाबाद में -- I would conclude with this -- आपने हमें Turmeric Board दिए हैं। मैडम, करीबन आठ महीने हुए हैं, लेकिन आज तक उसका कुछ पता नहीं है, कुछ निशानी नहीं है। एक तरफ Turmeric Board है और दूसरी तरफ Turmeric Research Centre है। उसी कमरपल्ली जिले में एक जगह पर Turmeric Research Centre बना है और एक और जगह पर प्रधान मंत्री जी ने आकर Turmeric Board एनाउंस किया है, तो Why don't you link them up and start it? ...(*Time-bell rings*.)... वक्त की कमी है। Madam, thank you very much for the opportunity.

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): Thank you very much, hon. Member. The next speaker is Shri Sanjay Yadav. He is not present.

The House stands adjourned to meet at 11.00 a.m. on Friday, the 2nd August, 2024.

The House then adjourned at forty-seven minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Friday, the 2nd August, 2024.

Content Page

PUBLISHED UNDER RULE 260 OF RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN THE COUNCIL OF STATES (RAJYA SABHA)